खण्ड-366, अंक-4
मंगलवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1906
(27 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रश्नोत्तर	6–88
उपाध्यक्ष पद के संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	88–89
जाँचकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्त्ता सदस्य से सम्पर्क स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में उठाए गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	89
लोकहित और गोपनीयता के आधार पर प्रश्नों का उत्तर न दिए जाने के विषय में उठाए गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	89–92
प्रश्नों के उत्तर ठीक से न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	93–95
सेमरा जिला लखनऊ में अराजक तत्वों द्वारा हरिजनों के साथ मारपीट व घरों को फूंकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95
बलिया नगर में अस्थायी दूकानदारों को उजाड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95–96
केन्द्रीय औषधि भण्डार सीतापुर में अग्निकाण्ड से हुए नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
औरंगाबाद (बुलन्दशहर) में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
कोरिया जिला कानपुर के निवासियों पर पुलिस द्वारा किए गये अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96–97
श्री राम चरन मौर्य, थानाध्यक्ष, रामनगर (बाराबंकी) द्वारा श्री छोटे लाल यादव हेड सिपाही को पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
10 डाउन दून एक्सप्रेस में बदमाशों द्वारा लूट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97–98
उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	98
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	98
26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का उत्तर पाँच माह के बाद भी न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	98–99
पर्वतीय अंचलों की डिस्पेंसरियों में चिकित्सकों की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	99–101
आज का एम0 एल0 ए0 राम औतार फिल्म के बनाने वालों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	101–108
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	108–111

विषय	पृष्ठ संख्या
1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान––अनुदान संख्या 76––सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	112–137
अनुदान संख्या 14––गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 39––मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	137–150
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	150
उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	150-152
प्रदेश में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल खोलने के लिए स्थानों का चयन करने हेतु पाँचवाँ शिक्षा सर्वे कराने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	152
रबी अभियान के अन्तर्गत प्रमाणित एवं शोधित बीजों के 40 प्रतिशत अंकुरित होने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा के स्थगन की सूचना	152
नत्थियाँ	153–154

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 357

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा	कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर	कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद	किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़	किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्ल)	बहराइच	केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
ईश्वरशरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	केशोराम, श्री	बदायूं
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री	एटा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
ऊदल, श्री	वाराणसी	खरपत, श्री	वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर	खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
		खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल

खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बांदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्दर सिंह, श्री	मेरठ
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दलसिंगार, श्री	आजमगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
निजाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा

गौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विववेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विववेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह "खुर्जेवाला", श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्मदत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भीम सिंह सीना, श्री	मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा,
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद रफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी

यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राजकिशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पांडेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट)	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप गिम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रुल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)	इलाहाबाद
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद

विजय शंकर सिंह, श्री गाजीपुर
विजय सिंह राना, श्री आगरा
विद्या सागर नौटियाल, टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0 पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री कानपुर
विशन लाल, श्री बिजनौर
विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
शम्भूनाथ, श्री आजमगढ़
शिरोमणि, श्री बांदा
शिव दर्शन, श्री रायबरेली
शिव नरेश, श्री बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री उन्नाव
शिव बालक, श्री रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री बिजनौर
श्रीकृष्ण गोयल, श्री बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
संजय सिंह, श्री सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री खीरी
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री मथुरा
साहब सिंह, श्री गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री गाजियाबाद
सुनीता चौहान, श्रीमती रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री बहराइच
सुमन लता, श्रीमती कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री जालौन
सुल्तान सिंह, श्री मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री मैनपुरी
सूरजभान, पंडित अलीगढ़
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री सीतापुर
हरदेव, श्री बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री देवरिया
हरि सिंह, श्री बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री कानपुर
हरीशंकर, श्री हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री मुज़फ्फरनगर

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 27 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्टेट आबजर्वेटरी नैनीताल के कर्मचारियों का हाउस एलाउन्स

**1—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सरकार को ज्ञात है कि स्टेट ऑबजर्वेटरी नैनीताल के कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस अलाउन्स इसलिए रोक दिया गया है कि वह म्युनिसिपल एरिया में नहीं आता ? क्या यह सही है कि उक्त ऑबजर्वेटरी शहर के 8 कि0 मी0 के अन्दर आती है और उसके अधिकांश कर्मचारी नैनीताल शहर में रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको हाउस अलाउन्स देने पर तुरन्त विचार करेगी और पूर्व में दिए गये अलाउन्स की रिकवरी को रोकने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं पर्यावरण तथा पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

यह कहना उचित नहीं होगा कि स्टेट आबजरवेटरी (राजकीय वेधशाला), नैनीताल के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता मात्र इसलिए रोक दिया गया है कि वह म्युनिसिपल एरिया में नहीं आता अपितु शासनादेश सं0 जी—1—1580/दस-82-209-81, दिनांक 28-8-1982 में दी गई संबंधित शर्तों को पूरा न करने के कारण रोक गया है ।

जी हां, अबजर्वेटरी, नैनीताल मुख्यालय से 4 कि0 मी0 दूर तथा नगरपालिका की दक्षिणी सीमा से 1 कि0 मी0 दूरी पर है । किराया भत्ता देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । किराया भत्ता उक्त शासनादेश की शर्तों के अनुसार देय नहीं है, अतः जब तक शासन के विचाराधीन प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक रिकवरी रोकने के आदेश जारी करना वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होगा ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, आप एक बात बतायें । आपने उत्तर के अन्त में लिखा है "राज्य मंत्री" । किस विभाग के हैं, यह नहीं लिखा है ।

(मंत्री जी द्वारा कोई उत्तर न दिये जाने पर)

कृपया ध्यान रखें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि शासनादेश तो 28-8-82 में किया गया है। दूसरी बात यह है कि जब रिकवरी की वसूली का मामला शासन के विचाराधीन है और उस पर जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक स्थगन आदेश जारी करने में क्या कठिनाई है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन् जो राजाज्ञा पहले जारी की गयी थी उसके तहत भत्ता देय हो गया लेकिन बाद में 28 अगस्त, 82 को जो जी0 ओ0 जारी किया गया उसमें स्पष्ट आदेश हुए कि नगर पालिका सीमा के बाहर जिन-जिन को भत्ता दिया जाता है वह तुरन्त रोक दिया जाय। इसी आपत्ति को लेकर ट्रेजरी आफीसर ने यह भत्ता रोक दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस राजाज्ञा का उन्होंने हवाला दिया है उसको उन्होंने विस्तार से पढ़ा है? दूसरी जो राजाज्ञा निकली है वह अध्यापकों के सम्बन्ध में भी है और राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी है कि 50 हजार से ऊपर की आबादी की जो

नगरपालिकायें हैं उनको यह भत्ता दिया जायेगा और 8 किलोमीटर की परिधि में जो भी गांव, स्कूल या दफ्तर आते हों उनको यह भत्ता दिया जायेगा। क्या यह सही है कि जहां पर यह आबजर्वेटरी बनी हुई है वहां पर एक आवास डाइरेक्टर के रहने के लिये बना हुआ है और किसी के लिये आवास की वहां पर व्यवस्था नहीं है इसलिये बाध्य होकर वहां के सभी कर्मचारी नैनीताल शहर में रहते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार तत्काल उनको भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय लेगी?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, पहली राजाज्ञा के आधार पर 8 किलोमीटर तक की दूरी तक स्थित होने वाले कार्यालय के लोगों को यह भत्ता दिया गया लेकिन बाद में जो जी0 ओ0 निकला उसमें यह परिवर्तन किया गया कि जो नगरपालिका की सीमा के बाहर कार्यालय हों उनको यह भत्ता देय नहीं होगा। इसी जी0 ओ0 के आधार पर ट्रेजरी आफिसर की आपत्ति पर रोक दिया गया और यह नियमत: किया गया कि जो पहले पैसा दिया गया है वह अनियमित है जिसकी वजह से रिकवरी जारी कर दी गयी। अब पुन: उनके कर्मियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर शासन विचार कर रहा है कमेटी उस पर विचार कर रही है और उनके प्रतिनिधियों को कहा गया है कि औचित्यपर्ण ढंग से प्रतिवेदन दें, शासन उस पर विचार करेगा ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, शासन ने जो पहले राजाज्ञा जारी की थी उसके हिसाब से 50 हजार की आबादी वाले नगरों और उसके 8 कि0 मी0 की परिधि में आने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता था। बाद में शासन ने एक राजाज्ञा जो लगातार चली आ रही थी जिसकी संस्तुति वेतन आयोग ने भी की थी उसमें संशोधन कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

आप कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री पंचानन राय–

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि वित्त विभाग ने दुबारा जो संशोधन कर दिया जिससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए संकट पैदा हो गया है और उनका मकान किराया भत्ता वापस हो रहा है तो क्या तत्काल उसकी रिकवरी को रोकने के आदेश करेंगे और जो पहले उनको सुविधा प्राप्त थी उसे पुन: उपलब्ध करायेंगे? माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, पहले जो भत्ता दिया गया वह वैधानिक नहीं था इसी लिए उसकी रिकवरी हो रही है। अब नये सिरे से विचार हो रहा है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जब मामला शासन के विचाराधीन है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी रिकवरी रोकी जा सकती है जब तक कि इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं ले लेते। तो अंतिम निर्णय होने तक वसूली न रोकने के क्या कारण हैं?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि पहले जो भत्ता दिया गया वह अनियमित करार दिया गया उसकी रिकवरी करने के संबंध में कार्यवाही हो रही है । भविष्य में कौन सी सुविधा दी जाय इसके बारे में शासन विचार कर रहा है ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक शासन अंतिम निर्णय न ले

ले तब तक वसूली रोकने में क्या कठिनाई हो रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि यह शासन ने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि गलत ढंग से उसका पेमेंट कर दिया गया है इसलिए वह वापस हो रहा है । भविष्य में यदि देना स्वीकार करेंगे तो दिया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद आेझा–

यह सरकार ज्यों ज्यों चुनाव की सरगर्मी चल रही है एक तरफ सरकारी **कर्मचारियों को आंसू पोंछने का ढोंग रच** रही है और दूसरी तरफ जो सुविधायें मिल रही है उनको काट रही है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी परिस्थिति आ गयी जो पुरानी राजाज्ञा को जिसके तहत 50 हजार तक की **आबादी के नगरों में रहने वाले कर्म**चारियों एवं उसकी 8 कि0 मी0 की परिधि में रहने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की सुविधा थी उसको काट दिया गया और उस राजाज्ञा को संशोधित करके कर्मचारियों के हकों को काटने की बात की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा –

यह तो जी0 ओ0 के आधार पर दिया गया और उसके बाद उसे संशोधित किया गया उसके आधार पर उन्हें रोक दिया गया इसलिए कोई इसमें चुनाव का प्रश्न नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

जब वह उत्तर दे रहे हैं तो उसे सुनना चाहिये बीच में आप टोक देते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद आेझा–

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न था कि जो राजाज्ञा थी उसमें 50 हजार की जनसंख्या वाले शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधा मिल रही थी और 8 कि0मी0 में सुविधा मिल रही थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे जो सुविधा मिल रही थी उनको काटने के लिये पुराने राजाज्ञा में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा –

परिस्थितियां कोई कुछ भी नहीं थीं **बल्कि कार्यालय सीमा से बाहर** था, इसलिये रोक दिया गया।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, पहली राजाज्ञा को संशोधित किया, उसके अनुसार 8 कि0 मी0 की परिधि में रहने वाले कर्मचारियों को मकान भत्ता दिया जाता था, अब राजाज्ञा संशोधित कर दी गयी कि 8 कि0 मी0 के अन्तर्गत नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया में यह सुविधा दी जायेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दी जायेगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण थे कि राजाज्ञा को संशोधित करना पड़ा और इसके पहले जिन्होंने मकान भत्ता ले रखा है उनसे वापस लेने का क्या औचित्य है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, यह अनियमित रूप से पैसा उनको दे दिया गया था, इसलिए वापस लिया जा रहा है और भविष्य में अब तय **किया गया है कि कैन्टूनमेंट एरिया,** नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया में दिया जायेगा। शासन की अधिसूचना जारी होने पर ही दिया जा सकेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो वेधशाला है जिसमें सरकार द्वारा बताया गया है कि नैनीताल मुख्यालय से 4 कि0 मी0 दूर और नगरपालिका की दक्षिण सीमा से एक कि0 मी0 दूर है और जहां से टोल टैक्स वसूल करते हैं वह काफी

दूरी पर है। तो क्या कारण है कि पहले आपने भत्ता दिया और बाद में बंद कर दिया, तो वह राजाज्ञा क्या है, उसको बता दें ? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब तक इस पर विचार करेंगे तब तक क्या रिकवरी को स्थगित करने का आश्वासन देंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैंने कहा है कि अनियमित ढंग से चूंकि पैसा दे दिया गया इसलिये वसूला जा रहा है। वैसे नैनीताल में नगर सीमा को बढ़ाये जाने में विचार हो रहा है और प्रार्थना पत्र जो मिला है उस पर कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, जो रुपया दिया गया था उसको वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो टोल टैक्स आगे बैरियर लगाकर वसूल किया जा रहा है, यह सीमा में नहीं आता है, तो टोल टैक्स, वाहनों से क्यों वसूल किया जा रहा है, इस पर क्या विचार करेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

अन्य सुविधायें दी जाती हैं इसलिये सीमा के अन्तर्गत ही टोल टैक्स वाहनों से वसूल किया जाता है किन्तु उनसे वसूल नहीं किया जा रहा है।

श्री ऊदल–

पुरानी राजाज्ञा के अनुसार वहां के कर्मचारियों को आवास भत्ता, नगर भत्ता मिलता था लेकिन सरकार की समझ में आया कि गलत दे दिया गया, इसलिए राजाज्ञा को संशोधित कर दिया और उनसे धन वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है, उसमें कुछ नहीं कहना है। मेरा प्रश्न है कि वित्त मन्त्री जी नजदीक के निवासी हैं, टोल टैक्स उससे आगे बैरियर लगाकर आम जनता से वसूला जा रहा है, यदि नगर सीमा की परिधि के बाहर वह स्थान है तो टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है इसको क्या सरकार बंद करेगी?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, यह विषय, प्रश्न से बाहर है और इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। वैसे टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है, वह नगर सीमा के अन्तर्गत वसूल किया जाता है, नगर सीमा के बाहर कोई चुंगी चौकी नहीं बनायी जाती है।

शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

*2–श्री मित्रसेन (अनुपस्थित) –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों (सीधी भर्ती) को पहले स्थाई करने हेतु उ0 प्र0 शासन कार्मिक अनु0-4 के आदेश सं0 ई0 एम0 248/कार्मिक 4-81 दिनांक 9-2-81 तथा वित्त विभाग के आदेश संख्या ई-1-2042-दस-82 दिनांक 23-11-82 के द्वारा आदेश दिये हैं ? क्या यह सही है कि विभागीय कर्मचारियों को स्थाई न करके प्रतिनियुक्ति पर आये हुये कर्मचारियों को पहले स्थाई किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)–

कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-ई0 एम0 248/कार्मिक-4-81 दिनांक 9-2-81 द्वारा 5 साल तक निरन्तर चल रहे अस्थाई विभाग के अधिष्ठान में 3

नोट:–अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री भीखा लाल की रुचि पर लिया गया।

वर्ष तक निरन्तर कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की निर्धारित नीति के अन्तर्गत शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के कतिपय अस्थाई पदों को स्थाई घोषित करते हुए इन पदों पर परियोजना प्रशासकों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को स्थायी किये जाने निमित्त वित्त विभाग के दिनांक 23-11-81 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से आदेश जारी किये गये हैं। शारदा सहायक परियोजना में कार्यरत **दूसरे विभागों के ऐसे कर्मचारियों को,** जिन्हें परियोजना के हित में स्थायी करना अत्यन्त आवश्यक समझा जायगा तथा वे कर्मचारी जो अपने मूल विभाग में धारित पहन को छोड़ने को तैयार होंगे, को भी स्थायी किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भीखालाल–

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है।

(अनुमति मिलने पर)

मान्यवर, इसके परिप्रेक्ष्य में शासन से 1981 में आदेश जारी हुए कि जो तीन साल से कर्मचारी अस्थायी पदों पर कार्य करते रहे हैं, उनको स्थायी कर दिया जाए और नवम्बर में वित्त विभाग ने इसकी सहमति दे दी और फरवरी, 83 में वह सूची भी प्रकाशित कर दी गयी, लेकिन श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से संदर्भित राजाज्ञा के बिन्दु (4) को पढ़ देना चाहता हूं–"इन पदों पर केवल परियोजना प्रशासकों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को ही स्थायी किया जायगा। परियोजना में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग जैसे कृषि, पशुपालन सहकारिता व नियोजन विभाग आदि के कर्मचारी हैं, को इन पदों पर स्थायी नहीं किया जायेगा।" यह आदेश है 81 के फिर इसको किन परिस्थितियों में बदल दिया गया कि दूसरे विभागों के कर्मचारियों को भी स्थायी किया जायगा ?

श्री राम सजीवन सिंह–

जो विभागाध्यक्ष हैं, उनके प्रार्थना पर सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार किया गया है कि जो दूसरे विभागों के इस विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं, जो अपना पैतृक विभाग छोड़ना चाहते हैं और मूल रूप में इसमें सेवा करना चाहते हैं, उन्हें भी स्थायी करने पर विचार किया जाए तो अभी यह विचार चल रहा है।

श्री भीखालाल–

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस शासनादेश के अनुसार पहले उन अस्थायी कर्मचारियों को जो इस अधिष्ठान में कार्यरत हैं, उनको स्थायी करने का आश्वासन देंगे ? और आप यह न भरें तो दूसरे विभाग के कर्मचारियों को इनमें भरें, क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह–

पहले उनको ही प्राथमिकता दी जायेगी, जो सीधे भर्ती हुए कर्मचारी हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

शासनादेश में लिखा है कि 3 साल से निरन्तर काम करते रहे हों, वह परमानेंट हो जायंगे। लेकिन देखने में यह आता है कि प्रायः 6-6, 8-8 महीने में उनकी सेवा को ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे उनकी तीन साल की सर्विस कभी पूरी नहीं हो पाती है, तो क्या उनके कार्यों

को देखते हुए, नेचर आफ वर्क को देखते हुए मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस तरह से उनकी सेवायें समय-समय पर ब्रेक न की जायं, जिससे उनकी सेवाओं की निरन्तरता बनी रहे? क्या मंत्री जी उसके निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री बृहमदत्त)–

इस बारे में जो व्यवस्था की गयी है, इसीलिए की गयी है कि जो लोग मई, 83 के पहले अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए हैं और जिनके जारी रहने की आवश्यकता है, उनको स्थायी किया जाए। इस पर ध्यान रख रहे हैं और भविष्य में ऐसी बात नहीं होगी कि 3 साल की उनकी सर्विस पूरी होने के पहले उसे ब्रेक कर दिया जाये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री रामस्वरूप निग–

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

श्री राजेन्द्र मोहन कुलश्रेष्ठ द्वारा पालेकर एवार्ड के संबंध में घोषित आत्मदाह तथा समझौता

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल में ही उन्हें जनवार्ता, हिन्दी दैनिक वाराणसी के लखनऊ स्थित संवाददाता (श्री राजेन्द्र मोहन कुलश्रेष्ठ) ने यह सूचित किया है कि पालेकर एवार्ड लागू कराने संबंधी उनकी मांगों को, यदि शासन ने नहीं स्वीकार किया तो लखनऊ केन्द्रीय सचिवालय के सामने वह 27 फरवरी, 1984 को सायंकाल 4 बजे आत्मदाह कर लेंगे ? यदि हां, तो मांगों के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

प्राविधिक शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

जी हां ।

श्री राजेन्द्र मोहन कुलश्रेष्ठ के पालेकर एवार्ड के प्रतिपालन आदि से संबंधित उनके मामलों के संबंध में श्री कुलश्रेष्ठ एवं सेवायोजक पक्ष के मध्य दिनांक 24-2-84 को समझौता करा दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो समझौता कराया गया उसका पालन नहीं हुआ है । समझौते में जो शर्त 1, 2 व 3 थी उसका पालन नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका पालन क्यों नहीं हुआ और श्री कुलश्रेष्ठ को जो 4,565 रुपये का भुगतान समझौते के अनुसार होना था वह हुआ है या नहीं ? मेरी जानकारी यह है कि यह जो अनुबन्ध हुआ था उसको जानबूझ कर तोड़ा जा रहा है?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, 4,565 रुपये में से 447.40 रुपये का भुगतान 12 मार्च, 1984 को तथा 1,600 रुपये का भुगतान 15-3-84 को कर दिया गया है। जो 2,517.60 रुपये का भुगतान शेष है इसका बिल कोषागार को भेज दिया गया है और इसका भी भुगतान हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री कुलश्रेष्ठ की ओर से शासन को एक मांग पत्र दिया गया था जिस पर शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और अन्त में श्री कुलश्रेष्ठ को यह कहना

पड़ा कि वे आत्मदाह कर लेंगे । जो आवेदन पत्र दिया गया था उसमें एक मांग नेशनल हेराल्ड समूह के खिलाफ जो 5 लाख रुपये के रिकवरी सर्टीफिकेट जारी हुये थे उससे संबंधित भी थी। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ताकि वह 5 लाख रुपये के रिकवरी, सर्टीफिकेट को दे दिया जाय ?

श्री सुनील शास्त्री–

जो पत्र उन्होंने शासन को दिया था वह स्वमोटो रेफ्रेन्स के लिये 23 मार्च 1983 को भेज दिया गया था और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की गयी । जहां तक नेशनल हेराल्ड का प्रश्न है, वह एक अन्य प्रतिष्ठान है । वहां के बारे में भी स्थिति यह है कि रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिये गये हैं और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जब काश्तकारों पर 2-2 सौ रुपये या 500 रुपया ही बकाया होता है तो यह सरकार किसानों की सम्पत्ति कुर्क करा लेती है, उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही करती है, उनको जेल भेज देती है, तो इनके खिलाफ, जब कि नेशनल हेराल्ड ग्रुप के पास बिल्डिंग है, बैंक में भी रुपया जमा है, काफी सम्पत्ति है, तो इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? मैंने डेढ़ साल पहले भी यह मामला जब यहां सदन में उठाया था तो उस समय श्री जगदीशचन्द्र दीक्षित, जो श्रम मंत्री थे, उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि वे प्रताड़ना की कार्यवाही भी करेंगे । मेरी सूचना मान्यवर, यह है कि जिलाधिकारी के ऊपर राजनैतिक दबाव पड़ रहा है जिसके कारण रिकवरी का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है । तो मंत्री जी कृपया यह बतला दें कि रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कब हुए और उसके बाद से अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री सुनील शास्त्री–

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि "नेशनल हेराल्ड" तथा "जन वार्ता" दोनों अलग-अलग प्रतिष्ठान हैं । यहां पर "जनवार्ता" के कर्मचारियों के बारे में विचार हो रहा है । जहां तक "नेशनल हेराल्ड" का सवाल है उसके बारे में मैंने यहां माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया है और विधान परिषद् में अवगत करा दिया है कि समय समय पर रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये गये हैं और डी0 एम0 के माध्यम से रिकवरी की जाती है । तो वहां पर पूरी तरह से श्रम विभाग संबंध बनाये हुये हैं कि जल्दी से जल्दी पैसे का भुगतान उन लोगों को करा दें ।

श्री उदल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दैनिक "जनवार्ता" के कुछ कर्मचारियों के ऊपर पालेकर एवार्ड लागू है और कुछ के ऊपर नहीं लागू है जिनका जिक्र है ? क्या इसकी सूचना है ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, पालेकर एवार्ड "जनवार्ता" पर लागू है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि शासन की ओर से जिलाधिकारी को रिकवरी सर्टीफिकेट भेजे जा चुके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि रिकवरी सर्टीफिकेट जारी तो कर दिये गये हैं लेकिन रिकवरी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? सर्टीफिकेट जारी करना तो

कार्यवाही नहीं है । उनकी गिरफ्तारी और पैसे की वसूली की कार्यवाही क्या की गयी है इसको बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैंने जैसा पहले कहा है विभिन्न तिथियों को रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये गये हैं । उप श्रमायुक्त द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गये हैं । रिकवरी की कार्यवाही जिलाधिकारी के माध्यम से की जाती है । जहां तक श्रम विभाग का सवाल है, श्रमिकों के हित को देखते हुये श्रम विभाग जिलाधिकारी से संबंध बनाये हुये हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी सर्टीफिकेट के तहत कार्यवाही की जाय।

हरदुआगंज विद्युत परियोजना प्रांगण में स्थित शिशु बाल मन्दिर

3–श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री राम सिंह रावल, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री शरीयतुल्लाह, श्री नेत्रपाल सिंह राघव, श्री मोहम्मद अबरार अहमद, श्री चेतराम गंगवार, श्री सुरेन्द्र कपिल तथा श्री मीर मजहर अली –

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज विद्युत परियोजना प्रांगण में कोई सरस्वती शिशु बाल मन्दिर चल रहा है ? यदि है, तो क्या यह सही कि उक्त परियोजना द्वारा कोई स्कूल भवन ऐसा बनवाया गया है जिसका अनुबन्ध अथवा आवंटन सिटी मान्टेसरी स्कूल के नाम से किया गया है ?यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सिटी मान्टेसरी स्कूल का प्रबन्ध मण्डल तथा अध्यापक मण्डल वही है जो सरस्वती शिशु बाल मन्दिर का है ? उक्त स्कूल भवन की कुल लागत क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

हरदुआगंज परियोजना प्रांगण में सरस्वती शिशु बाल मन्दिर नाम का कोई विद्यालय नहीं है वरन् सरस्वती शिशु मन्दिर नाम से एक विद्यालय चल रहा है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हुए कि सरस्वती शिशु मंदिर का जो प्रबंधक मंडल है और अध्यापक मंडल है वह आर0 एस0 एस0 का है । सरस्वती शिशु मंदिर सांम्प्रदायिकता फैलाता है तो क्या ऐसे स्कूल को विद्युत परिषद् के प्रांगण में चलाया जा सकता है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, सामान्यतः ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन सामान्यतः हमारा यह भी देखने का कर्त्तव्य है कि कोई ऐसी संस्था न चले जो साम्प्रदायिकता को चलाये । मान्यवर, इस बारे में जहां तक है तो जो अपने को बहुत गैर साम्प्रदायिकतावादी कहते हैं अब उनकी सहानुभूति साम्प्रदायिकतावादियों से हो गयी है । इसकी चिन्ता मुझे है ।

श्री मीर मजहर अली –

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कूल जिस इमारत में चल रहा है वह किस महकमे की है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, यह जो प्रश्न किया गया है वह नये बनने वाले भवन के बारे में है वह भवन तो अभी किसी को दिया नहीं गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी हैं कि हरदुआगंज में कालोनी में जहां पर लगभग 3 हजार आवास बने हुये हैं और बड़ी संख्या में कर्मचारी रहते हैं उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए हरदुआगंज का जो मैनेजमेन्ट बिजली बोर्ड का हैं उसने प्रार्थना की थी । वहां पर अब्राहम ईसाई स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं । वहां पर शिक्षा प्रबंध की एक एजूकेशन एडवाइजरी कमेंटी ने, उस कमेंटी ने खुद इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो सन्दर्भित संस्था हैं वह बच्चों की शिक्षा का सुन्दर और आदर्श प्रबंध करती हैं तो वहां की एडवाइजरी कमेंटी ने प्रार्थना की थी कि आप आयें और हमारे बच्चों को पढ़ायें । मेरे पास जो उस समय के उर्जा मंत्री थे, और मिस्टर गर्ग जो वहां जनरल मैनेजर हैं उन्होंने एक पत्र लिखा हैं जो मेरे पास हैं । उस समय के उर्जा मंत्री के नोट के साथ शिक्षा सलाहकारी समिति की प्रार्थना जब इस विद्यालय के प्रबंधकों के पास पहुंची तो उन्होंने कृपापूर्वक विद्यालय खोला । क्या यह सही हैं? यदि हां, तो क्या केवल राजनीतिक स्वार्थ से वशीभूत होकर एक विद्यालय के संबंध में कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त –

इन चीजों की मुझे जानकारी नहीं हैं । लेकिन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हैं । हम यह देखेंगे कि उसको सही संस्था चलाये ।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1 सितम्बर, 83 को माननीय श्री चौहान का कोई पत्र इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो वह पत्र क्या हैं ? तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष –

मैं इनकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मोहन सिंह –

मान्यवर, जब उर्जा मंत्री शास्त्री जी थे, जो आर0 एस0 एस0 में दीक्षित और प्रशिक्षित हैं तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दी थी ।

श्री भीखा लाल –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ गैर साम्प्रदायिक लोग साम्प्रदायिक लोगों में आ रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर चिन्ता व्यक्त करेंगे कि सरस्वती विद्या मंदिर के नाम पर अगर वहां पर साम्प्रदायिकता का जहर भरा जाता हैं और छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में यह जहर भरकर उनकी संस्कृति विकृत की जाती हैं तो क्या ऐसे शिक्षा संस्थान पर कोई रोकथाम लगाने का उपाय करेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त –

मेरा इस विषय में निवेदन हैं कि कोई सरकारी भवन किसी साम्प्रदायिक संस्था को न दिया जाय और नहीं दिया जायगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो चल रहा हैं तो क्या उसे इस सत्र के बाद बंद कराने का आदेश करेंगे ।

श्री ब्रह्म दत्त –

मैं पहले कह चुका हूं कि कोई सरकारी भवन साम्प्रदायिक संस्था को आवंटित नहीं किया जायगा ऐसा आदेश मैंने दे दिया हैं ।

पुलिस सब इंसपेक्टर श्री जे0पी0 चौधरी, लखनऊ की हत्या

*1—श्री जयदीप सिंह बरार –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 3 अप्रैल, 1982 को लखनऊ नगर के हसनगंज क्षेत्र में पुलिस सब-इंसपेक्टर (श्री जे0 पी0 चौधरी) की हत्या किन परिस्थितियों में हुई ? क्या इस घटना की कोई जांच पुलिस के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा भी की गयी है ?यदि हां, तो क्या तथ्य सामने आये ?

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3 अप्रैल, 1982 को जब श्री जे0 पी0 चौधरी सब-इंसपेक्टर सरकारी कार्य से थाना हसनगंज क्षेत्र में बब्बू वाली गली से जा रहे थे तो करीब 5-00 बजे सायंकाल राजू उर्फ निजामुद्दीन व करीमुद्दीन पुत्रगण हाजी नूर मुहम्मद निवासी कलक्टरगंज थाना हसनगंज ने श्री चौधरी का सरकारी 9 एम0 एम0 पिस्टल छीन कर उन्हें गोली मार दी जिससे घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई इस संबंध में थाना हसनगंज पर अपराध संख्या 144/82 धारा 302/394 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना हसनगंज द्वारा की गई । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही के पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

इस घटना की कोई जांच पुलिस के अतिरिक्त किसी अन्य एजेन्सी द्वारा नहीं करायी गई ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, हर हत्या के पीछे कोई मोटिव होता है और जो पुलिस के इंसपेक्टर की राजधानी में हत्या हुई इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव रहा होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जानकारी है कि यह गाजियान पुलिस अधिकारी यहां के बहुत बड़े अपराधिक संगठन और उसके साथ जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी थे उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से उसकी हत्या की गयी । क्या माननीय मंत्री जी ने इन विंदुओं पर जांच करवाई, अगर नहीं करवाई तो क्या इस विंदु पर जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव –

श्रीमन् इसमें यह पूरी जानकारी है कि जिन लोगों ने इनका कत्ल किया । दरोगा ड्यूटी पर गये थे, इनकी बदमाशों से दुश्मनी थी, उन्होंने ही इनको मारा । अगर माननीय सदस्य को विशेष जानकारी हो, उसके बारे में तो दे दें ।

श्री राम कुमार भार्गव –

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि लखनऊ के जो आपराधिक गैंग हैं, उनको संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारी एवं नेतागण की आपस की प्रतिद्वन्दता में इस ईमानदार हरिजन पुलिस अधिकारी का कत्ल हुआ । क्या इस बिन्दु को ध्यान में रखकर पहले तो मैं यह मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता एवं उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी देने पर विचार करेंगे और इसकी जांच सेन्ट्रल की किसी एजेन्सी द्वारा जैसे सी0 बी0 आई0 के द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष –

जांच का कोई प्रश्न नहीं होता, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी –

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मान्यवर, सामान्य प्रक्रिया यह है कि अगर एक सिपाही को जरा सा धक्का लग जाता है तो पुलिस विभाग एटम बम से उड़ा देता है और जीता जागता सब-इन्सपेक्टर राजधानी की गली में मरा है, क्या कारण है कि आपके पुलिस विभाग में जूं तक नहीं रेंगी और आज तक उसमें पर्दा ही डाला जा रहा है ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी किसी अन्य एजेंसी से मैजिस्टेरियल जांच या आपके पुलिस विभाग की और भी शाखायें हैं, उससे जांच करा कर सत्य का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि मेरी निश्चित जानकारी है कि इस हत्या में पुलिस विभाग का ही हाथ है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव –

श्रीमन् जहां तक माननीय सदस्य ने कहा, इनका कत्ल हुआ, इन पर गोली चलाई गयी, लेकिन इसमें यह कोई भी तथ्य नहीं है कि पुलिस विभाग का इसमें हाथ है ।

प्रतापगढ़ के ए0 डी0 एम0 श्री गिरधारी लाल के साथ युवक कांग्रेस (आई0) के कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार

*2–श्री मोहन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11/12 अप्रैल, 1983 की रात प्रतापगढ़ जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्री गिरधारी लाल के घर पर युवक कांग्रेस (आई0) के कार्यकर्त्ताओं ने हल्ला बोला और उनसे दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली में भाग लेने के लिए 300 लीटर डीजल और 5000 रु0 नगद की मांग की और न देने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जिसके विरोध में प्रतापगढ़ जिले में तैनात प्रान्तीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने एक हफ्ते की हड़ताल रखी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस घटना के संबंध में उ0 प्र0 सरकार के उक्त जिले के एक मंत्री का पुत्र भी गिरफ्तार हुआ ? यदि हां, तो क्या मंत्री के पुत्र को किसी विशेष राजकीय आदेश पर रिहा कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गिरधारी लाल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ ने एक लिखित सूचना दी कि दिनांक 11/12 अप्रैल, 1983 को कुछ लोगों ने उनके घर को घेर लिया था और उनसे केवल 400 लीटर डीजल की तुरन्त व्यवस्था की मांग की थी । नगद रुपए की मांग नहीं की गई थी । असमर्थता प्रकट करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया । दुर्व्यवहार को लेकर प्रतापगढ़ जिले में तैनात प्रान्तीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने तीन दिन कार्यालय में काम नहीं किया था । यह सही है कि इस घटना के संबंध में रोहित कुमार गिरफ्तार हुए थे उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ ने जमानत पर रिहा किया ।

श्री मोहन सिंह –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत खूबसूरती के साथ सारे तथ्य को छिपाने की कोशिश की है, क्योंकि युवक कांग्रेस (आई) और मंत्री के लड़के का मामला है, किस तरह से ये मनचले लोग गुंडागर्दी के बल पर प्रशासन के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, उसका यह एक दृष्टान्त है । माननीय राम नरेश शुक्ल के पुत्र रोहित कुमार ने बहुत से लोगों के साथ एक हरिजन अधिकारी का घर घेर लिए और उससे कहा कि 400 लीटर डीजल तथा 5 हजार रुपये नकद तत्काल दो, हम

लोगों को दिल्ली रैली में जाना है । माननीय, यह गिरधारी लाल जो एक हरिजन अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ थे, ने क्या एफ0 आई0 आर0 लिखाई और उसमें किसको-किसको मुल्जिम करार किया और किस थाने में रपट लिखी गयी, उसमें कौन-कौन से तथ्य सामने आये ? माननीय मंत्री जी संक्षेप में एफ0 आई0 आर0 के तथ्य बताने की कृपा करें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव –

श्रीमन्, जो उन्होंने एफ0 आई0 आर0 लिखाई, वह तो दो पेज में है ।

श्री मोहन सिंह –

संक्षेप में बता दें, चूंकि मंत्री के लड़के का मामला है ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव –

धारा 311/147 आदि में दिनांक 11-12 की रात की घटना के बारे में रिपोर्ट लिखाई गयी, जब वह सो रहे थे, तो बंगले के बाहर यूथ कांग्रेस (आई0) के लड़के हल्ला मचाये, उनकी रिपोर्ट के अनुसार है कि उनको कुछ डीजल की जरूरत थी, तो उन्होंने डीजल के लिए पैसा नहीं मांगे थे डीजल के लिये कहा था ।

श्री मोहन सिंह–

रिपोर्ट पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । (श्री अकबर अहमद के कुर्त्ते के बटन खुले होने पर ।) अकबर अहमद खड़े हो जायं, आप बटन लगाकर आया करें, यह खुला हुआ नहीं होना चाहिए ।

श्री अकबर अहमद–

इससे सदन में फर्क नहीं पड़ता है ।

श्री मोहन सिंह–

मेरी जानकारी में युवक कांग्रेस आई के लड़के थे । जब भी कोई गम्भीर मामला इस सदन में आता है तो सरकार की ओर से घोषणा होती है कि मैजिस्ट्रेरियल जांच करायेंगे । एक मजिस्ट्रेट अपर जिलाधिकारी एक सीनियर पी0 सी0 एस0 अपसर है, उसने रिपोर्ट लिखायी। राम नरेश शुक्ल के तीन लड़कों के खिलाफ एक लड़के की गिरफ्तारी हुई दो लड़के इनके बंगले में छिप गये और इनके कारण गिरफ्तार नहीं किये गये । इनके लड़के एक बस भर लड़कों के साथ जो शराब पिये हुए थे, बिना पैसे के अपर जिला अधिकारी के घर पर गये और कहने लगे 4 सौ लीटर डीजल और 5 हजार रुपया दो । इन सारे तथ्यों को मंत्री जी सदन के सामने झुठला रहे हैं । इस रिपोर्ट के बाद कितने दिन बाद इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और अभी तक क्या आगे की कार्यवाही हुई है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मैं कोई तथ्य छुपा नहीं रहा हूं । जिनके नाम एफ0 आई0 आर0 में लिखे थे वे हैं–देवी प्रसाद शुक्ल, रोहित कुमार शुक्ल, विश्वभरण शुक्ल और जवाहर सिंह दो को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है । जवाहर सिंह और विश्वभरण शुक्ल का पता नहीं है ।

श्री मोहन सिंह–

मंत्री जी सदन में बैठे हैं इनकी कुर्की की जायं ।

श्री मुईद अहमद–

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि दिल्ली में होने वाली रैली के लिए युवक कांग्रेस आई के लोग बस का परमिट मांग रहे थे । वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछें ।

श्री मुईद अहमद–

यह खराब परम्परा है कि गलत रिपोर्ट लिखा दी गयी उस पर जो रिपोर्ट आयी उससे परे जो तथ्य है उसकी जांच करायेंगे कि बस का परमिट अधिकारी नहीं दे रहे थे जिसके लिए आश्वासन दिया था, इसकी नाराजगी पर . . .

श्री मोहन सिंह–

ए0 डी0 एम0 परमिट नहीं देता है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

यह माननीय सदस्य का कहना सही है । बस का परमिट तीन दिन का था उसको चार दिन का कराना चाहते थे ।

श्री मोहन सिंह–

ए0 डी0 एम0 बस का परमिट नहीं देता है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस आई का सदस्य होना या किसी मंत्री का पुत्र होना कोई पाप है ? यदि है, तो साफ स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें ।

माननीय, दूसरी बात यह है कि क्या तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, श्री गिरधारी लाल जी के बारे में, जैसा कि कहा जाता है कि उनको मिर्गी के दौरे आया करते है ? यदि हां, तो बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी–

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के लड़के ने कोई रिपोर्ट लिखायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

जी नहीं । कोई रिपोर्ट मंत्री जी के लड़के द्वारा नहीं लिखायी गयी है ।

श्री मोहन सिंह–

माननीय, इस घटना की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और अभी तक जो अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तार करने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

इसमें चार अभियुक्त के नाम हैं। जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गये हैं तथा दो अभियुक्त अभी गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। इसकी जांच जिलाधीश ने की है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जाएगी।

*3–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की आई0 ए0 एस0 केडर में पदोन्नति की मांग

*4–श्री रियासत हुसैन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 सितम्बर, 1981 को शासन के द्वारा लिये गये निर्णय कि 15 आई0 ए0 एस0 की पोस्टों पर पी0 सी0 एस0 के अधिकारियों को पदोन्नति दी जाय, उस निर्णय की पूर्ति हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

दिनांक 30 सितम्बर, 1981 को शासन के द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया कि 15 आई0 ए0 एस0 की पोस्टों पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को पदोन्नति दी जाय । इस प्रकार का

एक निर्णय शासनादेश संख्या–वे0 आ0–1590/दस–42(एम)–1980 दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के अन्तर्गत हुआ जिसके अनुसार पी0 सी0 एस0 सम्वर्ग में दो नये वेतनमान रु0 2300–2700 तथा रु0 2700–3000 स्वीकृत किये गये हैं। इन वेतनमानों में क्रमशः 12 तथा 3 पद सृजित हुए हैं और इन 15 पदों के विपरीत 14 पदों पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को पदोन्नति देकर नियुक्ति की जा चुकी है। एक पद जो वेतनमान रु0 2300–2700 का है पर नियुक्ति विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, 14 पोस्टों पर नियुक्ति हो गई है जो विचाराधीन है उसका क्या कारण है वह विचाराधीन क्यों है जब उसका विचार समाप्त हो जायेगा तो उस अधिकारी का नाम क्या होगा वह डिले क्यों हो रहा है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जिस अधिकारी को, जो इस संवर्ग का था उनसे कहा गया कि इस वेतनमान में आ जाएं उन्होंने अस्वीकार कर दिया इसलिए स्थान खाली है दूसरे अधिकारी दिल्ली में कार्यरत हैं जब वह आ जायेंगे तो उन्हें ले लिया जाएगा।

श्री रियासत हुसैन–

एक अधिकारी ने इन्कार कर दिया तो क्या दूसरे अधिकारी का नाम इस सेलेक्शन ग्रेड के लिए नहीं आ पा रहा है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह अधिकारी दिल्ली में नियुक्त हैं जब वह आ जायेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या-5 एवं 6, पुकारे जाने एवं संबंधित सदस्यों के उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं विचार कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों पर जुर्माना हुआ करें और यह जुर्माना उनके खाते में जमा हो जायेगा जो वह प्रश्न करने के बाद उपस्थित नहीं रहते हैं।

होमगार्ड के अवैतनिक सदस्यों के पदोन्नित की मांग

*5–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड के अवैतनिक सदस्यों को पदोन्नति का कोई अवसर न देकर बाहरी व्यक्तियों को कम्पनी कमान्डर एवं प्लाटून कमान्डर के पदों पर सीधी नियुक्ति की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

जी नहीं। अवैतनिक सदस्यों को भी प्लाटून कमान्डर और कम्पनी कमाण्डर नियुक्त किया जाता रहा है।

श्री लल्लन सिंह निवासी परिसिनी (गाजीपुर) की हत्या एवं जांच

*6–श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लल्लन सिंह, ग्राम परिसिनी, थाना क्षेत्र गाजीपुर, जनपद गाजीपुर की हत्या दिनांक 29-11-82 को की गयी थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29-11-82 को ही सम्बन्धित थाने में नामजद लिखायी गयी है किन्तु उक्त तिथि के तीन दिन पश्चात् उसी मामले में कोई दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी

लिखाई गयी है, जिसमें पूर्व नामजद अभियुक्तों के अलावा श्री रामधारी सिंह यादव, ग्राम नइसारा, पत्रालय नइसारा, जनपद गाजीपुर, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, क्षेत्रीय समिति दवेकली, गाजीपुर एवं उपाध्यक्ष, जनपदीय कांग्रेस कमेटी (आई) नामजद किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त हत्याकाण्ड का रहस्य क्या है एवं अब तक की विवेचना क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत हत्या की घटना के संबंध में मृतक के भाई श्री रणधीर प्रताप सिंह द्वारा दि0 29-11-82 को थाना सैदपुर में तीन अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इस घटना के संबंध में कोई दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सैदपुर पर अंकित नहीं कराई गई है । अतः प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति श्री रामधारी सिंह यादव को नामजद करने का प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना से प्रकाश में आए 7 अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया था।

किन्तु मृतक की पत्नी क प्रार्थना पत्र पर इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है ।

(हंसी)

उत्तराखण्ड क्रान्ति दल द्वारा अलग पर्वतीय प्रान्त बनाये जाने की मांग

*7–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने 9 अगस्त, 82 को उ0 प्र0 के 8 पर्वतीय जिलों को मिला कर के एक अलग प्रान्त बनाने की सरकार से मांग की है? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है?

सामान्य प्रशासन एवं न्याय राज्यमंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

जी हां।

प्रश्नगत ज्ञापन केन्द्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो ज्ञापन था यह कब केन्द्र सरकार को भेजा गया क्या प्रदेश सरकार ने इसमें कोई संस्तुति की है प्रथम पर्वतीय राज्य बनाने की? यदि हां, तो वह संस्तति क्या है?

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, ज्ञापन 30 सितम्बर, 1983 को राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह ज्ञापन आपने केन्द्र सरकार को कब भेजा है और इसमें प्रथम पर्वतीय राज्य बनाने की कोई संस्तुति है? यदि हां, तो वह संस्तुति क्या है?

श्री रामनरेश शुक्ल–

मान्यवर, इस ज्ञापन में कोई संस्तुति राज्य सरकार ने नहीं दी क्योंकि यह ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित था उनके नाम वैसे ही भेज दिया गया है। वह तो नेगी जी का ख्याल करके राज्य सरकार ने कोई संस्तुति नहीं की, क्योंकि राज्य सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि वह प्रदेश के किसी भी हिस्से का विभाजन करने को तैयार नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो यह सरकार प्रशासनिक और विकास की दृष्टि से इस प्रदेश की व्यवस्था को चलाने में बिलकुल अक्षम रही है और इसके अलावा जबरदस्ती जबकि सारे प्रदेश से कई बार यह मांग उठी जैसे पूर्वांचल से मांग हुई कि पूर्वांचल अलग राज्य बनाया जाय, बुन्देलखण्ड से मांग हुई कि बुन्देलखण्ड अलग राज्य बनाया जाय, पश्चिमी जिलों से मांग उठी कि पश्चिमी प्रान्त अलग बनाया जाय, इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों से कई बार मांग उठी कि पर्वतीय राज्य अलग बनाया जाय, इसका मूल कारण, जिसके लिये प्रदर्शन हुआ वह क्या है, इसका कारण मैं जानना चाहता हूं। जो सरकार प्रशासनिक और विकास की दृष्टि से जनता को सुविधाएं नहीं दे सकती है, वह केन्द्र से क्यों नहीं सिफारिश कर सकती है कि हम इसको चलाने में अक्षम हैं, इसलिये उत्तराखण्ड को अलग राज्य बना दिया जाय, क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये पुनः संस्तुति करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में प्रदेश के हिस्से करने के लिये तैयार नहीं है। मान्यवर, इसी आदरणीय सदन में कई बार लाया जाता रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हजारों पद शिक्षकों के खाली हैं, डाक्टरों के पद खाली हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पद खाली हैं, लेकिन बार-बार कहने पर भी सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर सकी है। तो क्या माननीय मंत्री जी जनहित में और पर्वतीय क्षेत्र के हित में कोई इस तरह की व्यवस्था करेंगे पर्वतीय क्षेत्र अलग राज्य बने, इस तरह के ज्ञापन को अपनी संस्तुति के साथ भेजने का कष्ट करेंगे?

श्री बृहमदत्त–

पद खाली होने और नये राज्य का गठन करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार प्रयत्न कर रही है कि ये खाली पद शीघ्र भरे जायं। एक स्तर पर पर्वतीय कैडर भी बना दिया है। लेकिन अलग राज्य गठित करने से प्रदेश का अहित होगा, यह सरकार का निश्चित मत है।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, जो मेमोरेण्डम दिया गया, वह सरकार ने एज सच राष्ट्रपति को भेज दिया, लेकिन उसमें जो डिमाण्ड्स थीं, रीजनल इमबैलेन्सेज को दूर करने के लिये, उन डिमाण्डस को देखते हुए रीजनल इम्बैलेन्सेज को दूर करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री बृहमदत्त–

मान्यवर, जहां तक क्षेत्रीय विषमताओं का सवाल है, यह मेमोरेण्डम पहाड़ के जिलों से सम्बन्धित था। उन क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिये सरकार ने पर्याप्त प्रबन्ध किये हैं। पर्वतीय योजना बिलकुल अलग है। चार प्रतिशत जनसंख्या के विपरीत 10-11 प्रतिशत अधिक व्यय उनके लिये कर रहे हैं।

श्री उदल–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे उत्तराखण्ड के आठ जिले, जो हमारे देश के कुछ और स्टेट्स हैं, जैसे मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, इनकी जो स्थिति है, वित्त मंत्री जी ध्यान से सुने, वह पहाड़ से सम्बन्धित है, त्रिपुरा,

मेघालय, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड यह जो हमारे देश के प्रदेश हैं, मणिपुर भी है, उनकी इन आठ जिलों से आबादी अधिक है और उनका रहन-सहन का स्तर और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है । क्या सरकार इस आधार पर इस प्रश्न पर विचार करेगी कि यह एक अलग राज्य बना दे अगर सरकार अलग राज्य बनाना नहीं चाहती है तो क्या दूसरा रास्ता निकालेगी और यहां की व्यवस्था का भार केन्द्र के नियंत्रण में देगी ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमने व्यवस्था कर दी है पर्वतीय क्षेत्र के लिए विकास की योजनायें बिल-कुल अलग हैं । जनसंख्या के अनुपात से भी ज्यादा पैसा वहां पर लगाया जा रहा है और उससे हम संतुष्ट हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम प्रदेश के विभाजन के पक्ष में नहीं है। परन्तु पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और उसके आकार को देखते हुए क्या आप वहां पर प्रशासनिक इकाईयों जैसे छोटे-छोटे जिले बनाना, छोटे-छोटे ब्लाक बनाना और छोटीछोटी तहसील बनाना आदि को छोटा करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, प्रशासनिक इकाइयां दो प्रकार की होती हैं । एक रेवेन्यू की होती हैं और दूसरी विकास से सम्बन्धित होती हैं जो पहले से ही वहां पर छोटी हैं । वहां की जो भी आवश्यकता होगी, उसे पूरा किया जायेगा ।

(सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भण्डारी और श्री जसवन्त सिंह बिष्ट खड़े होकर बोलने लगे तथा इजाजत न मिलने के विरोध में सदन त्याग कर चले गये ।

मसन्दगढ़ी (मथुरा) में पुलिस तथा डकैतों की कथित मुठभेड की जांच की मांग

*8–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-1-81 को दिन के 10 बजे मसन्दगढ़ी (नगला ईखू) थाना नौझील जिला मथुरा में थाना नौझील पुलिस व थाना सुरीद पुलिस की मुठभेड़ डकैतों से हुई थी, जिसमें चार कुख्यात डकैत मारे गए थे, और पुलिस ने भारी असलहा डकैतों से बरामद किया था ? यदि हां, तो डकैतों के नाम क्या है ? क्या शासन ने पुलिस अधिकारियों को इस कार्य के लिए पुरस्कृत किया है? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-1-82 को लगभग 10 बजे दिन जनपद मथुरा के थाना नौझील, सुरीर व राया के पुलिस बल की ग्राम मसन्दगढ़ी, थाना नौझील के जंगल में डकैतों से कथित मुठभेड़ हुई थी, जिसमें चार तथा कथित डकैत मारे गये और जिनके पास से पुलिस को दो 12 बोर इकनाली बंदूकें, दो देशी तमचें तथा 18 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए । मारे गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का सही नाम पता फूल सिंह उर्फ फूली पुत्र शिवलाल, निवासी जरारा, थाना सुरीर, जनपद मथुरा पाया गया है । शेष तीन के अभी तक सही नाम पते ज्ञात नहीं हो पाये हैं । मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । इस कथित मुठभेड़ के लिए किसी पुलिस कर्मी को पुरस्कृत नहीं किया गया है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1981 में जब यह सरकार डाकुओं के नाम पर

निर्दोष लोगों को मार रही थी, उस समय की ये सब घटनायें हैं । 4 निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस वालों ने मार दिया । उस समय तुरन्त डाकुओं के नाम पर पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत कर दिया गया । अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मंत्री जी यह कैसे कह देते हैं कि पुरस्कृत नहीं किया गया । जिन डाकुओं को मारा हुआ बताया गया, 3-4 दिन के बाद मालूम पड़ा कि अभी वे लोग जिन्दा हैं, और मरने वालों की जांच की जा रही है । पहला प्रश्न तो यह है कि मरने वाले कौन हैं ? दूसरा, अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच किन परिस्थितियों में करायी जा रही है और किसके निवेदन पर यह जांच करायी जा रही है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, इसमें अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच कराई गई क्योंकि इस संबंध में विधान परिषद में भी चर्चा हुई थी और 'आज' दैनिक अखबार में भी इसका विवरण आया था । इन सब को लेकर डी0 जी0 महोदय ने इस मामले की जांच हेतु सी0 आई0 डी0 को आर्डर कर दिये ।

श्री अध्यक्ष–

आर्डर नहीं आदेश कर दिये ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

जी हां, आदेश कर दिये ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, उत्तर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है, उसकी क्रिमनल हिस्ट्री क्या है, इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, इस समय मेरे पास क्रिमनल हिस्ट्री की सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना की आवश्यकता है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

जी हां ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, यह मुठभेड़ फर्जी थी । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपराध अनुसंधान शाखा की जांच कब तक पूरी हो जायेगी और जो दोषी अधिकारी पाये जायेगें उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि नहीं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी। जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । यह बात सही है कि छान-बीन के बाद वे लोग जीवित पाये गये । इसी कारण उन पुलिस अधिकारियों की सत्यनिष्ठा को रोक कर सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जा रही है ।

उन्नति प्रजाति की मुर्गियों के विकास की योजना में हुआ व्यय तथा प्रगति

*9–श्री पंचानन राय–

क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि अधिक अण्डा देने वाली उन्नत जाति की मुर्गियों के विकास के लिए जो योजना सितम्बर, 1971 से गंजरिया फार्म, लखनऊ में प्रारम्भ की गयी थी तथा जिसको कालान्तर में जिला गाजियाबाद में स्थानान्तरित किया गया था उसमें जुलाई, 1982 तक कितना व्यय किया गया तथा नवम्बर, 1983 तक इस योजना में क्या प्रगति हुई?

पशुधन एवं वन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)–

अधिक अण्डा देने वाली उन्नति जाति की मुर्गियों के विकास के लिए कुक्कुट अभिजनन की योजना शासन द्वारा 6

सितम्बर, 1971 को राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, चक गंजरिया, लखनऊ पर चलाने हेतु स्वीकृत की गई थी तथा जुलाई, 1974 में राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बाबूगढ़ (गाजियाबाद) में स्थानान्तरित की गई।

2. उक्त योजना पर आरम्भ से जुलाई, 1982 के अन्त तक रु0 7,55,972.28 पैसा की धनराशि व्यय की गई।

उक्त योजना में अधिक उत्पादन क्षमता वाली मुर्गियों के 8,892 चूजे देश में स्थापित प्रक्षेत्रों से मंगाकर उनके शारीरिक भार तथा अण्डा उत्पादन क्षमता और प्रति दर्जन अण्डा उत्पादन पर आहार की मात्रा इत्यादि पर परीक्षण किया गया। वर्ष 1974-75 से योजना को विभाग के सामान्य कार्यक्रम के रूप में कुक्कुट प्रक्षेत्रों को अच्छे उत्पादन क्षमता के प्रजनन कार्य के लिये चूजे उपलब्ध कराने तथा कुक्कुट पालकों को अण्डा उत्पादन के लिये चूजे तथा सेने योग्य अण्डों के वितरण के लिये चलाया जा रहा है।

वर्ष 1975-76 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हिसार घाटा (बंजौर) में आयोजित छठे रैण्डम सैम्पुल टेस्ट में योजना के पक्षियों को शामिल किया गया और विभाग के 175 अण्डा प्रति पक्षी उत्पादन के नाम के समक्ष उनका अण्डा उत्पादन 191.4 से 192.2 पाया गया कि जो कि अच्छी उपलब्धि थी। इसके अतिरिक्त फरवरी, 1983 में अखिल भारतीय पशु एवं कुक्कुट प्रदर्शनी, इलाहाबाद में भी पक्षियों को पुरस्कृत किया गया।

योजना के आरम्भ से नवम्बर, 1983 तक अधिक उत्पादन क्षमता के कुल 3,24,403 चूजे तथा 26,200 सेने योग्य अण्डे वितरित किये गये।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जितना पैसा उस पर व्यय किया गया, यदि उसमें हानि हुई, तो वह कितनी हुई और यदि लाभ हुआ, तो वह कितना हुआ?

श्री संजय सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से, राय साहब को सूचित करना चाहता हूं कि यह पूरी योजना बिना लाभ हानि के आधार पर की जाती है, इसलिए इससे ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इनका प्रश्न पूछने का आशय यह था कि आप इनके यहां कुछ अण्डे भिजवा दें।

(हंसी)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

अण्डों के साथ इनके यहां कुछ चूजे भी भिजवा दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

माईक पर जो बिना आज्ञा के बोले जा रहे हैं, माईक वाले इस बात का ध्यान रखें कि जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोले जा रहे हैं, उनके माईक न खोले जायं।

प्लाइउड फैक्ट्री सीतापुर के सेवायोजकों तथा श्रमिकों में समझौता कराने की मांग

*10–श्री भीखा लाल–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि प्लाइउड फैक्ट्री, सीतापुर में सेवायोजकों द्वारा किए गये उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिष्ठान के शत प्रतिशत मजदूरों ने 5 मार्च, 1975 से लगातार 90 दिन तक

की हड़ताल भू0पू0 श्रम मंत्री के हस्तक्षेप से वापस ले ली थी? यदि हां, तो कर्मचारी यूनियन द्वारा दिनांक 19-4-74 को सेवायोजकों एवं शासन के समक्ष प्रेषित किए गए ग्यारह सूत्री मांग-पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर सेवा योजकों द्वारा समझौता किया गया था? जिन बिन्दुओं पर समझौता अभी तक नहीं हो सका है क्या सरकार उस पर समझौता कराने का प्रयास करेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

मेसर्स प्लाइउड फैक्ट्री, सीतापुर के सभी कर्मचारी दिनांक 5 मार्च, 1975 से 18 मई, 1975 तक 75 दिन हड़ताल पर रहे थे। तत्कालीन श्रम मंत्री जी के हस्तक्षेप से दिनांक 19-5-75 से सभी श्रमिक बिना शर्त काम पर वापस आ गये थे।

प्लाइउड कर्मचारी यूनियन, सीतापुर के 11-सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 19-4-74 में श्रमिकों के वेतन, स्थायीकरण, वर्गीकरण तथा बोनस आदि के सम्बन्ध में मांगें उठाई गयी थीं। प्रथम मांग, जो वेतन से सम्बन्धित थी, के सम्बन्ध में सेवायोजकों ने 1-5-74 से श्रमिकों का न्यूनतम वेतन रु0 3-50 पैसे रोजाना से बढ़ाकर रु0 5-00 रोजाना कर दिया था। इस सम्बन्ध में कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था। शेष मांगों पर कर्मचारी यूनियन ने बाद में बल नहीं दिया। सेवायोजक अब उक्त मांग-पत्र पर विचार करने को तैयार नहीं हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में शासन के हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कई बार लैप्स होने के बाद, तीन साल के बाद अब मुझे इसका उत्तर मिला है। मान्यवर, यह जो हड़ताल हुई थी और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि 11 सूत्रीय मांगे थीं, जिस पर श्रम मंत्री जी के हस्तक्षेप से हड़ताल समाप्त हुई और उनके हस्तक्षेप से एक मांग मानी गयी दैनिक वेतन 3.50 रु0 से बढ़ाकर 5.00 रु0 कर दिया गया था। यह श्रम मंत्री के हस्तक्षेप से हुआ। मान्यवर, जो श्रम मंत्री कहते हैं कि जो न्यूनतम वेतन, दैनिक वेतन, सरकार ने मुकर्रर किया है, उससे यदि कम दिया जायेगा, तो उसकी बाबत मुकदमा चलाया जायेगा। श्रम मंत्री के हस्तक्षेप से ही वह साढ़े तीन रुपए से बढ़ाकर पांच रुपये कर दिया गया, जिस समय 8 रुपए दैनिक वेतन खेत मजदूरों का मुकर्रर था। मैं जानना चाहता हूं कि अगर अभी भी 5 रु0 दैनिक वेतन वहां दिया जाता है, तो क्या इसको बढ़ाकर, न्यूनतम जो खेत मजदूरों का वेतन है, उतना ही दिलाने का प्रयास करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

इस समय वहां पर न्यूनतम वेतन 7 रु0 प्रति दिन की दर से दिया जा रहा है। जहां तक माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न है उसको देखते हुए ही शासन ने इस उद्योग को भी न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ले लिया है, अधिसूचना कर दी गयी है, आपत्ति मांगी गयी है, निर्धारित समय पूरा होने के बाद प्रदेश का न्यूनतम वेतन वहां पर भी लागू हो जायगा।

श्री उदल–

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि न्यूनतम वेतन अलग-अलग किस का लागू किया गया है? क्या जांच करायेंगे कि यहां के लिये न्यूनतम वेतन अभी तक लागू नहीं हुआ है?

श्री सुनील शास्त्री–

इस सम्बन्ध में बता दिया कि न्यूनतम वेतन यहां पर, जबसे इस व्यवसाय को लिया गया है, पहले 49 ऐसे व्यवसाय थे, जिनको लिया गया था, अब 16 व्यवसाय और इसमें जोड़ दिये गये हैं, अब 65 ऐसे व्यवसाय हैं जहां पर न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि यह जो प्लाईवुड फैक्ट्री है, यह लकड़ी का बहुत बड़ा उद्योग है और आरा मशीन उद्योग से भिन्न है। मैं जानना चाहूंगा कि इस उद्योग के लिये जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है, वह जो आरा मशीन उद्योग को मिलता है, वही है या दूसरा है? यदि वही है, तो चूंकि यहां पर आरा मशीन उद्योग से भिन्न प्रकार का कार्य होता है, फिर वेतन अलग प्रकार का निर्धारित न करने का क्या कारण है?

श्री सुनील शास्त्री–

प्लाईवुड उद्योग में ऐसा देखा गया है कि अर्द्धकुशल, कुशल और अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। इसमें वर्गीकरण किया गया है और उसी के अनुसार ही निर्धारित किया गया है।

धामपुर-कालागढ़ मार्ग में रामगंगा पर बने पुल पर हुआ व्यय

*11–श्री थम्मन सिंह गहलौत (अनुपस्थित)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि धामपुर-कालागढ़ पक्के मार्ग पर भूतपुरी ग्राम के निकट रामगंगा पर बने पक्के पुल (ब्रिज) के निर्माण में कितना धन व्यय हुआ था और पुल पर वसूल किए जा रहे टैक्स (पथकर) से 31-12-82 तक कितनी धनराशि सरकार को प्राप्त हो चुकी है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)–

इस पुल के निर्माण में 46.10 लाख रुपये का व्यय हुआ था। दिनांक 31-12-82 तक पथकर से कुल 74.25 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। पुल के रखरखाव व लागत पर ब्याज इत्यादि मिलाकर अभी भी नियमानुसार करीब 73 लाख रुपये और वसूल किए जाने हैं।

ओबरा ताप विद्युत गृह का उत्पादन अधिकतम करने हेतु विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

*12–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) के कार्यालय ज्ञाप सं0 10/2-81 ए0 एस0 डी0 दिनांक 1-4-81 द्वारा ओबरा ताप विद्युत का उत्पादन अधिकतम करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की अन्तिम रिपोर्ट राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हो गयी है तथा इसकी संस्तुतियों के आधार पर महाप्रबन्धक ओबरा ने रसायन विभाग को सशक्त बनाने हेतु इसे पुनर्गठित करने का प्रस्ताव परिषद् को 17-6-82 को ही भेज दिया है? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्म दत्त–

ओबरा ताप विद्युत गृह का उत्पादन अधिकतम करने हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हो गई है व महाप्रबन्धक ओबरा का प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया है। चूंकि रसायन विभाग का कार्य प्रत्येक तापीय विद्युत उत्पादन गृह से सम्बन्धित है अतः इस पर समग्रता से विचार किया जा रहा है और उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट क्या है? मैं उसका सारांश जानना चाहूंगा । उसके सम्बन्ध में ओबरा का जो प्रस्ताव आया है, वह क्या है?

श्री बृहमदत्त –

रिपोर्ट क्या है और ओबरा के महाप्रबंधक का सुझाव क्या है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, मैंने मांगी है, मैं उस पर स्वयं विचार करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, प्रश्न और उसके उत्तर को देखने की कृपा करें । मेरा प्रश्न ही है कि क्या रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हो रही है ? इसका उत्तर यह मिला है कि रिपोर्ट राज्य विद्युत परिषद को प्राप्त हो गयी है व महाप्रबंधक ओबरा का प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया है और इसी के सन्दर्भ में आगे का उत्तर है । अभी अपने उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट मैंने देखी नहीं । मेरी प्रार्थना है कि आप इसे स्थगित करा दें क्योंकि जब यह रिपोर्ट के बारे में बताते तो आगे प्रश्नोत्तर होते, वह इन्होंने बताया नहीं ।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, आप नियम 49 में दे दें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

नियम 49 में तो तब देंगे जब समाधान न हो, लेकिन अभी तो प्रश्नोत्तर चले ही नहीं । अगर मैं यह कहूं कि सदन गुमराह हो रहा है क्योंकि जो मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया है उसमें स्वीकार किया है कि प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और रिपोर्ट भी प्राप्त हो गयी है, लेकिन जब पूरक प्रश्न किया गया कि रिपोर्ट क्या है और सिफारिशें क्या हैं, तो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया कि रिपोर्ट अभी उनके पास नहीं पहुंची है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसे स्थगित करा दें तो जनहित में होगा क्योंकि रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं । ओबरा बहुत बड़ा प्लाण्ट उत्तर प्रदेश का है, जहां पर कि बड़े पैमाने पर बिजली पैदा होती है ।

श्री अध्यक्ष –

तो आप कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि लिखित उत्तर में इन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिल गयी है और पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि रिपोर्ट अभी मिली नहीं है ।

श्री बृहमदत्त –

मान्यवर, यह बात सही है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए । महाप्रबन्धक, ओबरा से मैंने उसको मांगा है । इसको आप स्थगित कर दें, अगले सप्ताह में इसका उत्तर दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष –

माननीय मंत्री जी के कहने के अनुसार यह प्रश्न स्थगित किया जाता है ।

पुलिस महानिरीक्षक, श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित के विरुद्ध शिकायत एवं जांच की मांग

*13–श्रीमती गौरी देवी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायतों की जांच शासन व सतर्कता अधिष्ठान के पास विगत 6 सालों से लम्बित है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

जी नही। शेष भाग का प्रश्न ही नही उठता।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 6 साल से जो जांच लम्बित है, उसकी शिकायतें क्या है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, जांच लंम्बित नहीं है। पहले शिकायतें हुई थीं उसकी जांच हो गयी थी क्योंकि उसमें कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था इसलिए वह समाप्त हो गयी थी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के अनुसार 6 साल पहले कौन सी जांच लम्बित थी, किस विभाग के द्वारा उसकी जांच करायी गयी और किस एजेन्सी से उसकी जांच करायी गयी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य जरा प्रश्न को दोहरा दें।

श्री मोहन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में कहा है कि श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित जब वाराणसी में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके विरुद्ध जो शिकायतें थी उसकी जांच करायी गयी थी और वह जांच समाप्त हो गयी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी जांच किसी एजेन्सी के द्वारा करायी गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन् यह श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित जब वाराणसी में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो सतर्कता विभाग से जांच हुई थी और कोई आरोप सही नहीं पाये गये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से यह पछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सेवा निवत्त भष्टतम पुलिस महा-निदेशक के बारे में उत्तर प्रदेश महा-निदेशक (अभियोजन) श्री केवल रमानी ने जो आरोप लगाये हैं कि जो बनारस कन काण्ड हुआ है, क्या उसको आप सदन में बताने का कष्ट करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें श्री केवलरमानी ने जो आरोप पत्र दिया वह मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका में यह आरोप लगाया था कि श्रीशचन्द्र दीक्षित जब कमाण्डेट होम गार्ड थे तद उन्होंने लुधियाना से सामान खरीदने हेतु एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी द्वारा श्री दीक्षित के इशारे पर घटिया किस्म का सामान खरीदा गया था। जिसमें लाखों रुपये के राजकोय धन की हानि हुई। इस संबंध में विशिष्ट रूप से श्री दीक्षित के विरुद्ध सतर्कता विभाग में न तो कोई शिकायत प्राप्त हुई थी और न ही उनके विरुद्ध कोई आरोप सही पाये गये।

श्री अध्यक्ष–

एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं, मुझे भी प्रश्न करने का अधिकार है कि आप कब तक उनको एक्सटेन्शन देते रहेंगे?

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि पी0 ए0 सी0 के कमाण्डेन्ट के द्वारा लाखों रुपये की हेराफेरी की गयी। वह कौन से विशेष कारण हैं कि ऐसे भ्रष्टतम अधिकारी को आप आज भी दैनिक भत्ते पर सेवा में लगाये हुए हैं?

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में यह है कि वित्तीय वर्ष 1983-84 में इस विधान सभा में पुलिस कर्मियों को काफी सुख-सुविधा के लिये स्वीकृत दी गयी थी? उसमें एक आइटम यह था कि पुलिस कर्मियों को द्वितीय शनिवार और रविवार के एवज में एक माह का वेतन दिया जायेगा, जिसके लिए 7 करोड़ 8 लाख 75 रुपया स्वीकृत हुआ, इस में से डाइरेक्टर जनरल महोदय ने 1/4 धन पुलिस कर्मियों को दिया और 1/4 भाग उनके जी0 पी0 एफ0 में जमा कर दिया और जिसकी रसीद नहीं दी, आधा पैसा उन्होंने क्या किया, क्या मा0 मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री मोहन सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित के खिलाफ जो जांच लम्बित थी उस में अंतिम रिपोर्ट कब लगायी गयी, उनके महा निरीक्षक बनने के बाद या पहले?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, 7-8 साल पहले जांच हुई थी, तब वह महानिदेशक नहीं थे महानिदेशक बनने के पहले रिपोर्ट लगायी गयी थी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, मैं संक्षेप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कि इस आदरणीय सदन में यह बिलकुल साफ हो चुका है कि महा निदेशक पर काफी आरोप थे, क्या मा0 मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि पुलिस प्रशासन में जो प्रोन्नतियां हुई हैं उनकी प्रोन्नतियों को करने में 20 से 25 हजार रुपये रेट लिया गया है। क्या इस वसूलयाबी की जानकारी सरकार को है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुईद अहमद–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उनके जवाब से स्पष्ट है कि महा निदेशक पर आरोप हैं और जो सिद्ध पाये गये, इसके बावजूद भी शासन उनको डेली वेजेज पर रखे हुए है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनको कितने दिनों में हटा दिया जायेगा और दूसरा व्यक्ति कब आ जायेगा ?

श्री लल्लू सिंह चौहान–

जो महा निदेशक इस समय डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय और हरिजन वर्ग के पुलिस अधिकारियों ने उनके विरुद्ध शिकायतें भेजी हैं कि सेवा निवृत्त पुलिस महा निरीक्षक मांगा जा रहा है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेवा निवृत्त पुलिस महा निरीक्षक जो इस समय डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लड़की की शादी में जो अभी हाल ही में हुई, लाखों रुपये दरोगाओं से वसूल किया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

दीपू नामक यूवक की शाहपुर थाने (गोरखपुर) में मृत्यु तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*14–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है कि 23 जून, 83 को शहर गोरखपुर, थाना शाहपुर के अन्तर्गत दीपू नामक एक युवक की बर्बरतापूर्वक पिटाई की गयी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और इस घटना को लेकर पूरा जनपद उद्वेलित है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

दीपू नामक युवक की मृत्यु की घटना की जांच सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है। थानाध्यक्ष एवं दो सिपाहियों को दिनांक 27-6-83 को निलंबित भी कर दिया गया था । थानाध्यक्ष को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा –

मान्यवर, यह गोरखपुर का मामला है, एक अल्प संख्यक समुदाय के नवयुवक को पुलिस ने मार डाला और मा0 मंत्री जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 से जांच हो रही है और दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और जेल भेज दिया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि अब सी0 आई0 डी0 से जांच कराने का क्या औचित्य है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करने पर सारे तथ्य सामने आ जायेंगे इसलिए उसको दिया गया । चूंकि यह पुलिस विभाग का मामला था और पुलिस थाने में इस लड़के की मृत्यु हुई थी । इसलिए सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा –

जब अधिकारी आश्वस्त थे कि उस दरोगा ने लड़के को मारा है और दो सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 को इन्क्वायरी किस चीज को हो रही है । उसके द्वारा जांच का क्या औचित्य है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 का पूरा औचित्य है । किसी को बचाया नहीं गया । यह शर्म की बात है कि एक लड़के की थाने में मृत्यु हुई है और पुलिस इसमें इन्वाल्व है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी पाये जायेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष –

प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री जगदीश निवासी भिटौरा (बस्ती) के हाथ काटने वाले मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*15–श्री प्रदीप कुमार यादव –

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि 11 अक्तूबर, 1981 के आस-पास जनपद बस्ती के ग्राम भिटौरा, थाना लाल गंज के निवासी 15 वर्षीय जगदीश के दोनों हाथ तलवार से काट लिए गये ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और सम्बन्धित मुल्जिमानों के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र –

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-10-81 को जनपद बस्ती के ग्राम

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

भिटौरा थाना-लालगंज के निवासी श्री जगदीश (उम्र लगभग 20 वर्ष) के दोनों हाथ फर्से से काट लिए गये थे ।

घायल जगदीश की मां श्रीमती सिंगारो देवी ने दिनांक 3-10-81 को थाना लालगंज में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी कि गांव के सरपंच श्री रामस्वारथ पाल से मुकदमें बाजी की रंजिश के कारण अभियुक्त योगेन्द्र पाल पुत्र रामस्वारथ पाल तथा उनके दो साथियों राजेन्द्र उर्फ दुन्नन सिंह तथा रविन्द्र सिंह ने वादिनी के पुत्र जगदीश को घेर कर मार कर पकड़ लिया और अपने दरवाजे पर ले जाकर उसके दोनों हाथ के पंजे कलाई से फर्से द्वारा काट कर अलग कर दिये ।

सूचना के आधार पर अभियोग अ0 सं0 164/81 धारा 342/326/323 भा0 द0वि0 थाना लालगंज में कायम हुआ। पुलिस द्वारा अभियुक्त योगेन्द्रपाल को उसी दिन बन्दी किया गया और उसकी निशान देही पर श्री जगदीश के दोनों कटे हुए अंग और अपराध में प्रयोग किया हुआ फर्सा बरामद हुआ। नामजद अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ ढुन्नन सिंह तथा रविन्द्र सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । विवेचना के उपरान्त अभियुक्त योगेन्द्रपाल पुत्र रामस्वारथ पाल निवासी ग्राम भिटौरा थाना लालगंज के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 342/326/323/201 भा0द0वि0 दिनांक 18-10-81 को तथा अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ ढुन्नन सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर तथा रविन्द्र सिंह पुत्र राम नरेश सिंह निवासी ग्राम मरवटी थाना खोरावार जिला गोरखपुर के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र दिनांक 8-1-82 को प्रेषित किया गया।

विद्युत परिषद् को पुनर्गठित करने की मांग

*16–श्री रेवतीरमण सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्युत परिषद् को विद्युत उत्पादन सुचारु रूप से करने के लिए फिर से पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी नहीं। विद्युत उत्पादन सुचारु रूप से किया जा रहा है।

थाना फूलपुर (आजमगढ़) में धारा 307 के अंतर्गत लिखायी गयी एफ0 आई0 आर0

*17–श्री शेरबहादुर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-8-83 को थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम सुदनीपुर के किसी नागरिक द्वारा कोई रिपोर्ट धारा 307 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत दर्ज कराई गयी है? यदि हां। तो उक्त रिपोर्ट में कौन लोग मुल्जिम हैं? क्या यह सही है कि उन मुल्जिमों के नाम असलहा के लाइसेन्स हैं? यदि हां, तो उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या गृह मंत्री जी संबंधित घटना की एफ0 आई0 आर0 तथा डाक्टरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां।

प्रश्नगत मामले में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में रमाकान्त यादव निवासी ग्राम सरावां पुलिस चौकी दीदारगंज, भगवान यादव पुत्र मनवहाल निवासी ग्राम हथनौरा थाना फूलपुर, रामनैन यादव निवासी ग्राम चितारा, पुलिस चौकी दीदारगंज जनपद आजमगढ़ तथा सुरेश यादव निवासी

बूढ़नपुर थाना खुटहन, जिला जौनपुर मुल्जिम है। उक्त अभियुक्तों में से एक भगवान यादव के पास बन्दूक का लाईसेन्स था जो निरस्त कर दिया गया है। उक्त घटना से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा डाक्टरी रिपोर्ट मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

कुसैला (सीतापुर) में हुए नरसंहार की जांच की मांग

*18–श्री हरगोविन्द वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना महोली के अन्तर्गत जनपद सीतापुर ग्राम सभा कुसैला में 31 अक्टूबर, 83 को दिन दहाड़े नरसंहार हुआ? यदि हां, तो मृतक के परिवार को सरकार ने कोई सहायता दी? क्या यह भी सही है कि उक्त घटना किसी जाति विशेष के प्रतिशोध में की गई? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी व्यक्ति को दण्डित करने की सरकार व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विश्वनाथ वर्मा प्रधान निवासी ग्राम कुसैला थाना महोली जनपद सीतापुर द्वारा दिनांक 31-10-83 को 16-45 बजे थाना महोली पर 6 नामजद एवं 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 31-10-83 को 3-30 बजे दिन गांव के 4 व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या कर देने के आशय की सूचना अंकित कराई गई।

शासन द्वारा प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

यह सही नहीं है कि उक्त घटना किसी जाति विशेष के प्रतिरोध में की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मामले में अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/302/भा0 दं0 वि0 थाना महोली पर पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। सभी 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही करके आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। शेष दो अज्ञात अभियुक्तों का पता अभी नहीं चल सका है।

*19–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 28-2-84 को तारांकित प्रश्न संख्या–1 द्वारा उत्तरित।]

*20–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या–14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

बड़ागांव (गाजीपुर) के प्रधान श्री इन्द्रदेव राजभर की मृत्यु तथा दर्ज रिपोर्ट

1–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बड़ागांव, ब्लाक सादात, तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर के ग्राम प्रधान श्री इन्द्रदेव राजभर की मृत्यु दिनांक 4 जनवरी, 84 को किन कारणों से हुई? क्या यह सही है कि दिनांक 4 जनवरी, 84 को इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गयी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार श्री इन्द्रदेव राजभर की मृत्यु दिनांक 4-1-84 को नहीं हुई है।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

छुरक (मेरठ) निवासी गिरवर सिंह के शिकायती पत्र एवं उन पर कार्यवाही

2–श्री रामस्वरूप निम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के थाना सरधना के ग्राम छुरक गिरवर सिंह ने जबरदस्ती हरे पेड़ काटने तथा खेतों पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध दिनांक 8-12-83 से 18-1-84 तक पुलिस अधीक्षक, मेरठ तथा डी0 आई0 जी0, मेरठ मण्डल, मेरठ को जो शिकायती पत्र भेजा है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्न में उल्लिखित आशय वादि के श्री गिरवर सिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांकित 4-1-84 तथा 9-1-84, जो पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिये गये तथा उनका प्रार्थना-पत्र दिनांकित 18-1-84, जो मुख्य मंत्री को दिया गया, प्राप्त हुए हैं।

जांच से विदित हुआ है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण द्वारा मारे पीटे जाने आदि से संबंधित आवेदनों में अभिकथित मामले में पुलिस चौकी पर कोई सूचना नहीं लिखायी । प्रार्थी द्वारा इस संबंध में एक इस्तगासा न्यायालय में दाखिल किया गया है। यह मामला न्यायालय में विचारा धीन है।

प्रार्थी के अधिकांश आरोप असत्य पाये गये हैं। प्रार्थी का यह आरोप भी सत्य नहीं पाया गया कि वह आतंक के कारण गांव छोड़ना चाहता है, बल्कि यह विदित हुआ है कि वह स्वेच्छा से गांव से कहीं अन्य जाने की इच्छा रखता है।

प्रार्थी स्वयं एक सजायाफता आदमी है। शान्ति-व्यवस्था के लिए दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।

3–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[5वें मुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

न्यायालयों में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों का आरक्षण पूरा करने की मांग

4–श्री राम स्वरूप निम–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1983 को 1240 जिला जज, अतिरिक्त जज, मुन्सिफ एवं अन्य जुडिशियल अधिकारियों में अनुसूचित जाति के केवल 140 अधिकारी हैं? यदि हां, तो आरक्षण को पूरा किये जाने के लिए सरकार क्या कर रही है और कब तक पूरा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

माननीय उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि 31-12-1983 को जिला न्यायाधीश, अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, जज स्माल कालेज कोर्ट, सिविल जज, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अपर चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट व मुन्सिफ मजिस्ट्रेट आदि के पदों पर कुल 1106 अधिकारी कार्यरत थे जिनमें 163 अधिकारी अनुसूचित जाति के सदस्य थे । न्यायिक सेवा में जो नियुक्तियां सीधी भर्ती के आधार पर की जाती हैं उनमें माननीय उच्च न्यायालय व शासन द्वारा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित 18 प्रतिशत कोटे को पूरा किये जाने का पूरा ध्यान रखा जाता है।

श्री ध्रुव लाल निवासी मखनहा जनपद गोरखपुर की हत्या की जांच की मांग

5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुदामा, गांव मखनहा, थाना पीपीगंज (गोरखपुर) का कोई पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1984 का उसके भाई की हत्या के संबंध में मिला है? यदि हां, तो इस पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुदामा पुत्र हरिवंश, ग्राम मखनहा थाना पीपीगंज, गोरखपुर का ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को सम्बोधित पत्र दिनांकित 7-1-84 उन्हें प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के सम्बन्ध में जांच करायी गयी। जांच में आरोप की पुष्टि नहीं हुई। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

5(अ)—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सुदामा के भाई० स्व० धूवलाल की हत्या के संबंध में कोई मुकदमा दिनांक 27-12-83 को मृतक के बहनोई रामनयन हदगांव हरपुर टोला चांदपुर ने थाना गुल्हरिया (गोरखपुर) में भी दर्ज कराया है? यदि हां, तो इसके नामजद अभियुक्त कौन-कौन लोग हैं? क्या मंत्री जी मृतक के भाई सुदामा के पत्र के संदर्भ में पूरे मामले की जांच सी० आई० डी० से कराने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र—

(अ) जी हां। इसके तीन नामजद अभियुक्त (1) रामगति पुत्र रमेशर, (2) बेचन पुत्र इन्द्रासन (3) रमजान पुत्र रोस्तम है।

विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है अतः सी० आई० डी० से जांच कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

तुलसी का पुरवा (बाराबंकी) के श्री सियाराम के घर पड़ी डकैती

6—श्री राम सागर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम तुलसी का पुरवा, थाना कोठी, जिला बाराबंकी के श्री सियाराम पुत्र छोटे के घर दिनांक 30/31 मार्च, 82 की रात हुई डकैती की सही रिपोर्ट थाने में न लिखे जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र गृह मंत्री को दिनांक 12-4-82 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में श्री सियाराम पुत्र छोटे निवासी ग्राम तुलसी का पुरवा थाना कोठी जिला बाराबंकी का दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए।

सितम्बर 1983 में रौनापार विद्युत उप केन्द्र (आजमगढ़) से बिजली की आपूर्ति

7—श्री पंचानन राय —

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के रौनापार विद्युत उप केन्द्र से सितम्बर, 1983 में प्रतिदिन अलग-अलग कितने घंटे किसानों को बिजली आपूर्ति की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त—

वांछित सूचना निम्न प्रकार है।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रौनापार माह सितम्बर, 83 में फीडरों पर विद्युत आपूर्ति घंटों एवं मिनटों में

दिनांक	11 के वी0 दक्षिणी फीडर	11 के वी0 पूर्वी फीडर	11 के वी0 पश्चिमी फीडर	टिप्पणी
1–9–83	10.00	10.00	10.00	पश्चिमी फीडर को लाइन
2–9–83	9.15	10.15	10.15	पूर्वी फीडर पर जोड़ी गई
3–9–83	12.30	11.20	11.20	है क्योंकि पश्चिमी फीडर
4–9–83	7.45	7.15	7.15	की ट्राली खराब थी।
5–9–83	6.15	10.00	10.00	
6–9–83	5.00	5.45	5:45	
7–9–83	6.00	5.05	5.05	
8–9–83	6.35	10.15	10.15	
9–9–83	10.00	8.15	8.15	
10–9–83	5.15	9.00	9.00	
11–9–83	12.20	12.20	12.20	
12–9–83	10.00	12.55	12.55	
13–9–83	20.00	18.15	11.00	
14–9–83	16.40	12.10	5.40	
15–9–83	20.00	18.30	18.30	
16–9–83	15.10	15.10	15.10	
17–9–83	13.37	13.37	13.37	
18–9–83	19.10	19.10	19.10	
19–9–83	6.80	14.25	14.25	
20–9–83	10.00	7.50	8.50	
21–9–83	8.05	12.05	12.05	
22–9–83	20.05	14.20	14.20	
23–9–83	20.05	19.05	19.05	
24–9–83	20.20	14.25	14.25	
25–9–83	15.30	6.45	3.45	
26–9–83	10 15	4.00	2.00	
27–9–83	10.00	10.00	10.00	
28–9–83	10.00	10.00	10.00	
29–9–83	10.00	10.00	10.00	
30–9–83	10.00	10.00	10.00	

8–श्री पंचानन राय –

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के रौनापुर, विद्युत उपकेन्द्र से दिसमार, 1983 में प्रतिदिन अलग-अलग कितने घंटे किसानों को बिजली की आपूर्ति की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त –

वांछित सूचना निम्न प्रकार है:–,

33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र रौनापार पर माह दिसम्बर 1983 में फीडरों पर विद्युत आपूर्ति घंटों एवं मिनटों में

दिनाँक	11 केवी0 दक्षिणी फीडर	11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	टिप्पणी
1–12–83	8.00	8.00	8.00	पश्चिमी फीडर की लाइन
2–12–83	8.00	8.00	8.00	पूर्वी फीडर पर जोड़ी गई
3–12–83	10.30	10.30	10.30	है क्योंकि पश्चिमी फीडर
4–12–83	5.00	5.00	5.00	की ट्राली खराब थी।
5–12–83	0.45	6.00	6.00	
6–12–83	3.05	0.50	1.00	
7–12–83	6.00	..	6.00	
8–12–83	..	6.10	6.10	
9–12–83	6.15	..	..	
10–12–83	..	6.00	6.00	
11–12–83	9.25	3.15	5.45	
12–12–83	7.45	7.45	7.45	
13–12–83	15.00	16.15	16.15	
14–12–83	13.15	9.45	9.45	
15–12–83	11.45	10.00	10.00	
16–12–83	10.10	10.10	10.10	
17–12–83	11.35	10.35	10.35	
18–12–83	5.00	5.00	5.00	
19–12–83	1.00	6.45	6.45	
20–12–83	16.00	7.15	5.45	
21–12–83	0.20	11.20	11.20	
22–12–83	12.00	1.00	1.00	
23–12–83	6.30	19.00	12.00	
24–12–83	22.20	6.20	21.30	
25–12–83	19.40	16.45	7.00	
26–12–83	23.20	24.00	15.15	
27–12–83	21.20	19.20	19.20	
28–12–83	20.45	18.05	18.05	
29–12–83	14.05	14.05	14.05	
30–12–83	15.00	15.00	15.00	
31–12–83	19.00	15.30	15.30	

अगस्त, 1983 में बिलरियागंज विद्युत उप केन्द्र (आजमगढ़)से बिजली आपूर्ति

9—श्री पंचानन राय —

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विद्युत उप केन्द्र से किसानों को अगस्त, 1983 में प्रतिदिन कितने घंटे की बिजली आपूर्ति की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त —

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

अगस्त, 1983 में रौनापार विद्युत उपकेन्द्र (आजमगढ़) से विद्युत आपूर्ति

10—श्री पंचानन राय —

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के रौनापार उप केन्द्र से अगस्त, 1983 में प्रतिदिन अलग अलग कितने घंटे किसानों को बिजली की आपूर्ति की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त —

33/11 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र रौनापार पर माह अगस्त, 1983 में फीडरों पर विद्युत आपूर्ति घंटों एवं मिनटों में ।

दिनाँक	11 के0वी0 दक्षिणी फीडर	11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	टिप्पणी
1—8—83	7.30	7.50	7.50	पश्चिमी फीडर की लाइन पूर्वी फीडर पर जोड़ी गई है क्योंकि पश्चिमी फीडर की ट्राली खराब थी ।
2—8—83	12.00	4.00	4.00	
3—8—83	10.00	9.05	9.05	
4—8—83	10.00	10.00	10.00	
5—8—83	11.00	9.10	9.10	
6—8—83	10.05	6.15	6.15	
7—8—83	9.10	9.10	9.10	
8—8—83	10.00	9.30	9.30	
9—8—83	3.45	4.30	4.30	
10—8—83	2.30	2.30	2.30	
11—8—83	13.00	14.15	14.15	
12—8—83	8.17	5.42	2.33	
13—8—83	9.30	4.30	4.30	
14—8—83	10.30	10.46	10.46	
15—8—83	23.30	16.05	21.05	
16—8—83	20.45	15.10	22.10	
17—8—83	10.00	10.00	10.00	
18—8—83	13.15	12.20	12.20	
19—8—83	9.45	8.30	8.30	
20—8—83	10.20	7.20	7.20	
21—8—83	8.20	1.50	1.50	
22—8—83	6.05	9.00	9.00	

दिनांक	11 के0वी0 दक्षिणी फीडर	11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	टिप्पणी
23–8–83	10.00	10.00	10.00	
24–8–83	7.45	10.00	10.00	
25–8–83	7.10	3.45	3.45	
26–8–83	14.30	8.35	8.35	
27–8–83	10.45	5.55	5.55	
28–8–83	16.40	16.30	16.30	
29–8–83	10.30	13.30	10.30	
30–8–83	9.15	11.30	11.30	
31–8–83	11.20	11.20	11.20	

अक्तूबर, 1983 में बिलरियागंज विद्युत उप केन्द्र (आजमगढ़) से विद्युत आपूर्ति

विद्युत उप केन्द्र से अक्तूबर, 1983 में प्रतिदिन कितने घंटे किसानों को बिजली आपूर्ति की गयी?

11–श्री पंचानन राय –

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज

श्री ब्रह्मदत्त –

वांछित सूचना निम्न प्रकार है–

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बिलरियागंज से माह 10/83 में फीडरों पर विद्युत आपूर्ति घंटों एवं मिनटों में

दिनाँक	11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	11 के0वी0 उत्तरी फीडर
1–10–83	8.30	8.30	4.15
2–10–83	7.00	7.00	7.00
3–10–83	17.00	17.00	15.00
4–10–83	8.00	8.00	8.00
5–10–83	10.25	10.25	8.45
6–10–83	10.45	10.45	9.20
7–10–83	15.00	15.00	10.15
8–10–83	7.00	7.00	7.00
9–10–83	12.50	12.50	10.00
10–10–83	9.45	9.45	9.45
11–10–83	13.15	13.15	12.30
12–10–83	12.30	12.30	7.00
13–10–83	10.30	10.30	10.30
14–10–83	12.00	12.00	16.15

दिनांक	11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	11 के0वी0 उत्तरी फीडर
15–10–83 ..	10.00	10.00	10.00
16–10–83 ..	23.50	23.50	23.50
17–10–83 ..	22.00	22.00	9.00
18–10–83 ..	15.00	15.00	
19–10–83 ..	6.00	6.00	
20–10–83 ..	7.00	7.00	6.00
21–10–83 ..	15.00	15.00	17.00
22–10–83 ..	14.00	14.00	14.00
23–10–83 ..	23.00	23.00	13.15
24–10–83 ..	10.00	10.00	10.00
25–10–83 ..	20.00	20.00	16.15
26–10–83 ..	10.20	18.20	20.10
27–10–83 ..	20.00	20.40	20.40
28–10–83 ..	19.20	19.20	23.10
29–10–83 ..	20.40	20.40	20.00
30–10–83 ..	12.00	12.00	12.30
31–10–83 ..	7.00	7.00	7.00

सितम्बर, 1983 में विलरिया गंज विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत की आपूर्ति

विद्युत उप केन्द्र से सितम्बर, 1983 में प्रतिदिन कितने घंटे किसानों को बिजली की आपूर्ति की गयी?

12–श्री पंचानन राय –

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज

श्री बृह्मदत्त –

वांछित सूचना निम्न प्रकार है:–

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र विलरियागंज पर माह 9–83 में फीडरों पर विद्युत आपूर्ति घंटों एवं मिनटों में

दिनांक	11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	11 के0वी0 उत्तरी फीडर
1–9–83	10.20	10.20	10.20
2–9–83 ..	10.15	10.15	10.15
3–9–83 ..	12.10	12.10	9.00
4–9–83 ..	8.15	8.15	9.00
5–9–83 ..	10.15	10.15	9.00
6–9–83 ..	7.10	7.10	10.30
7–9–83 ..	10.20	10.20	10.20
8–9–83 ..	8.00	8.00	7.00
9–9–83 ..	10.00	10.00	10.00
10–9–83 ..	10.00	10.00	10.00

दिनांक	11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	11 के0वी0 उत्तरी फीडर
11–9–83 ..	13.00	13.00	13.00
12–9–83 ..	1.00	18.00	16.00
13–9–83 ..	14.00	14.00	15.00
14–9–83 ..	12.20	12.20	17.00
15–9–83 ..	15.00	15.00	14.50
16–9–83 ..	15.00	15.00	12.45
17–9–83 ..	16.00	16.00	6.00
18–9–83 ..	12.00	12.00	19.00
19–9–83 ..	18.05	18.05	15.00
20–9–83 ..	10.05	10.05	10.00
21–9–83 ..	8.10	8.10	11.30
22–9–83 ..	20.45	20.45	17.15
23–9–83 ..	20.05	20.05	17.30
24–9–83 ..	18.20	18.20	15.30
25–9–83 ..	20.30	20.30	17.00
26–9–83 ..	9.30	9.30	9.30
27–9–83 ..	10.00	10.00	10.00
28–9–83 ..	10.00	10.00	10.00
29–9–83 ..	10.20	10.20	10.20
30–9–83 ..	11.00	11.00	11.00

दिसम्बर, 1983 में बिलरियागंज विद्युत उपकेन्द्र (आजमगढ़) से विद्युत आपूर्ति

13–श्री पंचानन राय –

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बिलरियागंज विद्युत उप केन्द्र से दिसम्बर, 1983 में प्रतिदिन कितने घंटे किसानों को बिजली की आपूर्ति की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त –

वांछित सूचना निम्न प्रकार है ।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बिलरियागंज से माह 12/83 में विद्युत आपूर्ति

घंटों एवं मिनटों में

दिनाँक	11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	11 के0वी0 उत्तरी फीडर
1–12–83 ..	8.00	8.00	5.10
2–12–83 ..	5.00	5.00	2.50
3–12–83 ..	4.30	4.30	9.00
4–12–83 ..	5.00	5.00	5.00
5–12–83 ..	6.00	6.00	6.00
6–12–83 ..	6.15	6.15	1.30
7–12–83 ..	4.00	4.00	3.00

दिनांक		1के0पी0 पूर्वी फीडर	11के0पी0 पश्चिमी फीडर	11के0पी0 उत्तरी फीडर
8–12–83	..	1.00	1.00	6.15
9–12–83	..	3.00	3.00	3.00
10–12–83	..	5.00	5.00	2.00
11–12–83	..	5.00	5.00	8.00
12–12–83	..	8.00	8.00	8.00
13–12–83	..	21.15	21.15	21.15
14–12–83	..	13.15	13.15	13.15
15–12–83	..	11.35	11.35	11.35
16–12–83	..	10.10	10.10	10.10
17–12–83	..	14.30	14.30	14.30
18–12–83	..	5.00	5.00	5.00
19–12–83	..	6.30	6.30	6.30
20–12–83	..	16.00	16.00	16.00
21–12–83	..	10.10	10.10	10.45
22–12–83	..	12.05	12.05	11.10
23–12–83	..	19.00	19.00	19.00
24–12–83	..	20.15	20.15	17.10
25–12–83	..	22.00	22.00	22.00
26–12–83	..	18.00	18.00	22.00
27–12–83	..	15.30	15.30	20.15
28–12–83	..	18.00	18.00	21.00
29–12–83	..	12.00	12.00	12.35
30–12–83	..	15.00	15.00	15.00
31–12–83	..	19.15	19.15	19.15

नवम्बर, 1983 में बिलरियागंज विद्युत उपकेन्द्र (आजमगढ़) से विद्युत की आपूर्ति

14–श्री पंचानन राय –

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विद्युत उप केन्द्र से नवम्बर, 1983 में प्रतिदिन कितने घंटे किसानों को बिजली की आपूर्ति की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त –

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :–

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बिलरियागंज पर माह 11/83 में विद्युत आपूर्ति

घंटों एवं मिनटों में

दिनांक		11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	11 के0वी0 उत्तरी फीडर
1–11–83	..	6.00	6.00	6.00
2–11–83	..	5.45	5.45	5.45
3–11–83	..	5.05	5.05	5.05
4–11–83	..	3.10	3.10	3.10
5–11–83	..	13.00	13.00	13.00

दिनांक	11 के0 वी0 पूर्वी फीडर	11 के0 वी0 पश्चिमी फीडर	11 के0 वी0 उत्तरी फीडर
6-11-83	5.00	5.00	7.10
7-11-83	4.00	4.00	..
8-11-83	6.00	6.00	..
9-11-83	6.00	6.00	6.00
10-11-83	6.00	6.00	6.00
11-11-83	6.45	6.45	6.45
12-11-83	6.20	6.20	6.20
13-11-83	9.15	9.15	9.15
14-11-83	8.15	8.15	8.15
15-11-83	8.25	8.25	8.25
16-11-83	8.10	8.10	8.10
17-11-83	8.00	8.00	8.00
18-11-83	8.00	8.00	8.00
19-11-83	8.00	8.00	8.00
20-11-83	10.20	10.20	10.20
21-11-83	11.05	11.05	11.05
22-11-83	6.25	6.25	6.25
23-11-83	5.45	5.45	2.00
24-11-83	4.45	4.45	3.50
25-11-83	3.00	3.00	4.00
26-11-83	4.20	4.20	3.55
27-11-83	6.35	6.35	6.35
28-11-83	8.15	8.15	8.15
29-11-83	8.00	8.00	8.00
30-11-83	8.15	8.15	8.15

नवम्बर 1983 में रौनापार विद्युत उप केन्द्र (आजमगढ़) से विद्युत आपूर्ति

15—श्री पंचानन राय —

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के रौनापार विद्युत उप केन्द्र से नवम्बर, 1983 में प्रतिदिन कितने घंटे किसानों को बिजली की आपूर्ति की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त —

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रौनापार से माह नवम्बर, 83 में फीडरों पर विद्युत आपूर्ति घंटों एवं मिनटों में

दिनांक	11 के0वी0 दक्षिणी फीडर	11 के0वी0 पूर्वी फीडर	11 के0वी0 पश्चिमी फीडर	टिप्पणी
1-11-83	5.23	5.13	5.13	पश्चिमी फीडर की लाइन पूर्वी फीडर से दी जा रही है क्योंकि पश्चिमी फीडर की ट्राली खराब थी।
2-11-83	3.33	3.05	3.05	
3-11-83	3.30	4.55	2.35	
4-11-83	3.00	3.00	3.00	
5-11-83	9.45	9.50	9.50	
6-11-83	7.20	6.20	6.20	
7-11-83	1.30	5.15	5.15	
8-11-83	3.30	3.30	3.30	
9-11-83	6.00	1.00	1.00	
10-11-83	0.42	6.00	6.00	
11-11-83	5.20	4.05	1.15	
12-11-83	6.20	..	..	
13-11-83	3.45	9.30	9.30	
14-11-83	8.00	8.00	8.00	
15-11-83	8.00	3.00	3.00	
16-11-83	6.00	7.00	7.00	
17-11-83	5.00.	3.00	3.00	
18-11-83	2.45	5.15	5.15	
19-11-83	6.30	3.00	3.00	
20-11-83	5.00	10.00	10.00	
21-11-83	6.00	5.05	5.05	
22-11-83	5.00	1.55	1.55	
23-11-83	..	5.50	0.50	
24-11-83	6.00	..	6.00	
25-11-83	4.40	1.30	2.30	
26-11-83	1.00	9.43	6.55	
27-11-83	13.00	6.45	8.10	
28-11-83	8.30	8.30	8.30	
29-11-83	8.00	8.00	8.00	
30-11-83	8.00	8.00	8.00	

उन्नाव जनपद की मौरावां-विहार रोड की मरम्मत की मांग

16–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद की मौरावां-विहार रोड की खस्ता हालत की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये 1 जनवरी, 81 से 31 दिसम्बर, 83 तक कितने शिकायती पत्र उन्हें और विभाग को प्राप्त हुए हैं और विभाग के किस किस अधिकारी ने कब कब इसका निरीक्षण किया है तथा वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83 तथा 83-84 में अब तक पृथक-पृथक कितनी-कितनी धनराशि मरम्मत में व्यय की गई है ?

श्री विद्या भूषण –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्व0 श्री कृष्ण वर्मा सिपाही की विधवा पत्नी को पारिवारिक पेंशन दिये जाने की मांग

17–श्री भगवती सिंह विशारद –

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि स्व0 श्री कृष्ण वर्मा सिपाही सी0 पी0 न0 835 थाना उमरी, बेगमगंज, जिला गोण्डा की मृत्यु दिनांक 11-11-82 ई0 को होने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती बिजरानी को पारिवारिक पेंशन के कागज ए0 जी0 कार्यालय इलाहाबाद को अब तक नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब यह कागज ए0 जी0 कार्यालय इलाहाबाद को कब तक भेज दिये जायेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र –

थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा के कान्स0 835 सी0 पी0 स्व0 श्री कृष्ण वर्मा की विधवा श्रीमती विजरानी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन के सम्पूर्ण पत्र स्व0 कान्स0 के मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को दिनांक 28-2-1984 को पेंशन भुगतानादेश निर्गत करने हेतु भेज दिये गये हैं ।

तोपखाना कैन्ट चौकी इंचार्ज के विरुद्ध की गई शिकायतों पर जांच की मांग

18–श्री नन्द राम –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभा खरिका के निवासियों पर तोपखाना कैन्ट चौकी इंचार्ज के द्वारा झूठे मुकदमें में फसाकर तथा घूस न देने पर प्रताड़ित करके अत्याचार किए जाने के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 9 अगस्त, 1983 प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार चौकी इंचार्ज के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र –

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सभा खरिका के निवासियों का दिनांक रहित एक प्रार्थनापत्र दिनांक 30-8-83 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी आलमबाग द्वारा की गयी। जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। अत: चौकी इंचार्ज के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

उन्नाव में विद्यालयों के निर्माण हेतु दी गयी धनराशि

19–श्री भगवती सिंह विशारद –

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् से (बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा) प्रा0 पा0 तथा जूनियर हाई स्कूलों के

भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 80-81, 81-82, 82, 83 तथा 83-84 में पृथक-पृथक कितनी-कितनी धन-राशि किन-किन विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उन्नाव को दी गयी है और उनमें किस किस भवन का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया है और कितने भवन पूर्ण हो चुके है और शेष भवनों का निर्माण कार्य पूरा न होने के क्या कारण है ?

श्री विद्या भूषण :-

बेसिक शिक्षा परिषद् से (बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा) प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए निम्नलिखित वर्षों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि उल्लिखित विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उन्नाव को दी गई है :-

वर्ष	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाखों में)	निर्माण हेतु स्वीकृत स्कूल
1980–81	शून्य	शून्य
1981–82	0.634	1—प्रा0 पा0 लच्छीपुर
	0.634	2—प्रा0 पा0 सुल्तानखेड़ा
	0.634	3—प्रा0 पा0 क्योना
	0.634	4—प्रा0 पा0 ईश्वरी खेड़ा
	0.634	5—प्रा0 पा0 रामपुर खरही
	0.634	6—प्रा0 पा0 मर्दनपुर
	0.634	7—प्रा0 पा0 चन्दनपुर
	0.634	8—प्रा0 पा0 लहिया
	0.634	9—प्रा0 पा0 संग्राम खेड़ा
	0.634	10—प्रा0 पा0 जगदीशपुर
	0.634	11—प्रा0 पा0 खानपुर
	1.192	1—जू0 हा0 स्कूल हुसैननगर
	1.192	2—जू0 हा0 स्कूल खुरहा
	1.192	3—जू0 हा0 स्कूल गौरा
	1.192	4—जू0 हा0 स्कूल, मारवी
	1.192	5—जू0 हा0 स्कूल, हिलौली
	1.192	6—जू0 हा0 स्कूल, डीह
	1.192	7—जू0 हा0 स्कूल, रैथाना
	1.192	8—जू0हा0 स्कूल, सहिला
	1.192	9—जू0 हा0 स्कूल, बक्सर

वर्ष	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाखों में)	निर्माण हेतु स्वीकृत स्कूल
1982–83		
	0.634	1—प्रा0 पा0 महरामऊ
	0.634	2—प्रा0 पा0 त्रिलोकपुर
	0.634	3—प्रा0 पा0 तुरकहा
	0.634	4—प्रा0 पा0 मिर्जापुर (लंगडा पुरवा)
	0.634	5—प्रा0 पा0 नवाबगंज (चितलापुर)
	0.634	6—प्रा0 पा0 चिन्ता खेड़ा
	1.254	1—जू0 हा0 स्कूल, दरेहटा
	1.254	2—जू0 हा0 स्कूल, बिसरामऊ
	1.254	3—जू0 हा0 स्कूल, सथरा
	1.254	4—जू0 हा0 स्कूल, बारा
	1.254	5—जू0 हा0 स्कूल कोलुहागाड़ा
1983–84	शून्य	शून्य

उक्त स्वीकृत स्कूलों के भवनों के निर्माण की स्थित निम्न अनुसार है :—

स्कूल का नाम	निर्माण प्रारम्भ	निर्माण की स्थित
	1981–82	
1—प्रा0 पा0, लच्छीपुर	दिसम्बर, 1982	पूर्ण
2—प्रा0 पा0, सुल्तानखेड़ा	अक्तूबर 1982	पूर्ण
3—प्रा0 पा0, क्योना	दिसम्बर, 1982	स्लैब डाली जा रही है
4—प्रा0 पा0, ईश्वरी खेड़ा	दिसम्बर, 1982	पूर्ण
5—प्रा0 पा0, रामपुर खरही	दिसम्बर, 1982	प्लिन्थ लेवेल पर है
6—प्रा0 पा0, मर्दनपुर	दिसम्बर, 1983	लिंटल लेवेल पर है
7—प्रा0 पा0, चन्दनपुर	दिसम्बर, 1983	प्लिन्थ लेवुल पर है
8—प्रा0 पा0, लहिया	..	भूमि उपलब्ध नहीं ह
9—प्रा0 पा0, संग्राम खेड़ा	नवम्बर, 1983	स्लैब लेविल पर है
10—प्रा0 पा0, जगदीशपुर	..	कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है
11—प्रा0 पा0, खानपुर	नवम्बर, 1983	नीव स्तर पर है
1—जू0 हा0, हुसैननगर	अक्तूबर, 1982	पूर्ण
2 जू0 हा0 स्कूल, खुरहा	जनवरी, 1983	स्लैब लेविल पर है
3—जू0 हा0 स्कूल, गौरा	दिसम्बर, 1982	प्लिन्थ लेविल पर है
4 जू0 हा0 स्कूल, मारवी	अक्तूबर, 1982	पूर्ण
5—जू0 हा0 स्कूल, हिलौली	अक्तूबर, 1982	पूर्ण
6—जू0 हा0 स्कूल, डीह	अक्तूबर, 1982	पूर्ण
7—जू0 हा0 स्कूल, रेथाना	अक्तूबर, 1982	पूर्ण
8—जू0 हा0 स्कूल, सहिला	..	प्रारम्भ किया जा रहा है।
9—जू0 हा0 स्कूल, बक्सर	..	प्लिन्थ लेविल पर है

स्कूल का नाम	निर्माण प्रारम्भ	निर्माण की स्थिति
	1982–83	
1—प्रा0 पा0 महरामऊ	दिसम्बर, 1983	प्लिन्थ लेविल पर है
2—प्रा0 पा0 त्रिलोकपुर	अक्तूबर, 1983	लिंटल लेविल पर है
3—प्रा0 पा0 तुरकहा	अक्तूबर, 1983	प्लिन्थ लेविल पर है
4—प्रा0पा0 मिर्जापुर (लंगडापुरवा)	—	प्रारम्भ हो रहा है
5—प्रा0 पा0 नेवाजगंज (बितलापुर)	—	प्रारम्भ हो रहा है
6—प्रा0 पा0 चिन्ताखेड़ा	अक्तूबर, 1983	प्लिन्थ लेविल पर है
	1983–84	
1—जू0हा0 स्कूल दरेहटा	नवम्बर, 1983	प्लिन्थ लेविल पर है
2—जू0हा0 स्कूल, बिसरामऊ	—	प्रारम्भ किया जा रहा है
3—जू0हा0 स्कूल सथरा	—	प्रारम्भ किया जा रहा है
4—जू0हा0 स्कूल वारा	नवम्बर, 1983	लिंटल लेविल पर है
5—जू0हा0 स्कूल कोलुहागाड़ा	नवम्बर, 1983	लिंटल लेविल पर है

वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कुल 17 प्राइमरी एवं 14 जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति व धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त हुयी थी। उसमें से 3 प्राइमरी स्कूल व 5 जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 11 प्राइमरी स्कूल भवनों व 6 जूनियर हाई स्कूल भवनों का निर्माण प्रगति पर है। 3 प्राइमरी व 2 जूनियर हाईस्कूलों के भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया जा रहा है और केवल 1 प्राइमरी स्कूल का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है क्योंकि उसके लिये शिक्षा विभाग भूमि उपलब्ध नहीं कर सका है।

भदोही-वाराणसी मार्ग पर मोरवा नदी का स्वीकृत पुल

20—श्री बनवारी राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में भदोही-वाराणसी मार्ग पर मोरवा नदी का पुल स्वीकृत हो गया है? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

धन उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

21–22—श्री सत्यपाल सिंह—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

टनकपुर से तवाघाट राष्ट्रीयकृत मार्ग को चौड़ा करने हेतु स्वीकृत धनराशि

23—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टनकपुर से तवाघाट, जनपद पिथौरागढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग के केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1977 में 34 फिट चौड़ा करने हेतु 50 प्रतिशत धन-राशि देने का प्रस्ताव किया था? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त मार्ग को चौड़ा करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जनपद में मार्गों के निर्माण की मांग

24–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सेक्टर योजना 83-84 में गोरखपुर जनपद में सेवई–वोकटा लम्बाई 15 कि0मी0, बरवार-गाड़र लम्बाई 8 कि0 मी0 एवं मरई सुधरपुर-डामीपार मार्ग का निर्माण कराया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण–

जी नहीं।

प्रस्तावित मार्ग जिला सेक्टर योजना से सम्बन्धित है।

25–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला परिषद् के महावीर छपरा–कुस्मौल, (सेवई–हरदिया–जैत-पुर–वोकटा), सेवई–वोकटा मार्ग, रुस्तमपुर कजाकपुर मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है जिसका प्रस्ताव वर्ष 1979 में जिला परिषद् गोरखपुर द्वारा किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या सार्व-जनिक निर्माण विभाग द्वारा महावीर छपरा-कुस्मौल तथा सेवई-वोकटा मार्ग का निर्माण कार्य कराया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब से?

श्री विद्या भूषण–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह कार्य जिला सेक्टर से सम्बन्धित है, जिनकी स्वीकृति जिला समिति का अनुमोदन तथा आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

गजपुरघाट (गोरखपुर) में राप्ती नदी पर पुल निर्माण की मांग

26–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में गजपुरघाट राप्ती नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित 11 अप्रैल, 83 के पत्र जो मा0 सार्व-जनिक निर्माण मंत्री को सम्बोधित था जिसके सन्दर्भ में 10 अगस्त, 83 को श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, विशेष कार्याधि-कारी ने प्रश्नकर्ता को लिखे पत्र में गजपुर घाट पर राप्ती नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधि-कारियों से आख्या मांगने की सूचना दी थी, पर क्या कार्यवाही हुई और पुल कब तक निर्मित होगा?

श्री विद्या भूषण–

सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित पुल के सम्बन्ध में मांगी गई आख्या शासन में प्राप्त हो गयी है, जिस पर शासन में विचार किया गया।

धनाभाव के कारण पुल की स्वीकृति प्रदान करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

गोरखपुर जनपद में मार्गों के आधुनिकी-करण की मांग

27–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महावीर छपरा-कुस्मौल, सेवई-हरदिया तथा जैतपुर-वोकटा एवं रुस्तमपुर मलौनी बांध जिला परिषद् गोरखपुर के मार्गों का आधुनि-कीकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त मार्गों को आधुनिकीकरण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब का कारण क्या है?

श्री विद्या भूषण–

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1983-84 में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आगामी वर्षों में इन मार्गों की स्वीकृति जिला समिति का अनुमोदन तथा आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

कलजीखाल–बौसांल (पौड़ी गढ़वाल) मोटर मार्ग के निर्माण की मांग

28–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कलजीखाल-भुण्डनेश्वर-बौंसाल मोटर मार्ग की स्वीकृति किस वित्तीय वर्ष में दी गयी थी और इस मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया था तथा कब तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है? इस मार्ग के निर्माण के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है तथा अवशेष कार्य को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

श्री विद्या भूषण–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मजहर आजाद द्वारा उप पुलिस अधीक्षक बस्ती के विरुद्ध आमरण अनशन

29–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अधिकारी, बस्ती के कार्यालय पर 13 अक्तूबर, 1982 से श्री मजहर आजाद नामक पत्रकार, बस्ती जिले के उप पुलिस अधीक्षक, हरैया द्वारा जान से मारने की धमकी देने के कारण अपनी सुरक्षा एवं उप पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां, श्री मजहर आजाद द्वारा उप पुलिस अधीक्षक हरैया के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की गई तथा जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हो सके।

30–श्रीमती गौरी देवी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

गोरखपुर जनपद के मार्गों के निर्माण की मांग

31–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या 2155/32 विविध दिनांक 21-8-81 के द्वारा संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सार्वजनिक निर्माण अनु0–1 लखनऊ अति0 मुख्य अभियन्ता पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी को बनसप्ति रायगंज, बलेवर, रानीडीहा–मिर्जापुर, महाबीरछपरा–कुस्मौल, मलानी बंध का दायीकिनारा जैतपुर परड़ाड़, पाण्डेयपार–गोहगौरा, सेवई, बोकटा और डागीपार–सुवा बाजार व रुस्तमपुर–कजाकपुर मार्ग के निर्माण कराने की स्वीकृति और धनराशि आवंटित करने के लिए लिखा था? यदि हां, तो सड़कों के निर्माण की स्वीकृति व धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्री विद्याभूषण–

जी, नहीं।

प्रश्न में वर्णित मार्गों में से केवल रानीडीह–मिर्जापुर मार्ग का निर्माण जिला सेक्टर के अन्तर्गत 8.00 किलोमीटर की लम्बाई में 19.20 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत है। शेष मार्ग भी जिला सेक्टर से सम्बन्धित है, जिनकी स्वीकृति जिला समिति के अनुमोदन तथा आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

गोरखपुर के गौरीघाट तथा जरलही में पुलों के निर्माण की मांग

32–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में गौर्रा नदी पर गौरीघाट पर आमी नदी पर जरलही के पास पुल निर्मित करने का विचार है? यदि हां, तो उक्त दोनों पुल कब तक बन जायेंगे और इन पर क्या खर्च आएगा? उक्त दोनों स्थानों पर स्थायी पुल का निर्माण कब से निर्मित होना प्रारम्भ होगा।

श्री विद्या भूषण–

गौर्रा नदी पर गौरीघाट के पास पीपे का पुल स्वीकृत है। जरलही के पास आमी नदी पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव फिलहाल शासन के विचाराधीन नहीं है।

गौरीघाट पर स्वीकृत पुल का निर्माण आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता पर निर्भर है। इस पुल की स्वीकृत लागत 18.89 लाख रुपये है। जरलही के पास आमी नदी पर पुल निर्माण की अवधि तथा लागत की सूचना क्रमशः कार्य की स्वीकृति एवं सर्वेक्षण के उपरान्त ही दी जा सकती है।

उक्त दोनों स्थानों पर स्थायी पुलों के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

सिसवां (बस्ती) में हुई घटना की जांच

33–श्रीमती गौरी देवी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के मोहना थाना अन्तर्गत सिसंवा गांव में हुई घटना की जांच पूरी कर ली गयी है? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए।

श्री श्रीपति मिश्र–

जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के कतिपय उपमार्गों के निर्माण की मांग

34–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के डवरपार-कतरारी, बरवार-गाड़र, गजपुर-हरैया, नगवा-एकला, सेवई-चेरिया और हाटा-चन्दौली, डवसार-चारापानी उप मार्गों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्त्ता द्वारा मई, 83 में कोई पत्र उन्हें एवं संयुक्त सचिव, सा0 नि0 वि0 को लिखा गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण –

माननीय सदस्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री को संबोधित मई, 1983 के पत्रों में निम्न मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

1–तोकदा-सेवई बाजार मार्ग,
2–डवरपार-कतरारी मार्ग,
3–सेवई बाजार-भौवापार-चेरिया-मार्ग,
4–बरवार-गाड़र मार्ग,
5–नगवा-एकला मार्ग,
6–हाटा-चारापानी मार्ग,

उपरोक्त मार्गों के प्रस्ताव जिला सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं, जिन्हें जिला योजना में विचार करने हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर को भेज दिया गया है।

डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन, विद्युत निरीक्षणालय द्वारा कार्य व मानक के बंटवारे की मांग

35–श्रीमती गौरी देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा इलेक्ट्रीकल जूनियर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीकल सुपरवाइजर और विद्युत निरीक्षकों के कार्यों के बटवारे के सम्बन्ध में डिप्लोमा

इंजीनियर्स एसोसिएशन, विद्युत निरीक्षणालय ने अपने कार्यों के बटवारे के लिए तथा मानक तैयार करने के लिए कोई पत्रक अप्रैल, 83 एवं उसके पूर्व तीन पत्रक अक्तूबर, 83 में मुख्य विद्युत निरीक्षक, उ0 प्र0 को दिया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी और उनके कार्यों का मानक व बंटवारा कब तक कर दिया जायगा?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिजनौर के क्रेशर मालिकों पर बकाया विद्युत देय

36–श्री सूबेदार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82 और 83 में जिला बिजनौर के किन क्रेशर मालिकों पर बिजली के बिलों का भुगतान देय है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्म दत्त–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जागीपुर-मिर्जापुर मार्ग के निर्माण की मांग

37–श्रीमती गौरी देवी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–57 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जागीपुर–मिर्जापुर मार्ग कि0 मी0 5, 6, 7 एवं 9 का सर्वेक्षण नहीं कराया गया था? क्या उक्त मार्ग का निर्माण बन्धे के किनारे नहीं कराया जा सकता था? इस मार्ग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

श्री विद्या भूषण–

प्रश्न के प्रथम एवं तृतीय भाग का उत्तर विधान सभा के वर्तमान सत्र में ही 5वें मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–86 के उत्तर में दिया जा चुका है।

प्रश्न के द्वितीय भाग अर्थात् मार्ग बन्धे के किनारे बनाने के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

38–श्रीमती गौरी देवी–

[दिनांक 20-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–47 द्वारा उत्तरित।]

गोरखपुर जनपद के मार्गों के निर्माण की मांग

39–श्रीमती गौरी देवी –

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक 10 नवम्बर, 82 को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र गोरखपुर जनपद के मार्गों के निर्माण के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित मार्गों के निर्माण कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो निर्माण कब से प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री विद्या भूषण –

जी, हां । दिनांक 10 नवम्बर, 1982 के कुछ पत्र प्राप्त हुये हैं ।

इन पत्रों में प्रस्तावित मार्गों में से रानीडीहा-गिर्जापुर मार्ग 8.00 किलो मीटर तथा बेलीपार से बेला मार्ग 4.00 किलोमीटर की लम्बाई से शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है । शेष मार्ग जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आते हैं । अतः जिला योजना में विचार करने हेतु प्रस्ताव, सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिये गये हैं, जिनकी स्वीकृति जिला समिति के अनुमोदन तथा आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्त स्वीकृति मार्गों पर कार्य आरम्भ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

बहराइच में राजकीय बहुधंधी संस्थान खोले जाने की मांग

40–श्रीमती गौरी देवी –

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जनपद में राजकीय बहुधंधी संस्थान स्थापित करने के संबंध में शासन द्वारा विगत वर्ष निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो वह अपना कार्य कब से प्रारम्भ कर देगा और शिक्षा सत्र कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री –

शासनादेश सं0 4812/18-प्रा0 शि0-2-164(बी)/83, दि0 29-10-83 द्वारा राजकीय पालीटेकनिक बहराइच की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संस्था के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है तथा भवन निर्माण हेतु भी धनराशि प्रदान की गयी है । इस संस्था में शिक्षा सत्र जुलाई, 1985 से प्रारम्भ होने की संभावना है ।

41–श्रीमती गौरी देवी –

[दिनांक 6-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-137 द्वारा उत्तरित ।]

42–श्री दूधंनाथ राजभर–

[6 बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बाहरपुर (सुल्तानपुर) में हरे पेड़ों की कटाई

43–श्री बाबूराम –

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का शिकायती-पत्र दिनांक 3-1-1984 जो ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में फलदार हरे पेड़ो को काटे जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री संजय सिंह –

जी हां । ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित माटा सं0-824, 1515/1, 1515/2, 1925, 1926 व 1947 के पेड़ों के अनियमित कटान के सम्बन्ध में कथित पत्र प्राप्त हुआ था तथा उस पर मौके की जांच पड़ताल कराई गई । जांच से पता चला कि उपरोक्त गाटों में 824 को छोड़कर वृक्षों का कोई कटान नहीं हुआ है । गाटा सं0 824 में कोई पेड़ नहीं है ।

44–श्री कुबेर भण्डारी –

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रधानाचार्य आई0 टी0 आई0 द्वारा श्री गौनियाल के पंजीकरण को अस्वीकृत किया जाना

45–श्री कुबेर भण्डारी –

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-143 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधानाचार्य आई0 टी0 आई0 एवं सहायक शिशुक्षु परामर्शदाता, लखनऊ द्वारा किस पत्र संख्या एवं दिनांक द्वारा श्री गौनियाल के पंजीकरण को अस्वीकार किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त –

प्रधानाचार्य आई0 टी0 आई0 एवं सहायक शिशुक्षु परामर्शदाता, लखनऊ के पत्रांक आई0 टी0 आई0/एम-संविदा/3791 दिनांक 24-10-81/9-11-81 द्वारा श्री गौनियाल का पंजीकरण (संविदा फार्म) अस्वीकृत किया गया था ।

थानाध्यक्ष पनिपरा (गोरखपुर) के विरुद्ध शिकायतों पर जांच की मांग

46–श्री जनार्दन प्रसाद आंभा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री रमाकान्त, ब्लॉक मंत्री, मा0 क0 पार्टी पनिपरा, जिला गोरखपुर का एक शिकायती -पत्र थानाध्यक्ष, पनिपरा के खिलाफ दिनांक 4-1-84 तथा श्री कृष्ण मुरारी नामक, जिला मंत्री मा0 क0 पा0 गोरखपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को सम्बोधित थानाध्यक्ष के खिलाफ शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और क्या उनकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुपर कारपेट हाउस, रोटहा (वाराणसी) की दीवार ढहने से मरे श्रमिकों के परिवारों को मुआवजे की मांग

47–श्री ऊदल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्षन चौहान, संवरपुर व मंगल गांव गोपालपुर, थाना चौरी, तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी की सुपर कारपेट हाउस रोटहा थाना चौरी, जिला वाराणसी का मकान बनाते हुए दीवाल व बारजा गिर जाने से 30-9-82 को तत्काल मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो सुपर कारपेट हाउस रोटहा, थाना चौरी, वाराणसी के मालिक याकूब व महबूब से लक्षन व मंगल की विधवा क्रमशः जिरवा व जड़ावती तथा उनके नाबालिग बच्चों को कोई मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिलाया गया और श्रम विभाग ने उक्त सुपर कारपेट हाउस के मालिकान के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही मुआवजे के सम्बन्ध में की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां।

दोनों श्रमिक आकस्मिक कार्य आ जाने के कारण केवल 2-3 दिन के लिए कार्य पर लगाये गये थे। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत उन्हीं श्रमिकों को प्रतिकर देय होता है जो ''कर्मकार'' की परिभाषा में आते हैं। ''आकस्मिक श्रमिक'' अधिनियम में दी गई कर्मकार की परिभाषा में नहीं आते अतः नियोजकों ने कर्मकार प्रतिकर आयुक्त वाराणसी द्वारा नोटिस भेजे जाने पर प्रतिकर देने के दायित्व को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप मृतकों के आश्रितों को सूचित किया जा चुका है कि वे चाहें तो कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के यहां वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी तक किसी ने वाद दाखिल नहीं किया है जिसके कारण कोई अन्य कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

48–श्री ऊदल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्षन व मंगल दोनों की मृत्यु की रिपोर्ट थाना चौरी, वाराणसी में की गयी है और दोनों का पोस्टमार्टम भी किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों मृतक मकान बनाने के कारीगर व मजदूर थे ? क्या यह भी सही है कि इस संबंध में जिलाधीश, वाराणसी को सन् 82 में व मुख्यमंत्री को 82 व 83 में प्रार्थना-पत्र दिए गए हैं ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

जिलाधिकारी वाराणसी को वर्ष 1982 में तथा मुख्य मंत्री जी को वर्ष 1983 में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिस पर यथोचित जांच करायी गयी थी मुआवजा देने

के संबंध में स्थिति प्रश्न संख्या-47 के उत्तर में ऊपर स्पष्ट कर दी गयी है।

कपसेठी-मझ मौंढ़या मार्ग, वाराणसी के निर्माण की मांग

49–श्री ऊदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कपसेठी-मझ मौंढ़या मार्ग, वाराणसी का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा गत चार वर्षों से बनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अभी तक मिट्टी का कार्य भी सम्पन्न नहीं कराया गया ? क्या सरकार इस मार्ग को जल्द से जल्द पक्का कर देगी ?

श्री विद्याभूषण–

जी हां ।

इस मार्ग के निर्माण के लिए भूमि काश्तकारों द्वारा स्वेच्छा से उपलब्ध करायी जानी थी । भूमि न मिलने के कारण मिट्टी का कार्य पूरा नहीं कराया जा सका है ।

यह भूमि और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

आई0 ए0 एस0 तथा आई0 पी0 एस0 अधिकारियों द्वारा गाड़ी खरीदने हेतु लिया गया लोन

50–श्री मन्जूर अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आई0पी0एस0 एवं आई0 ए0एस0 कैडर के किन-किन अधिकारियों ने जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1983 के अंतर्गत गाड़ी खरीदने व मकान बनाने के लिए कितना-कितना लोन लिया है और उस धन की वसूलयाबी किस प्रकार की जा रही है?

श्री श्रीपति मिश्र–

उत्तर प्रदेश के आई0 पी0 एस0 एवं आई0 ए0 एस0 कैडर के जिन अधिकारियों को जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1983 के मध्य गाड़ी खरीदने व मकान बनवाने के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है उनके नामों तथा स्वीकृत की गयी ऋण की धनराशि का विवरण संलग्न सूची† में दिया गया है । ऋण की वसूली निर्धारित शर्तों के अनुसार किस्तों में की जाती है ।

राज्य उद्योग मंत्री के दौरों पर हुआ व्यय

51–श्री मन्जूर अहमद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश ने जून, 1980 से लेकर दिसम्बर, 1983 तक उत्तर प्रदेश में कितने दौरे किए और सरकार का कितना धन दौरों में खर्च हुआ तथा उन दौरों से सरकार को क्या लाभ पहुंचा और उद्योगों में क्या प्रगति हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक राज्य उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश ने 375 दौरे किए और उन दौरों में सरकार का रु0 4,51,461.05 खर्च हुआ है ।

52–श्री मित्रसेन–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

† छापी नहीं गयी।

इनायत नगर (शाहजहांपुर) स्थित खंडेलवाल शुगर इण्डस्ट्रीज के खराब ट्रांसफार्मर को बदला जाना

53–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम इनायत नगर, जिला शाहजहांपुर स्थित खंडेलवाल शुगर इण्डस्ट्रीज का ट्रांसफार्मर 12-12-83 को जल गया, जिसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता, बिजली विभाग, शाहजहांपुर को उसी दिन मिल कर दी, लेकिन 10-1-84 तक वह क्यों नहीं बदला जा सका, जबकि ट्रांसफार्मर उपलब्ध थे ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां। चूंकि उपरोक्त स्थान पर लगा ट्रान्सफार्मर 630 के0 वी0 ए0 का था और इस क्षमता का कोई ट्रान्सफार्मर संबंधित स्टोर में उपलब्ध नहीं था। अतः विशेष प्रयास कर स्टोर से 400 के0 वी0 ए0 क्षमता का ट्रान्सफार्मर उपलब्ध करा कर 10-1-84 को बदल दिया गया।

बाराबंकी जनपद में पुलों के निर्माण का प्रस्ताव

54–श्री राम सागर–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी से वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए जिला योजना समिति ने किन-किन पुलों का निर्माण कराये जाने के संबंध में अपना प्रस्ताव भेजा? उन पुलों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री विद्या भूषण–

किसी पुल का प्रस्ताव नहीं भेजा । प्रश्न नहीं उठता ।

रसूलपुर (सुल्तानपुर) में पेड़ों का अवैध कटान

55–श्री सरदार सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी विधायिका का शिकायती-पत्र दिनांक 3-1-84 जो ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में हरे फलदार पेड़ों को काट डालने के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

श्री संजय सिंह–

जी हां, कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था तथा उस पर प्रभागीय वनाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा जांच करायी गयी । मौके पर गाटा संख्या–1152 व 1153 में कोई भी पेड़ कटा नहीं पाया गया तथा ग्राम प्रधान एवं निकटवर्ती ग्रामीणों ने अनियमित कटान के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की ।

थानाध्यक्ष चौरी, वाराणसी के विरुद्ध शिकायत

56–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओम प्रकाश चौहान, गांव दरीपुर, थाना चौरी, जिला वाराणसी ने नवम्बर, 83 में एक प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिरीक्षक एवं निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेजा है और उसकी प्रतिलिपि उप महानिरीक्षक, वाराणसी को दिया है कि 7 अक्तूबर व 10 अक्तूबर, 83 को थाना चौरी, वाराणसी के एस0 ओ0 बहादुर राम व एस0 आई0 अनिरुद्ध सिंह ने उसके भाइयों को थाने में बन्द करके रखा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक, ज्ञानपुर द्वारा की गयी । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री शेष नाथ राय, तत्कालीन थानाध्यक्ष फूलपुर, वाराणसी के विरुद्ध श्री हंसराज को पीटे जाने की शिकायत

57–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हंसराज पुत्र जगन्नाथ, गांव परसरा (पंजरवां), थाना फूलपुर, वाराणसी को थाना फूलपुर, वाराणसी के तत्कालीन एस0 ओ0 (शेषनाथ राय) ने बुरी तरह मारा? जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने हंसराज के एक प्रार्थना-पत्र एवं मेडिकल रिपोर्ट को अपने पत्र के साथ गृह सचिव को 18-11-83 को दिया? यदि हां, तो उस पर क्या कर्व्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्न में उल्लिखित मा0 विधायक का पत्र संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ था जिसे जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी को भेजा गया।

उषादेवी की हत्या के संबंध में श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी ग्राम सालिमपुर, वाराणसी के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

58–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उषा देवी की हत्या के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दुर्गा प्रसाद तिवारी गांव सालिम-पुर, थाना भदोही ने 18-11-83 को गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपत मिश्र–

श्रीमती उषा देवी की हत्या के संबंध में मा0 विधायक के पत्र दिनांक 18-11-83 के साथ श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी का दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई।

श्रीमती उषा देवी की हत्या के संबंध में पंजीकृत अपराध संख्या 154/83 धारा 302/201 भारतीय दण्ड विधान की विवेचना प्रचलित है।

जांच से पुलिस के विरुद्ध विवेचना में रुचि न लेने आदि के विषय में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

श्री रमा शंकर सिंह, वाराणसी की कथित मुठभेड़ में हुई मृत्यु की जांच रिपोर्ट

59–श्री श्रीनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर सिंह उर्फ श्री लल्लू सिंह, निवासी मुहल्ला दारानगर, थाना कोतवाली, जिला वाराणसी की सन् 1978 में थाना रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत तथाकथित मुठभेड़ में मृत्यु हो गयी थी, उसकी उत्तर प्रदेश सरकार गुप्तचर विभाग द्वारा जांच करा रही है? यदि हां, तो क्या वह जांच पूरी हो गयी? यदि पूरी हो गयी, तो अब तक की जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आया? यदि जांच अभी पूरी नहीं हुई तो कब तक होगी?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। जांच पूर्ण हो चुकी है। जांच परिणामों का विधिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

श्री अनिल कुमार सिंह, कनिष्ठ व्याख्याता राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून की वेतन विसंगति

60–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल –

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनिष्ट व्याख्याता

फार्मेसी, संस्थागत (श्री अनिल कुमार सिंह), की शासनादेश संख्या 6114-ए/18-प्र0 शि0-2-42/91 ई0-81, दिनांक 23-9-83 के द्वारा नियुक्ति गवर्नमेन्ट पालिटेकनिक, देहरादून में फार्मेसी के पद पर हुई थी? तथा उन्होंने 27-10-83 को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी थी फिर उन्हें आज तक कनिष्ट व्याख्याता का वेतन ही दिया जा रहा है तथा जिस व्याख्याता के स्थान पर उन्हें जाना था उसका तबादला हो जाने के बावजूद भी वह वहां से स्थानान्तरित हुए स्थान पर नहीं गया है? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है? सरकार इस संबंध में अग्रिम क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री सुनील शास्त्री–

हां, श्री अनिल कुमार सिंह को कनिष्ठ व्याख्याता फार्मेसी का वेतन इस-लिए दिया जा रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट व्याख्याता फार्मेसी के पद पर जिस पर उनकी तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति हुई थी, स्वीकार नहीं की गयी। श्री एस0 सी0 हांडा, व्याख्याता फार्मेसी, राजकीय पालीटेकनिक, देहरादून की तदर्थ प्रोन्नति / नियुक्ति अध्यक्ष फार्मेसी के पद पर राजकीय पालीटेकनिक, उत्तरकाशी में की गई थी जिस पर श्री हांडा ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। श्री हांडा द्वारा इस रिक्त किये जाने वाले पद पर श्री सिंह को कार्यभार ग्रहण करना था किन्तु श्री हांडा द्वारा व्याख्याता फार्मेसी, राजकीय पालीटेकनिक, देहरादून का पद खाली न करने के कारण श्री सिंह को व्याख्याता फार्मेसी, राजकीय पालीटेकनिक, देहरादून के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका। अब श्री ए0 के0 सिंह की तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति का स्थान राजकीय पालीटेकनिक देहरादून, से बदल कर राजकीय पालीटेकनिक, उत्तर-काशी कर दिया गया है। जैसे ही श्री सिंह व्याख्याता राजकीय पालीटेकनिक उत्तरकाशी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे उन्हें व्याख्याता का वेतन मिलना प्रारम्भ हो जायगा।

61–श्री माता प्रसाद पाण्डय–

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

प्राविधिक सहायकों से पदोन्नति प्राप्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में विभाग की दोहरी प्रथा समाप्त करने की मांग

62–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र प्राविधिक सहायकों की पदोन्नति अवर अभियन्ता के पद पर वर्ष 1974 में होने तथा पदोन्नति प्राप्त कुछ अवर अभियन्ताओं की वेतन वृद्धियों तथा विभाग की दोहरी प्रथा समाप्त करने सम्बन्धी पत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 1983 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री विद्या भूषण–

जी हां।

माननीय सदस्य के संदर्भित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में पूर्व में ही दिनांक 14-1-74 एवं 24-1-74 द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। अतः इस पर शासन द्वारा किसी कार्य-वाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में मंगलौर नहर पर बनी संजय मृगवाटिका को बिजली का कनेक्शन

63–श्री रामस्वरूप निम–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में मंगलौर नहर पर बनी संजय मृगवाटिका में बिजली कनेक्शन 22-12-80 को स्वीकृत किया जा चुका है? यदि हां, तो कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है और यह कब तक दे दिया जायेगा?

श्री संजय सिंह–

जनपद सहारनपुर में मंगलौर नहर के किनारे बनी संजय गांधी मृग वाटिका में अब बिजली का कनेक्शन लग चुका है।

चिरैयाकोट थाना, आजमगढ़ में घटित अपराधों की रोक थाम की व्यवस्था की मांग

64–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के थाना चिरैया-कोट में माह सितम्बर, सन् 1983 से माह जनवरी, सन् 1984 तक दर्जनों डकैती, हत्या, राहजनी, लूटपाट तथा बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद आजमगढ़ के थाना चिरैयाकोट में माह सितम्बर, 1983 से जनवरी, 1984 तक डकैती की 4, हत्या की 6, राह-जनी की 2 किन्तु लूटपाट व बलात्कार की कोई घटना घटित नहीं हुई। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि, पुलिस गश्त में वृद्धि तथा अपराधियों पर कड़ी नजर रखना जैसे उपाय किये गये हैं।

65–श्री दूधनाथ राजभर–

[दिनांक 20-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-123 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर के सम्पर्क मार्गों एवं पुलों को पूरा कराये जाने की मांग

66–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में ककरा-खोर लिंक मार्ग, डागीपार-मिर्जापुर मार्ग को महुई सुधरपुर तक पूरा कराने के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये? क्या उपरोक्त ककराखोर लिंक मार्ग को तथा डागीपार-मिर्जापुर मार्ग को आगे न बनाकर पीछे महुई सुधरपुर तक इस वर्ष 83-84 में पूरा कर लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूरा किया जाएगा?

श्री विद्या भूषण–

प्रश्नगत ककराखोर लिंक मार्ग व डागीपार-मिर्जापुर मार्ग महुई सुधरपुर तक स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

67–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में वर्ष 82-83 एवं 83-84 में बाढ़ एवं सूखा राहत कोष से किन-किन मार्गों एवं पुलों का निर्माण कराया गया और किनका निर्माण कराना शेष है? क्या इस बाढ़ एवं सूखा राहत कोष से पिपरली-गाड़र तथा हरैया-गजपुर, खोरांवार-सनहा तथा महुई-सुधरपुर वाया बड़गो-डागीपार मार्ग के निर्माण पर विचार किया गया? यदि हां, तो इनका निर्माण कब से प्रारम्भ होगा?

श्री विद्या भूषण–

वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में बाढ़ एवं सूखा राहत कोष से गोरखपुर जनपद में किसी मार्ग या पुल का निर्माण

स्वीकृत नहीं हुआ । अतः कार्य कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चरखारी, हमीरपुर में पालीटेकनिक स्कूल खोलने की मांग

68—श्री भीखालाल—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी जनपद हमीरपुर में पालीटेकनिक स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा हो चुकी है और उसके लिए वर्ष 1983-84 के बजट में छह लाख चौरासी हजार रुपये का प्राविधान भी किया गया है? यदि हां, तो उक्त स्कूल की स्थापना के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

चरखारी जनपद हमीरपुर में पालीटेकनिक स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान नहीं की गई है। इसके लिए हमीरपुर की जिला योजना 83-84 में छह लाख चौरासी हजार रुपये का परिव्यय आवंटित था परन्तु धनराशि को राजकीय पालीटेक्निक महोबा (हमीरपुर) के भवन निर्माण हेतु प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है । एक जनपद में पहले से स्थापित संस्था को सुदृढ़ करने के बाद ही नई संस्था खोलने पर विचार करना उचित समझा गया, जो रोजगार के साधन और अधिक उपलब्ध होने की स्थिति पर भी निर्भर करेगा क्योंकि एक संस्था में ही सीट बढ़ाने में नयी संस्था स्थापित किये जाने की अपेक्षा कम लागत आती है ।

69—श्री भीखालाल—

[7 वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जल संस्थान लखनऊ में कार्यरत रजिस्टर्ड यूनियनें

70—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान लखनऊ में, कितनी यूनियनें किन-किन नामों से और कब-कब रजिस्टर्ड हुई तथा वर्तमान समय में संस्थान में कितनी रजिस्टर्ड यूनियनें कार्य कर रही हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ में निम्नलिखित चार यूनियनें पंजीकृत हैं। उनके पंजीयन की तिथि उनके नाम के आगे अंकित है:—

यूनियन का नाम	पंजीकृत की तिथि
1—जलकल कर्मचारी संघ उ0 प्र0, लखनऊ	2-2-1974
2—लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी संघ, लखनऊ	19-12-1979
3—जल संस्थान, मजदूर संघ, लखनऊ	13-1-1983
4—उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ मण्डल अतकनीकी कर्मचारी संघ, लखनऊ	2-2-1984

वर्तमान में संस्थान में उक्त चारों रजिस्टर्ड यूनियनें कार्य कर रही है।

71—श्री गौरी शंकर भैय्या—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

जनपद बांदा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह आदि की हत्या तथा अभियुक्त जगतपाल पासी की गिरफ्तारी

72—श्री मोतीलाल दोहलदी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 20 मार्च, 82 को जनपद बांदा के अंतर्गत उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के भू0पू0 न्याया-

धीश स्व0 चन्शेखर प्रसाद सिंह और उनके पुत्र स्व0 अजीत प्रताप सिंह की हत्या के उपरान्त उनके शव उसी रात उसी जीप द्वारा इलाहाबाद के अस्पताल लाए गए ? यदि हां, तो घटनास्थल और इलाहाबाद अस्पताल के मध्य मार्ग में कौन-कौन थाने व पुलिस चौकी मिली तथा उक्त हत्या काण्ड की सूचना किस थाने या चौकी को दी गई ? यदि सूचना नहीं दी गई, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार घटना के पश्चात स्व0 न्यायमूर्ति व उनके पुत्र के शव को उसी जीप में उनके निवास स्थान ढईया कोठी ले गये और इस घटना की सूचना थाना मुट्ठीगंज पर अंकित हुई। घटना स्थल से इलाहाबाद के रास्ते में थाना शंकरगढ़, बारा, घुरपुर तथा थाना मुट्ठीगंज पड़ते हैं। घटना में गम्भीर रूप से घायलों को शीघ्र उपचार पहुंचाने की दृष्टिकोण से इनको इलाहाबाद में दाखिल कराया गया। जहां तक किसी थाने अथवा चौकी पर रिपोर्ट लिखाये जाने का प्रश्न है, चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतः इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करना न्याय-संगत न होगा।

73–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के भू0पू0 न्यायाधीश स्व0 चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह और उनके पुत्र अजीत प्रताप सिंह की की गई हत्या के कथित अभियुक्त जगतपाल पासी को थाना मऊ व थाना कर्वी, जनपद बांदा के मध्य ललता रोड चौराहा के निकट विगत 4/5 अप्रैल, 82 की रात को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो उस समय उसके पास से कौन-कौन शस्त्र कागजात बरामद हुए थे तथा उसने पुलिस अधिकारियों को क्या-क्या बयान दिये थे?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 4/5 अप्रैल, 1982 की रात को जगतपाल पासी नामक डकैत पुलिस द्वारा कथित स्थान पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

बिल्हौर, कानपुर में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य

74–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू होने के पश्चात से 12-1-83 तक निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर, जनपद कानपुर में क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई कार्य हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन कार्य कहां-कहां पर किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात से वर्ष 1982-83 में निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर, जनपद कानपुर, जिसके अन्तर्गत विकास खण्ड बिल्हौर तथा कल्यन आते हैं, में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये मुख्य-मुख्य कार्यों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 153 पर।)

बांड़गढ़, बांदा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर सिंह की हत्या की घटित घटना के समय आहत लोग

75–श्री मोतीलाल दहेलवी –

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 20 मार्च, 82 को जनपद बांदा के बांड़गढ़ क्षेत्र में जब उच्च न्यायालय इलाहाबाद के भू0 पू0 न्यायाधीश स्व0 चन्द्र-

शेखर प्रसाद सिंह व उनके पुत्र की हत्या जीप गाड़ी पर की गई तो उनके साथ अन्य कौन-कौन लोग थे और उनमें से कौन-कौन लोग गोली लगने से आहत हुए थे तथा इलाहाबाद के अस्पताल में किस किस का डाक्टरी परीक्षण किया गया था ? क्या इसी प्रसंग में यह भी बतायेंगे कि यदि आहत लोगों का डाक्टरी परीक्षण किया गया तो उस परीक्षा में क्या पाया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र –

प्राप्त सूचनानुसार घटना के समय उनके साथ सर्व श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, विश्वनाथ शिव बहादुर सिंह, लल्लन सिंह, विक्रम सिंह तथा नन्हू उर्फ ननकऊ थे । इनमें से ननकऊ को छोड़कर शेष सभी घटना स्थल पर गोली की चोटों से घायल हुए थे । समस्त घायलों का डाक्टरी परीक्षण हुआ जिसके अनुसार सभी को आग्नेय शस्त्र की चोटें आना पायी गयी हैं ।

76–श्री मोतीलाल दहेलवी –

[दिनांक 15-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-179 द्वारा उत्तरित।]

श्री राज नाथ सिंह, भू0 पू0 थानाध्यक्ष ककवन, कानपुर के विरुद्ध गुप्तचर विभाग की दर्ज रिपोर्ट तथा उस पर कृत कार्यवाही

77–श्री मोतीलाल दहेलवी –

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 12 में दिये गये उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अभियुक्तों को जेल भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा यह मामला अब किस स्थित में है ?

श्री श्रीपति मिश्र –

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत मामले से संबंधित अभियुक्तों में से 1 को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के उपरांत जमानत पर रिहा हो चुके हैं । शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है । मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

डाकू जगतपाल पासी का आपराधिक इतिहास

78–श्री मोतीलाल दहेलवी –

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के भू0 पू0 न्यायाधीश स्वर्गीय चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह व उनके पुत्र की हत्या के मुख्य अपराधी जगतपाल पासी का पूर्व अपराधिक इतिहास क्या है और वह किन-किन हत्याओं व डकैतियों में किस किस थाने से वांछित था ?

श्री श्रीपति मिश्र –

प्राप्त सूचनानुसार डकैत जगतपाल पासी आत्मज राम निहोरे निवासी ग्राम सरौंधा थाना मऊ जनपद बांदा एवं मध्य प्रदेश के अभियोगों का हिस्ट्रीशीटर संख्या 23 ए है । पुलिस अभिलेखों के अनुसार उ0 प्र0 एवं मध्य प्रदेश के निम्न अभियोगों से उसका संबंध था ।

उत्तर प्रदेश

1—अप0 सं0 77/77 अतर्न्गत भा0द0वि0 धारा 302, मऊ
2—अप0 सं0 48/78 भा0दं0वि0 399/402, मऊ
3—अप0 सं0 50/78 भा0 दं0 वि0, 25 आर्म्स ऐक्ट, मऊ
4—अप0सं0 22/78 भा0दं0वि0 395/397, मऊ
5—अप0सं0 42/78 भो0दं0वि0 395/397, मऊ
6—अप0सं0 188/79 भा0दं0वि0 396, मऊ
7—अप0सं0 137/79 भा0दं0वि0 302, मऊ
8—अप0सं0 3/80 भा0दं0वि0 394, मऊ
9—अप0सं0 9/80 भा0दं0वि0 394, मऊ
10—अप0सं0 68/80 भा0दं0वि0 364/302, मऊ
11—अप0सं0 23/80 भा0दं0वि0 394, मऊ
12—अप0सं0 40/80 भा0दं0वि0 399/402, मऊ
13—अप0सं0 55/80 भा0दं0वि0 395/397, मऊ
14—अप0सं0 124/81 भा0दं0वि0 395/397, मऊ
15—अप0सं0 125/81 भा0दं0वि0 147/148/149/307, मऊ
16—अप0सं0 9/82 भा0दं0वि0 395/397, मऊ
17—अप0सं0 33/82 अन्तर्गत धारा 396 भा0दं0वि0, मऊ
18—अप0सं0 59/83 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307, मऊ

थाना प0 शरीरा इलाहाबाद

मध्य प्रदेश

19—अप0सं0 24/80 अन्तर्गत धारा 392, थाना फनवारा रीवाँ
20—अप0सं0 61/80 अन्तर्गत धारा 395/397, थाना फनवारा रीवाँ
21—अप0सं0 4/81 अन्तर्गत धारा 395/397, धाना देवरिया रीवाँ
22—अप0सं0 9/81 अन्तर्गत धारा 458/380, पनवार
23—अप0सं0 14/81 अन्तर्गत धारा 458/382, पनवार
24—अप0सं0 22/81 अन्तर्गत धारा 458/380, पनवार
25—अ0सं0 29/81 अन्तर्गत धारा 395/397, पनवार
26—अ0सं0 40/81 अन्तर्गत धारा 395/397, पनवार
27—अप0सं0 25/81 अन्तर्गत धारा 396, जनेह रीवाँ
28—अप0सं0 34/81 अन्तर्गत धारा 395/397, थाना जवों
29—अप0सं0 1/82 अन्तर्गत धारा 395/397, अतरोल
30—अप0सं0 15/82 अतर्गत धारा 395/397, जत्रों।

79—श्री मोतीलाल दहेलवी —

[दिनांक 9-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या-62 द्वारा उत्तरित।]

प्रेम नरायन उर्फ राजा निगसी खांडमक (कानपुर देहात) के हत्याभियुक्तों की मृत्यु के कारण

80—श्री मोतीलाल दहेलवी —

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 2 अगस्त, 1983 को गांव खांडमऊ, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) निवासी राजा के हत्याभियुक्तों का तत्काल पीछा करते हुए तीन अभियुक्तों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था ? यदि हां, तो उनमें से अभियुक्त रवीन्द्र तथा दूसरे अभियुक्त शिवकुमार और तीसरे अभियुक्त राजू की मृत्यु कहां, कब व किस कारण से हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र –

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 1-8-83 को गांव खांडामऊ, थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात निवासी श्री प्रेम नरायन उर्फ राजा की हत्या के 3 अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को मृतक के सहयोगियों द्वारा घटनास्थल पर ही घातक चोटें पहुंचाई गयीं । सूचना मिलने पर जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एक अभियुक्त रवीन्द्र की मृत्यु हो चुकी थी तथा दूसरे अभियुक्त शिवकुमार को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर भेजा गया जहां उसी दिन उसकी मृत्यु हो गयी। तीसरे अभियुक्त राजू व एक अन्य व्यक्ति को दि0 3-8-83 को मृतक प्रेम नरायन उर्फ राजा के सहयोगियों द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम अब्दुलपुर में पकड़कर मारा पीटा गया । पुलिस के पहुंचने पर मारने पीटने वाले भाग गये । दोनों घायलों में से अभियुक्त राजू को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी।

खांडामऊ, कानपुर देहात में पी0 ए0 सी0 की व्यवस्था

81–श्री मोतीलाल दहेलवी –

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव-खांडामऊ, थाना बिल्हौर जनपद कानपुर (देहात) में पी0 ए0 सी0 नियुक्त करने हेतु अगस्त, 83 के प्रथम सप्ताह में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र थाना बिल्हौर के इंस्पेक्टर को दिया था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता ने इंस्पेक्टर साहब को किस तारीख को पत्र दिया था और पी0 ए0 सी0 किस तारीख में लगाई गयी?

श्री श्रीपति मिश्र –

दिनांक 3-8-83 को निरीक्षक प्रभारी थाना बिल्हौर को एक पत्र ग्राम खांडामऊ थाना बिल्हौर जनपद कानपुर (देहात) में पी0 ए0 सी0 तैनात किये जाने के बारे में माननीय विधायक द्वारा दिया गया था । दिनांक 5-8-83 को प्रातः से ही पी0 ए0 सी0 तैनात कर दी गयी थी ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठों में निर्धारित अवधि से अधिक रुकने वाले अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

82–श्री मोतीलाल दहेलवी –

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठों में जो अभियन्ता अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है? इन कोष्ठों में नियुक्त ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं जिनका कार्यकाल निर्धारित अवधि से अधिक हो चुकी है? क्या ऐसे अधिकारियों को स्थानान्तरित कर उनको कार्य-मुक्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण –

सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यकाल अवधि के विषय में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्परीक्षा कोष्ठ में नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल साधारणतया 3 वर्ष होता है किन्तु विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है । कोष्ठ में नियुक्त 6 अधिकारियों में से एक अधिकारी का कार्यकाल एक वर्ष से कम 3 अधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से कम का है तथा 2 अधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो चुका है । इन 2 अधिकारियों के प्रतिस्थानियों के उपलब्ध होने पर ही इन्हें कार्यमुक्त करना संभव होगा ।

83—श्री मोतीलाल दहेलवी —

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लगभग दो वर्ष पूर्व प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठों के कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये थे, किन्तु उन्हें कार्य मुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और क्या उन्हें कार्य मुक्त करेंगे ?

श्री विद्या भूषण —

लगभग 2 वर्ष पूर्व कोष्ठ से 2 अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये थे जिनमें से एक अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया गया था । दूसरे अधिकारी के प्रतिस्थानी की नियुक्ति की जा चुकी है किन्तु अभी तक प्रतिस्थानी द्वारा कार्यग्रहण न करने के कारण उन्हें कार्यहित में कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

बाड़गढ़, बांदा में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह आदि की हत्या तथा डकैतों द्वारा लूटा गया माल

84—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 20 मार्च, 82 को जनपद बांदा के बाड़गढ़ क्षेत्र में जब उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के भू0पू0 न्यायाधीश स्व0 चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह व उनके पुत्र की हत्या डकैतों द्वारा की गयी तो उस समय स्वर्गीय चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह व उनके साथ मौजूद अन्य लोगों के पास कितना-कितना नकद धन, जेवर व घड़ियां तथा शस्त्र आदि थे और इसमें से हत्यारे डकैत क्या-क्या लूट ले गए थे?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार डकैतों द्वारा उनकी तीन राइफलें क्रमशः 243 बोर, 315 बोर एवं 22 बोर तथा एक टाइमस्टार घड़ी लूटी गयी थी । बादी द्वारा शेष उनके पास क्या-क्या था। की कोई सूची नहीं प्रेषित की गयी है । मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतएव कोई टिप्पणी किया जाना अभियोग के हित में नहीं है।

श्री पंकज सामवेदी को लगी चोटें तथा अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

85—श्री मोतीलाल दहेलवी—

श्री रमेशचन्द्र शर्मा एम0एल0सी0 के संलग्नक युक्त पत्र दिनांक 26-5-82 के उत्तर में तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा श्री रमेशचन्द्र शर्मा को दिए गए उत्तर संख्या एम—1088 दिनांकित 1-6-82 के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो यह आख्या क्या है और उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

प्राप्त आख्या के अनुसार श्री पंकज सामवेदी द्वारा एक अहस्तक्षेपीय अपराध अंतर्गत धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया था जिसके साथ चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें धारदार हथियार से चोट आयी है जिससे पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी थी ।

प्रार्थी ने एक परिवाद अन्तर्गत धारा 324/504 भा0 दं0 वि0 दायर किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

अतः इस मामले में शासन द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

86—श्री मोतीलाल दहेलवी—

[दिनांक 8-3-83 को तारांकित प्रश्न—1 द्वारा उत्तरित ।]

बिल्हौर, कानपुर में पी0 ए0 सी0 नियुक्त किए जाने का कारण

87–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 15 फरवरी, 1983 को बिल्हौर जनपद कानपुर में पी0ए0सी0 बुलाने का क्या कारण था और वह पी0 ए0 सी0 बिल्हौर में कब तक नियुक्त रही तथा जिस कारण पी0 ए0 सी0 बुलायी गयी उस कारण का समाधान किस रूप में किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र–

बिल्हौर जनपद कानपुर में दो पक्षों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति के कारण शांति भंग होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15 फरवरी, 1983 को पी0ए0 सी0 तैनात की गई थी । उक्त कस्बे से पी0 ए0 सी0 दिनांक 27 फरवरी, 1983 को हटायी गयी । दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही की गयी ।

88–श्री मोतीलाल दहेलवी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

89–श्री मोतीलाल दहेलवी–

[दिनांक 2-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या–15 द्वारा उत्तरित]

डकैतों को संरक्षण देने आदि से संबंधित व्यक्तियों की सूची

90–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डकैतों को संरक्षण देने आदि से सम्बन्धित व्यक्तियों की कोई सूची सरकार ने माह अक्तूबर, व नवम्बर, 1981 में तैयार की है? यदि हां, तो उस सूची में कितने व्यक्ति राजनैतिक या राजनैतिक लोगों के सम्पर्क में रहने वाले हैं?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रदेश के कतिपय जिलों में प्रश्नगत आशय की सूचियां बनाई गई थीं । इन सूचियों के संबंध में कोई विवरण दिया जाना जनहित में नहीं होगा ।

91-92–श्री मोतीलाल दहेलवी–

–[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

खांडामऊ, कानपुर (देहात) में हुई हत्याओं एवं मौके का निरीक्षण

93–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव खांडामऊ, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) से संबंधित 2 अगस्त, 83 को हुई तीन हत्याओं के बाद क्या थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) के पुलिस इंसपेक्टर मौके का निरीक्षण करने गए थे? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार प्रभारी निरीक्षक, बिल्हौर दिनांक 2-8-83 को मौके पर एवं ग्राम खांडामऊ गये थे।

परगनाधिकारी बिल्हौर, कानपुर (देहात) श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

94–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या मुख्य मंत्री 20 अगस्त, 1982 के अता0 प्र0 सं0 64 के दिए गए राजस्व मंत्री के उत्तर तथा इस उत्तर से संबंधित 5 अप्रैल, 83 के अता0 प्र0 सं0 131 के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में शासन किन-किन बिन्दुओं पर विचार कर रहा था तथा क्या शासन ने अंतिम निर्णय

कर लिया है ? यदि हां, तो तत्कालीन परगनाधिकारी, बिल्हौर, कानपुर (देहात) (श्री जितेन्द्रनाथ मिश्र) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब करने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 1-6-1981 में परगनाधिकारी बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) के विरुद्ध गृह अनुदान वितरण में की गयी अनियमितता की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच शासन द्वारा कराई गई। जांचोपरांत तत्कालीन परगनाधिकारी बिल्हौर (श्री जे0एन0 मिश्र) को गृह अनुदान वितरण में हुई अनियमितताओं में शिथिल नियंत्रण का दोषी पाया गया। अतः शासन ने उन्हें निन्दा प्रविष्टि देकर मामले को समाप्त कर दिया है।

95–श्री अकबर हुसैन–

[6ठें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री मोतीलाल दहेलवी के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी कानपुर (देहात) की जांच रिपोर्ट

96–श्री मोतीलाल दहेलवी–

सन् 1982 के प्रथम सत्र के तीसरे मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 7 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन ने जिन कुछ बिन्दुओं पर जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, क्या उन बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है? यदि हां, तो दिनांक 27-1-82 को शासन को जो जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) से प्राप्त हुई थी वह जांच रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट के सम्पूर्ण तथ्यों को देखते हुए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 2-4-81 प्राप्त हुआ था, जिसमें मूलतः जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा, शिकायतकर्ता के पूर्व शिकायती-पत्र की जांच न किये जाने, दिये गये प्रश्न का उत्तर वास्तविक न होने तथा उनके द्वारा परगनाधिकारी के विरुद्ध गृह अनुदान वितरण सम्बन्धी शिकायत की जांच स्वयं परगनाधिकारी द्वारा ही किये जाने के आरोप हैं।

यह सही है कि शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) की जांच आख्या दिनांक 27-1-82 प्राप्त हुई थी। प्राप्त जांच आख्या पर कार्यवाही किये जाने हेतु कुछ अतिरिक्त सूचना जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) से मांगी गयी है, और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

97–श्री मोतीलाल दहेलवी–

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

98–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त।]

गोरखपुर, आजमगढ़ निवासी श्री राजपति यादव के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

99–श्री दलसिंगार –

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोरखपुर, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के निवासी श्री राजपति द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र दिनांक 26-8-83 तथा 5-12-83 पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र –

प्रश्नगत शिकायती पत्रों की जांच कराई गयी। जांच में एक उप निरीक्षक

के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध प्रतीत होने पर भा0 द0 वि0 की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

थाना बिल्हौर, कानपुर देहात की पुलिस द्वारा पोस्ट मार्टम करायी गयी लाशों की संख्या

100—श्री मोती लाल दहेलवी —

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 2 अगस्त, 1983 से 9 अगस्त, 1983 तक थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) की पुलिस द्वारा कुल कितनी लाशों का पोस्ट मार्टम कराया गया और यह मौतें किस प्रकार हुई हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र —

सूचना एकत्र की जा रही है।

थानाध्यक्ष, हसनगंज, उन्नाव के स्थानान्तरण का कारण

101—श्री मोतीलाल दहेलवी —

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1982 में वर्तमान थानाध्यक्ष, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव का स्थानान्तरण थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि तीन चार माह बाद उक्त थानाध्यक्ष की पुनः नियुक्ति उसी थाने हसनगंज, जनपद उन्नाव में की गई ? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष को हटाये जाने तथा दुबारा उसी थाने में नियुक्त किए जाने के कारण क्या थे ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हां।

लगभग ढाई माह बाद उन्हें पुनः जनपद उन्नाव के थाना हसनगंज पर ही तैनात कर दिया गया।

थानाध्यक्ष हसनगंज को हटाने तथा दुबारा उसी थाने पर तैनात करने के प्रशासनिक कारण थे।

बांदा कताई मिल के मुख्य कार्यकारी अभियंता श्री एस0 पी0 रस्तोगी के विरुद्ध शिकायत एवं जांच रिपोर्ट

102—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 7-8-83 को बांदा कताई मिल के मुख्य कार्यकारी अभियंता (श्री एस0 पी0 रस्तोगी) के विरुद्ध उक्त मिल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री जगजीत प्रजापति की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली बांदा में अपराध संख्या 666/83 धारा 342 भा0 दं0 संहिता के अन्तर्गत कोई मुकदमा कायम हुआ है? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार श्री जगजीत प्रजापति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की लिखित सूचना पर थाना कोतवाली बांदा में अपराध संख्या 666/83 धारा 342/323/504/506 भा0 दं0 वि0 मुख्य कार्यकारी अभियंता (श्री एस0 सी0 रस्तोगी) व उनकी पत्नी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मुख्य कार्यकारी अभियंता उक्त कर्मचारी से अपना सारा निजी कार्य कराते थे। एक दिन उक्त कर्मचारी ने एक कार्य करने से मना कर दिया। उसी से रुष्ट होकर श्री रस्तोगी एवं उनकी पत्नी ने उसे कमरे में बन्द करके मारपीट की एवं धमकी दी।

साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी।

103—श्री मोतीलाल दहेलवी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

बेला विधुना, जिला इटावा की पुलिस द्वारा श्री रमाकान्त जे0 ई0 के घर से पकड़ी गयी सीमेंट तथा कृत कार्यवाही

104—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत 8-3-82 को थाना बेला विधूना जनपद इटावा की पुलिस ने सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर श्री रमाकान्त शुक्ल के निवास से 102 बोरी राजकीय सीमेंट और 148 बोरी जो राजकीय सीमेंट ट्रक नं0 यू0 टी0 डब्लू0 713 में रखी हुई पकड़ी थी उस सीमेंट का उपयोग कहां होना था और वह सीमेंट जूनियर इंजीनियर के मकान पर कैसे पहुंच गई? क्या इसी प्रसंग में कृपया यह भी बतायेंगे कि इस मामले में संबंधित जूनियर इंजीनियर पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 8-3-82 को थाना बेला जनपद इटावा की पुलिस द्वारा प्रश्न में उल्लिखित 102 बोरी राजकीय सीमेंट श्री रमाकान्त शुक्ल जे0 ई0 नलकूप विभाग के भाई श्री श्रीराम शुक्ल के मकान से व 148 बोरी राजकीय सीमेंट ट्रक नं0 यू0 टी0 डब्लू0 713 में रखी हुई पकड़ी गई जिसका उपयोग स्टोर रिग्स डिविजन, कानपुर में होना था। उक्त सीमेंट उसी विभाग के ठेकेदार के द्वारा श्री रमाकान्त शुक्ल जूनियर इंजीनियर के निर्देश पर उनके भाई के मकान पर पहुंचायी गयी थी।

इस संबंध में संबंधित जूनियर इंजीनियर व अन्य चार व्यक्तियों के विरूद्ध थाना बेला, इटावा पर धारा 409 भा0 दं0वि0 एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर ने 19-3-83 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा अब जमानत पर हैं।

जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा श्री जटाशंकर को बन्दूक के लाइसेन्स का निलम्बन

105—श्री मोतीलाल दहेलवी—

द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार को निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 65 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब जटाशंकर की बन्दूक का लाइसेन्स जिलाधिकारी लखनऊ के आदेश से दिनांक 19-6-82 को निरस्त कर दिनांक 18-8-82 को बन्दूक थाना बंथरा के मालखाने में जमा करा दी गई तो क्या वही बन्दूक पुनः जटा शंकर को वापस कर दी गई? यदि हां, तो किसके आदेश पर और किस आधार पर बन्दूक वापस की गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री जटाशंकर की बन्दूक का लाइसेन्स जिलाधिकारी लखनऊ के आदेश से निरस्त नहीं निलम्बित किया गया था।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जटाशंकर द्वारा दायर की गयी रिटयाचिका पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री जटाशंकर को बन्दूक वापस कर दी गयी।

उपपुलिस अधीक्षकों की पदोन्नतियों में हरिजन आरक्षण को पूरा करने की मांग

106—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में ग्यारह उप पुलिस अधीक्षकों के पद पर नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो क्या इन पदोन्नतियों में हरिजन आरक्षण को पूरा किया गया है?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष 1982-83 में 62 पात्र पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति देकर नियुक्त

किया गया था। जिनको प्रोन्नत किया गया उनमें 5 अनुसूचित जाति के और एक अनुसूचित जन जाति का अधिकारी था। पात्रता क्षेत्र में इनके अलावा कोई भी निरीक्षक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का नहीं था। अतः इस चयन में आरक्षण पूरा करना सम्भव नहीं था।

स्वीकृत धनराशि से अधिक ट्रैफिक रेडार खरीदने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

107—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 में ट्राफिक रेडार खरीदने के लिए कुल 3 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी, किन्तु ट्राफिक रेडार 18 लाख रुपये के खरीदे गये ? यदि हां, तो क्या इस अधिक धनराशि के रेडार खरीदने की अनुमति दी गई थी? यदि नहीं, तो ट्राफिक रेडार बिना अनुमति खरीदे गये तो इस अनियमितता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

मार्च, 1982 में तृतीय अनुपूरक मांग द्वारा 63 ट्रैफिक रेडार के क्रय पर अनुमानित व्यय हेतु रु0 18,90,000 की मांग स्वीकृत की गई थी। चूंकि सन्दर्भित वित्तीय वर्ष 1981-82 में 10 राडार के ही मिलने की सम्भावना थी अतः शासन द्वारा मात्र तीन लाख रुपये के व्यय किये जाने की स्वीकृति दिनांक 29-3-82 को प्रदान कर दी गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा शासनादेश की प्रत्याशा में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त पूर्ण धनराशि का भुगतान अग्रिम के रूप में भारत सरकार के उपक्रम एच0 ए0 एल0 को दे दिया गया। इस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

108—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के चपरासियों की नियुक्ति हेतु जो साक्षात्कार दिनांक 15-6-82 को जवाहर भवन में हुआ था और जिसमें 100 व्यक्ति अंतिम रूप से चयनित घोषित किए गए थे, उनकी नियुक्ति अभी तक न किए जाने का क्या कारण है, और नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जून, 1982 में चतुर्थ श्रेणी में चपरासी/फर्राश/बेलदार आदि पदों के लिए साक्षात्कार के आधार पर 186 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें से उपलब्ध रिक्तियों पर 48 अभ्यर्थियों को नियमित/दैनिक वेतन पर नियुक्ति मई, 1983 में दी गई थी। चयन सूची एक वर्ष की अवधि तक मान्य रहती है, इसलिए उस सूची से नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं।

जिलाधिकारी मथुरा द्वारा संबंधित क्षेत्रीय विधायक के स्थान पर अन्य विधायक को साथ लेकर मार्ग निरीक्षण करने पर आपत्ति

109—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी मथुरा ने दिनांक 20 जनवरी, 84 को अपर जिलाधिकारी (प्रोजेक्ट) को दरवे कैनाल से नगला अलिया, लोहागढ़ होती हुई नगला सीरिया तक निर्मित हो रही सड़क को रुकवा कर निर्वाचन क्षेत्र मांठ के मा0 विधायक व निर्वाचन क्षेत्र मथुरा के सांसद को साथ लेकर उक्त मार्ग के निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो संबंधित क्षेत्रीय विधायक को निरीक्षण सूची में न रखने का

एवं दूसरे क्षेत्र के माननीय विधायक को सूची में रख कर निरीक्षण कराने का क्या औचित्य था ?

श्री विद्या भूषण–

निरीक्षण निर्माण को रुकवाकर नहीं किया गया था बल्कि उस समय तक निर्माण आरम्भ नहीं हुआ था । श्री लोकमणि शर्मा, विधायक क्षेत्र मांठ तथा श्री दिगम्बर सिंह सांसद को निरीक्षण सूची में इस लिए रखा गया था कि इन दोनों जन प्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त हुए थे। क्षेत्रीय विधायक से अनुरोध किया गया था कि वे निरीक्षण के लिए मौके पर चले परन्तु वे मौका मुआइना के समय उपस्थित नहीं हुए ।

110–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस मार्ग के संबंध में निर्वाचन क्षेत्र मथुरा के सांसद ने मार्ग को तुरन्त पूरा करने का अनुरोध जिलाधिकारी मथुरा व अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खंड सा0 नि0 वि0 मथुरा से दिनांक 19-1-84 को किया था ? यदि हां, तो उनसे पुनः निरीक्षण कराने का क्या औचित्य था ?

श्री विद्या भूषण–

माननीय सांसद द्वारा इस संबंध में कोई लिखित अनुरोध नहीं किया गया था ।

मंगलौर, सहारनपुर स्थित संजय मृग वाटिका में रेस्ट हाउस निर्माण की मांग

111–श्री रामस्वरूप निम–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगलौर सहारनपुर में स्थित संजय मृग वाटिका में रेस्ट हाउस की स्वीकृति एवं बजट की स्वीकृति 1981-82 से दे दी गई थी ? यदि हां, तो नींव भरने के बाद में भवन निर्माण न करने का क्या कारण है और यह भवन निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री संजय सिंह–

सहारनपुर जनपद के अन्तर्गत मंगलौर स्थित संजय गांधी मृग वाटिका के रेस्ट हाउस की कोई स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1981-82 में नहीं दी गयी थी ।

एक निरीक्षण कुटीर के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1983-84 में दी गयी है। इसमें कार्य प्रगति पर है और इसे चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

अटवानी-नाहसैण मार्ग, पौड़ी गढ़वाल में रखरखाव पर व्यय

112–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अटवानी-नाहसैण मार्ग के रख-रखाव एवं सुधार कार्य हेतु शासन द्वारा विगत तीस वर्षों से अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है और मार्ग के सुधार एवं रख-रखाव पर अब तक कितना व्यय किया गया है?

श्री विद्या भूषण–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बगानीखाल-बसन्तपुर मार्ग, पौड़ी पर मोटर यातायात खोले जाने की मांग

113–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग पौड़ी ने अपने पत्रांक 907/2-सी दिनांक 15-3-83 में यह स्वीकार किया था कि बगानीखाल-बसन्तपुर अनुभाग के कार्य जाब नं0 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तथा 28 पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त जाबों के टेंडर कब आमंत्रित किए गये थे और बांड कब-कब किए गये तथा उनकी अन्तिम नाप कब-

कब की गयी तथा अन्तिम भुगतान कब-कब किया गया? शेष जाबों की प्रगति क्या है और कब तक इस मार्ग पर मोटर यातायात के लिए खोला जा सकेगा?

श्री विद्या भूषण–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पौड़ी गढ़वाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के बेकार पड़े निरीक्षण भवन

114–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कितने निरीक्षण भवन है और इनमें कितने ऐसे भवन हैं जो कार्यरूप में नहीं हैं? इन भवनों के कार्यरूप में न रहने के कारण क्या हैं तथा इनको कार्यरूप में रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री विद्या भूषण–

सूचना एकत्र की जा रही है।

115–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

आजमगढ़ जनपद में स्वीकृत जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों के निर्माण की मांग

116–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितने जूनियर हाई स्कूलों के भवन 31 जनवरी, 84 तक निर्माणाधीन थे तथा कितने स्कूलों के निर्माण की स्वीकृति होने के बाद भी उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? इन विद्यालयों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री विद्या भूषण–

31 जनवरी, 1984 को चार जूनियर हाई स्कूलों के भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन थे और स्वीकृति के बावजूद 22 जूनियर हाई स्कूलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त 22 स्कूलों हेतु भूमि उपलब्ध करा दिये जाने पर ही उनका निर्माण सम्भव हो सकेगा।

117–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितने प्राइमरी स्कूलों के भवन 31 जनवरी, 84 तक निर्माणाधीन थे तथा कितने स्कूलों के निर्माण की स्वीकृति होने के बाद भी उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? इन विद्यालयों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री विद्या भूषण–

जनवरी, 1984 तक 26 प्राइमरी स्कूलों के भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन थे तथा स्वीकृति के बावजूद 69 प्रायमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। उक्त 69 स्कूलों में से तीन के लिये उपलब्ध कराई गयी भूमि विवादग्रस्त है तथा शेष 66 स्कूलों के लिये शिक्षा विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिये जाने पर ही उनका निर्माण सम्भव हो सकेगा।

118–120–श्री पंचानन राय–

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

कालागढ़ वन प्रभाग में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

121–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ वन प्रभाग में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी ऐसे सेवारत हैं जिनको सेवा करते हुए 10 साल या उससे अधिक हो गए हैं लेकिन उनकी सन्तोषजनक सेवायें होते हुए भी उन्हें नियमित नहीं किया गया है? शासन कब तक उन्हें नियमित कर देगी?

श्री संजय सिंह–

कालागढ़ वन प्रभाग के पूर्णकालिक अधिष्ठान में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी का कोई भी ऐसा कर्मचारी सेवारत नहीं है जिसको कि निरन्तर सेवा करते हुए 10 साल या उससे अधिक हो गये हों और उसे नियमित नहीं किया गया हो। अतः नियमित करने का प्रश्न नहीं है।

प्रतिकूल प्रवृष्टि के विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदनों पर 3 माह के अन्दर निर्णय लिये जाने की मांग

122–श्री धम्मन सिंह गहलौत–

क्या मुख्य मंत्री ऐसा नियम बनावेंगे कि यदि प्रतिकूल प्रवृष्टि के विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदन पर किसी भी कारण से 3 माह के अन्दर निर्णय नहीं लिया जाता है तो वह प्रतिकूल प्रवृष्टि स्वतः ही विलुप्त समझी जायेगी?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी नहीं।

123–श्री धम्मन सिंह गहलौत–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेशों के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध दिए गए प्रत्यावेदन पर उसे देने की तिथि से 3 माह के अन्दर निर्णय ले लिया जाना चाहिए? यदि हां, तो वर्ष 1979 से सचिवालय में कार्यरत सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी व अनुसचिवों के सभी प्रत्यावेदनों पर 3 माह की अवधि में निर्णय ले लिया गया है? यदि नहीं, तो उन पर अभी तक निर्णय न होने का क्या कारण है?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां, शासनादेशों के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध समय के अन्दर प्रस्तुत किये गए प्रत्यावेदन पर 3 महीने के अन्दर निर्णय ले लिया जाना चाहिए। वर्ष 1979 से सचिवालय में कार्यरत सचिवालय सेवा के कतिपय अनुभाग अधिकारी व अनु सचिव के प्रत्यावेदनों पर 3 माह की अवधि में निर्णय नहीं लिया जा सका है। कतिपय अधिकारियों के प्रत्यावेदनों पर प्रतिवेदक अधिकारियों से आख्या अपेक्षित है। जिन अधिकारियों के प्रत्यावेदनों पर प्रतिवेदक अधिकारी की आख्या प्राप्त हो चुकी है उनका परीक्षण किया जा रहा है। एक मामले में प्रतिवेदक अधिकारी की आख्या मांगी जा रही है।

मैनपुरी के उरावर मार्ग पर अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजे की मांग

124–श्री शिवमंगल सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में 3 खंड उरावर मार्ग पर रेलवे क्रासिंग मदान से ग्राम सुजनीपुर तक वर्ष 1972 में मार्ग (सड़क) सीधा करने में जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण की गई थी उनको मुआवजा दिया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों तथा मुआवजा दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

श्री विद्या भूषण–

जी, अभी नहीं। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पुर्ण न हो पाने के कारण अभी प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है। भूमि अध्याप्ति की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। प्रतिकर का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायगा।

125–श्रीमती गौरी देवी–

[दिनांक 6-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-136 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण की मांग

126—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत 20 कि0 मी0 अन्य मार्गों के निर्माण में गोरखपुर जनपद की दरवार-गाड़र, माहोपार-हरैया, मुहुईसुधरपुर-मिर्जापुर तथा डुहिया-सिक्टौर मार्गों का निर्माण कराने के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा नवम्बर 83 में आयुक्त गोरखपुर को पत्र लिखा था? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मार्गों के निर्माण हेतु जिला सेक्टर योजना 84-85 में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा? यदि नहीं, तो उनके निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री विद्या भूषण—

सन्दर्भित पत्र आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न में वर्णित मार्ग वर्ष 1984-85 की जिला योजना में जिला समिति द्वारा अनुमोदित नहीं हैं।

प्रश्न में वर्णित मार्ग जिला सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं। अतः इन मार्गों के सम्बन्ध में जिला समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

दंगे के शिकार श्री रामजीत वर्मा निवासी टाण्डा, फैजाबाद को आर्थिक सहायता की मांग

127—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में नगरपालिका टाण्डा के अन्तर्गत स्थित श्री परमात्मा पुत्र श्री रामजीत वर्मा निवास स्थान गोंडा सकरावन, मोइन की बगिया टाण्डा द्वारा माह अक्टूबर, 1983 में दंगा के दौरान मकान लूटे जाने के सम्बन्ध में रजि0 डा0 संख्या 307 दिनांक 27-10-83 को कोई आवेदन पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को भेजा गया था? यदि हां, तो मामले की जांच कर के सम्बन्धित प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

प्रार्थी को सहायता प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

128—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

अन्वेषणालय सा0 नि0 विभाग, लखनऊ में रिसर्च डेवलपमेंट एन्ड क्वालिटी प्रोमोशन सेल में शोध अधिकारियों की प्रोन्नति

129—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सेल में क्या कुछ शोध अधिकारियों का उपनिदेशक के पद पर नियुक्ति किया गया है? यदि हां, तो क्यों और क्या इसकी स्वीकृति शासन से ली गई?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

पद रिक्त थे जिन्हें भरने के लिये शासन द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

धुंधली, गोरखपुर में उपभोक्ताओं से निजी मोटर किराया लेकर विभागीय कोष में जमा न करने की शिकायत

130—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें या विभाग को श्री राम आसरे जायसवाल मंत्री हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाईज यूनियन, गोरखपुर ने एक शिकायती पत्र माह दिसम्बर, 1983 को इस आशय का दिया है कि उपभोक्ताओं से निजी मोटर का किराया विकास क्षेत्र धुंधली (गोरखपुर)

में लिया जा रहा है और यह धन विभागीय कोष में जमा नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्या विभाग ने इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री यदुपतिराम निवासी पठखौली, गोरखपुर का शिकायती-पत्र

131–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–1

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री यदुपतिराम, गांव पठखौली, पो0 धुधली (गोरखपुर) ने कोई शिकायती पत्र दिनांक 28-2-83 को एस0 डी0 ओ0 (तृतीय) गोरखपुर को दिया है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? उसकी जांच कब और किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

श्री यदुपतिराम नाम का कोई भी विद्युत उपभोक्ता दिए गए पते पर नहीं है और न ही प्रश्नगत शिकायती पत्र उपखण्डीय अथवा खण्डीय कार्यालय, गोरखपुर में उपलब्ध है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बोदल पुत्र बंशी खटिक निवासी समोगरा वाराणसी के विरुद्ध फर्जी मुकदमे की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की मांग

132–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0 अ0 सं0 214/83 धारा 399/402 व 215 व 216 तथा 25 आर्म्स एक्ट ता0 25/26-11-83 को बोदल पुत्र बंशी खटिक, गांव समोगरा, थाना फूलपुर, वाराणसी एवं अन्य के खिलाफ लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस मुकदमे में थाना फूलपुर के चार एस0 आई0 एवं पांच कांस्टेबुल एवं एक हेड कांस्टेबुल गवाह हैं ? क्या सरकार इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 (अनुसंधान शाखा) उत्तर प्रदेश से करायेगी क्योंकि एकदम फर्जी मुकदमा बनाया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः अब सी0 आई0 डी0 जांच का कोई औचित्य नहीं है ।

133–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोदल के लड़के मोहन खटिक, गांव समोगरा, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी ने इस संबंध में एस0 पी0 आर0 ए0 वाराणसी को 26-11-83 को ही प्रार्थना-पत्र दिया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी और एक टेलीग्राम एस0 एस0 पी0 वाराणसी, डी0 आई0 जी0 वाराणसी, मा0 मुख्य मंत्री को 27-11-83 को भेजा है? इस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्या कारण है?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना पत्र एवं तार प्राप्त होने के समय अभियोग की विवेचना प्रचलित थी अतः इन पर अलग से कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

134–श्री ऊदल–

क्या इस संबंध में डी0 आई0 जी0 वाराणसी को 28-11-83 व 29-11-83 तथा एस0 एस0 पी0 वाराणसी को 30-11-83 को इस घटना व एस0 ओ0 फूलपुर शेषनाथ राय व अन्य पुलिस वालों के खिलाफ प्रश्नकर्ता ने पत्र दिया है? उस पर कोई मुकदमा दर्ज कराने और कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? डी0आई0जी0 वाराणसी ने हमारे पत्र पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 30-11-83 प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु शेष दोनों पत्र प्राप्त हुए हैं। पत्रों के प्राप्त होने के पूर्व ही अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित कर दिया गया था। अतः उन पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी।

श्री छदामालाल निवासी फिरोजाबाद, आगरा के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

135–श्री जनार्दन प्रसाद झिंझा तथा श्री रामगोविन्द–

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री छदामालाल, रामलीला मैदान, फिरोजाबाद (आगरा) का कोई शिकायती पत्र दिनांक 14-1-84 जो डी0 आई0 जी0, आगरा को संबोधित है जिसमें शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र श्री सुनहरी लाल की हत्या का आरोप थानाध्यक्ष खेरागढ़ पर लगाया है, डी0 आई0 जी0, आगरा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या इस आरोप की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच की जा रही है, जो अभी प्रचलित है।

सिकन्दराबाद बुलन्दशहर के श्री हीरालाल सिंघल के घर पर डकैती तथा हत्या

136–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बुलन्दशहर के थाना सिकन्दराबाद में दिनांक 2-1-84 को कोई भीषण डकैती स्व0 श्री हीरालाल सिंघल के मकान में हुई जिसमें श्री हीरालाल तथा श्री अनिल कुमार दो व्यक्तियों की मौके पर हत्या कर दी गई? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 2-1-1984 की रात्रि लगभग 2 बजे कुछ अपराधी श्री हीरालाल, निवासी मोहल्ला झारखण्डी, कस्बा सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के घर डकैती डाल रहे थे। श्री हीरालाल व उनके पुत्र श्री अनिल कुमार के शोर करने पर अपराधियों ने उन पर गोलियां चला दी जिसके फलस्वरूप इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। गोलियों की आवाज सुनकर थाना सिकन्दराबाद की पुलिस मौके पर पहुंची तथा डकैतों एवं पुलिस के मध्य गोलियों का आदान-प्रदान हुआ। जिसके फलस्वरूप एक पुलिस उप निरीक्षक तथा जनता का एक व्यक्ति घायल हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दराबाद पर अपराध अन्तर्गत धारा 396 भा0दं0वि0 पंजीकृत करके विवेचना की गयी। जांच के दौरान 16 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 5 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं, एक डकैत पुलिस मठभेड में मारा जा चुका है तथा शेष 10 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी है।

मत्स्य अधिशासी/सहायक मत्स्य अधिशासी अधिकारी के पदों के चयन में अनियमितता

137–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 29 जनवरी, 1984 को हुए उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम में अधिशासी अधिकारी, सहायक मत्स्य अधिकारी पद के लिए साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के नाम विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों से मंगाये थे? क्या यह सही है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों

को भी साक्षात्कार के लिये बुलाया गया जिनके नाम सेवायोजन कार्यालयों में दर्ज ही नहीं थे? यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया?

श्री संजय सिंह–

दिनांक 29 जनवरी, 1984 को उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम में मत्स्य अधिशासी/सहायक मत्स्य अधिशासी के पदों के साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के नामों की सूची विभिन्न जिला सेवायोजन कार्यालयों से मंगायी गयी थी। इन्हीं पदों हेतु वांछित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र समय-समय पर निगम में सीधे भी प्राप्त होते रहते हैं। अतः सेवायोजन कार्यालयों से प्राप्त सूची के अतिरिक्त इन अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया था जो वांछित अर्हता रखते थे एवं सीधे अपना आवेदन पत्र भेजा था। यह प्रक्रिया नियमानुसार है।

138–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या पशुधन मंत्री को ज्ञात है कि साक्षात्कार पत्र में यह लिखा गया था कि साक्षात्कार 29-1-84 को होगा तो फिर 30-1-84 को बिना पूर्व सूचना के लिखित परीक्षा क्यों की गयी? क्या यह भी सही है कि 29-1-84 को उपस्थित अभ्यर्थियों में से 50 प्रतिशत की छटनी में कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त (डाक्टरेट उपाधि) अभ्यर्थियों की छटनी कर दी गयी? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या सरकार इस साक्षात्कार तथा परीक्षा को रद्द कर पुनः सही ढंग से पदों हेतु चयन करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह–

साक्षात्कार पत्र में लिखा गया था कि साक्षात्कार दिनांक 29-1-84 को होगा। तदनुसार उस तिथि को मत्स्य प्रजनन के कार्य सम्बन्धी तकनीकी एवं प्रयोगिक ज्ञान की परीक्षा मत्स्य प्रक्षेत्र कठौताताल पर ली गयी। प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या के कारण उस परीक्षा में पर्याप्त समय लग गया अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया कि उसी विषय पर एक लिखित परीक्षा भी दिनांक 30-1-84 को ली जाय एवं तदनुसार सभी अभ्यर्थियों की उसी दिन इसके पूर्व सूचना दी दी गयी। चूंकि मत्स्य अधिशासी/सहायक मत्स्य अधिशासी के पद का कार्य क्षेत्र फील्ड वर्क से सम्बन्धित है जिसमें विशेष तौर से मत्स्य बीज उत्पादन से संम्बन्धित कार्य है अतः जो अभ्यर्थी प्रैक्टिकल परीक्षा में सफल हुये उन्हीं को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया गया। चूंकि सम्बन्धित पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता बी0 एस-सी0 है अतः डाक्टरेट उपाधि वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

समस्त चयन निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के नियमानुसार ही निगम के हितों को देखते हुये केवल प्रतियोगिता के आधार पर ही सम्पादित किया गया है।

सा0 नि0 वि0, निर्माण खण्ड, कानपुर के सहायक अभियंता श्री एन0 पी0 गुप्ता के विरुद्ध शिकायतों की जांच

139–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0, निर्माण खण्ड, कानपुर के सहायक अभियन्ता श्री एन0 पी0 गुप्ता के भ्रष्टाचार के संबंध में कानपुर के संसद सदस्य, दो विधायक एवं केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री के पत्र दिनांक 26-12-83, 22-1-84 व 24-12-83 के प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण–

जी हां ।

प्रश्नगत सहायक अभियन्ता के विरुद्ध श्री राम सिंह अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा जांच प्रगति पर है ।

प्रोजेक्ट मैनेजर, राजकीय निर्माण निगम, इकाई-5 के विरुद्ध बर्ज चोरी की रिपोर्ट

140–श्री सूबेदार सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 12 मई, 1981 को थाना हजरतगंज, लखनऊ में प्रोजेक्ट मैनेजर, राजकीय निर्माण निगम इकाई-5, लखनऊ के खिलाफ कोई रिपोर्ट जिसमें दुर्लभ ग्रंथ (उर्दू रामायण एवं सुदामा चरित्र) और लगभग दस हजार का घरेलू सामान उठा ले जाने का आरोप था, लिखाई गई थी? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां ।

इस संबंध में थाना हजरतगंज पर मु0 अ0 सं0 775 धारा 448/380 भा0दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था । विवेचना के उपरान्त इस मामले में दिनांक 3-6-81 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (मुख्यालय) में सूचना अधिकारी/अनुवादक के पदों में आरक्षण कोटा पूरा किये जाने की मांग

141–श्री यमुना प्रसाद–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूचना जन सम्पर्क विभाग (मुख्यालय) में सूचना अधिकारी/अनुवादक के पदों की संख्या क्या है और क्या उनमें आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं तो क्यों ? कोटा कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (मुख्यालय) में सूचना अधिकारियों के 33 पद तथा अनुवादकों के 19 पद हैं। इन में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है, क्योंकि यह कोटा पूरा किये जाने की कार्यवाही नियमित चयनों के माध्यम से अभी सम्पन्न नहीं कराई जा सकी है। आगामी नियमित चयनों में आरक्षण कोटा, नियमानुसार, यथासमय पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान ग्रामसभा मीरापुर, बिजनौर की हत्या एवं कृत कार्यवाही

142–श्री थम्मन सिंह गहलौत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम सभा मीरापुर, थाना अफजलगढ़, जिला बिजनौर की हत्या की जांच की मांग संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र के उत्तर में आपके कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र सं0 एम0 9841/सी0 एम0–2/83 दिनांक 16-11-83 के संबंध में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार श्री राजेन्द्र सिंह नेगी की हत्या के संबंध में अपराध थाना कोटद्वार में पंजीकृत हुआ है जिसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक अभियुक्त न्यायालय में आत्म समर्पण कर चुका है । अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने व उक्त क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में स्थानीय पुलिस को निर्देश दिये जा चुके है ।"

डी0 एल0 ओ0 एटा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

143—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या पशुधन विकास मंत्री को ज्ञात है कि कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने निरीक्षण वर्ष 1983 में डी0 एल0 ओ0 एटा को कर्तव्यहीनता, अक्षमता तथा लापरवाही आदि के लिए दोषी पाया है? यदि हां, तो इस अधिकारी के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री संजय सिंह—

कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने निरीक्षण (नवम्बर, 1983) में वीर्य संग्रह केन्द्र, एटा तथा बरबरी बकरी प्रक्षेत्र, एटा के कार्य-कलापों के प्रति असन्तोष प्रकट किया था और वर्तमान तथा पहले के अधिकारियों द्वारा दिखायी गयी ढिलाई के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तद्नुसार उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

भदोही, वाराणसी में बन रहे बाई पास को शीघ्र पूरा कराये जाने की मांग

144—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर-औराई मार्ग के लिए भदोही में जो बाई-पास बनाया जा रहा है वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा? क्या सरकार बाई-पास का निर्माण वर्षा पूर्व कराने का आदेश देंगी?

श्री विद्या भूषण—

धन उपलब्ध होने पर मार्च, 1985 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। वर्षा के पूर्व उसे पूर्ण करना सम्भव नहीं है।

145—श्री ऊदल—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

44वां वृत्त, सा0 नि0 वि0 वाराणसी में प्रतीक्षा सूची के अभ्यार्थियों को नियुक्त न किये जाने की शिकायत

146—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन0 एन0 सिनहा, अधीक्षण अभियन्ता, 44वां वृत्त, सा0 नि0 वि0, वाराणसी ने 15-7-81 को नियुक्तियों हेतु एक प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों की बनायी है, जिसमें कैसरअली, अनिल कुमार, जीवन शंकर, उद्योग नरायन, तेज-बहादुर, बच्चे लाल, जगन्नाथ प्रसाद, मिट्ठू राम का नाम है? यदि हां तो आवश्यकता पड़ने पर प्रतीक्षा सूची के लोगों को न रखने का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

जांच कराई जा रही है।

नई बाजार, वाराणसी की सड़क को ऊंचा उठाने की मांग

147—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क जो नई बाजार तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के कस्बे में जाती है वह नीची एवं नाली न होने की वजह से कीचड़ व गंदे पानी से डूबी हुई रहती है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसको तुरन्त ऊंचा करने व नाली के किनारे बनवाने की व्यवस्था करेगी?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

हमीरपुर के ब्लाक कुरारा के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने की मांग

148—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हमीरपुर के ब्लाक कुरारा के अन्तर्गत ग्राम शेखूपुर से ग्राम सिवनी के निकट कुरारा-भनकी मार्ग से बम्बा रोड को ग्राम बघरौली, विलौटा और बरुवा को जोड़ने के लिए पक्का बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

149-150—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

मखदूमपुर—गंज मंडी, सुल्तानपुर तक पक्की सड़क के निर्माण की मांग

151—श्री सन्तबख्श रावत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मखदूमपुर, बाहरपुर, बलापुर, रुस्तमगढ़, पुरबाबू बहादुर रथ तथा रसूलपुर—परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर से जाकर गंज मंडी तक वाहनों के आवागमन हेतु कोई सीधी सड़क नहीं है? यदि हां, तो क्या शासन उक्त सड़क बनवाने पर विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

निचलौल डिपो में कार्यरत दैनिक मजदूरों को कम भुगतान किये जाने की शिकायत

152—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निचलौल डिपो में कार्यरत चौकीदार, स्केलर, सहायक स्केलर पदों पर (दैनिक मजदूरी रूप में) कुछ लोगों को कार्य करने व उस योग्य मजदूरी पाने पर वहां के अधिकारी ने निचले पद पर प्रत्यावर्तित कर के कम भुगतान करवा रहा है जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 18-1-84 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं। जनपद गोरखपुर के निचलौल डिपो में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत चौकीदार, स्केलर, फील्ड सहायकों को निर्धारित दरों के अनुसार ही मजदूरी दी जा रही है। दैनिक मजदूरी पर रखे गये इन कार्मिकों को न तो प्रत्यावर्तित किया गया और न कम भुगतान ही किया जा रहा है।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-1-84 प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यालय में दिनांक 3-2-84 को प्राप्त हुआ है। जांचोपरान्त यह पाया गया कि सर्वश्री राम प्रसाद व राम शवद दैनिक मजदूरी पर चौकीदार के पद पर रक्खे गये हैं। उन्हें न तो कोई पदोन्नति दी गयी है और न तो उनका प्रत्यावर्तन ही किया गया है। इन कार्मिकों को डिपो में चौकीदारी करने के लिए निर्धारित मासिक मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

गाजीपुर जनपद में बकाया विद्युत देय

153—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में 13-2-84 तक विगत 5 वर्षों तक का सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों के जिम्मे विद्युत बिल के भुगतान का कितना रुपया बाकी है तथा सरकार द्वारा इसकी वसूली के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जैन कालेज सहारनपुर से अहमदपुर मार्ग [illegible] की मांग

154—श्री रामस्वरूप निम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैन कालेज सहारनपुर से रामनगर, मल्हीपुर, सुडौली, हरिया, अहमदपुर सड़क पर वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में निर्माण कार्य किया गया है? यदि हां, तो निर्माण कार्य जिसमें मिट्टी का कार्य किया गया है एक फर्लांग मिट्टी डालकर एक फर्लांग छोड़कर, फिर मिट्टी डालकर कार्य किया गया है जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है? जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सड़क के शेष काम को कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

155—श्री सन्तबख्श रावत—

[दिनांक 28-2-84 को अतारांकित संख्या—93 द्वारा उत्तरित।]

रसूलपुर व मगरौरा, सुल्तानपुर में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्य

156—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर वि0 खण्ड शुकुल बाजार व ग्राम मगरौरा, वि0 खं0 जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1982-83 में क्या कार्य किया गया तथा वित्तीय वर्ष 83-84 में कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 154 पर।)

श्री राम प्रसाद गुप्त बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि के बीच नियुक्त आर्बीट्रेटर के निर्णय के अनुपालन की मांग

157—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम प्रकाश गुप्त बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि के बीच आर्बीट्रेशन के लिए नियुक्त आर्बीट्रेटर अधीक्षण अभियन्ता 21वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीतापुर ने जो अपना अन्तरिम निर्णय 24 अगस्त, 83 को दिया है उसका अनुपालन अभी तक अधिशासी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 (राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, सीतापुर) द्वारा न करने का क्या कारण है?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मामले में आर्बीट्रेशन के लिए नियुक्त आरबीट्रेटर अधीक्षण अभियन्ता, 21वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीतापुर ने अपना अंतरिम निर्णय दिनांक 24-8-83 को दिया जिसे उनके द्वारा सिविल जज, सीतापुर के पास "रूल आफ दि कोर्ट" बनाए जाने हेतु भेज दिया। न्यायालय का निर्णय अपेक्षित है।

158—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—77 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

उपनिदेशक मत्स्य पालन, बलिया का कार्यकाल तथा मत्स्य पालन पर हुआ व्यय

159—श्री उदल—

क्या पशुधन मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि उपनिदेशक मत्स्य पालन बलिया को कितने वर्ष बलिया

में हो गया और प्रत्येक वर्षों में कितना रुपया मत्स्य पालन हेतु दिया गया और प्रत्येक वर्षों में अलग-अलग किन-किन मदों पर कितना व्यय किया गया और प्रत्येक वर्षों में कितने मछली के बच्चे छोड़े गए और लाभ क्या रहा ?

श्री संजय सिंह–

बलिया जनपद में उप निदेशक मत्स्य का कोई पद नहीं है । बलिया जनपद में विश्व बैंक पोषित मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना हो जाने के कारण वहां स्थापित सहायक निदेशक मत्स्य, बलिया का कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया । वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, बलिया पूर्व में सहायक निदेशक मत्स्य, बलिया के पद पर तैनात थे, सहायक निदेशक मत्स्य का कार्यालय स्थानान्तरित हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 5-1-1982 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण के पद पर प्रतिनियुक्ति किया गया है ।

मत्स्य अंगुलिकाओं के वितरण का लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	लक्ष्य (लाखों में)	प्राप्ति (लाखों में)
1981–82	17.50	16.75
1982–83	19.70	19.85
1983–84	21.65	21.41 (दिसम्बर, 83 तक)

मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य

वर्ष	लक्ष्य (क्विंटल में)	उत्पादन (क्विंटल में)
1981–82	5	17.50
1982–83	5	7.50
1983–84	5	3.50 (दिसम्बर, 83 तक)

मत्स्य पालक विकास अभिकरण को स्वीकृत बजट

वर्ष	बजट	व्यय (हजार रु0 में)
1981–82	150.00	37.297
1982–83	215.00	346.295
1983–84	640.00	198.799
	योग...1005.00	582.391 (दिसम्बर, 83 तक)

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत जो योजना चलाई जा रही है उसके अनुसार ग्राम समाज के तालाबों का पट्टा दिलवाना तथा निजी मत्स्य पालकों के तालाबों को सुधरवा कर उसमें अंगुलिकायें छोड़ने के लक्ष्य हैं। इस हेतु प्रति वर्ष जलक्षेत्र का सुधार किया जाता है । जलक्षेत्र का सुधार तभी संभव हो सकता है जबकि ग्राम समाज के तालाबों का पट्टा मत्स्य पालकों के नाम हो जाय । ग्राम समाज के अपेक्षित सहयोग प्राप्त न होने के कारण लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा पड़ी और बजट का उपयोग शत-प्रतिशत नहीं हो पाया ।

कानपुर देहात के मकनपुर में ईसन नदी पर पुल बनाने की मांग

160—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) की तहसील बिल्हौर से संबंधित गांव मकनपुर स्वीकृति के अनुसार वर्तमान शासन में ईसन नदी पर पुल बनाने की पूर्व द्वारा भी स्वीकृति दी जा चुकी है? यदि हां, तो पुल बनाने का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा और पुल कब तक बना दिया जायगा ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत पुल स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ में श्री आर0 डी0 दीक्षित की वरिष्ठ व्याख्याता टी0 बी0 के पद पर नियुक्ति

161—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 डी0 दीक्षित प्रवक्ता फिजिक्स का स्थानान्तरण रद्द करके राजकीय महिला पालीटेकनिक लखनऊ में उन्हें वरिष्ठ व्याख्याता टी0 बी0 (पोस्ट डिप्लोमा) के अन्तर्गत के पद पर किया है जबकि पोस्ट डिप्लोमा टी0 बी0 कोर्स राजकीय महिला पालीटेकनिक लखनऊ से गत वर्ष 1983 में ही समाप्त हो चुका है इनकी नियुक्ति करके शासन पर अनावश्यक व्यय लादने का क्या कारण है?

श्री सुनील शास्त्री—

राजकीय महिला पालीटेकनिक लखनऊ में टी0 बी0 (पोस्ट डिप्लोमा) का पाठ्यक्रम गत वर्ष 1983 में समाप्त करके संस्था के इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस एवं मैटीरियल का एक विशेष पेपर प्रारम्भ किया गया। श्री आर0 डी0 दीक्षित को वरिष्ठ व्याख्याता (टी0 बी0) के पद के विरुद्ध उक्त नये पाठ्यक्रम को पढ़ाने हेतु राजकीय महिला पालीटेकनिक लखनऊ में स्थानान्तरण रद्द करके नियुक्ति प्रदान की गयी। इसके अलावा श्री दीक्षित से द्वितीय वर्ष इलेक्ट्रानिक्स के सर्किट इनालिसिस विषय एवं तृतीय वर्ष के बेसिक कम्प्यूटर टेकनिक विषय के पढ़ाने का कार्य भी लिया जा रहा है। श्री दीक्षित को उनके व्याख्याता के पद का वेतन ही भुगतान किया जा रहा है। अतः शासन पर अनावश्यक व्यय लादने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपनिदेशक (प्रबन्ध) सार्वजनिक उद्यम विभाग को दिया गया हाउस एडवान्स

162—श्री धनीराम वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक (प्रबन्ध) सार्वजनिक उद्यम विभाग के पद पर कार्यरत अधिकारी को दो बार मकान बनवाने हेतु एडवान्स दिया गया? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी ने निर्धारित समय के अन्दर एडवान्स धनराशि का उपभोग करने के सबूत संबंधित विभाग को दे दिये हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

द्वितीय एडवान्स की प्रथम किश्त के उपभोग करने के सबूत दिनांक 19-11-83 को दे दिये हैं।

मथुरा में श्री बदन सिंह से प्राप्त अवैध आग्नेयास्त्र

163—श्री धनीराम वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 9 मार्च, 83 को मथुरा शहर के मोहल्ला कृष्णानगर में अवैध आग्नेयास्त्रों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया और उसकी तहत बदन सिंह नामक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9-3-83 को उपनिरीक्षक श्री गंगाराम सोन को ग्राम भर्नाकला में सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी जो सड़क के रास्ते नहर की ओर जा रहा है, के पास बोरी में नाजायज हथियारों का जखीरा है । इस सूचना पर उप निरीक्षक एक कान्सटेबिल के साथ उक्त आदमी की तलाशी एवं गिरफ्तारी के संबंध में पुल पर पहुंचे तो मुल्जिम भागने लगा, जिसे इन पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया । तलासी लिए जाने पर मुल्जिम बदन सिंह उर्फ बदनी पुत्र बेदरिया, निवासी बेरी, थाना फरह, हाल निवासी संजय-नगर, चौकी कृष्णानगर, थाना कोतवाली मथुरा के कब्जे से एक इकनाली बंदूक मय 5 कारतूस बरामद हुए । मुल्जिम से पूछताछ व उसकी निशानदेही पर ग्राम सहार की नहर कोठी के मलवे में दबी हुई तीन इकनाली बंदूकें मय 14 कारतूस व एक बंदूक 303 बोर बरामद हुई ।

इस संबंध में थाना बरसाना, जनपद मथुरा पर पंजीकृत किए गये अ0 सं0 23 व 24, अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट के दोनों अभियोगों में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं, जो विचाराधीन न्यायालय हैं ।

श्री मूल चन्द्र वर्मा निवासी पुरवा पट्टी, इटावा की हत्या

164—श्री धनीराम वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद के थाना विधूना के ग्राम पुरवा पट्टी के निवासी मूल चन्द्र वर्मा प्रधानाचार्य के घर पर दिनांक 5-10-80 को डकैती पड़ी थी और डकैत माल लूटने के साथ ही साथ गांव की एक मात्र श्री वर्मा की लायसेंसी बन्दूक भी ले गये थे और मूल चन्द्र वर्मा सहित गांव के कई लोगों ने जान माल की रक्षार्थ असलहा प्राप्त करने हेतु 5-10-80 और 5-6-81 के बीच प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को प्रेषित किये थे परन्तु असलहा नहीं दिये गये ? क्या यह भी सही है कि डकैतों ने सबूत नष्ट करने की गरज से 5-6-81 को श्री मूल चन्द्र वर्मा के मकान पर पुनः धावा बोला और उनकी हत्या कर दी परन्तु बदमाश आज तक नहीं पकड़े गये ? क्या ग्रामवासियों ने 5-6-81 से पुनः आत्मरक्षार्थ असलहा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिये हैं? यदि हां, तो क्या उन्हें लायसेंस प्रदान किये गये हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम पुरवा पट्टी जिला इटावा निवासी श्री पाल वर्मा ने दिनांक 5/6-10-80 की रात्रि में 3 नामांकित व कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपने यहां डकैती डालने तथा अन्य सामान के साथ लाइसेंसी बंदूक भी उठा ले जाने की सूचना थाना विधूना पर दि0 6-10-80 को दी जिसके आधार पर धारा 395/397 भा0 द0 वि0 के अधीन अपराध पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त 7 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा गया जो न्यायालय में विचाराधीन है । लूटी गयी बन्दूक व कुछ सामान बरामद किया गया है ।

दिनांक 5-6-81 को उक्त वादी ने ही थाना विधूना पर सूचना दी कि दिनांक 4/5-6-81 की रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर पर धावा बोला और उनके भाई श्री मूल चन्द्र वर्मा की हत्या कर दी । इस सूचना के आधार पर धारा 302/307 भा0 द0 वि0 के अधीन एक अपराध अंकित कर विवेचना की गई परन्तु अभियुक्तों का पता न लग पाने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त की गयी ।

प्रश्न में उल्लिखित आयुध लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्रों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है । मृतक लाइसेंसी के अतिरिक्त गांव के दो अन्य व्यक्तियों के पास आयुध लाइसेंस पहले से ही हैं ।

नौगवां, इटावा के श्री हरिप्रसाद आदि हरिजनों का सवर्णों द्वारा उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायती पत्र

165–श्री धनीराम वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद के थाना दिवियापुर के ग्राम नौगवां के हरि प्रसाद आदि हरिजनों ने उन्हें सवर्णों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में 23-6-81 एवं 4-2-83 को उन्हें प्रार्थना पत्र दिये हैं, जिनके आधार पर सी0 आई0 डी0 तथा हरिजन सेल द्वारा 4-8-81 एवं 12-1-83 को जांच भी की गई है? यदि हां, तो जांच में यह पाया गया कि ग्राम नौगवां के हरिजनों को वहां के सवर्ण प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस उन्हें संरक्षण दिये हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार हरिजनों को संरक्षण देने के लिये जांच के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत ग्राम के हरिजनों ने सवर्णों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में दो प्रार्थना पत्र दिए जिनकी जांच (विशेष जांच प्रकोष्ठ हरिजन सेल) द्वारा की गई।

जांच से सवर्णों द्वारा हरिजनों को उत्पीड़ित करने एवं उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने के आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। दिनांक 23-6-81 को श्री हरिप्रसाद आदि की रिपोर्ट न लिखे जाने के लिए तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध दुश्चरित्र लेखा दिए जाने की संस्तुति कर दी गई है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को हरिजनों के उत्पीड़न की रोक थाम के लिये प्रभावी कार्यवाही करने एवं उनकी कठिनाईयों के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश दे दिए गये हैं। हरिजनों की सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था हेतु एक सशस्त्र आर्म्ड पुलिस गार्द दिनांक 12-8-82 से लगातार ग्राम नौगवां थाना दिवियापुर में नियुक्त है।

अहिमापुर थाना सैंना में पुलिस एवं डाकुओं की कथित मुठभेड़ की जांच की मांग

166–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-1-84 की रात में गांव अहिमापुर थाना सैंना की पुलिस एवं डाकुओं के मुठभेड़ में देवीदीन नायक कथित डाकू की मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो और कितने डाकू अंधेरे का फायदा उठा कर भाग गये?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित पुलिस एवं डाकुओं की मुठभेड़ में देवीदीन नामक डाकू की मृत्यु हुई और 4-5 डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए।

167—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाकुओं द्वारा चलायी गयी गोली कितने पुलिस वालों को लगी है। क्या उनका डाक्टरी मुआयना कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

डाकुओं द्वारा चलायी गयी गोली से थानाध्यक्ष सैनी घायल हुए जिनका डाक्टरी मुआइना कराया गया है। मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

168—श्री ऊदल—

[दिनांक 28-2-84 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 द्वारा उत्तरित]

सई नदी में जलालपुर, जौनपुर के पुल को खोले जाने की मांग

169—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सई नदी में जलालपुर, जिला जौनपुर के वाराणसी जौनपुर रोड के पुल पर 8 माह से लदे हुए ट्रकों को आने जाने से रोक दिया गया है? यदि हां, तो उक्त पुल का टैक्निकल जांच अब तक नहीं कराया गया है क्या यह सही है कि उक्त पुल में खराबी नहीं है और ट्रकों को जलालपुर चौराहे से रोक दिया जाता है जिससे माल पहुंचाने में दिक्कत हो रही है? क्या सरकार इस पुल को तुरन्त खोलने पर विचार करेगी?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

जी नहीं, पुल की तकनीकी जांच करा ली गयी है।

जी नहीं, गत वर्ष बाढ़ में यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे यह भारी यातायात योग्य नहीं रह गया है। इस कारण भारी ट्रकों को जलालपुर चौराहे पर रोका नहीं जाता वरन् उन्हें आगे जाने हेतु डाईवर्ट कर दिया जाता है। अतः माल पहुंचाने में दिक्कत नहीं हो रही है।

जी हां। पुल की विशेष मरम्मत का कार्य तीव्र प्रगति पर है तथा मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाने पर उसे यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।

ग्राम पगरा, हमीरपुर का श्रमधन मार्ग सा0 नि0 विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही

170—श्री प्रताप नारायन द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत ग्राम पगरा का श्रमधन मार्ग, जो सन् 1953-54 में बना था, को अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका अविलम्ब हस्तान्तरण विभाग को करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुरारा से मनकौ, हमीरपुर मार्ग पर पड़ने वाले नालों पर पुलिया बनाने की मांग

171—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत कुरारा से मनकौ पक्के मार्ग के मध्य वाले नालों पर पुलिया बनाने के लिये धन का आवंटन न करने का क्या कारण है? कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा और पुलिया कब तक बना दी जावेगी?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई के लिये तीन हार्स पावर के पम्प सेटों पर लगायी गयी रोक

172–श्री निर्मल खत्री–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा किसानों पर सिंचाई के लिये तीन हार्स पावर के पम्प सेटों को लगाने पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किसानों की सिंचाई के लिए तीन हार्स पावर के पम्प सेटों के लगाने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है।

173–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ में पंजीकृत बेरोजगार

174–श्री पंचानन राय–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सेवायोजन कार्यालय में 31 अक्टूबर, 80 को कितने बेरोजगार किस-किस श्रेणी के पंजीकृत थे तथा 31 अक्टूबर, 83 को कितने बेरोजगार किस-किस श्रेणी के पंजीकृत हैं? इस अवधि में किस-किस श्रेणी के कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुआ?

श्री सुनील शास्त्री–

आजमगढ़ जनपद के सेवायोजन कार्यालय में 31 अक्टूबर, 1980 को 5925 हाई स्कूल पास, 9107 इंटरमीडिएट पास, 3360 स्नातक, 231 स्नातकोत्तर तथा 4790 अशिक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

31 अक्टूबर, 1983 को उक्त कार्यालय में 6130 हाई स्कूल पास, 10232 इंटरमीडिएट पास, 6310 स्नातक, 469 स्नातकोत्तर तथा 11997 अशिक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

अक्टूबर, 80 से अक्टूबर, 83 तक उपरोक्त कार्यालय द्वारा 58 हाई स्कूल पास, 244 इण्टरमीडिएट पास, 89 स्नातक, 47 स्नातकोत्तर तथा 153 अशिक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

श्री डी0 सी0 डी0 भार्गव, ए0 डी0 एम0 सिविल सप्लाई, अलीगढ़ के मकान की लागत

175–श्री राम स्वरूप निम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी0 सी0 डी0 भार्गव, ए0 डी0 एम0 सिविल सप्लाई, अलीगढ़ ने 6 लाख रुपए की लागत लगाकर आगरा-कमलानगर मेन रोड पर कोई मकान बनाया है? यदि हां, तो यह रुपया किस मद से लगाया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

श्री डी0 सी0 डी0 भार्गव, अतिरिक्त जिलाधिकारी (सिविल सप्लाईज), अलीगढ़ ने कमलानगर, आगरा में एक मकान बनवाया है जिसकी लागत मूल्य अप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार मात्र रु0 1,61,000 है। प्राप्त सूचना के अनुसार यह धनराशि श्री भार्गव ने विभिन्न स्रोतों, जिनमें जीवन बीमा निगम से ऋण, न्यायालय से अपनी मां के पक्ष में हुई डिग्री की धनराशि, निकट सम्बन्धियों से बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त धनराशि तथा अपनी निजी बचत सम्मिलित है, से प्राप्त की है।

संडीला चकलवंसी मार्ग का शेष कार्य पूरा कराये जाने की मांग

176–श्री भीखालाल–

क्या प्रथम सत्र 1980 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्डीला-रसूलाबाद, चकलवन्सी मार्ग का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण कब स्वीकृत किया गया था और इस 23 कि0मी0 मार्ग का कितना हिस्सा अब तक पूर्ण हो चुका है और शेष कब तक पूर्ण हो जायगा तथा वित्तीय वर्ष 1983-84 में कितने कि0मी0 मार्ग पूरा किया जायगा और उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

श्री विद्या भूषण–

संडीला-रसूलाबाद-चकलवंसी मार्ग के कि0मी0 14 से 36 तक 23 कि0मी0 लम्बाई के आधुनिकीकरण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 25-9-79 के द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त 23 कि0मी0 में से 1-4-83 को 10 कि0मी0 पूर्ण हो चुका है ।शेष 13 कि0 मी0 में से 8 कि0मी0 वित्तीय वर्ष 83-84 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष 5 कि0मी0 मार्ग आगामी वित्तीय वर्ष 1984-85 में धन उपलब्ध होने पर पूर्ण किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 1983-84 में इस कार्य के लिये 4.50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है।

जनपद फर्रुखाबाद में गंगा नदी पर फेरी का ठेका न दिये जाने से हानि

177–श्री हरीशंकर–

क्या सा0 नि0 विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में राजघाट फेरी गंगा नदी पर कनौज विभाग द्वारा कितने समय से चलायी जा रही है? इससे शासन को कितनी आय प्रतिवर्ष होती है? ठेकेदार द्वारा फेरी चलाने में प्रतिवर्ष क्या आय थी? क्या ठेके पर देने से आय अधिक थी? यदि हां, तो ठेका न देने से हानि का उत्तरदायी कौन है?

श्री विद्या भूषण–

प्रश्नगत फेरी दिनांक 18-6-82 से 3-3-84 तक विभाग द्वारा चलायी गई। फेरी के विभागीय संचालन की अवधि में शासन को आय लगभग रु0 31,000/- प्रतिवर्ष और वसूली में व्यय लगभग रु0 32,000/-प्रतिवर्ष हुआ।

दिनांक 16-6-79 से दिनांक 15-6-82 तक के विगत पट्टे की अवधि में ठेकेदार द्वारा फेरी चलाने में रु0 32,000/- प्रतिवर्ष की आय थी ।

जी हां।

प्रश्नगत फेरी को दिनांक 4-3-84 से रु0 43,500/-प्रतिवर्ष की दर से ठेके पर दे दिया गया है। उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी की जा रही है।

देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर कुर्ना नाले पर क्षतिग्रस्त पुल के ठीक कराने की मांग

178–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर कुर्ना नाले का पुल वर्ष 1980-81 में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो आज तक उक्त मार्ग ठीक न करने का कारण क्या है?

श्री विद्या भूषण–

जी हां।

उक्त पुल को बनवाने का कार्य राज्य सेतु निगम द्वारा आरम्भ कर दिया गया है। विलम्ब के कारणों की छानबीन की जा रही है।

179–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

[दिनांक 13-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-138 द्वारा उत्तरित]

प्रदेशीय मंत्रियों के महाराज गंज तहसील गोरखपुर के दौरों का विवरण

180–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 10 दिसम्बर, 1983 से 22 दिसम्बर, 83 तक प्रदेश मंत्रि परिषद् के कितने सदस्यों ने गोरखपुर जिले की महाराज गंज तहसील का दौरा किया ?उनके दौरे का विवरण क्या है एवं इन लोगों पर विभिन्न मदों में कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री श्रीपति मिश्र–

दिनांक 10-12-1983 से 22-12-83 तक के दौरान मुख्य मंत्री व 6 अन्य मंत्रियों ने गोरखपुर जिले की महाराज गंज तहसील की यात्रायें की थीं। 6 मंत्रियों की यात्रायें निजी व अशासकीय थीं । मुख्य मंत्री ने महाराज गंज तहसील का दौरा हेलीकाप्टर द्वारा किया । इस यात्रा पर रुपये 826.00 ईंधन पर व्यय हुआ।

181–श्री मित्रसेन–

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री दिवाकर त्रिपाठी ए0डी0एम0 सिविल सप्लाई, लखनऊ के लखनऊ में निर्धारित अवधि से अधिक रहने तथा मामलों के निस्तारण में विलम्ब की शिकायत

182–श्री रामस्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दिवाकर त्रिपाठी ए0डी0एम0 सिविल सप्लाईज 9 वर्ष से लखनऊ में ही नियुक्त है? यदि हां, तो तीन साल से अधिक एक ही जगह रखने का कारण क्या है? क्या यह भी सही है कि श्री दिवाकर त्रिपाठी के यहां रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के मामले निर्धारित समय के अन्दर निर्णीत न होने के कारण इनके यहां तत्सम्बन्धी मामलों का अम्बार लगा हुआ है? यदि हां, तो इनका तत्सम्बन्धी मामलों को डिस्पोजल 1 जनवरी, 1983 से 30 जून, 1983 तक प्रतिदिन कितना रहा?

श्री श्रीपति मिश्र–

श्री दिवाकर त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति), लखनऊ, लखनऊ जनपद में विभिन्न पदों पर अप्रैल, 1976 से नियुक्त है । वह अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) के पद पर दिनांक 17-1-1980 से जनहित में कार्यरत है । यह सही नहीं है कि श्री दिवाकर त्रिपाठी के न्यायालय में रेन्ट कण्ट्रोल एक्ट के मामलों का अम्बार लगा हुआ है । 31-12-1982 को श्री त्रिपाठी के न्यायालय में 228 वाद लम्बित थे । दिनांक 1-1-1983 से 30-6-1983 तक की अवधि में 83 वाद उनके न्यायालय में दाखिल किये गये । इस प्रकार निस्तारण हेतु कुल वादों की संख्या–311 थी जिनमें से इस अवधि में 75 वाद निस्तारित किये गये है और दिनांक 1-7-1983 को लम्बित वादों की संख्या–236 रही । श्री त्रिपाठी रेन्ट कण्ट्रोल एक्ट के मामले सप्ताह में 3 दिन करते है । सप्ताह के शेष दिनों में वह आपूर्ति सम्बन्धी अन्य कार्यों का निष्पादन करते है । इस अवधि में न्यायालय कार्य दिवसों की संख्या–57 थी तथा उनका प्रतिदिन का डिस्पोजल 1-3 रहा ।

उपाध्यक्ष पद के संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

मैं एक घोषणा करना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि कल सदन में मैंने यह घोषित किया था कि दिनांक 16 अप्रैल, 1984 को उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा । दिनांक 16 अप्रैल, 1984 को सोमवार है और चूंकि नियम 9 (2) के अन्तर्गत

नाम-निर्देशन-पत्र एक दिन पूर्व दाखिल किया जाता है, और चूंकि 15 अप्रैल, 1984 को रविवार है, और दिनांक 14-4-1984 को शनिवार होने के कारण सदन की बैठक न होगी । अत: पूर्व घोषणा में संशोधन करते हुये मैं दिनांक 17 अप्रैल, 1984, मंगलवार की तिथि उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्धारित करता हूं ।

अब नाम-निर्देशन-पत्र दिनांक 16-4-1984 को मध्याह्न 12 बजे के पूर्व सचिव विधान सभा को दिये जा सकते हैं ।

जांचकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्त्ता सदस्य से सम्पर्क स्थापित न किये जाने के संबंध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा कतिपय अन्य सदस्यों ने दिनांक 20 मार्च, 1984 को सदन में एक प्रश्न उठाया था जिसमें उनका कहना था कि अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर यह निर्देश दिये जाते रहे हैं कि यदि कोई विधायक किसी मामले में शिकायत करते हुये उस मामले की जांच की मांग करता है तो जांच-कर्ता अधिकारी के लिये यह आवश्यक होना चाहिए कि वह शिकायत कर्ता सदस्य से सम्पर्क स्थापित करें और उसके उपरान्त ही जांच पूरी की जाय किन्तु शासन द्वारा इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

श्री ओझा का कथन सत्य है कि अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्थायें समय-समय पर दी जाती रही हैं कि ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता सदस्य से भी सम्पर्क स्थापित किया जाना आवश्यक है । दिनांक 2 मार्च, 1984 को श्री दिवाकर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने भी इसी आशय की व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया था और उस पर मैंने यह व्यवस्था दी थी कि जांच अधिकारी को शिकायतकर्ता विधायक से जांच के दौरान अवश्य ही सम्पर्क स्थापित कर लेना चाहिए । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को एक पत्र भी दिनांक 12 मार्च, 1984 को भेजा है । प्रश्नगत मामले में भी मैं यह अपेक्षा करता हूं और आपको यह निर्देश भी देता हूं कि ऐसे मामलों में मेरे निर्देश दिनांक 2 मार्च, 1984 तथा पत्र दिनांक 12 मार्च, 1984 के अनुसार ही कार्यवाही की जाय जिस से माननीय सदस्यों को शिकायत का अवसर न मिले ।

लोकहित और गोपनीयता के अधार पर प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने के विषय में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 20 मार्च तथा 21 मार्च, 1984 को माननीय राम स्वरूप वर्मा, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा माननीय रियासत हुसैन ने लोकहित और गोपनीयता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने के विषय में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और तब मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था । अब मैं अपना निर्णय देता हूं जो इस प्रकार है–सुरक्षा अथवा जनहित के आधार पर मंत्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने से इन्कार करने की परम्परा नयी नहीं है । दिनांक 16 जुलाई, 1907 को हाउस आफ कामन्स में सेक्रेट्री आफ स्टेट फार इंण्डिया से स्वर्गीय लाला लाजपतराय के बारे में कतिपय प्रश्न पूछे गये थे और सरकार की ओर से जनहित में उत्तर देना समीचीन नहीं समझा गया था । प्रश्नकर्ता सदस्य की आपत्ति पर मात्र संसद के स्पीकर महोदय ने

यह निर्णय दिया था कि जहां नियमों द्वारा अनुमत प्रत्येक प्रश्न पूछने का सभी माननीय सदस्यों को अधिकार है वहीं प्रत्येक मंत्री को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर दें । (देखिये पार्लियामेंट्री डिबेट्स खण्ड 178, पृष्ठ–530) इसी प्रकार 21 जुलाई, 1915 को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में विस्फोटक पदार्थों के विषय में प्रश्न पूछे जा रहे थे तो उस सदन के माननीय अध्यक्ष ने घोषित किया कि इस बात का निर्णय करने का अधिकार संबंधित मंत्री को है कि वे प्रश्न विशेष का उत्तर दें अथवा न दें, और यदि मंत्री यह कहते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर देना देशहित में न होगा तो अध्यक्ष प्रश्नकर्ता सदस्य को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे–(देखिये पार्लियामेंट्री डिबेट्स वर्ष 1915, पृष्ठ–1490) दिनांक 1 मार्च, 1961 को बिटिश संसद के तत्कालीन अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था कि यदि सुरक्षा के आधार पर मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर देने से मना करता है तो उन्हें उत्तर हेतु विवश नहीं किया जा सकता–(देखिये पार्लियामेंट्री डिबेट्स, खण्ड-635, पृष्ठ-1579)

यह सत्य है कि संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नों का बहुत महत्व होता है और प्रश्नोत्तरकाल का प्रयोज्य लोक महत्व के मामलों में शासन से जानकारी प्राप्त करना तथा आवश्यक सुझाव देना होता है, पर प्रक्रिया नियमावली के अंतर्गत यह अधिकार असीमित नहीं है। इस सदन द्वारा स्वीकृत नियमावली के नियम–38(3) में ही यह प्राविधान किया गया है कि यदि मंत्री की राय हो तो वह प्रश्नकर्ता द्वारा पृच्छित सूचना को लोक हित में देने से इन्कार कर सकता है। शब्द "मंत्री की राय" से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना देने अथवा न देने का निर्णय मंत्री के विवेक पर ही निर्भर करेगा और किसी विशिष्ट मामले में उत्तर के लिए मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि हम नियम–38(3) तथा नियम–211(4) की पारस्परिक तुलना करें तो यह स्पष्ट होगा कि जहां नियम 211(4) के परन्तुक के अंतर्गत किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इंकार करने के लिए राज्य के हित और सुरक्षा का आधार आवश्यक है, वहीं नियम–38(3) के अधीन मंत्री को प्रश्नोत्तर के मामले में अपेक्षाकृत अधिक अधिकार उपलब्ध है। प्रश्नों के मामले में मंत्री की राय कि उत्तर देना लोक हित में न होगा पर्याप्त है। नियम–38(3) के प्रयोजनों के लिए राज्य के हित और सुरक्षा का आधार लेना आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (वर्ष 1952 से 1967 के पृष्ठ–219 पर वर्ष 1960 में इसी पीठ से यह निर्णय दिया गया था कि सरकार को किसी प्रश्न विशेष का उत्तर न देने का अधिकार है। अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन (1969-78) के भी निम्नांकित निर्णयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा:–

1. किसी अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता (कार्यवाही दिनांक 22-8-69)।

2. सदस्यों की इच्छानुसार उत्तर देने के लिए मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता (कार्यवाही दिनांक 29-8-78)।

3. किसी प्रश्न के उत्तर में मंत्री को यह कहने का पूर्ण अधिकार है कि यह जनहित में नहीं है–(कार्यवाही दिनांक 13.3.72)।

4. यदि कोई मंत्री यह उत्तर देता है कि प्रश्न का उत्तर देना जनहित में नहीं है, तो उसे उत्तर देने के लिए

बाध्य नहीं किया जा सकता–(कार्य-वाही दिनांक 7.10.77)।

8 जून, 1954 को राजस्थान विधान सभा में भी इसी प्रकार के मामले में व्यवस्था देते हुए वहां के माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि ट्रेजरी बेंच को यह सूचना देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिसे वे जनहित में बताना उचित नहीं समझते–(देखिये राजस्थान विधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन–1952 से 1977, पृष्ठ-47) उसी पुस्तक के पृष्ठ–53 पर दिनांक 8-6-67 को भी इसी प्रकार का निर्णय राजस्थान विधान सभा में दिया गया था।

कौल और शकधर की बहुचर्चित पुस्तक के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ 423 पर यह कहा गया है कि–"किसी प्रश्न को सामान्यतया इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाता कि उसमें पूछी गयी जानकारी देना लोक हित में है अथवा नहीं, पर यह कहना मंत्री का कार्य है कि मैं लोकहित में प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता हूं। दिनांक 28-7-56 की एक घटना भी इसी पृष्ठ पर अंकित है जब लोक सभा के अध्यक्ष ने घोषित किया था कि सामान्यतया यह देखना सरकार का कार्य है कि क्या बताया जाना चाहिए और क्या नहीं बताया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं करता।"

में की पार्लियामेन्ट प्रैक्टिस (उन्नीसवें संस्करण) के पृष्ठ 332 पर भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता और यदि लोकहित के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने से मना किया जाए तो इसे विशेषाधिकार का मामला नहीं बनाया जा सकता।

डा0 ए0 आर0 मुखर्जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक 'पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर इन इण्डिया' (1983 संस्करण) में यह मत व्यक्त किया गया है कि कोई मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और पीठासीन अधिकारी को यह शक्ति नहीं है कि वे किसी मंत्री को उसका उत्तर देने के लिए उसे बाध्य कर सकें। विद्वान लेखक ने 'ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स' का उद्धरण देते हुए लिखा है कि वहां भी मंत्री प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है बशर्ते जनहित में ऐसा करना उचित हो।

प्रक्रिया नियमावली के नियम–28(15) की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहा गया था कि प्रश्नोत्तर की गोपनीयता के आधार पर तभी इंकार किया जा सकता है जब वह उपरोक्त नियम की परिधि में आता हो। नियमावली का भलीभांति अध्ययन करने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि नियम 28 उस क्रम पर लागू होता है जब प्रश्नों की ग्राह्यता निर्धारित हो रही हो। माननीय सदस्यगण उन प्रश्नों को नहीं पूछ सकेंगे और विधान सभा सचिवालय उन प्रश्नों को ग्राह्य करने की संस्तुति नहीं करेगा जो उक्त नियम 28 द्वारा प्रतिबन्धित हों। किन्तु नियम 38 तब लागू होगा जब प्रश्न स्वीकार होने के उपरान्त उत्तर हेतु मंत्री को भेज दिए जायें। नियम–28 में ग्राह्यता की शर्तों का उल्लेख है जबकि नियम–38 में उत्तर देने के ढंग का हवाला है। दोनों नियमों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मंत्री के उत्तर देने से इंकार करने की शक्ति मात्र नियम–28(15) से ही शासित नहीं होती। यदि कोई प्रश्न नियम–28(15) के अन्तर्गत गोपनीयता की परिधि में नहीं आता, तो भी नियम–38(3) के अधीन

लोकहित के आधार पर उसका उत्तर देने में असमर्थता व्यक्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त नियम–28(15) इक्जास्टिव नहीं है बल्कि उदाहरणात्मक है। शब्द जैसे के प्रयोग से यह बात स्वयं स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, राज्यपाल महोदय को दी गयी मंत्रणा के अतिरिक्त अन्य मामले भी ऐसे हो सकते हैं जो गोपनीय प्रकृति के हों।

नियमों और परम्पराओं की उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में निम्नांकित सिद्धान्तों का अनुपालन करना उपयुक्त होगा:—

क–मंत्री को नियम–38(3) के अधीन यह अधिकार है कि वे किसी प्रश्न को लोकहित के आधार पर उत्तर देने से मना कर दें।

ख–लोकहित के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देने से मना करने के लिए गोपनीयता या राज्य की सुरक्षा कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

ग–किस प्रश्न का उत्तर लोकहित में देना उचित नहीं होगा, इसका निर्णय संबंधित मंत्री के विवेक पर ही निर्भर करेगा।

घ–चूंकि प्रश्न लोकहित में ही पूछे जाते हैं और उनका एक उद्देश्य यह भी है कि उनके माध्यम से शासन द्वारा कृत कार्यवाही के विषय में सुझाव दिया जाए, अतः नियम–38(3) के प्रयोग के समय मंत्री को पूरी जिम्मेदारी के साथ यह निर्णय लेना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया जाए और किन प्रश्नों का उत्तर जाए और किन प्रश्नों का उत्तर न दिया जाए।

ङ–शासन द्वारा यह सतत प्रयास किया जाना चाहिए कि वे माननीय सदस्यों द्वारा पूछित प्रश्नों का संगत तथा अधिकाधिक उत्तर दें और नियम–38(3) का प्रयोग न्यूनतम दशाओं में करें।

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, आपने जो रूलिंग दिया और जो प्रश्न एवं संदर्भ समिति बनायी है जिसमें बहुत से प्रश्न, प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आपने सौंप दिये हैं, तो मेरे विचार से प्रश्न एवं संदर्भ समिति उन चीजों के ऊपर, जो इसी आधार पर कि "सूचना एकत्र की जा रही है" और "जनहित में नहीं है" देखेगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न एवं संदर्भ समिति का कार्य किस तरीके से किया जायेगा, इसमें आपके कुछ निर्देश हो जाएं, तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक प्रश्नों को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को देने की बात है तो वह अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी प्रश्न को सौंपे या नहीं, यह किसी और को अधिकार नहीं है। जिसमें जांच की आवश्यकता अधिक होगी और मैं महसूस करूंगा कि और क्या होना चाहिए, उस प्रश्न को मैं स्वयं ही सौंप देता हूं और उसमें मंत्री या किसी सदस्य से पूछने की बात नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रश्नों के उत्तर ठीक से न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मोतीलाल दहेलवी–

मैं मान्यवर, प्रश्नों के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज की कार्यसूची में मेरा प्रश्न अतारांकित प्रश्न संख्या 74 देखने का कष्ट करें मैंने पूछा था कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू होने के पश्चात् से 12-1-83 तक निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर जनपद कानपुर में क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई कार्य हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन कार्य कहां-कहां पर किये गये हैं, यदि नहीं, तो क्यों?

जो उत्तर दिया गया है उसमें केवल इतना बताया गया है कि 39 निजी लघु नलकूप तथा 230 पम्पिंग सैट्स लगाये गये । 1343 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया ।

हमने पूछा था कि कहां-कहां क्या-क्या कार्य हुये, तो कहां-कहां का उत्तर कोई नहीं दिया गया । अब जब हमको यही मालूम है कि कहां-कहां निजी नलकूप लगे हैं, हम सही जानकारी कैसे कर सकते हैं । कैसे हम उसकी जांच कर सकते हैं कि काम वास्तव में हुआ भी है या नहीं? हम इसकी कैसे जांच करें कि जो धन 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जा रहा है वह सही खर्च हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है । इन बातों से सरकार और विधायक दोनों ही धोखे में रहते हैं ।

इसी प्रकार बताया गया है कि 23 गावों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित किये गये । यहां भी यह नहीं बताया है, जो पूछा गया था कि कहां-कहां स्थापित किये गये । अब मान्यवर, हम कैसे पता लगायें कि यह काम हुए हैं या नहीं ।

इसी प्रकार मेरे एक अतारांकित प्रश्न 90 भी देखिये । उसमें मैंने पूछा था कि क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डकैतों की संरक्षण देने आदि से संबंधित व्यक्तियों की कोई सूची सरकार ने माह अक्टूबर व नवम्बर, 1981 में तैयार की है ? यदि हां, तो उस सूची में कितने व्यक्ति राजनैतिक या राजनैतिक लोगों के सम्पर्क में रहने वाले हैं ?

इसका उत्तर दिया गया है...प्रदेश के कतिपय जिलों में प्रश्नगत आशय की सूचियां बनायी गयी थीं । इन सूचियों के संबंध में कोई विवरण दिया जाना जनहित में नहीं होगा ।

मान्यवर, आपकी पीठ से जो व्यवस्था होगी वह तो हमें झकमार कर स्वीकार व शिरोधार्य करनी ही होगी, लेकिन यह जो जवाब आता है कि 'जन हित में नहीं है' आखिर इसकी कोई व्याख्या होगी या नहीं ? इससे यह सरकार निरंकुश होगी और इसकी निरंकुशता बढ़ती चली जायेगी । इसमें आपको अपने विवेक का इस्तेमाल मान्यवर, करना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिये कि सरकार जिस किसी चीज को न बताना चाहे यह कह कर टाल दे कि जनहित में नहीं है । अगर यह चीज नहीं बतायी जायेगी कि कौन लोग अपराधी प्रवित्त के हैं, तो जनता उनको कैसे जानेगी, फिर तो ऐसे ही लोग टिकट पा जायेंगे, फिर निर्वाचित होकर आ जायेंगे और मंत्री बन जायेंगे ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा निवेदन है कि इस 'जनहित' शब्द की व्याख्या होना चाहिये और इसमें आपके विवेक का भी उपयोग होना चाहिये ।

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, इसी संबंध में आपकी मदद के लिए कहना चाहता हूं, आप सुन लें । इसी आदरणीय सदन में मुझे ठीक से याद है पिछली विधान सभा में जब श्री लक्ष्मण सिंह जी यहां गृह मंत्री थे, उन्होंने मुख्य मंत्री की ओर से एक प्रश्न के उत्तर में, जिसमें यह पूछा गया था कि इस सदन के वह कौन से मेम्बर हैं जिनके नाम नम्बर 10 की सूची में अंकित हैं, मंत्री जी ने कह दिया था कि इस पर जनहित में उत्तर देना सम्भव नहीं है। इस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष श्री बनारसी दास ने अध्यक्ष पीठ से एक व्यवस्था दी थी और उन्होंने जनहित की व्याख्या करके उसे परिभाषित किया था । उन्होंने कहा था कि सुरक्षा संबंधी विषय को छोड़कर, संबंधित मंत्री या मुख्य मंत्री जनहित के नाम पर किसी प्रश्न का उत्तर देने से बच नहीं सकते हैं । इस दृष्टि से आपने अपनी व्यवस्था तो दे दी है, लेकिन मैं आपका ध्यान उनकी व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं, जो आपके पूर्व इस पीठ पर विराजमान थे, उन्होंने दी थी, मैं उसका हवाला देकर आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था में उसको भी जोड़कर अपनी व्यवस्था दें। तो जो आपने संरक्षण न देने वाली बात कही है, उससे हम संरक्षित हो जायेंगे और प्रदेश और जनतंत्र का उससे लाभ होगा ।

श्री अध्यक्ष–

उसको भी पढ़कर देख लूंगा । जहां तक दहेलवी जी ने कुछ अतारांकित प्रश्नों 74, 90, 96 व 100 का जिक्र किया है । जहां तक अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के बारे में लिखा हुआ है कि इन सूचियों के संबंध में कोई विवरण देना जनहित में नहीं है । अगर आप नियमावली के नियम 38 (3) को पढ़ें तो उसमें दिया हुआ है कि यदि मंत्री की यह राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना लोकहित में नहीं दी जा सकती तो वे ऐसा कहेंगे और इसके लिए अर्थात् उत्तर देने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है और न उस आधार पर विशेषाधिकार हनन या कार्यस्थगन का कोई प्रस्ताव ही लाया जा सकता है । जहां तक प्रश्न संख्या 74 का संबंध है . . . (व्यवधान)

श्री मोतीलाल दहेलवी–

74 में विवरण है, संलग्नक है, लेकिन गावों का विवरण नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा । प्रश्न सं0 96 में इसके उत्तर में विलम्ब हो रहा है, अतः इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दिया गया है। प्रश्न संख्या 100 का जहां तक सम्बन्ध है, सूचना एकत्र होकर पुनः 15 दिनों में यहां पर आएगी । किसी-किसी मामले में 8 दिन का भी समय दे देते हैं कि 8 दिन में सूचना प्राप्त हो जाए । इस प्रकार जो भी प्रश्नों के बारे में आपने व्यवस्था के प्रश्न उठाये हैं, मैं उसकी आज्ञा नहीं देता हूं और जो उत्तर यहां पर आए हैं और आते हैं, यदि उससे भी आप सहमत नहीं हैं तो आप हमारे कक्ष में आ जाएं। समझकर हम देख लेंगे ।

श्री राम स्वरूप निगम–

प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा भी प्रश्न है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

उसको आप भी लिखकर पहले दीजिए जैसे दहेलवी जी ने किया है। अब आप बैठिये तो अंकल।

सेमरा जिला लखनऊ में अराजक तत्वों द्वारा हरिजनों के साथ मारपीट व घरों को फूंकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज मुझे नियम 301 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से सात को मैंने स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है। स्वीकृत सूचनाएं सर्वश्री भीखालाल, राजेन्द्र कुमार गुप्त, राम कुमार भार्गव, मोतीलाल दहेलवी, किरनपाल सिंह, राम सागर व रामस्वरूप निम जी की है।

श्री भीखा लाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से एक अविलम्बनीय लोकहित एवं हरिजन उत्पीड़न से सम्बन्धित विषय को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

दिनांक 17 मार्च, 1984 को ग्राम सेमरा थाना चिनहट, जिला लखनऊ में लगभग डेढ़ दर्जन अराजक तत्वों ने हरिजनों के 11 घरों में घुसकर लूटपाट की और खशीराम व मंहगू के घरों में आग लगा दी। पुलिस में रिपोर्ट केवल 4 व्यक्तियों के नाम लिखी गयी और प्रधान के लड़के व भतीजे व भांजे जो इसकी अगुवाई कर रहे थे उनको रिपोर्ट में अंकित नहीं किया।

अगले दिन 18 मार्च को इन्हीं अराजक तत्वों ने एक अन्य हरिजन मैकू के घर में आग लगा दी। थाने पर इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और उल्टे गालियां देकर भगा दिया गया। प्रधान व उसके परिवार के लोगों का आतंक कायम है। लेकिन पुलिस कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा रही है।

अतएव इस महत्वपूर्ण विषय पर अविलम्ब कार्यवाही की जाए। अपराधियों तथा दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित किया जाए।

बलिया नगर में अस्थायी दुकानदारों को उजाड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोकमहत्व का यह सुनिश्चित तथ्य सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बलिया नगर में सुन्दरीकरण के नाम पर हजारों परिवारों को भूख से तड़पा-तड़पा कर मारने की घिनौनी साजिश की जा रही है। मान्यवर, लगभग 3,000 गरीब लोग सड़कों की पटरी पर खोंचा, ठेला तथा अस्थायी दुकाने रख कर रोजी कमाते हैं। सभी के पास या तो अस्थायी या स्थायी पट्टा है अथवा तहबाजारी देकर वर्षों से काबिज हैं। कितने ही ऐसे हैं जो बैंकों से कर्ज भी ले चुके हैं। इनकी रोजी के लिए कोई वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था किये बिना जबरन उजाडा जा रहा है। इससे नगर में बड़ी उत्तेजना तथा तनाव है। हजारों परिवारों के सामने बेरोजगार होने का संकट है।

मान्यवर, मैं उनकी इस गुहार पर बल देता हूं कि उजाड़ने के पूर्व जीविका के लिए वैकल्पिक स्थान देने की व्यवस्था हो। नई दुकाने जो बनेंगी उसके आबंटन में बिना प्रीमियम के प्राथमिकता दी जाय। जब वह तहबाजारी देकर बैठते हैं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस वालों द्वारा हो रहा शोषण तत्काल रोका जाय।

केन्द्रीय औषधि भण्डार सीतापुर में अग्नि-काण्ड से हुए नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कुमार भार्गव –

मान्यवर, मेरे जनपद सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग पर भ्रष्टाचार के अनेकों बार गम्भीर आरोप जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं जनता द्वारा समय-समय पर लगाये गये हैं । इसी कड़ी में 21/22-3-84 की रात्रि को आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज के निकट स्थित केन्द्रीय औषधि भंड़ार (सीतापुर) में भीषण आग लग गई जिसमें बताया जाता है कि 25 लाख की दवायें एवं कागजात आदि जल गये । जनता को इसमें किसी गम्भीर षड़यन्त्र का आभास है क्योंकि मार्च महीने में इस प्रकार की घटना वाकई में सोचने को मजबूर करती है । इस सम्बन्ध में उसी दिन नगर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री जी को तार द्वारा सी0बी0आई0 से अविलम्ब जांच कराने की मांग की गई है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें शीघ्र उच्चस्तरीय जांच कराये ताकि जनता में फैला भ्रम दूर हो सके एवं सच्चाई सामने आये और मार्च माह में खासतौर पर फैला भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके ।

औरंगाबाद (बुलन्दशहर) में व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आपका व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बुलंद-शहर जनपद का कस्बा औरंगाबाद आजकल सरकारी स्तर की घोर अनियमितताओं का शिकार हो रहा है। पूरे कस्बे में गंदगी का साम्राज्य व्याप्त हो गया है। सभी नालियों में कीचड़ व पानी भरा हुआ है जिससे विभिन्न प्रकार के कीड़े तथा मच्छर जीवन को दूभर बनाये हुए हैं। किसी भी विद्युत पोल पर बल्ब या ट्यूब लाइट की व्यवस्था नहीं है जिससे रात को अंध-कार छाया रहता है। औरंगाबाद टाउन एरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में मेरे द्वारा पूछे गये द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने पांच लाख रुपए का टाउन एरिया के अंदर घोटाला स्वीकार किया था तथा वहां के वरुशी द्वारा जरूरी कागजातों की गुम होने की शिकायत भी सही पायी थी। अब भी टाउन एरिया औरंगाबाद के सफाई कर्मचारी का कई माह का वेतन तथा एरियर नहीं दिया गया जिससे गरीब सफाई कर्मचारियों का जीवन-यापन कष्टमय हो गया है।

अत: आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करते हुए शीघ्र उचित कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

कोरिया जिला कानपुर के निवासियों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि सदन में केवल विद्रोही मंत्री मौजूद हैं कोई और मंत्री नहीं है जबकि 301 के समय में उनको रहना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपकी अनुमति से पुलिस अत्याचार की निम्न घटना सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, कल दिनांक 26 मार्च, 84 को जनपद कानपुर के अंतर्गत विधनू थाना से संबंधित पुलिस चौकी कोरिया की पुलिस व पी0 ए0 सी0 के जवान सुबह 4 बजे गांव कोरिया के निवासियों के मकानों में दरवाजे तोड़कर घुस गये और ग्रामीणों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। मारपीट के पश्चात् पुलिस ने 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और बाद में 30 व्यक्तियों को मुचलके पर छोड़ दिया। 9 व्यक्ति अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। ग्रामीणों को काफी चोटें आयी हैं। वातावरण आतंकपूर्ण बना हुआ है। पुलिस अत्याचार एवं अपराधों की उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहने पर कानपुर जिला कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष एवं सांसद ने उपरोक्त घटना के प्रकाश में एक बयान द्वारा कहा है कि पिछली बार कांग्रेस (इ) को परिवार नियोजन ने चौपट किया था और अब पुलिस अत्याचार कांग्रेस (इ) को ले डूबेंगे। यह एक सच्चाई है कि दिनों दिन पुलिस अत्याचार बढ़ कर सीमा पार करते जा रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।

अस्तु उपरोक्त घटना की जुडीशियल जांच की मांग करते हुए पुलिस को नियंत्रित करने पर बल देता हूं।

श्री राम चरन मौर्य थानाध्यक्ष राम नगर (बाराबंकी) द्वारा श्री छोंटन लाल यादव हेड सिपाही को पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर–

मान्यवर, मेरे जनपद बाराबंकी थाना राम नगर के थानाध्यक्ष राम चरन मौर्य ने अपने थाने में सेवारत एक आर्म्स पुलिस के हेड सिपाही श्री छोंटन लाल यादव को अकारण 11 मार्च, 1984 को हाथ पैर तोड़ने तक निर्मम पिटायी की है जिसके प्रति सिपाही उच्च अधिकारियों से न्याय चाहता था किन्तु अधिकारियों ने थानाध्यक्ष का साथ दिया सिपाही की फरियाद नहीं सुनी जिससे कि पूरे जनपद के सभी अधि- **कारियों व पुलिस के सिपाहियों के बीच आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया है। इससे पूर्व थाना पटरंगा में भी एक सिपाही को थानाध्यक्ष द्वारा मारे जाने का आरोप है।** कर्मचारियों में इस घटनाओं को लेकर आक्रोश **व उत्तेजना व्याप्त है, किसी भी समय पुलिस सिपाहियों की बगावत से जिले में विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है।**

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाते हुये घटना की उच्चस्तरीय जाँच व अपेक्षित कार्यवाही की मांग करता हूं।

10 डाउन बन एक्स प्रेस में बदमाशों द्वारा लूट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राम स्वरूप निम–**

मान्यवर, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये समाज में व्याप्त असुरक्षा चोरी राहजनी तथा विशेष रूप से रेल यातायात को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रथम श्रेणी में बढ़ती हुयी हत्या चोरी डकैती जैसा कि कल दिनांक 25/26 3-84 को 10 डाउन दून एक्सप्रेस के सहारनपुर लखनऊ कोच 1040 के एक कूपे में श्री महाबीर सिंह राणा एम0 एल0 सी0, श्री विजय कुमार जैन तथा मैं तथा मेरा सहवर्ती साथ में थे जिनका सामान मुरादाबाद बरेली के बीच में सशस्त्र बदमाशों ने लूट लिया और भय का आतंक दिखाकर सामान लेकर चले गये ।

अतः मैं आपके माध्यम से उक्त मामले की सी0 आई0 डी0 तथा एफ0 आई0 आर0 पर की गयी कृत कार्यवाही की सदन के इसी सत्र में सदन को अवगत कराने की मांग करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि–उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 मार्च, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 19 मार्च, 1984 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 मार्च, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन, विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 मार्च, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का उत्तर पांच माह के बाद भी न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास 2 औचित्य के प्रश्न आये हैं। एक माननीय छत्तर सिंह का है और एक जसवन्त सिंह विष्ट जी का है।

श्री छत्तर सिंह–

मान्यवर, विधान सभा की जो कार्यसूची है, जो कल दिनांक 26 मार्च की कार्य-

सूची है उसका अवलोकन करने का कष्ट करें। अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का सन्दर्भ लें। यह प्रश्न मैंने 18-10-83 को लगाया था। इसका उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी आप 5-3-84 को नहीं दे सके। आपने 26-3-84 को उत्तर दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यवर, लगभग 5 महीने से ऊपर हो गया, मतलब 18 तारीख को ही 5 महीना हो गया, अब लगभग साढ़े 5 महीने के बाद, जो एक विषय से ही सम्बन्धित है, एक ही जनपद से संबंधित मामला था, एक ही स्कूल से संबंधित है, लेकिन अब भी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह कौन सूचना आज तक एकत्रित कर रहे हैं। मान्यवर, आपके संरक्षण में माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है, उसकी ये सीधे-सीधे अवहेलना कर रहे हैं। मान्यवर, यह मामला इन्क्वायरी के लिए गया, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा ने संबंधित व्यक्ति को बुला कर कह दिया और डांटा कि तुम झूठा प्रश्न विधान सभा में कराते हो, इस प्रकार तुमको कोई बहाल नहीं करा सकता। यह जो आपके संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, हाउस में बहुत बोलते हैं मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस भी दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को आपका संरक्षण मिले और उनके प्रश्न करने का अधिकार बना रहे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय छत्तर सिंह के औचित्य के प्रश्न को सुना, जिसमें यह शिकायत की गयी है कि 5 माह के उपरान्त भी माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है। यह प्रश्न 26-3-84 को लगा था और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। नियमानुसार अब यह प्रश्न 9 अप्रैल, 1984 को लिया जायगा। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यह माननीय छत्तर सिंह के प्रश्न का उत्तर 9-4-84 को अवश्य दें। मैं आदेश देता हूं कि यदि आप उस दिन उत्तर नहीं देंगे, तो मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दूंगा।

श्री रियासत हुसैन–

अभी तो आपने रूलिंग दी थी कि आप उन्हें मजबूर ही नहीं कर सकते?

श्री अध्यक्ष–

इनको सजा दी जायगी।

पर्वतीय अंचलों की डिस्पेंसरियों में चिकित्सकों की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन में जब से आया, तब से लगातार इस बात का अनुरोध करता आया हूं और शिकायत करता आया हूं कि पर्वतीय अंचल के जितने भी ग्रामीण अंचलों में डिस्पेंसरीज हैं, राजकीय जो एलोपैथिक या आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, उनमें चिकित्सक नहीं हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात को माना कि यह बात ठीक है और यह कहा कि मैं जल्द ही वहां पर चिकित्सकों की व्यवस्था कर रहा हूं। लगभग चार वर्ष होने जा रहा है और अब यह गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसमें महामारियां फैलती हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, प्रमोद कुमार तिवारी, जो प्रतापगढ़ के हैं, उनको बुलाइये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 527 एलोपैथिक डाक्टरों के स्थान रिक्त हैं और 14 स्थान होम्योपैथिक डाक्टरों के रिक्त हैं और 67 स्थान आयुर्वेदिक डाक्टरों के रिक्त हैं। इसके विपरीत मान्यवर 200 से अधिक जो चिकित्सक हैं पर्वतीय अंचल के, जिनके साथ सरकार ने अनुबन्ध कर रखा है कि 3 साल आपको सेवा करनी पड़ेगी, . . .।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन में माननीय काशीनाथ मिश्र जी को सोने का अधिकार नहीं है वह जाकर लाबी में आराम करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि 200 पर्वतीय अंचल के चिकित्सक, जिनके साथ सरकार ने अनुबन्ध कर रखा है कि उन्हें तीन साल राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में सेवा करनी पड़ेगी, वे मारे-मारे फिर रहे हैं। कई बार उन्होंने दरख्वास्त दिया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उनको सेवा में नहीं रख रहा है और दूसरी तरफ डाक्टरों की नियुक्ति नहीं कर रहा है। और अब महामारी फैलने का अन्देशा है। मैं बार-बार इसकी मांग करता आ रहा हूं और जैसा मेरा विश्वास है जब तक पर्वतीय क्षेत्र इस प्रदेश के साथ जुड़ा रहेगा, इसका विकास नहीं होगा। न हमको प्रशासनिक सुविधा देते हैं, जिस गति से विकास होना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। यह जरूर कहते हैं कि पर्वतीय विकास परिषद् अलग बना दिया है, अलग बजट देते हैं लेकिन इसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि चाहे तदर्थ नियुक्ति कर दें। बहुत से ऐसे डाक्टर हैं, जो चाहते हैं सेवा करना, उनको पहाड़ के लिये रखा जाय और मैदान के भी बहुत से डाक्टर हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, वह मेरे पास आये थे। स्वास्थ्य मंत्री के यहां मैं गया और अनुरोध किया कि पर्वतीय क्षेत्र में जो रहना चाहते हैं उनको रखा जाय, कम से कम दूर के अस्पतालों में जहां मां और बेटी तथा बहनों की मृत्यु हो जाती है, चिकित्सा न होने के कारण या धन के अभाव में दिल्ली नहीं ले जा सकते हैं, उनको इससे लाभ होगा। वहां के लोगों की जान बचाने के लिये मैं चाहता हूं कि तत्काल कोई व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष–

हरि सिंह जी, आपके बारे में स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कुछ बातें कही जा रही हैं। आप उधर बात कर रहे हैं, आप आगे आइये।

श्री बिहारी लाल–

पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जो बात जसवन्त सिंह विष्ट ने कही है . . .

श्री अध्यक्ष–

जसवन्त सिंह विष्ट अभी बोल रहे हैं, आप बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, आपने पर्वतीय क्षेत्र देखा है। हमारे यहां आमने सामने से आवाज तो एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाती है, लेकिन जाने में आधा दिन लग जाता है। बीमारी, हैजा आदि की तत्काल उपचार न होने के कारण बहुत से बच्चों की, महिलाओं की और पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। मैं मांग कर रहा हूं कि वहां तदर्थ नियुक्ति कर दें। उन लोगों को वहां भेज दें, जो जाना चाहते हैं। चार साल से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी टाल रहे हैं। मुझे

विश्वास था कि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जरूर कर देंगे। लेकिन 4 साल हो गया मंत्री जी यही कहते हैं अब कर देंगे और आज तक नहीं कर पा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इन्हें निर्देशित करें कि वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था की जाय।

श्री बिहारी लाल–

मैं पर्वतीय क्षेत्र का विधायक हूं . . .

श्री अध्यक्ष–

आपका औचित्य का प्रश्न नहीं है। मैं उस परम्परा को नहीं डालना चाहता हूं, जिससे दिक्कत की बात हो। कोई बहुत महत्व की बात हो तो बोलने का अवसर दिया जाता है। इसमें यही बात आप भी कहेंगे जो विष्ट जी ने कहा है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो औचित्य का प्रश्न उठाया, उसको मैंने सुना. . .

एक सदस्य–

आप तो बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

बात भी कर रहे थे और डाट भी खा रहे थे।

श्री हरि सिंह–

जहां तक इनकी समस्या का प्रश्न है, इसको पूरा करने के लिये कार्यवाही चल रही है । इस मसले के सम्बन्ध में कई बार प्रश्न आया है, हमने उत्तर दिया था। पहाड़ के लिये अलग कैडर बना दिया गया है, उस आधार पर काम हो रहा है। रिक्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जो यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, मेरे दृष्टिकोण में उचित नहीं है।

श्री बिहारी लाल–

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र का मामला है और मैं पर्वतीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं . . .

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री बिहारी लाल–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में दो मिनट का समय दे दें। दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

मैंने माननीय जसवन्त सिंह विष्ट के औचित्य के प्रश्न को जिसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि पर्वतीय जिलों में डाक्टरों के अनेक स्थान रिक्त हैं और पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी इधर-उधर घूम रहे हैं उन्हें अस्पतालों पर नियुक्त नहीं किया जाता है, इसमें मैंने माननीय मंत्री जी को और माननीय जसवन्त सिंह विष्ट जी को सुना इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है लेकिन माननीय सदस्य की सूचना को मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भेज दूंगा और इस पर वह उचित व्यवस्था करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं इसलिए एक शब्द भी नहीं लिखा जाएगा।

आज का एम0 एल0 ए0 राम औतार फिल्म के बनाने वालों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना के सिलसिले में नोटिस दिया

नोट:–[x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

है यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है इसमें सदन के माननीय सदस्यों की ही नहीं पूरे सदन की अवमानना हुई है। मान्यवर, यूं तो हमारे देश में प्रदेश में पहले भी इस तरह की फिल्में बनती रही हैं। समाज की अच्छाइयों और बुराइयों पर मुख्तलिफ नजर से डाइरेक्टर और प्रोड्यूसर्स फिल्में बनाते हैं। मान्यवर, समाज और सामाजिक ढांचे को मद्दे नजर रखते हुए उनके हल के सिलसिले में इस तरह की फिल्में हमारे देश में बनीं थीं लेकिन इस तरह की फिल्में अभी तक नहीं बनी थीं जो समाज को तितर-बितर कर दें। ऐसी फिल्मों से हमारे समाज की अवमानना हुई है और मुल्क के जंगहूरी निजाम को बदनाम और जम्हूरियत को खत्म कर देने की नाकाम साजिश है। इस फिल्म के जरिये से एम0 एल0 ए0, एम0 पी0 और सियासतदानों की जो तौहीन घटिया ढंग से की गयी है वह आपत्तिजनक है। गलत ढंग से मामलात को पेश करने से यह पैसा कमाने का तो तरीका हो सकता है इसके अलावा कुछ नहीं। समाज की अच्छाइयों और बुराइयों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके पूंजीपति वर्ग सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है। उसकी बला से समाज कहीं जाये लेकिन इतना लिहाज जरूर रखा जाए कि किसी एम0 एल0 ए0 या किसी एम0 पी0 पर ऐसी फिलों न बनाई जायें जिससे जनता में हमारे जमहूरी निजाम से लोगों की आस्था खत्म हो। सेंसर बोर्ड ने सारी काबिले-एतराजा बातों को नजरअन्दाज कर दिया है यहां तक कि ऐसा नाम रखा गया है जो बराहे रास्त सदन और सदस्यों के लिए तौहीन आमेज है। पहले आज का एम0 एल0 ए0 रखा गया था लेकिन बाद में उसमें रामऔतार और जोड़ दिया गया है। हमारे एक साथी का नाम श्री राम औतार भी है यह उनकी भी तौहीन है उनकी ही नहीं बल्कि हर किसी की तौहीन है...

श्री अध्यक्ष–

लेकिन उनका नाम तो रामऔतार दीक्षित है?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह जरूरी तो नहीं है कि बाद वाला हिस्सा भी नाम में जोड़ा जाए। मान्यवर, आप कभी मुझे मुहम्मद आजम कभी आजम खां तो कभी मुहम्मद आजम खां के नाम से बुलाते हैं। श्रीमन्, इस फिल्म को तीन-चार भागों में बांट लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

यह आपने लिखकर नहीं दिया है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा विशेषाधिकार का यह नोटिस अविलम्बनीय भी है महत्वपूर्ण भी है। मान्यवर, मेरी आपके जरिए सरकार से मांग है कि जिस प्रकार से हरियाणा गवर्नमेन्ट ने तमाम सदस्यों को सरकारी खर्चे पर यह फिल्म दिखायी है इस सरकार द्वारा भी सरकारी खर्चे पर इसे दिखाया जाना चाहिए ताकि वह उसकी अच्छाई और बुराई को खुद देख सकें। फिल्म का पहला हिस्सा शुरू हुआ गैर स्थायी आदमी किस तरह वजीर के करीब पहुंचा और चुना गया। फिर उसके बाद उसने एम0 एल0 ए0 की कुर्सी का जिस तरह से इस्तेमाल किया, फिर वह एम0 एल0 ए0 चीफ मिनिस्टर बना, उसके बाद जिस तरह से प्रदेश का पैसा लूटा और जिस तरह से ड्रामाई अंदाज में जो घटिया बातें एम0 एल0 ए0 के लिये ड्रामाई ढंग से कही गयी हैं, वह इस पूरे सदन की जातीय तौहीन है। इसलिये मैं

मांग करता हूं कि सरकार ऐसी फिल्म जो बुराई फैला रही है, पूरे जम्हूरी निजाम से बागी कर रही है, ऐसी फिल्म जो एम0 एल0 ए0 के नाम से नफरत पैदा कर रही है, जितने लोग सिनेमा हाल से निकलते हैं, चीफ मिनिस्टर और एम0 एल0 ए0 को बदनीयती से देखते हैं। यह फिल्म पूरे प्रदेश के एम0 एल0 ए0 को बदनाम कर रही है। अगर यह चलती रही तो आमतौर पर एम0 एल0 ए0 आवाम में नहीं जा सकेंगे। आवाम ऐसी फिल्म देखकर इस निजाम से नफरत करने लगेगी। इसलिये मान्यवर, इस विवादास्पद फिल्म के बारे में अपनी व्यवस्था दें मैं मुतालबा करता हूं कि बावजूद इसके कि यह केन्द्र का मामला है फिर भी सूबे का अमनो अमान यहां की हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज प्रदेश में चल रही ऐसी घटिया फिल्म पर पाबन्दी लगे, ताकि लोग उसको देखने न जायं।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों ने यह फिल्म देखी हो, हाथ उठावें।

(कई सदस्यों ने अपने हाथ उठाये।)

(हंसी का वातावरण)

भीखालाल जी, क्या आपने देखी है?

श्री भीखालाल–

मान्यवर, मैंने फिल्म तो नहीं देखी, पर कहानी पढ़ी जरूर है।

श्री अध्यक्ष–

जब देखी नहीं है, तो कैसे बोलेंगे?

श्री भीखालाल–

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने पूछा, मैंने यह फिल्म देखी नहीं है, लेकिन पत्रिकाओं में स्टोरी जरूर पढ़ी है और कुछ सम्मानित सदस्यों से चर्चा के दौरान मालूम हुआ। अब आपकी उपस्थिति में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने 31 तारीख को दिखलाने का वादा किया है, तो सभी माननीय सदस्यों को इसको देखने का मौका मिलेगा, तब देख भी लूंगा। मान्यवर, माननीय मुहम्मद आजम खां ने जो यह प्रश्न उठाया है, तर्क दिया है और दलील दी है, मैं उनसे सहमत नहीं हो पा रहा हूं। इसकी वजह यह है कि हम जन प्रतिनिधियों पर जब तक कुछ अंकुश नहीं लगेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? यह अंकुश हम पर समाज लगायेगा, जनता लगायेगी और अन्य संस्थाएं लगायेंगी।

आज कितनी ऐसी बातें होती रहती हैं, सदन में भी उठती रहती है कि एम0 एल0 ए0 घर में घुस गये, सामान फेंक दिया, कत्ल करा दिया अराजक तत्वों को संरक्षण देते हैं रोज ही ऐसी चीजें उठती रहती हैं। अगर समाज में ऐसा काम होता है जो समाज की दृष्टि से अच्छा नहीं है और उनसे जन प्रतिनिधियों का लगाव है, और यदि हम अंकुश नहीं लगायेंगे अपने ऊपर, तो समाज लगायेगा, दूसरे लोग लगायेंगे। आज जो भ्रष्ट लोग शासन में बैठकर, जन प्रतिनिधि होने के बाद, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए। अगर पर्दाफाश नहीं होगा तो जनता का विश्वास जनतंत्र से उठ जायगा। उनका पर्दाफाश होना चाहिए। जन प्रतिनिधियों पर, मंत्रियों पर, मुख्य मंत्री पर यह अंकुश लगेगा तो जनता का विश्वास हम पर बढ़ेगा, तब ऐसी परिस्थिति आयेगी कि मुख्य मंत्री इन चीजों की तरफ सोचेगा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिये। यह फिल्म अच्छी है और इस तरह की फिल्में रोज आनी

चाहिये, जिससे समाज में जो यह गन्दगी फैल रही है, वह दूर हो सके।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मुझे खेद है कि हम अपने एक अजीज दोस्त माननीय मुहम्मद आजम खां से अपने को सहमत नहीं कर पा रहे हैं। मैंने इस फिल्म को देखा है। माननीय श्री मुहम्मद आजम खां जी हमारे जायज दोस्त हैं और माननीय मुख्तार अनीस जी नाजायज दोस्त हैं।

श्री अध्यक्ष–

इनके मां-बाप के बारे में भी आप बता दीजिए कि वे जायज हैं या नाजायज?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, हम दो लोगों की तो 20 साल से नाजायज दोस्ती है और इनके साथ तो इनकी दोस्ती अभी 3 साल से ही हुई है।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, यह भी माननीय सदस्य बता दें कि नाजायज दोस्त कितने और कब से हुए हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मोहन सिंह जी आप इसे भी बता दें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, यह तो रामपुर निवासी हैं और दूसरे मित्र सीतापुर निवासी हैं, तो फिर यह नाजायज सम्बन्धों का जिक्र कैसे हो रहा है?

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने सूचना निदेशक से अनुरोध किया था कि वर्ष में जो फिल्में दिखाई जाती हैं, तो उसमें इस फिल्म को देख ली जाय। उस फिल्म को मैंने देखा। आज हमारी जो जनतांत्रिक संस्था है और जो हमारा आज राजनीति में आचरण है, इस फिल्म के माध्यम से उस पर एक करारा व्यंग्य किया गया है। करारा व्यंग्य ही नहीं जनता पर भी एक करारा हमला किया गया है। उसमें इस बात को बताया गया है कि यदि आज की जनता इस हालत को नहीं समझ सकेगी तो राम अवतार जैसे लोग नाजायज तौर पर मुख्य मंत्री बन जायेंगे, एम0 एल0 ए0 बन जायेंगे और समाज में गड़बड़ी होती रहेगी। इसी के साथ ही इसमें विकल्प के रूप में सुझाव भी दिये गये हैं। इतना होने के बावजूद भी अफसोस की बात यह है कि फिल्म जगत में आज राजनीति बड़ी तेजी से हो रही है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। इसकी जिम्मेदारी सत्ता दल के ऊपर है, जिसने "इन्कलाब" जैसी पिक्चर को रिलीज किया। मान्यवर, मैंने इन्कलाब को भी देखा है। मुझे इस पिक्चर से साफ तौर से एतराज है। मैं कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों से, यह केवल विपक्ष का मामला नहीं है, कि इस पिक्चर को देखने के बाद जनता का जनतंत्र की तरफ अनास्था उत्पन्न हो रही है और एनार्की की तरफ, अराजकता की तरफ दर्शकों का दिमाग उलझ रहा है।

मान्यवर, जहां आज का एम0 एल0 ए0 पिक्चर की बात है, इसमें व्यंग्य के साथ ही साथ सच्चे विकल्प को भी दिया गया है और लोगों की भावनाओं को जागरूक किया गया है। मान्यवर, मैंने बयान भी दिया था कि इस पिक्चर को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया जाय और सेंसर बोर्ड इस बात का ध्यान रखे कि ऐसी फिल्में न बनायी जायें जो जनतंत्र के विकल्प के रूप में जनता का ध्यान एनार्की की तरफ आकर्षित करें। मैं समझता हूं कि जो यह फिल्म आज का एम0 एल0 ए0 है वह जायज है

क्योंकि उसमें एक सही विकल्प भी जनता के सामने रखा गया है । जो आलोचना होती है उसे आदरपूर्वक सुनना चाहिए। इस तरह की सेन्सटिव वाली बातों पर सेन्सर न हो। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि ज्यादा सेन्सटिव हो। आज जो जनतंत्र की जड़ खोखली हो रही है, उन्हें किस प्रकार तन्दुरुस्त किया जाय, इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया भी गया है।

(1 बज कर 20 मिनट पर)

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, जो विषय आज यहां पर आया है, वह विषय इस सदन का कहीं से भी कोई विषय नहीं बनता है। इस आदरणीय सदन में माननीय विधायक बैठते हैं, इसलिए यह महसूस हो रहा है जैसे कि एक मसल है कि कुछ चोरों को अपनी दाढ़ी में तिनका दिखाई पड़ा। मान्यवर, मुझे खेद है कि हमारे देश में और प्रदेश में कुछ नीतियां ऐसी बन गयी हैं कि कहीं से भी धन मिले और उसे इकट्ठा किया जाय। यह एक नीति बन गयी है चाहे वह अच्छे काम करने से किया जाय या बुरे काम करने से। सवाल यह पैदा होता है कि हम जितने भी लोग हैं अहिंसा में विश्वास रखते हैं और चरित्र का निर्माण भी चाहते हैं । अब अगर कोई प्रतिबन्ध, कोई किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो उस चीज में तो होनी चाहिए, जिसमें हिंसा दिखलायी गयी हो, कोई ऐसी चीज कही गयी है । जिससे समाज में वायलेंस फैले । जैसा कि उदाहरण माननीय मोहन सिंह जी ने दिया, 'इन्कलाब' पिक्चर में शुरू से लेकर आखिर तक उस पर बड़ी चोट मारी गयी है लोकतंत्र के ऊपर और यह दिखलाया गया है कि लोकतंत्र की समाप्ति वायलेंस के जरिये से कर दी जानी चाहिए। यह चीज तो आपत्ति जनक है । दूसरी तरफ बिल्कुल उसके विपरीत कहा गया है कि समाज के अंदर चरित्र की गिरावट आयी है । हम तो यह देखें कि हमारे मारेल शक्ति, हमारी शक्ति का निर्माण कैसे हो ? इस फिल्म में जिसके बारे में बहुत कुछ सुना भी है, जो लोग देखकर आये हैं, उनसे बहुत कुछ मालूमात हुआ कि इसमें दो चीजों का ध्यान दिया गया है कि चरित्र का निर्माण हमारे समाज में इतना गिर गया है, हम लोग जो विधायक हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिनके पास शक्ति और चरित्र होना चाहिए, उनके बीच में चरित्र और शक्ति गिर गयी है, और उसको लेकर आज का एम0 एल0 ए0 राम अवतार नाम से एक फिल्म बना डाली गयी और उसको हम अगर सही मायनों में देखें कि आखिरकार जो राजनीति में इगोइज्म बढ़ता है, एक साधारण आदमी राजनीति में कैसे बढा और इसकी इगोइज्म इतनी हर्ट कि चीफ मिनिस्टर हुआ। वह होने के बाद आखिरकार उसने यह देखा कि इस समाज के अन्दर इगोइज्म को चलाने के लिये यह सारे धन्धे गलत हैं और वह अपने पुराने काम पर फिर चला गया ।

मान्यवर, यह कहना चाहूंगा कि इसमें कोई कंटेम्पट आफ दी हाउस की बात नहीं उठती है। किसी कंटेम्पट आफ दी हाउस का प्रश्न नहीं उठता है । लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मान्यवर, आपसे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि यदि इस फिल्म के द्वारा, जिसको कि सेंसर बोर्ड ने पास किया है, विधायकों की जिन्दगी पर कोई गलत कटाक्ष किया गया है और विधायकों का अपमान किया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है और अगर इस तरह की कोई बातें कही गयी हैं, तो आप यह तो सोच सकते हैं कि इसके ऊपर कोई समिति बनाकर, वह उसकी समीक्षा करे और कोर्ट में जाकर रिलीफ की बात कहें कि इसमें विधान सभा के विधायकों का अपमान हुआ है, इस पर इस अंश पर बैन्ड होना चाहिए। लेकिन सदन के अंदर इस मामले को कैसे ले लिया जाय? न तो यह कंटेम्प्ट आफ दी हाउस है और न ही यह हाउस की प्रोसिडिंग के मुताबिक है। बल्कि इससे एक सबक सीखना चाहिए, लोग अपनी गिरेबान में मुंह डालकर देखें और अपने चरित्र का निर्माण करें. अपनी हालत को देखें । मान्यवर, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इसमें किसी तरह से न तो कंटेम्प्ट आफ दि हाउस है, यह कंटेम्प्ट आफ दि हाउस बनता नहीं है । इसलिए इसमें कोई प्रश्न नहीं है ।

(डाक्टर बज किशोर मिश्र को पुकारे जाने पर)

श्री मख्तार अनीस–

मैं काफी देर से बोलने के लिये खडा हो रहा हूं । आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

क्या इसी तरफ के लोग ही बोलेंगे । अगर उस तरफ से भी कोई खडा हुआ है बोलने के लिये तो उसे भी मौका मिलना चाहिए ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, जहां तक आज का एम0 एल0 ए0 राम अवतार फिल्म की चर्चा शुरू हुई है, मान्यवर, सवाल इस बात का है कि लोक तंत्र और जनतंत्र की दहाई देने वाले ही इसी सदन में बैठे हुए हैं । मान्यवर, पिक्चर मैं बहुत कम देखता हूं । फिर भी मैंने 'इन्कलाब' पिक्चर को देखा 'मेरी आवाज सुनो' को भी देखा-इन दोनों पिक्चरों को देखा । मान्यवर, अभी माननीय मोहन सिंह जी बोल रहे थे, मैं चाहता हूं कि जितने अपनी मर्यादा की बात करते हैं हम अपनी जितनी नैतिकता और चरित्र की बात करते हैं मान्यवर, निश्चित रूप से इन पिक्चरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे में भी अवांछनीय लोग हैं, जो उन पिक्चरों को देखने के बाद घबरा रहे हैं । मान्यवर, समाज के सच्चे दर्पण 'इन्कलाब' को मैंने देखा है । कैसे-कैसे लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण उसको देखने के बाद मिला। ठीक उसी प्रकार से 'मेरी आवाज सुनो' को भी मैंने देखा । वहां मैंने देखा कि ऐसे लोग आज भी हमारे बीच में हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, विधायक कहलाते हैं । ऐसे लोगों को विधायक कहलाने का हक नहीं है इसलिये कि चरित्र से दूर जा चुके हैं । यह पिक्चरें बनी हैं, अभी तो पिक्चर हाल में दिखायी जा रही हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इनको गांव तक पहुंचाया जाय ताकि वह लोग भी देख सकें कि आज का विधायक कैसा है, मुख्यमंत्री कैसा है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह समाज में रह सके और जिन्दा रह सके ।

*श्री मख्तार अनीस–

मान्यवर, तीन राजनीतिक चित्र आये हैं । एक तो 'आंधी' जो सारे देश में चर्चा का विषय बनी । ये दो चित्र बाद में आये हैं –'आज का एम0 एल0 ए0 राम अवतार' और 'इन्कलाब' । किसी भी फिल्म पर मैं पाबन्दी लगाने के खिलाफ हूं, लेकिन एक स्तर होना चाहिये मापदण्ड होना चाहिये किसी आदमी की आलोचना करने का भी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो 'आज का एम0 एल0 ए0 राम अवतार' फिल्म आयी है, इसमें जिस नीचे स्तर पर जाकर विधायकों की हंसी उड़ायी गयी है, वह निन्दा का पात्र है । उसमें एक्टर ने ओवरएक्टिंग कर दी है, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं मिला मुझे जो शराब पीकर नंगा नाचता हो, औरतों के साथ घूमता हो.

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

यह कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं, आप?

श्री मुख्तार अनीस–

'आज का एम0 एल0 ए0 राम अवतार' की बात कर रहा हूं ।

इसी तरह से सारे विधायकों का मजाक उड़ाया गया है । यह जो सदन है, जनता का आईना है । जनता का जैसा स्तर है, वैसे ही लोग यहां भी आते हैं । 'इन्कलाब' नाम की जो दूसरी फिल्म है, उसके अंदर तो, मैं माननीय मोहन सिंह जी से सहमत हूं, कि उसमें लोकतंत्र के आधार पर जड़-मूल पर ही हमला किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अमिताभ बच्चन को पद्मश्री मिल गया .....

(शोर)

आपके स्तर से सरकार को निर्देश होने चाहियें कि 'आज का एम0 एल0 ए0 राम अवतार' या ऐसी ही जो फिल्में बनें, उसमें मर्यादाओं का ध्यान रखा जाय । इसके साथ ही 'आंधी' पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, उस फिल्म को फिर दिखाया जाय क्योंकि उसी तरह इन्दिरा गांधी जा रही हैं

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको बोलते समय ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें जो कि अप्रासंगिक हों और केवल मुख्य मुद्दे पर ही बोलना चाहिये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरी मांग है कि जो आखिरी जुमला इन्होंने कहा है, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा ।

***श्री विद्यासागर नौटियाल–**

मैं चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन की जो कार्यवाही है उसको दो तरफ से लाउडस्पीकर लगाकर विधान भवन के सामने जनता को सुनाया जाना चाहिये ।

अगर यह सम्भव हो सकेगा तो यह सदन मर्यादित हो जायेगा । हम लोग सभी इसके अन्दर बैठ कर अधिकारियों, कर्मचारियों सेठों के खिलाफ तथा भले आदमियों के खिलाफ यहां पर लगातार बोलते रहते हैं लेकिन अगर हमारे लिये कोई बात की जाती है तो हम तिलमिला जाते हैं। साहित्यकार किस दृष्टि से समाज को देखता है, इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। कलाकार किस दृष्टि से समाज को देख कर अपनी कला का सृजन करता है, इस पर कोई रोक नहीं लगायी जा सकती । जो लोग तिलमिलाते हैं उनको ऐसी कृतियों के सृजन से तिलमिलाना चाहिये। लेकिन जो व्यवस्था किसी की आलोचना करने से लागू हो उस व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है या कैसे करना चाहिये, यह भी एक माध्यम होता है । अगर आज समाज में एक पिक्चर की वजह से विधायक लोग विचलित हो रहे हैं, उनको चाहिये कि वे अपने चरित्र का निर्माण करें, अपने को सुधारें । जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों की कार्यालयों में चरित्र एंजिका होती है, उसी तरह से हमारी चरित्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंजिका समाज के पास होती है और वही जनता के लोग उसे देखने आते हैं । इस तरह यहां पर पिक्चर को बेन करने की बात हो रही है, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, आज तक तो मैंने वह फिल्म देखी नहीं है लेकिन कुछ सदस्यों ने देखी है और उसके संबंध में अपने विचार पक्ष में और विपक्ष में प्रकट किये हैं । मान्यवर, आप सर्वोच्च शक्ति हैं, आप जो आदेश देंगे, हम उसका पालन करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मुहम्मद आजम खां द्वारा उठाये गये मामले का संबंध है मैं इसका परीक्षण करा रहा हूं और मैं शासन को आदेश देता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों को किसी दिन "आज का एम0 एल0ए0 रामअवतार" फिल्म दिखायी जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपके आदेशों का पालन किया जायेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैंने श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी तथा डाक्टर शिवानन्द नौटियाल की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदूषण प्रबन्ध पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा आगरा में आमंत्रित तेजाबी अंश से ताजमहल में गम्भीर खतरा होने की योजना के सम्बन्ध में है। दूसरी श्री मोतीलाल देहलवी की, थाना व कस्बा केवर, मैनपुरी के निवासी श्री ब्रह्मानन्द गुप्ता के मकान का चोरी का माल पुलिस सिपाही के घर से बरामद होने के संबंध में। तीसरी श्री राम स्वरूप निम की, जनपद सहारनपुर थाना कुलखोर के थानाध्यक्ष द्वारा पंजाब को हथियार भेजने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में है। इन सूचनाओं को मैं शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं और श्री बलवीर सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचनाओं को सुनूंगा और बाकी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

अध्यक्ष महोदय, गोपालपुर ग्राम (जालौन) में 22-3-84 को जब बद्री प्रसाद की पुत्री मीरा का विवाह था तब हजारों लोगों के बीच में 9 डकैतों ने अचानक धावा बोल दिया तथा भारी मात्रा में सामान लूट ले गये। डाकू ने लड़की, पत्नी तथा बद्री प्रसाद काछियाना के पुत्र बधू के कपड़ों में मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी और उसे जान से मारने का प्रयास किया। बद्री प्रसाद की पत्नी को बन्दूक की बेटों से मारा जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को होने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से तथा डकैतों को पुलिस अभी तक न पकड़ पाने से जनता में घोर असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब व असंतोषजनक है। अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल डकैतों को गिरफतार करने और बद्री प्रसाद की पुत्री की शादी के समय लूटे गये सामान को वापस करने की मांग करता हूं।

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, एक गम्भीर विषय की ओर आप का और शासन का ध्यान आकृष्ट करना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूँ। इस समय सम्पूर्ण प्रदेश में बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं और उस में 16 लाख विद्यार्थी भाग लें रहे हैं। शासन ने बार बार इस बात को कहा है कि जो नकल की प्रवृत्ति है, उसको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शासन के निर्देश के बावजूद भी पूरे प्रदेश में कुंजियां और गेस पेपर प्रकाशित हो रहे हैं और शासन के निर्देश है कि जो इस तरह के प्रकाशन करेगा, उनको दंडित किया जायेगा और आपने प्रतिबन्ध लगा रखा है। मैं कानपुर गया था, वहां पर लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया, एक गैस पेपर है जो न्यू पैटर्न आदर्श माडल पेपर के नाम से प्रकाशित किया गया है, जिसके लेखक ओम शंकर त्रिपाठी और डा0 विशम्भर सहाय हैं, जो एक एक कालेज के अध्यापक हैं। इस में 5-6 प्रश्न पत्र अवश्य मिल जाते हैं यह 20-20 रुपये में बिक रहे हैं। इस को लेकर जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां पर प्रदर्शन की शक्ल में लोग गए, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक और एस0 पी0 ने कोई भी कार्यवाही करने से इनकार कर दिया है।

मेरा स्पष्ट आरोप है कि पुलिस और शिक्षा विभाग की सांठ गांठ से इस तरह के गैस पेपर बाजार में बिक रहे हैं। अभी तीन -तीन प्रश्न पत्रों के बारे में कहा गया कि वह आउट हो गये और उनकी परीक्षायें आप को दुबारा करवानी पड़ेंगी। इस तरह के गैस पेपर राजाज्ञा के विरुद्ध हैं और शिक्षा विभाग तथा पुलिस के संरक्षण में प्रकाशित हो रहे हैं। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाकर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और मांग करता कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही की जाये।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गैस पेपर के बारे में माननीय मोहन सिंह ने कहा, आप को याद होगा कि 16 मार्च को सेक्शन 9 (4) के अन्तर्गत आदेश दिये गए हैं कि कोई भी अध्यापक गेस पेपर न छापे या कुन्जी न छापे और न कोई सहयोग दे। हम लोगों ने इस विषय पर केन्द्र सरकार को भी लिखा है और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया समाप्त हो। गेस पेपर से यह पता नहीं चलता है कि कौन विद्यार्थी मेहनत करता है और कौन विद्यार्थी साल भर आराम करता है और गेस पेपर पढ़कर पास हो जाता है। इस से हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित हो रही है। अभी माननीय मोहन सिंह जी ने कानपुर की घटना का जिक्र किया तो मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य जिस एजेन्सी से चाहें उससे मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। जब तक कानूनी रूप से हम सक्षम नहीं हो जाते हैं इस पर बिल्कुल रोक लगाना सम्भव नहीं है। वैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कि इन पर रोक लगायी जाये। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज में निकलते हैं, कोई वन मिनिट बिफोरे एक्जामिनेशन, और जिनको 5 मिनट इम्तिहान से पहले देख लिया जाय तो वह काफी है। इस तरह की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। यह दोनों पक्ष से सम्बन्ध रखता है।

श्री विद्या सागर नौटियाल –

मान्यवर, इम्तिहान में किताब ले जाने दें। जो पढ़ेगा नहीं, वह कुछ नहीं लिख पायेगा। यह हिम्मत आप करिये कि किताब बच्चों को इम्तिहान में दे दें। इससे सारा सिस्टम ठीक हो जायेगा।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी –

मैं आपका आभारी हूं कि जो प्रथा आपने पढ़ने की बतायी जिससे आप विद्या के सागर बने । हम लोग भी उसको देखेंगे और परीक्षण करायेंगे लेकिन यह कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करने के काबिल नहीं है । इस पर पूरी तरह से गम्भीरता पूर्वक शासन बिचार करेगा । मैं माननीय सदस्य को भी इसके बारे में सूचित कर दूंगा और उनसे मशविरा भी लूंगा कि क्या हो सकता है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, मैं एक गम्भीर मामला इस कार्यस्थगन के माध्यम से कहना चाहता हूं। वैसे तो हमारे देश का सपूर्ण ईसाइ समाज राष्ट्रीयता की मूल धारा में समाहित होकर एकता का परिचय दे रहा है। मैथडिस्ट मिशन के प्रमुख नेताओं की और विशप एस0 के0 परमार की लखनऊ के अन्दर देशद्रोही गतिविधियां चल रही हैं। इससे राष्ट्रीय एकता के लिए गम्भीर संकट पैदा हो गया है । मैं उन देशभक्त ईसाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विशप एस0 के0 परमार के खिलाफ बगावत कर दी है । ऐसा करके उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है । यहां पर उसके बारे में चर्चा भी हुई है कि सी0 आई0 ए0 के लिए गुप्तचरी में गिरफ्तार एअर वाइस मार्शल लारकिंस ने उक्त लोगों के नाम का भंडाफोड़ किया है । उन्होंने लखनऊ में उनके सम्पर्क सूत्र भी बताये हैं। लखनऊ का पब्लिशिंग हाउस सी0 आई0 ए0 का काम कर रहा है । इसमें सी0 आई0 ए0 के लिए काम करने वाले रिटायर्ड आई0 जी0 पुलिस ए0 के0 दास, भूतपूर्व मुख्य अरण्यपाल जी0 एन0 सिंह, अवध विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति सुरेन्द्र सिंह और क्रिश्चियन कालेज के प्रिंसिपल डा0 एस0 पी0 टिवारसन का नाम लिया गया है। ये उनके सम्पर्क सूत्र थे।

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में मैंने इन भूतपूर्व कुलपति श्री सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ प्रश्न उठाया था। वे अमरीका में सी0 आई0 ए0 की मीटिंग में भाग लेने के लिये जाया करते थे और अक्सर मार्च के महीने में जब बच्चों की परीक्षायें हुआ करती हैं उस समय वे कभी अपनी पत्नी और कभी अपनी लड़की की बीमारी का बहाना लेकर अमरीका जाते थे और सी0 आई0 ए0 की मीटिंग में भाग लेते थे। मान्यवर, यह स्थिति आज यहां पर पैदा हो गई है। यहां पर सी0 आई0 ए0 की गतिविधियां उनके द्वारा संचालित हो रही हैं। इसी के खिलाफ ईसाई बंधुओं ने धरना दिया है और क्रमिक अनशन किया है। उनकी मांग है कि जो ये सुरक्षित संस्थायें चल रही हैं उनका 15 साल से कोई आडिट नहीं हुआ है और सार्वजनिक रूप से उनकी बात नहीं रखी गयी है इसलिये जो सी0 आई0 ए0 से सम्पर्क रखने वाले लोग हैं उनको हटाया जाय। मान्यवर, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। श्री ए0 के0 दास यहां पर आई0 जी0 रहे हैं। वे पुलिस के साथ सम्बन्ध बनाये हुए हैं। उनका पुलिस पर प्रभाव पड़ता है। मान्यवर, मेरी लेटेस्ट जानकारी है जब इन देशभक्त ईसाईयों का क्रमिक अनशन जारी था और लखनऊ में हो रहा था तो सी0 एम0, जिलाधिकारी और पुलिस के लोग वहां पर गये और दबाव डालकर इन लोगों को अनशन करने से भगा दिया। इस पर हमें विचार करना होगा।

मैं किसी अल्प संख्यक समुदाय की बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार की नीति के ऊपर आक्रमण कर रहा हूं। कौन नहीं जानता कि मदर टेरेसा ने 20 सूत्री कार्य क्रम की परिवार नियोजन में खुली खिलाफत की है। उन्होंने कहा कि बच्चों का होना ईश्वर का वरदान है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम की खिलाफत की है। इस पर उनको पद्मभूषण और राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया है। इससे सारा समाज उद्वेलित हो उठा है। इसी के खिलाफ उन्होंने मांग की है और क्रमिक अनशन शुरू किया है उनकी मांग यह है कि अगर तत्काल कोई कार्यवाही नहीं हुई यह मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वे लोग 2 अप्रैल से आमरण अनशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए इससे गंभीर दूसरा मामला नहीं हो सकता इसलिए इस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि यह अभी-अभी की घटना है, कल से धरना प्रारंभ हुआ है और 2 अप्रैल से आमरण अनशन प्रारंभ हो जायेगा। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है संपूर्ण प्रदेश की शांति व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। कानपुर और लखनऊ में इसाईयों ने प्रदर्शन किये हैं। इस पर तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी तो सारे प्रदेश में इस प्रकार के प्रदर्शन आरंभ होंगे जिससे शांति व्यवस्था का सीधा संबंध है क्योंकि उससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इससे दूसरा महत्वपूर्ण विषय कार्यस्थगन का हो नहीं सकता है इसलिए इस पर आप चर्चा करा दें। यह अत्यंत अविलम्बनीय और लोक महत्व का अभी घटित घटना से है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है लेकिन जो सूचना माननीय राजेन्द्रकुमार गुप्त की है उसके विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है,

अब वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर चर्चा होगी। (श्री नन्दराम का नाम पुकारे जाने और उनके अनुपस्थित होने पर श्री राम स्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. (व्यवधान)

श्री राम स्वरूप निम –

मान्यवर, सहारनपुर में . . .

श्री अध्यक्ष–

मैंने आज्ञा नहीं दी है, नियमों का पालन होना चाहिये। आप अपने नेताओं से पहले बात कर लिया करें।

श्री मसरूर जाफरी–

अभी माननीय सदस्य गुप्त जी ने सुरेन्द्र सिंह जी के बारे में बात कही। मैंने भी माननीय सुरेन्द्र सिंह के बारे में पिछले वर्ष यह प्रश्न उठाया था तथा गोंडा में भी सी0 आई0 ए0 के एजेंट बने हुए हैं तो वहां पर जो शांति सेवा सदन या प्रेम सेवा संस्था आदि नाम की खुली है उनमें भी यही हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह कौन सा व्यवस्था का प्रश्न हो गया?

* * *

श्री मसरूर जाफरी–

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कोई शब्द नहीं लिखा जाएगा।

नोट:–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

1984-85 की आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)†

श्री अध्यक्ष-

(श्री राम स्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने पर) ऐसा है जो सिंचाई विभाग से संबंधित बजट है उस पर चर्चा 3.30 बजे तक चलेगी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी विशषरूप से ध्यान दें। इस मद में 3.30 बजे मतदान होगा उसके बाद जेल विभाग से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा होगी जो 4.30 बजे तक चलेगा। बाकी काम नहीं लिया जा सकेगा क्योंकि जो आपका सेंट्रल हाल है जैसा कल मैंने जिक्र किया उसमें आप पधारें उसका उद्घाटन है, उसमें चाय आदि का आपके लिए प्रबंध है। इसलिए 4.30 बजे तक माननीय जेल मंत्री जी से संबंधित बजट समाप्त हो जायेगा और 3.30 बजे उनका विभाग आरंभ हो जायेगा।

*श्री राम स्वरूप वर्मा-

मान्यवर, सिंचाई मंत्री यहां नहीं हैं, अच्छा होता वह सुन लेते लेकिन सारा सदन सुन रहा है, सिंचाई विभाग घोर अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची और अदूरदर्शिता का शिकार है। यह मेरे चार आरोप इस विभाग पर हैं।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए।)

मान्यवर, देखा जाये तो सिंचाई विभाग पर 24 अरब 80 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश अब तक हो चुका है। इतना धन यदि किसी और उद्योग में लगाया होता तो 10 प्रतिशत नफा भी मान लें तो 12 अरब 48 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बढ़ता। लेकिन राजस्व की कुल अनुमानित राशि पिछले साल 60 करोड़ रुपये वसूलयाबी थी। 20 प्रतिशत सरकार ने बढ़ा दिया तो इस साल अनुमानित है 70 करोड़। चूंकि बढ़े का पांचवां हिस्सा भी मान लें तो 12 करोड़ होना चाहिये लेकिन 10 करोड़ रुपये की बढ़त हो गयी है। यह इनकी दक्षता का प्रमाण है। तो 70 करोड़ रुपये कुल आना है। अब विभागीय खर्चा देखें तो वह 101 करोड़ रुपये हैं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों पर खर्चा हो रहा है और अप्रत्यक्ष खर्चा जो रुपया उधार लिया है सूद पर तो 118 करोड़ रुपये उस पर खर्चा हो रहा है। इस तरह से कुल 219 करोड़ रुपये व्यय है। इसमें से 70 करोड़ आय को घटा दें तो 149 करोड़ रुपये इस साल घाटा है। तो इसको देखें कि यह कितने गजब की फिजूलखर्ची है। यह इस विभाग की दक्षता है। हवाला देते हैं यह जनहित में काम कर रहे हैं अब जनहित की परिभाषा कर लें तो इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे यहां एक अमराहठ पंप कैनाल योजना 1974 में स्वीकृत हुई। इसमें सत्याग्रह हुआ तो सरकार ने बचन दिया कि दो साल में इसको बनवा देंगे और 1974 से 1976 में बन जायेगी। लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ और जब कार्य शुरू हुआ तो बनते बनते 1984 हो गया है। 1980 में जब मैं आया तो यहां पूछा कि योजना कब तक पूरी हो जायेगी तो मंत्री ने उत्तर दिया था कि 1982 तक योजना पूरी हो जायेगी। जब 1982 में देखा कि यह योजना अधूरी पड़ी है तो

†दिनांक 26 मार्च, 84 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

फिर मैंने यहां सवाल किया कि योजना कबतक पूरी हो जायेगी तो मंत्री जी ने कहा कि 1984 जून तक पूरी हो जायेगी । मान्यवर, इसमें बजट देखें तो अमराहट योजना पर जो 1984-85 में पूरी होने की आशा है उसका बजट 86 लाख से बढ़कर अब 191 लाख रु0 हो गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या योजना को इसलिए नहीं पूरा होने देना चाहते हैं चूंकि विरोधी दल के सदस्य श्री राम स्वरूप वर्मा वहां से जीत कर आते हैं । यदि ऐसी बात है तो यह छोटी और गंदी राजनीति है । यह योजना नहीं बनी थी तो भी मैं जीत कर आया था । लेकिन मेरा कहना है कि जून, 1984 तक यदि इस योजना को आप पूरा कर देते हैं तो इसका सारा क्रेडिट आप ले जायं । हम तो किसानों की भलाई में दिलचस्पी रखते हैं, इस बात में नहीं कि योजना का अविष्कारक कौन था या किसने सत्याग्रह किया । इसलिए योजना पूरी होनी चाहिए क्योंकि जो योजना 86 लाख की थी वह 191 लाख रुपये की हो गयी और सालाना ढाई लाख मन अनाज इससे अधिक उत्पादन होगा यदि यह योजना पूरी हो जाती है । लेकिन इसकी परवाह न करके चूंकि यह योजना विरोधी दल के सदस्य के क्षेत्र में है इसलिये इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो यह छोटी और गन्दी राजनीति खेलने वाले सिंचाई विभाग के लिये हम क्या कहें, कोई शब्द नहीं मिलते हैं।

मान्यवर, यह विभाग क्यों घाटे में चल रहा है, इसके संबंध में मैंने जो कहा उससे आप समझ गये होंगे कि 50 क्यूसेक की नहर जो एक साल में पूरी हो सकती है उसको 10 साल में भी पूरा नहीं किया गया, तो इससे कितना बड़ा नुकसान होता है उसका कोई इनको ध्यान नहीं है और दूसरे मान्यवर, देखें घाटा इतना लम्बा हो रहा है . . (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट का समय ज्यादा दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

बोलिये अभी समय है।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

आप इनके नलकूपों की संख्या देखें । 19734 नलकूप हैं इनके 21-3-83 तक और 234 लिफ्ट कैनाल हैं और 3 लाख 30 हजार 190 हैक्टर जमीन यह सालाना सींचते हैं । मोटे तौर पर 6 लाख हैक्टर जमीन यह सींचते हैं और इस पर आपका इन्वेस्टमेन्ट है 4 अरब 50 करोड़ रुपये का। मान्यवर, आमदनी उससे कुल 9 करोड़ 96 लाख की है यानी रफली 10 करोड़ की। इस इन्वेस्टमेन्ट और आमदनी के अन्तर को देखते हुए ट्यूब वेल्स पर आप क्यों खर्च कर रहे हैं। उसको आप पब्लिक को दे दीजिए, क्योंकि यह बेहद घाटे पर है। यह पिछली बार भी मैंने कहा था। पंजाब में यह बहुत लगे हैं और वहां यह लाभ पर चल रहे हैं। इसी सदन में मैंने अपने यहां के बारे में ट्यूब वेल से सम्बन्धित एक प्रश्न पूछा था कि डेरापुर में लगे ट्यूब वेल कितने घंटे चले। तो उसके उत्तर में मंत्री जी ने बताया था कि यह ट्यूब वेल 9 घंटे चला, दूसरा एक घंटे चला और तीसरा भी एक घंटा चला। इसमें यह भी कहा गया था कि एक ट्यूब वेल में मोटर गिर गया था, जिसकी वजह से वह नहीं चल पाया। यह अजीब बात है कि इतने बड़े हार्स-पावर का मोटर, उसमें 6 इंच वाले में कैसे चला गया। तो यह 19 हजार ट्यूब वेल्स काम नहीं कर रहे हैं और उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उनसे देश और प्रदेश का कोई हित नहीं हो रहा है। बनाए इसलिए जा रहे हैं कि इसमें भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, नीचे से ऊपर तक

अफसर उसमें खूब खा रहे हैं। नहीं तो क्या कारण है कि वह इतने बेकार होते हुए और घाटा होते हुए भी चलाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि वह किसानों को क्यों नहीं दिये जा रहे हैं। आप बनाकर उन्हें किसानों को सौंप दीजिए और उनसे रुपया लेते जाइये। उससे किसी तरह का फायदा नहीं होता है, यह नहर विभाग का हाल है..

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी, काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मैंने नहर विभाग में कहा था, इसमें घाटा 140 करोड़ रुपये का है । ट्यूब-वेल में 66 करोड़ 99 लाख का घाटा है और लिफ्ट पम्प योजना में 12 करोड़ 43 लाख का घाटा है और 69 करोड़ 93 लाख का घाटा नहरों से है। तो मान्यवर, मेरा सुझाव था कि जब आप नहर चलाते ही हैं, तो नहर में पानी देने के लिए, टेल तक पानी पहुंचाने के लिए जितना स्टाफ जरूरी है उतना ही रखें, क्योंकि पता चला है कि विभाग में काफी ओवर-स्टाफ है। तो किसानों का जितना क्षेत्र सिंचित है यानी जितना कमाण्ड एरिया है उस पर सिंचाई कर आप लगा दें, जो इस वक्त वह देते हैं, और आप उनसे फ्लैट रेट पर ले लें। साथ ही आप पानी सप्लाई करने की पूरी गारन्टी लें, उनको पानी न मिले, टेल तक पानी न पहुंचे तो आप उन किसानों को मिन्हाई दे दें। किसानों के खेत सींचने के लिए जितने स्टाफ की आवश्यकता है, नहर चलाने के लिए जितना चाहिए उतना आप स्टाफ रखें और उसके हिसाब को रखने के लिए आप स्टाफ न रखें इसका जो रेवेन्यु से सम्बन्धित स्टाफ है उसके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह विभाग पर एक अनावश्यक भार है और वही घाटे और भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण भी है। यह विभाग परम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक विभाग है।

*श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्तुत बजट की चर्चा पर बोलने का समय दिया। मैं सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं..

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप पांच मिनट का ही बोलने के लिए समय लें।

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मैं बुन्देलखण्ड मण्डल से आता हूं । उसकी अपनी एक अलग समस्या है । वह मध्य प्रदेश के बार्डर पर स्थित होने के कारण वहां पर जो भी छोटी बड़ी योजनाएं बनती हैं, सरकार की स्वीकृति और उसके सहयोग की बहुत जरूरत पड़ती है. इसलिए यहां पर अधिकांश सिंचित क्षमता और नदियों की सिंचित क्षमता बेकार पड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ इनको लेकर कोई न कोई झगड़ा बना रहता है।

श्रीमन्, होता यह है कि उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार मध्य प्रदेश की योजनाओं को इसलिए स्वीकृति नहीं देती कि वह मध्य प्रदेश की सरकार से कुछ समझौता करके लेना चाहती है, और मध्य प्रदेश सरकार हमारी सरकार की योजनाओं को स्वीकृति नहीं देती क्योंकि वह हमारी सरकार से कुछ पाना चाहती है। नतीजा यह होता है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोनों सरकारों की योजनाएं अधर में पड़ी रह जाती है, और इसका परिणाम बुन्देलखण्ड के विकास पर पड़ता है, उसका विकास रुक जाता है।

मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड का जो भूभाग है उसके लिये सिंचाई विभाग द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए ताकि उन बड़ी-बड़ी योजनाओं के स्थान पर, जो दोनों सरकारों के झगड़े के कारण तय नहीं हो पाती है, दूसरी कोई छोटी-छोटी योजनायें बनाकर वहां के विकास कार्यक्रम को तेजी के साथ किया जा सके।

राजघाट डैम का कार्य 1974 में शुरू हुआ था और वह कार्य आज भी प्रारम्भिक अवस्था में ही पड़ा है। चूंकि मध्य प्रदेश इसके लिये अपना शेयर मनी नहीं दे रहा है इसलिए यह योजना खटायी में पड़ी है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपना पूरा शेयर देती है और उसने इस वर्ष भी 7 करोड़ देने का वायदा किया है। मगर मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग न मिलने के कारण वह कार्य नहीं हो पा रहा है। इस ओर भी सरकार को सोच विचार कर कोई हल निकालना चाहिये जिससे यह डैम पूरा हो सके। हमारी सरकार द्वारा ही अधिक पूंजी का प्राविधान करके इसे पूरा करना चाहिये। आप यह कर सकते हैं कि जब तक मध्य प्रदेश की सरकार अपना पूरा पैसा न दे, तब तक उस पानी का प्रयोग आप उनको न करने दें, आप ही उसका पूरा प्रयोग करें। इससे ललितपुर, हमीरपुर और जौनपुर में काफी सिंचाई के कार्य पूरे किये जा सकेंगे।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश की एक औरक्षा बांध की योजना है 200 मेगावाट बिजली पैदा करने की, जो झांसी से 3 किलोमीटर दूर है, वह इस वजह से खटायी में पड़ी है क्योंकि हमारी सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी है। आप उसकी स्वीकृति दे दें ताकि वह कार्य हो सके।

जमरार बांध की भी स्वीकृति आप प्राप्त कर लें। यह भी बनना बहुत आवश्यक है।

यदि बड़ी-बड़ी योजनाओं में किसी कारणवश देरी होती है तो मेरा सुझाव है कि आप छोटी-छोटी योजनाओं के द्वारा विकास कार्यक्रम को चलायें और उसके लिए धन आवंटित करें। मेरी प्रार्थना पर चीफ इन्जीनियर, बुन्देलखंड ने कुछ कामों के लिये नो आब्जेक्शन सार्टीफिकेट भी दे दिया था, उन्हें शीघ्र आप प्रारम्भ करा दें।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राम गोविन्द चौधरी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत संक्षिप्त भाषण करना चाहता हूं। केवल एक दो सुझाव ही दूंगा।

माननीय मंत्री जी के सिंचाई विभाग में अभी तक कोई वरिष्ठता सूची दुरुस्त नहीं है जिसके कारण आपस में काफी दलबन्दी है, काफी मुकदमेंबाजी चल रही है और काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भ्रष्टाचार उन्मूलन की जो बात अपने विभाग में करते हैं वह कभी खत्म नहीं हो पायेगा। यह एक मौलिक प्रश्न है और इसको लेकर आपके विभाग की दर्जनों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

याचिकायें हाई कोर्ट में चल रही हैं। यह वरिष्ठता सूची लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों की तिथि के आधार पर बनाया जाय या तदर्थ नियुक्त्यों का भी आधार माना जाय, यह आप अपने यहां अभी तक तय नहीं कर पाये हैं। चिकित्सा विभाग में भी इसी तरह का प्रश्न खड़ा हुआ था। बालेश्वर दयाल के मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हो चुका है और उसका भाष्य करते हुए हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि इस आधार पर आप वरिष्ठता सूची तैयार कीजिये लेकिन मान्यवर,, एक तरफ तो मैकेनिकल सम्वर्ग के अभियंताओं के लिये दूसरा मापदण्ड है और दूसरी तरफ सिविल अभियंताओं के लिये दूसरी तरह का मापदण्ड विभाग ने निर्धारित करके वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा रही है जिसकी वजह से मुकदमों का एक आधार तैयार हो गया है। इसी आधार पर अधिशासी अभियंता तथा अधीक्षण अभियन्ता प्रोन्नत हुए हैं जिसके चलते विभागीय गड़बड़ी को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले पर पुनर्विचार करें और सिविल अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची, लोक सेवा आयोग से नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों में से वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता सूची को प्रकाशित करें। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में बाढ़ और कटाव की दो समस्यायें हैं। जो जल संसाधन हैं उनका शोषण जिस तरह से होना चाहिये वह कारगर व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है । मेरा क्षेत्र बरहज एक प्रमुख कस्बा देवरिया जिले का और पूर्वांचल का है। वहां दो वर्षों से कटाव हो रहा है। मैंने मंत्री जी से स्वयं आग्रह किया है और इन्होंने विभाग को लिखकर दिया लेकिन वहां ठोकर की व्यवस्था नहीं हुई है तो इससे वह कस्बा बचने वाला नहीं है। उस कटाव स्थल को पिच कराने की व्यवस्था करें ताकि वह कस्बा जो बाबा राघव दास की कर्म स्थली रहा है और जहां देवरहा बाबा जैसे संत रहते हैं उसकी रक्षा हो सके। तो वहां पर पिच करने की व्यवस्था की जाय इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री इन्द्रजीत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझको सिंचाई विभाग के अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, मैं फतेहपुर जिले के किशुनपुर क्षेत्र से आता हूं। मान्यवर, फतेहपुर जिला नहरी क्षेत्र था इस कारण से इसको टेल कर दिया गया है। लोअर गंगा नहर से वहां सिंचाई की जाती थी। उसमें जो इलाहाबाद का क्षेत्र जोड़ दिया गया है तो किशुनपुर पम्प कैनाल बनायी गयी पर उस क्षेत्र में एक बूंद पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया जा रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किशनपुर पम्प कैनाल से जगदलपुर ब्रांच बनाकर फतेहपुर जिले को पानी देने का प्राविधान करें और उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करें ताकि सिंचाई को पूरा किया जा सके। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि इस क्षेत्र में, वर्ल्ड बैंक की स्कीम जो मेरे जिले फतेहपुर में आयी उसके अन्तर्गत आल इंडिया स्तर पर इस जनपद को चुना गया परन्तु किसी कारणवश इस जनपद से इस योजना को स्थानान्तरित किया गया और कुछ और क्षेत्रों को ले लिया गया है। यह मेरा क्षेत्र है। यहां

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पर 500 ट्यूबवेल लगाये जाने की योजना थी। इस उद्देश्य से एक सुजानपुर माइनर बनी हुई है लेकिन उससे उस क्षेत्र की सिंचाई नहीं हो पाती है।

मान्यवर, जैसी हमारी नीति है और जैसा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता को प्रथम स्थान पर रखा गया है तो इस स्थिति में, जिस संज्ञान को पानी नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा उसकी बहुत बुरी हालत होगी। इसी प्रकार से कृषि को यदि पानी नहीं मिलेगा तो उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम हमारे जनपद को दी गयी थी उसको पुनः लागू कराने का कष्ट किया जाय जिससे उस क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता पूरी हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बजट के समय जो भाषण दिया जाता है या जो सदन की कार्यवाही होती है उस पर कोई अमल होता तो अच्छा रहता। अगर उस पर अमल नहीं होता है तो कहने का कोई मतलब नहीं है। 81, 82, 83 इन तीनों वर्षों में मैं लगातार कहता रहा हूं और लिखकर भी निवेदन करता रहा हूं कि हमारे इलाके में सन् 77 में नहर बनी लेकिन बरियारपुर के लोगों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तो उन लोगों को मुआवजा देने की व्यवस्था की जाय। किसानों के प्रति जो इतना बड़ा बेरुखी का दृष्टिकोण है यह कब दूर होगा इसकी जानकारी मैं आपसे चाहता हूं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कोन्हवलिया से बैकुंठपुर तक इसके बीच में जो गांव पड़ते हैं जैसे कोन्हवलिया, कमछेनवा, मथुरा छापर; भीखमपुर, कुशहरी, महुआ पाटन, बेलवनिया, बनरहा, आमघाट, महुवलिया, बैकुंठपुर में भीषण कटाव हो रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। डी0 पी0 सिंघल जो गंडक-3 के एच0 सी0 एन0 हैं उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। केवल 2-3 ठोकरें बनायी गयीं हैं जिनमें कंकरों के स्थान पर मिट्टी रखी गयी है। वहां के जो एस0 ई0 मिस्टर गर्ग हैं मैंने आमघाट के बारे में उनसे कहा, उन्होंने आदेश दिया कि ठोकर बनायी जाय लेकिन गंडक प्रथम द्वारा ठोकर नहीं बनायी जा रही है। आमघाट में वहां पर 10 एकड़ जमीन समुद्र के रूप में हो गयी है। मैंने एक छोटा सा फाल बनाने के लिए कहा लेकिन गंडक फर्स्ट के इंजीनियर की वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई काम करने के लिए आपने लिखा भी है तो भी वह काम नहीं हो रहे हैं।

दूसरी बात मैं ट्यूबवेल के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे इलाके में 50 फीसदी ट्यूबवेल आज भी नहीं चल रहे हैं। अगर आप जांच करवायें तो हो सकता है कि 70 फीसदी ट्यूबवेल ऐसे मिलें। एक ट्यूबवेल भैंसाडाबर में है जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां अगर 2 बोरी सीमेंट लगा दी जाय तो पानी निकल सकता है। दो बोरी सीमेंट की व्यवस्था आपका विभाग

नहीं कर पा रहा है इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसे ट्यूबवेल जो दो बोरी सीमेंट के अभाव में नहीं चल पा रहे हैं तो उसके लिये सीमेंट की व्यवस्था की जाय। मैं दो ट्यूबवेलों के बारे में और कहना चाहता हूं। महुववां और डीहा इनको मंत्री जी ने स्वीकृति दी लेकिन वहां पर मोटर नहीं है, न बिजली का कनेक्शन दिया गया है केवल बोरिंग हुयी है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप ध्यान देकर इनको चलवाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, खजुरिया शाखा के एक्स0 इ0 एन0 मिस्टर यादव हैं जो काम करने वाले आदमी हैं लेकिन उनकी भाषा ऐसी है जिस भाषा से कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वह फुट ब्रिज इत्यादि नहीं बनवा रहे हैं तो जिन स्थानों पर यह स्वीकृत है उनको बनवाने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा की कार्यवाही को देखकर मंत्री जी जो हम लोगों ने विचार प्रकट किये हैं उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करें।

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूं और आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के मैदानी इलाके हलद्वानी में जो जमरानी बांध का निर्माण हो रहा है उस पर 7 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और 164.96 करोड़ रुपया और रखा गया है लेकिन मान्यवर यह जो पुस्तिका है इसमें लिखा है कि कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता। तो मान्यवर, अगर जमरानी बांध नहीं बना तो हल्द्वानी के और दूसरे किसान बरबाद हो जायेंगे क्योंकि गोला से जो पानी आता है वह नगर पालिका के इलाके में खर्च हो जाता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हल्द्वानी तहसील में जो गोला से सिंचाई होती है, उसका अधिक पानी नगरपालिका हल्द्वानी में पीने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे वहां के किसानों को सिंचाई उपलब्ध होने में रुकावट हो गयी, जिसके लिए जमनानी बांध का निर्माण हुआ, जिसमें अब तक 7 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और 82-83 तक 136.90 करोड़ था, जो अब बढ़कर 164.96 करोड़ हो गया। आपने अपनी प्रगति रिपोर्ट में लिखा है कि कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता है, जिससे हल्द्वानी तहसील के सारे किसान जो हैं, वे बरवाद हो जायेंगे। इस लिए इस बांध का निर्माण करना आवश्यक है, भले ही वह आकार में छोटा हो। साथ ही आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना है कि रामनगर तथा काठगोदाम में जो सिंचाई की नहरों में नगर का गंदा नाला डाला गया है, उसे शीघ्र हटा दें, क्योंकि यह पानी गांव में पीने के इस्तेमाल में भी लाया जाता है। साथ ही दाबका और कांसी नदी की बाढ़ से जो रामनगर की उपजाऊ भूमि कट रही है, उसको भूमि संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है और कांसियां में लिफ्ट योजना जो पम्प द्वारा है, इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, उसे ठीक करवाया जाय। नहरों की सफाई रामनगर और हल्द्वानी में तीन साल से नहीं हुई है, जिससे पानी लीकेज होता है और विश्व बैंक से जो नलकूप बनाये जा रहे हैं, वह 20 रामनगर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

में और 20 हल्दानी में जिससे राम नगर में हिम्मतपुर, हल्द्वानी में लामाचौर और देवलचौड़ से बनना अति आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

हम लोगों को इस विषय पर चर्चा 3 बजे समाप्त कर देना है । माननीय मंत्री जी को बोलना होगा, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उनको भी बोलना है, तो हमको 2-40 तक यह डिबेट चलाना होगा । अगर माननीय सदस्य खड़े होकर अपने क्षेत्र का सुझाव दे दें, तो ठीक होगा, तो इस तरह से विशेषकर ज्यादा लोगों को बोलने का मौका भी मिल जायगा ।

*श्री अकबाल हुसैन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं गोंडा जनपद से चुनकर आया हूं, जहां पर सरकारी संसाधनों से सिंचाई की क्षमता मात्र 5 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश के दूसरे नम्बर पर फसल की बोआई होती है । मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जनपद और मेरे क्षेत्र में सरयू सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत मुख्य राप्ती नहर का निर्माण हो रहा था, जो बहराइच, गोंडा, बस्ती तथा गोरखपुर के हजारों हेक्टेयर जमीन को सीचना और उसमें 25 मेगावाट की मिनी हाइडिल स्कीम 40 करोड़ रुपये से स्वीकृत थी, इन दोनों योजनाओं को धन नहीं दिया जा रहा है और धन के अभाव से डाप कर दिया गया है, वहां पर ट्यूब वेल भी नहीं लगे हैं, मुख्य फसल गन्ना, गेहूं और धान जो है, सिंचाई के अभाव में गन्ना, धान और गेहूं की फसल सूख जाती है । सिंचाई न होने से गन्ने की उपज कम हो जाती है और तुलसीपुर मिल में सप्लाई बन्द हो जाती है । तुलसीपुर मिल क्षेत्र के पंचपेड़वा, गौंसड़ी, तुलसीपुर विकास खण्डों में इस मिल क्षेत्र में कम से कम 100 सरकारी ट्यूब बेल लगवाये जायं तथा मुख्य राप्ती नहर पर काम शीघ्र कराया जाय ।

मेरे क्षेत्र में चित्तौरगढ़ रिजरवायर परियोजना बन रही थी, जिस पर जो 82 में सिंचाई के लिए पानी दे देना चाहिए, लेकिन अभी इस पर स्पिलवे का काम नहीं शुरू हुआ और अब लगता है कि सन् 85 से पहले पानी नहीं दे पायेंगे । इस क्षेत्र की सभी फसलें सिंचाई के कारण, सिंचाई न होने से सूख जाती है । इसी प्रकार राप्ती नदी पर भोजपुर ग्राम में उतरौला पम्प कैनाल का निर्माण हो रहा है, जिसको 81 में पानी सिंचाई के लिए देना चाहिए, परन्तु उस पर भी पैसा न देने के कारण उसका निर्माण कार्य रुका हुआ है । इस प्रकार गौंसड़ी विधान सभा क्षेत्र में सभी प्रकार के नलकूप नहर, बांध और पम्प कैनाल जो निर्माणाधीन हैं, सरकार पैसे नहीं भेज रही है, इस कारण काम रुक गये हैं, जिससे किसानों में भारी असंतोष है और किसान सिंचाई विभाग में काम शुरू कराने के लिए आंदोलित हो रहे हैं । 3 करोड रुपया राप्ती मुख्य नहर पर खर्च हो चुका है, हजारों हेक्टियर जमीन पर नहर खोदी जा चुकी है और किसानों के कब्जे से जमीन ले ली गयी है । जिस नदी से यह नहर बन रही है, वह सन 2000 सन के बाद ही पूरी हो सकती है । हमारे क्षेत्र के राप्ती नदी, मुख्य राप्ती, बढी राप्ती तथा भांवर नाले से जो बाढ़ आती है, उसको रोकने का कोई कार्य नहीं किया गया है, जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

दरिया और पकड़ी पटौहा के जमींदार बांध के मरम्मत और लकड़ी के पुल के संबंध में नियम 301 की सूचना सदन में स्वीकार हुई और मंत्री जी उत्तर में कहे कि शीघ्र इस पर काम कराया जायगा, परन्तु अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ । राप्ती नदी और बूढ़ी राप्ती नदी से हो रहे गांवों के कटान की रोकने का भी क्रम हाजी डीह, मधवानगर, खादर, ललभरिया और बरगदहा गांवों के कटान को अब तक नहीं रोका गया और न ही राप्ती नदी के ग्राम कूंड़ी ग्राम, महरी ग्राम, भोजपुर पुरैना और करमहना के कटाव को रोका गया और न बाढ़ को नियंत्रित किया गया । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे क्षेत्र की समस्याओं का धन देकर शीघ्र निराकरण करा दें ।

*श्री अनवार खां–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और तथ्यहीन कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । जो बजट उत्तर प्रदेश के हमारे योग्य सिंचाई मंत्री जी ने रखा है, उसकी तारीफ करना तो सभी लोगों को मालूम है, बहरहाल उसके लिए एक शेर पढ़ दूं।

'अभी और कुछ दिन यह दस्तरे मय खाना है तिश्ना कामी के यह दिन गुजर जायेंगे ।

मेरे साकी को नजरे उठाने तो दो जितने खाली हैं, सब जाम भर जायेंगे ।"

[2 बजकर 20 मिनट पर]

हमारे मंत्री जी के सामने कोई बात छिपी नहीं है । लेकिन मेरे क्षेत्र की एक समस्या मंत्री जी की नजर से रह गई और उसका बजट में प्राविधान नहीं हो पाया । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं । पी0 एल0 जी0 सी0 स्कीमों में ग्राम आलीपुर, प्यावली, हरनोट, भोजपुर चन्दटंन, साहखुरा में सीपेज की समस्या है । वहां पर जबरदस्त सीपेज है । लोग अपने खाने के लिये अनाज पैदा नहीं कर पा रहे हैं पी0 एल0 जी0 सी0 में गांव दीनापुर, टोंडापुर, हमीरपुर, रुस्तमनगर से सापुरा तक सीपेज की समस्या है। अनाज नाम की कोई चीज वहां पैदा नहीं हो रही है लोग गांव छोड़कर भागने को तैयार हैं ।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सीपेज की समस्या समाप्त करने के लिये नाला खुदवायें । एक बात और रह गई है, मेरे क्षेत्र में अपर गंगा कैनाल के पटरी 170 से 181 किलोमीटर तक मार्डनाइजेशन के अन्तर्गत बनाई गई है । उस पर जितना पत्थर पड़ना चाहिये था नहीं पड़ा, जितना मैटेरियल पड़ना चाहिये था, नहीं पड़ा। मैंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक में इस मामले को उठाया, जांच करने वाला जो अधिकारी है, वह उन्हीं लोगों की बिरादरी का, उन्हीं के गांव का और उन्हीं का रिश्तेदार है एo ईo, जेo ईo। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच पुनः किसी दूसरे अधिकारी से करायी जाय । एक चीज यह कहना चाहता हूं कि जो बीo इo ईo डिग्री होल्डर हैं जिन्होंने 16 से 20 साल की सेवा कर ली है, उनको प्रमोशन दिया जाय। एक बात मेरे क्षेत्र की और रह गयी। एक गांव एहेक है जो काली नदी से कटता जा रहा है और अगली बरसात से कटता जा रहा है और अगली बरसात में बिल्कुल कट जायेगा । इसको तुरन्त रोकने का प्रयास किया जाना चाहिये । इन

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बाबू सिंह (अलीगढ़)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं मेरे क्षेत्र के तीन विन्दु आपके सामने हैं। अनूप शहर, नहरबांच से सर्वतपुर, ऊंचा गांव, जोजर, अलीपुरा, सरपुरा, सिकन्दरपुर के गांवों को सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये । क्योंकि इस नहर के किनारे 5 सौ बीघे के टुकड़े पड़े हैं, उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूं कि सर्वे कराकर कुलाबा देने की व्यवस्था करें ।

दूसरी बात जैसा हमारे दोस्त अनवार साहब ने कहा पी0 एल0 जी0 सी0 से 10-15 गांव प्यावली, ऊंचागांव, कंचनपुर, गोपालपुर, आदि गांव गरकी से प्रभावित हैं। वहां पानी भर जाता है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब अधिकारी वर्ग से कहा जाता है तो वह कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है । बजट में इसका प्राविधान नहीं है । यह बहुत बड़ी समस्या है । एल0जी0सी0 से भी सीपेज की बहुत बड़ी समस्या है । आपके अधिकारी जाते हैं और कहते हैं कि नाला निकालने की जरूरत है । मेरी समझ में नहीं आता है कि नाला निकालने का बजट सी0 डी0 ए0 है । जी0 डी0 ए0 ने मौका नहीं देखा है, राजस्व विभाग का कोई अधिकारी मौका नहीं देखता है, न वह उस समस्या को समझते हैं, लेकिन बजट वह देते हैं । मेरा अनुरोध है कि जैसे आप बजट में बहुत बड़ी धनराशि देते हैं, उसी तरह से इसके लिए भी आप बजट दें और आपके अधिकारी जहां उचित समझें नाला निकालें ।

श्री अधिष्ठाता –

अब आप बैठें ।

श्री बाबू सिंह –

चितपुरा तालाब से एक नाला निकलना है जिसकी 7 वर्ष से स्कीम चल रही है । सर्वे हो चुका है, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं दिया गया । 40-45 गांव इसके करीब पड़ते हैं । इस तालाब में आठ नाले डाल दिये गये हैं जिससे यह समुद्र का रूप ले लेता है और एक लम्बा नाला 28 किलोमीटर का बनाया गया है जो बरसात के पानी को नहीं खींच पाता है ।

श्री अधिष्ठाता –

बाबू सिंह जी कभी-कभी लाल बत्ती की तरफ भी देख लिया करें ।

श्री बाबू सिंह –

अन्त में मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, उसको जल्दी से जल्दी बनवा दें, इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता –

मैं निवेदन करना चाहूंगा वैसे मैं किसी पार्टी की सूची से नहीं बैठा हुआ हूं ।

श्री लोकमणि शर्मा –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । समर्थन का कारण है, आजादी से पहले हमारे देश की जो भूमि थी वह इतनी असिंचित थी कि यह कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारा देश खाद्यान्न में स्वावलम्बी नहीं था और आजादी के पहले योजनाकाल से पहले उसका सिंचित लक्ष्य केवल 24 लाख हेक्टेयर भूमि का था उसके बाद 62 लाख हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य किया है और 82-83

में 98.23 लाख हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य हो गया है इस कारण समर्थन करता हूं। मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा है कि एक रुपया रखा जाय वह समझ में नहीं आया इसमें माननीय सदस्यों ने बहुत से कार्यक्रम भी रखे हैं अच्छा होता कि इस योजना के साथ-साथ और धन बढ़ाने का प्रस्ताव रखते। दोनों बातें एक साथ सम्भव नहीं है इस कारण कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री खैरुल बशर –

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया...

श्री अधिष्ठाता –

माननीय लोकमणि जी कृपया बैठ जाएं।

श्री खैरुल बशर –

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे दो-तीन सुझाव देने हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र मऊनाथ भंजन आजमगढ़ जिले में ऐसा क्षेत्र है जो रेवेन्यू आजमगढ़ जिले में देता है लेकिन न तो कोई नहर है न कोई सिंचाई का साधन है ऊसर जमीन पड़ी है छोटी-छोटी जोत है। करीब 25 हजार लोग मऊ नाथ भंजन में काम करके अपने बाल बच्चों को खिला पाते हैं इनकी खेती का विकास नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं और मांग करता हूं कि इन लोगों पर ध्यान दिया जाए। साथ-साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सहरोर गांव है सरजू नदी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है खम्भे बन गये हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भदसला गांव है जिस दिन से भदसला गांव की नदी काट दी गई उस दिन से वह दाने-दाने की मोहताज हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बिहारी लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरा क्षेत्र खटीमा थारुओं (जनजाति) का क्षेत्र है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहूंगा कि 111 किलोमीटर लम्बी नहर वहां बना दी गयी है, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 217.56 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा वहां प्रतापपुर, बनवसा, शक्तिफार्म गांव (सेवा कैम्प) जो नदी के किनारे है, उनमें जमकडा परवीन आदि नदियों के कटान से भारी नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कटान को रोकने के लिए किसानों की जमीन की पैचिंग होनी चाहिए। हाउस में आपके ये अधिकारी गलत सूचना देते हैं कि इस क्षेत्र में शक्तिफार्म बनवसा या अन्य जगह कटान से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि वहां प्रतापपुर शक्तिफार्म बनवसा (चन्दनी) मेहमान नगर आदि में इतना कटान हो गया है कि बाढ़ से वहां के किसानों की जमीनें कट गयी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मेरा क्षेत्र अनुसूचित जाति जन जाति का क्षेत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है, मेरे क्षेत्र में कटान रोकने के लिये व्यवस्था की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री यमुना प्रसाद–

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक कैनाल है। उससे भयंकर सीपेज होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाराबंकी और सीतापुर के सीपेज को माननीय मंत्री जी समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनके अधिकारी वहां जाते हैं, वे केवल देखकर चले जाते हैं। मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यह जो शारदा सहायक कैनाल व दरियाबाद समानान्तर शारदा नहर है, जिससे हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि में जल भरा हुआ है और कोई फसल नहीं हो पाती है। मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि जब नहर बनी थी, जो नहर के किनारे पटरी खड़ी कर दी गयी थी, उसके लिये साइड में जो किसानों के खेत थे उनकी जमीन की मिट्टी खोद कर पटरी बनायी गयी थी, जिससे खेतों का लेबुल नीचा हो गया।

मेरा सुझाव यह है कि अगर नहर के किनारे नहर की पटरी के नीचे चौड़ाई में दोनों तरफ नीची भूमि की पटान कर दी जाय तो सीपेज बन्द हो जायगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र में रहता हूं और मैंने उसको देखा है कि जहां-जहां मिट्टी नहीं खोदी गयी है, वहां-वहां सीपेज नहीं होता है। मेरा स्पष्ट मत है कि अगर वहां मिट्टी डाल दी जाय तो सीपेज बन्द हो जायगा। मान्यवर, ग्राम सुरजनपुर, ढखौली, तालगांव, कटघरा, मैदासपुर, मनाजूपुर और समसीपुर आदि गांवों में सीपेज का पानी भरा हुआ है। इस तरह से एक भीषण समस्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाराबंकी और सीतापुर में एक कल्याणी नदी है। इसमें बहुत भयंकर बाढ़ आती है और किसानों की हजारों एकड़ भूमि जल प्लावित हो जाती है बरसात के मौसम में और फिर शारदा सहायक का पानी छोड़ दिया जाता है तो और भयंकर स्थिति हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस अलाभकर जोत का लगान नहीं माफ किया गया है और न वहां खेती हो पाती है। मैं चाहता हूं कि वहां पर जब तक कल्याणी की बाढ़ की सारी समस्या दूर न हो जाय, लगान माफ कर दिया जाय।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह भारत, यह उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश व प्रदेश है। इस बात के लिए निश्चित रूप से चिन्तित है कि किस तरह से इसकी व्यवस्था की जाय और सिंचाई की क्षमता किस तरह से बढ़ायी जाय। माननीय मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से जो इस हेतु योजनायें पेश की हैं, वह निश्चित ही सराहनीय है। माननीय मंत्री जी को जन सुधार के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज हमारे इन्जीनियरों ने और तकनीशियनों ने विदेशों में जाकर काफी नाम पैदा किया है और इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है। माननीय मंत्री जी मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां चारों तरफ बाढ़ का भयंकर प्रकोप खड़ा हुआ है। पडरौना क्षेत्र नारायणी नदी के किनारे पर बसे हुए हम लोग हर साल

इस बाढ़ से प्रताड़ित होते हैं। हर साल बिहार से हजारों घर कटकर हमारे क्षेत्र में विलय हो जाते हैं, जिससे वहां का जनजीवन असुरक्षित हो गया है। जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर कई बार दिलाया जा चुका है, किन्तु वह कतई ध्यान नहीं देते हैं, लिहाजा इस ओर उनका ध्यान दिलाया जाय।

श्रीमन्, दूसरा, हमारे यहां दुर्गौलिया और जिगना दो गांव हैं। वहां लोगों के आने-जाने के लिए मार्ग नहीं है, वहां पर दो छोटे-छोटे पुल बनाने के लिए कहा गया था, किन्तु आज तक नहीं बनाये गये हैं। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी आप वहां पर दो पुलियायें बना दें ताकि वहां की जनता को आने-जाने के लिए सुविधा हो सके और उनका कल्याण हो सके। जब इस सम्बन्ध में अधिकारियों से कहा जाता है, तो वे लोग कह देते हैं कि धनाभाव है। इस प्रकार जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। श्रीमन्, श्री नुमान खां, जूनियर इंजीनियर की अभी तक प्रोन्नति नहीं हुई है, उनकी प्रोनति अवश्य ही कर दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री कन्हैयालाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मथुरा जिले में हर साल गरकी अर्थात् वाटर लागिंग की समस्या रहती है, उसके लिये बनी हुई गोवर्धन ड्रेन उचित कार्य नहीं कर पाती है इसके निराकरण हेतु अधिकारियों का सुझाव था कि एक पैरेलल ड्रेन बनायी जायेगी, जिसका हमने विरोध किया था, फलस्वरूप माननीय मंत्री जी ने उसे ड्राप कर दिया जिसके लिये हम उनके आभारी हैं।

श्रीमन् जहां तक गोवर्धन ड्रेन की री-माडलिंग वाली बात है, उसे जल्दी से जल्दी किया जाय। पुरा माइनर को एक्सटेन्ड कर इसी गोवर्धन ड्रेन में मिला दिया जाय और रसूल माइनर को 2 किलोमीटर बढ़ाकर इसी गोवर्धन ड्रेन में मिला दिया जाय ताकि सिंचाई की समस्या भी दूर हो सके और वाटर लागिंग की भी। कोशी ड्रेन की-रिमोडलिंग करवा दी जाय।

श्रीमन्, सीपेज की समस्या का जहां तक प्रश्न है अड़ीम रजवाहा और फेहरत रजवाहा में अड़ीम और बेरी ग्राम पर क्रमशः लाइनिंग की ईंटों से पक्की कर दी जाय, जिससे यह समस्या समाप्त हो सके और किसानों को जो इससे नुकसान होता है, उससे वह बच सकें। एफ0एस0 सब डिवीजन का एक सेक्शन मथुरा जिले में है उसे लोअर बागरा के थर्ड डिवीजन में मिला दिया जाय जो मथुरा जिले का ही है। इससे किसानों की बहुत बड़ी असुविधा दूर हो जायगी।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय बहुत कम है आप स्वयं समझ सकते हैं कि बातों को किस प्रकार रखा जाय। इतने थोड़े समय में बातें केवल सूत्र में कही जा सकती हैं। मान्यवर, एक शेर है।

'एक शख्स कल मिला था कड़ी धूप में मुझे,
पानी की आरजू में लहू बेचता हुआ।'

इसी के साथ ही मान्यवर, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं माननीय मंत्री

जी का ध्यान नहरों और बम्बों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजबहे माइनर्स के बारे में यहां पर कहा गया। इसके लिये आप व्यवस्था करते हैं कि इनकी खुदाई की जाय। होता यह है कि फावड़े से दोनों ओर से खोदकर मिट्टी चौरस कर दी जाती है, फल-स्वरूप पानी उसमें से बहता रहता है। आपके इन्जीनियर महोदय कहते हैं कि पानी के साथ बालू चली आयी है, जिससे सिल्टिंग हो गई मान्यवर, कृपा करके इस टेक्नीकल बिन्दु को विशेष रूप से देखने का कष्ट करें। इंजीनियर्स लोग सिल्टिंग का आधार जो लेते हैं, उसको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक राजकीय नलकूप का कमांड एरिया आपने ढाई सौ एकड़ रखा है, जिसके तहत कहना चाहता हूं कि ढाई सौ एकड़ का एरिया एक राजकीय नलकूप नहीं सींच सकता है और न सींच पा रहा है। इसका उपयोग तो तभी अच्छा होगा जब पूरी जमीन की सिंचाई हो सके। इसलिये एक राजकीय नलकूप के कमांड एरिया को ढाई सौ एकड़ से घटाकर डेढ़ सौ एकड़ कर दिया जाय, जिससे भली प्रकार से सिंचाई कार्य हो सकें। इस बात पर भी विशेष गौर करने की मान्यवर, जरूरत है। तीसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 9 जनवरी, 1982 के दैनिक "आज" में छपा है। वादे तो बहुत बार हो चुके मगर पंचनद बांध का निर्माण कब होगा? मान्यवर, इस हाउस में भी कई बार इस पंचनद बांध की बाबत चर्चा हुई है। मान्यवर, यह केवल इटावा जनपद का ही बांध नहीं है, यह जालौन कानपुर और फतेहपुर का बांध ही नहीं है, बल्कि इस बांध का प्रभाव पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल पर पड़ेगा।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं यह आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। 30 नवम्बर, 1976 की शाम, हजारों लोगों की उप-स्थिति में तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री बलिराम भगत के सामने इटावा प्रद-र्शनी के वृहत पण्डाल में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने घोषणा की थी कि इस जिले में शीघ्र ही पंचनद बांध योजना शुरू की जायेगी। बाद में इलाहाबाद मंडल की सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए फतेहपुर में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की मीटिंग में इस पंचनद योजना के कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया था और रुपया भी स्वीकृत कर दिया गया था। उसके आगे इसमें लिखा है— इस बांध के निर्माण में मध्य प्रदेश का भी परिक्षेत्र शामिल होने के कारण वहां की सरकार भी वर्षों से उत्सुक और प्रयत्नशील है।

वर्ष 1980 में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की शिवपुरी और दतिया में चम्बल घाटी के दस्युओं के उन्मू-लन में बैठक हुई थी उसमें इस बांध के निर्माण पर सहमति व्यक्त की गयी थी और जल्द ही कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

श्री अधिष्ठाता —

गौरीशंकर जी आपका समय समाप्त।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट —

लास्ट लाइन इसकी पढ़ दूं। 1979 के विधान सभा चुनाव के दौरान औरैया (इटावा) की एक विशाल जनसभा में प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंचनद बांध

और शेरगढ़ घाट पर विशाल पुल के निर्माण का जनता को आश्वासन दिया था । उन्हीं की तरह इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए देश और प्रदेश के अन्य नेता कई बार घोषणा कर चुके हैं और आज भी पिछले कई वर्षों से 20 से अधिक इंजीनियर और सैकड़ों कर्मचारी इस योजना पर कार्यरत हैं किन्तु सभी कार्यवाही सिर्फ कागजों तक ही सीमित है । इस योजना से प्रदेश की ही नहीं बल्कि समूचे देश की कई प्रमुख समस्यायें जुड़ी हैं परन्तु इतनी महत्वपूर्ण योजना अभी तक लालफीताशाही की ही शिकार है ।

श्री अधिष्ठाता –

आपका समय समाप्त आप बैठें ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट –

मान्यवर, अंत में कहना चाहूंगा कि वर्ष 1982-83 की बजट पुस्तिका में इसका उल्लेख आया था । लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इस वर्ष की बजट पुस्तिका में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं आया है और दुख तो इस बात का है बजट पुस्तिका में तो उल्लेख आया ही नहीं, इस सिंचाई विभाग की भी पुस्तिका में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है । आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि इसकी बाबत जो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है, जो सेन्ट्रल वाटर कमीशन को गया हुआ है, उसे यथाशीघ्र स्पष्ट कराके इसका एक्जीक्यूशन करायें ताकि इस बांध का निर्माण जल्द हो जाय और इस प्रदेश के कई जनपदों की जनता लाभान्वित हो, इस पर आपकी विशेष कृपा होगी ।

मैं इसके साथ ही प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री नन्द राम –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा चुनाव क्षेत्र फरीदपुर जनपद बरेली में है । वहां सिंचाई कमाल की ब्रांच है । वहां से एक रजबहा सेंक्शन हुआ है । गांग ककरा खुर्द से शेखापुर ग्राम तक रजबहा सेंक्शन हुआ है । उसकी बाबत वहां मुआवजा भी बट चुका है, लेकिन नहर का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है । नहर नहीं खोदी गयी है । इस पर माननीय मंत्री जी कृपा करके ध्यान दें, और वहां कार्य करायेंगे । मैं दूसरी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा यहां गांव ककरा कला है, जिसमें सौ एकड़ की जोत के काश्तकार, जिनके नाम पर सिर्फ 5 रुपये की आबपाशी आयी है, वहां के कर्मचारियों ने उसे छोड़ दिया है, रिश्वत लेकर के। मैंने इस पर कहा भी है लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। इतना इस महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त है । इसके अलावा कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो लिफ्टें लगी हुई हैं, ग्राम मरोरा में दो पाइप लगे हैं, जिसमें एक पाइप चलता है 1-2 घंटे के लिये और फिर वह बंद हो जाता है, जिससे पानी खेतों का सूख जाता है। इसलिए लिफ्ट हटा दी जाय और नहर को नहर से जोड़ दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त । आप बैठें।

श्री नन्द राम–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ जो चौधरी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, दो बातें निवेदन करना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हूं . . मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि मा0 सिंचाई मंत्री जी अपना आश्वासन सदन में दे दें । आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के लिए 6-2-82 को कुछ ड्रेन्स एप्रूव किये गये कि उनकी खुदाई होगी । वहां पर बहुत जल जमाव हो रहा है । मैं चाहूंगा कि जो एप्रूव्ड ड्रेन्स हैं, उनको खुदवाने की व्यवस्था, यह शासन और माननीय मंत्री जी करें । इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि चक हबीबुल्ला में बहुत पानी है । रसूलपुर गांव और इमामुद्दीनपुर गांव कट रहा है, उसको कटाव से बचाने के लिए व्यवस्था करें और दोहरीघाट नहर में पानी की कमी पूरी करा दें ।

*श्री राम स्वरूप निम –

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी का जो बजट है, उसमें क्या हो रहा है, वह तो माननीय सदस्यों ने बता दिया है, मैं अलग से कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी के विभाग में आज तक आजादी के 36-37 सालों के बाद भी जो हरिजन उत्पीड़न हो रहा है, उसकी मिशाल नहीं मिलती । जनपद सहारनपुर में लघु सिंचाई कार्यालय है, पांडे जी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं । उनकी स्टेनो अनुसूचित जाति की लड़की चुन ली गयी, उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं करने दिया । उसको नौकरी छोड़नी पड़ी । पांडे जी का वही आफिस है वहीं घर है । उनका चपरासी उनका साला है, जो वहां के किसी आदमी को पानी पिलाना गुनाह समझता है । कोई शिकायत करता है तो या तो उसका ट्रांसफर करा दिया जाता है या उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है । आरक्षण का जो सवाल है, उसके पूरा होने की उम्मीद नहीं है । विभाग के अधिकारी सामन्ती प्रवृत्ति के हैं । उस लड़की ने जिलाधिकारी को लिखा, माननीय मंत्री जी से लिखा पढ़ी की-किसी ने नहीं सुना, उसको अपने घर जाना पड़ा । सहारनपुर जिले के अंदर जो स्थिति है, दो लाख का बजट डिस्ट्रिक्ट प्लान ने एलाट किया, जिसके अंदर बजट का कोई काम नहीं किया । कई जगह रजबहे टूट रहे हैं, रुड़की नहर बहुत बड़ी नहर है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पानी देती है, उसके कटाव और सीपेज की समस्या का कोई हल नहीं है । जिस किसान को पानी नहीं मिलता है, उसे भी पैसा देना पड़ता है । जिस किसान के नाम .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता –

बहुत से माननीय सदस्य खड़े हैं, मैं पार्टी की सूची भी देख रहा हूं, सभी को अवसर देना है । अब आप समाप्त करें ।

श्री शिवराज सिंह –

मान्यवर, हमारे अलीगढ़ में यमुना नदी के किनारे बसे ब्लाक टप्पल के गांवों का रकबा कटाव के कारण काफी हरियाणा में चला गया है । गिट्टी पत्थर की नहीं पड़ी है । कई गांवों की जमीन कटकर हरियाना में जा रही है । आप चाहें तो इसका सर्वे करा लें। मांट ब्रांच में रजबहे चल रहे हैं, कट जाते हैं, यहां ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है कि उसको रोका जाय ।

बेल ठीक कराई जाय और बड़ौदा तथा जेवर टेल तक पानी रजबहे को पहुंचाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम पटेल (बिना माईक आन करायें खड़े होकर बोलने लगे जो कि घोर व्यवधान के कारण सुनाई नहीं पड़ा।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता –

कृपया आप माईक पर बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम पटेल –

मान्यवर, रसूलघाट में जो पानी के निकासी की व्यवस्था की गयी है वह केवल कागज पर ही है, कहीं पर उसके संबंध में कोई काम नहीं हुआ है । इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

*श्रीमती सुमनलता –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया है इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि कानपुर महानगर में बहुत दिनों से एक योजना प्रस्तावित है गंगाबैराज के नाम से । आप सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से सहमत होंगे कि कानपुर में गंगा-बैराज यदि बन जाता है तो निश्चित रूप से इससे तीन जिलों को फर्रूखाबाद, उन्नाव और कानपुर को फायदा होगा । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आज आप इस बात की घोषणा करें कि कानपुर में गंगा बैराज शीघ्र ही निर्मित हो जायेगा । उसके लिए जो पैसा है उसे छठी पंचवर्षीय योजना में निश्चित रूप से शामिल कर लिया जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मैं मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी, जो पुराने ट्यूबवेल खराब पड़े हैं और खोद दिये गये हैं, पहले उनको सुधारा जाय उसके बाद नये ट्यूबवेल ज्यादा से ज्यादा खुदवाये जांय । इन्हीं शब्दों के साथ मैंने दो मिनट में अपनी बात को कह दिया है, मैं आपकी आभारी हूं और सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री राम गोविन्द –

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे पहले सुमन लता को बोलने का मौका दिया और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मंत्री जी ने कानपुर में बहुत से ट्यूबवेलों की बोरिंग कराई तो मंत्री जी पानी देने का प्रयास कर रहे हैं ।

मान्यवर, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों ओर के लोगों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जो अपने विचार प्रकट किये उनका मैं आभारी हूं । सत्ता पक्ष के कुछ मात्र लोग जो ना जानकारी में इस बात को कहे हैं कि कटौती का प्रस्ताव तथ्यहीन है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि मैं यह प्रस्ताव न रखता तो माननीय सदस्यों को अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर न मिलता । मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और माननीय मंत्री जी ने इस बात का ढिंढोरा पीटा है कि हमारी सिंचन क्षमता को बढ़ावा मिला है और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है । मान्यवर, इन्हीं के आंकड़े हैं, उनके अनुसार सरकारी साधनों से सिंचन क्षमता 2586 हजार हेक्टेयर थी और उसमें से यह

केवल 1500 हजार हेक्टेयर सिंचाई कर सके । निजी क्षेत्र में 7 हजार 36 सौ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की क्षमता थी और उसमें से पूरी की पूरी उपयोग हो गयी है । मान्यवर, माइनर इरीगेशन में सरकारी क्षमता थी 2777 हजार हेक्टेयर की और उसमें से 15 सौ 8 हजार हेक्टेयर सिंचाई हुई है । निजी क्षेत्र में 7'508 हजार हेक्टेयर की क्षमता थी, जो कि पूरी की पूरी उपयोग हुई है ।

मान्यवर, जो निजी और प्राइवेट क्षेत्र में सिंचाई साधन थे उनकी पूरी की पूरी क्षमता का उपयोग हो गया है, परन्तु जो सरकारी साधन थे, उनकी क्षमता का पूरा का पूरा उपयोग नहीं हुआ है । जिस गति से सिंचाई विभाग को काम करना चाहिए, उस गति से काम नहीं कर रहा है । पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश ही ऐसा है जहां पर सिंचाई की दर सबसे अधिक है । मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । तमिल नाडु में सिंचाई दर 23.64 रूपये प्रति हेक्टेयर है, पंजाब में 27.07 रूपये, हरियाना में 56.44 रूपये, मध्य प्रदेश में 49.53 रुपये, बिहार जो सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है वहां पर 58.92 रूपये है, परन्तु हमारे प्रदेश में यह 67.29 रूपये है, जो सबसे अधिक है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने 55 प्रतिशत सिंचित एरिया बताया है । यह पूरी क्षमता से पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण दो फसलें नहीं हो पा रही है । मान्यवर, जो विकास की दर है, उसके बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री ने कहा कि हम आत्म निर्भर हुए हैं । आप विकास की दर को देख लें, योजनाओं पर आपने 6 प्रतिशत की बृद्धि कर दी है । पंजाब में विकास की दर 4.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 3.4 प्रतिशत, हरियाणा में 5.3 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 2.2 प्रतिशत है । आपकी यह विकास की दर है।

अब श्रीमन् गेहूं की सिंचाई को देख लें इसकी सिंचाई में इन्होंने कितनी प्रगति की है । गेहूं की पैदावार पंजाब में 2537, हरियाणा में 2044, उत्तर प्रदेश में 1462 के0 जी0 प्रति हेक्टेयर है । इन आंकड़ों को देखने से यह प्रतीत होता है कि सिंचाई विभाग को जिस गति से और तेजी से काम करना चाहिए वह नहीं कर रहा है, इस कारण हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है । यह जो आंकड़े मैंने बताये हैं वह माननीय मंत्री जी के ही हैं, हमारे प्रदेश का किसान खेती पर निर्भर है और उसकी सारी आमदनी खेती पर निर्भर है, यदि सिंचाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से सरकार नहीं करती है तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। आप उत्तर प्रदेश को आमदनी के आधार पर देखें कि इसका 9वां नम्बर आता है जबकि छोटे-छोटे प्रदेश इससे आगे हैं। इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि जो योजनायें बनाई जाती हैं, वह अपने समय पर पूरी नहीं होती हैं और उनके पूरा होने में काफी समय लग जाता है जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है ।

उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि राम गंगा परियोजना 1961 में स्वीकृत हुई थी, यह 66 करोड़ की योजना थी, सन् 68 में उसको पूरा होना था लेकिन आज तक वह पूरी नहीं हो पाई । 167 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो गया आपकी योजना का यह हाल है। टेहरी बांध पर शुरू में 167 करोड़ रुपया खर्च होना था लेकिन 1982-83 में ही 168 करोड़ रुपया खर्च हो गया और आज की उसकी प्रगति से मालूम होता है कि सन् 1995 के करीब वह योजना पूरी होगी और तब तक 20/25 अरब रुपया

खर्च हो जायेंगे । योजना को लेट करने का यह नतीजा हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप दो मिनट में समाप्त करें। क्योंकि 5 बजे हर हालत में आज का कार्य समाप्त करना है । ऐसा माननीय अध्यक्ष मुझे निर्देश दे गये हैं ।

श्री राम गोविन्द–

मैं दो तीन सुझाव नहरों के संबंध में देना चाहता हूं। कहीं पर यह भी होता है कि मछुआरे लोग नहरों का पानी खोल देते हैं जिसका नतीजा यह होता कि खेतों में जल प्लावन हो जाता है और सारी फसल का नुकसान हो जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या इस बात पर भी सोचेंगे कि जो उनकी फसल का इस तरह से नुकसान हुआ है उसका मुआवजा आप उनको दें। चकबन्दी में रास्ते खोल लिए गए हैं लेकिन पुलों और पुलियों का निर्माण नहीं होता है उनका निर्माण होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

जो चर्चा हुई है उसके संबंध में पूरा सदन इस बात का इच्छुक है कि माननीय मंत्री जी की बात सुनें कि वे क्या आश्वासन देते हैं ?

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, ट्यूबवेलों में 100 करोड़ रुपये का घाटा है और इन ट्यूबवेलों से कोई फायदा नहीं हो रहा है । अगर सही माने में सिंचाई विभाग को आप दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप अपने इस ट्यूबवेल विभाग पर अंकुश लगायें तभी निश्चित रूप से इसके अन्दर अच्छा काम होगा । जहां तक विद्युतीकरण की बात है ट्यूबवेलों को बिजली नहीं दी जाती है । बिजली विभाग से आपने सम्पर्क छोड़ दिया । मैं कहना चाहता हूं कि उद्योग जैसे भारी विभाग को आप छोड़ दें और बिजली विभाग को अपने साथ ले लें तो सिंचाई विभाग का काम अच्छी तरह से हो सकता है । मान्यवर, पहले बाढ़ विभाग में गांव भराई का काम हुआ करता था । नदी के किनारे बहुत से ऐसे गांव हैं जो नीचे बसे होते हैं और सिंचाई विभाग उन गांवों की भराई करके उनको ऊंचा करता था जिससे वहां पानी न जा सके और बरसात में लोग अपने को सुरक्षित रख सकें । बहुत दिनों से सिंचाई विभाग ने गांव भराई का काम बन्द कर दिया है । इसलिए मेरी मांग है कि आप निश्चित रूप से दुबारा इस काम को करें ।

एक बात और कहना चाहूंगा । पूरे प्रदेश में बाढ़ हर साल आती है जिससे कि भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है । पूर्वांचल की बाढ़ को रोकने के लिए करनाली और पंचेश्वर योजनाओं को क्रियान्वित करने की बात सिंचाई विभाग से हुई थी । अब तक उस योजना का क्या हुआ, इसके बारे में जब माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण दें तो इसके बारे में अवश्य प्रकाश डालें कि बाढ़ रोकने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके बारे में तो कुछ कहना बेकार है लेकिन जब तक आप अपने विभाग पर अंकुश नहीं लगायेंगे जैसा कि कल भी यहां पर कहा जा रहा था कि इंजीनियर क्या काम करते हैं । मैं भी इस्टीमेट्स कमेटी का मेम्बर रहा हूं । मैं भी डाक पाथर और कालागढ़ गया था । इंजीनियर वहां के बधाई के पात्र हैं जो इन्जीनियरों ने डैम बनाकर नहरें निकाली हैं, 24 घंटे साइट पर रहते हैं लेकिन जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनका जो रहन-सहन का स्तर आप देख लें तो पता लगेगा कि गरब-

पति है । उनका काम है जनता की सेवा करना, किसानों की सेवा करना और सिंचाई के काम को आगे बढ़ाना लेकिन वे पूरे नाकनक्स के साथ ऐयाशी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस देश की जो परम्परा रही है व्यक्तिगत धन को बढ़ाने की । उसे बढ़ाने में वह लगे हुए हैं । सिंचाई विभाग देश की प्रगति में प्रमुख स्थान रखता है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं और जिन लोगों ने मेरे कटौती प्रस्ताव पर बहुमूल्य सुझाव दिए उनका हृदय से अभिनन्दन करता हूं ।

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)– मान्यवर, अभी जो सुझाव विपक्ष तथा शासन पक्ष से आये उसमें बहुत से सुझाव काफी बहुमूल्य हैं उन सुझावों को देखते हुए विभाग में जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी उसका प्रयास किया जायेगा । लेकिन एक बात पर बार-बार जोर देना कि सिंचाई विभाग में कुछ काम नहीं हुआ यह कहना कोई अच्छी बात नहीं है । यह कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि आजादी से पहले 24 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का काम राजकीय क्षेत्र में होता था और आज वह 101 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो रहा है । तो यह हमारी सिंचाई की क्षमता बढ़ी है और जो हमारा उत्पादन था वह भी दुगुने से ज्यादा बढ़ा है । जो उत्पादन हमारा इस समय है अगर वह सिंचाई नहीं होती तो क्या उतना उत्पादन होता । जो हमारी आबादी बढ़ी है उसको हम खाना नहीं दे सकते थे । जब हम आजाद हुए या उससे पहले खाने भर को पैदा नहीं कर सकते थे कितनी भुखमरी और अकाल होते थे जिससे लाखों लोग मर जाते थे । लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि हमारा प्रदेश गल्ला बाहर भेजता है, हम सरप्लस स्टेट है हम यहां से गल्ला खरीद कर दूसरे राज्यों को दे रहे हैं । तो इसको कोई अनदेखी नहीं कर सकता है कि सिंचाई से कोई फायदा नहीं हुआ है । अगर यह नहीं होता तो आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या स्थिति होती । यह सिंचाई विभाग का ही करिश्मा है कि उत्तर प्रदेश खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है । जैसा मैंने कल भी कहा था हमारे पास साधन कम हैं, जितना हमारा काम है, जितने सिंचाई के साधन देने चाहिए, जितना बड़ा हमारा प्रदेश है, बाढ़ों को रोकने के लिए जितना धन चाहिए या दूसरे कामों के लिए जितना धन चाहिए उतना हमारे पास नहीं है । हम बार-बार इस बात को कहते हैं, भारत सरकार से भी कहते हैं हमें और धन इस काम के लिए दिया जाय मैं जहां कहीं जाता हूं इस बात को कहता हूं कि हम पूरी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं । इसमें कोई बात छुपाने की नहीं है लेकिन इसके बावजूद बहुत से सदस्यों ने ऐसी बातें कहीं ऐसा लगता है कि वह अपने क्षेत्र में जाते नहीं । जाते तो जो सिंचाई हो रही है, जो ट्यूबवेल चल रहे हैं या जो बाढ़ रोकने के काम चल रहे हैं उनको देखते और यह बात न कहते । जहां पहले बाढ़ से गांव छिप जाते थे वहां आज बाढ़ नहीं आ रही है, वहां आज पैदावार हो रही है इस बात से वह आंख मूंदे हुए हैं ऐसा मालूम होता है ।

मैं हमेशा कहता हूं कि सही बात कही जाय लेकिन एकदम से यह कह देना कि सारा भ्रष्टाचार है मैं इसको नहीं मानता । **हर व्यक्ति कह सकता है, हम किसी की जुबान नहीं रोक सकते हैं । अगर कोई** बात सही हो तो उसमें सुधार किया जा सकता है । मैंने देखा है कि जब से मेरे पास यह विभाग आया है जितनी अनुशासन-

हीनता पहले थी उसमें काफी सुधार हुआ है । जहां हजारों दरख्वास्तें आती थीं शिकायतें आती थी आज उनकी संख्या बहुत कम हो गयी है । यह कोई छोटी बात नहीं है इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि हमारे साधन कम हैं जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी स्वयं कहा कि जब हम अधिकारियों से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है कैसे काम करें । तो पैसा जब कम होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं । हमारी कोशिश है कि पैसा बढ़े लेकिन यह कहना जानबूझ कर काम नहीं करते तो यह गलत है । हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं जो हमारा सातवां प्लान बन रहा है उसमें हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सिंचाई के काम में लगे । बाढ़ की रोकथाम और सीपेज में धन लगायें और जो समस्या सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिये हैं उनमें धन लगायें चूंकि सिंचाई जितनी जरूरी है उतनी ही बिजली की भी जरूरत है । इसलिये उसके लिये भी प्रयास करना है और प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, समय कम है और ज्यादा लोगों के जवाब देना है, इसलिये थोड़ी-थोड़ी बातों में सभी का जवाब देना चाहता हूं ।

मान्यवर, श्री राम गोविन्द ने कटौती का प्रस्ताव रखते समय कहा कि अधिष्ठान पर ज्यादा खर्च हो रहा है, तो जो अधिष्ठान बन गया है जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको वेतन तो देना ही पड़ेगा । यह सही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि साधनों को हम कैसे बढ़ाये ज्यादा बढ़ायेंगे तो प्लान आउटले बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो ज्यादा काम हम कर सकेंगे। मान्यवर, यह सही है कि बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार देने की समस्या है और लोगों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकें इसको भी देखना है। इसलिये कोशिश करेंगे कि ज्यादा प्लान बढ़ायें और निर्माण में ज्यादा खर्च करें एवं लोगों को ज्यादा रोजगार दे सकें।

मान्यवर, उन्होंने बलिया में जल-भराव की बात कही कि बलिया गंगा और घाघरा से घिरा है। हम वहां बसे हैं। तो मान्यवर, यह दो नदियों के बीच में बस गये, गड्ढे में बसे हैं, तो समस्या तो बनी ही रहेगी लेकिन जब बाढ़ आती है तो उसको रोकने के लिए दो बड़े-बड़े बांध गंगा और घाघरा पर बनाया है। लेकिन आप जानते हैं कि कटान होता है और गंगा एवं घाघरा का पानी जिस रास्ते से जाता है तो कटान होती है, मिट्टी को काटने में पानी को आसानी होती है, इसलिये कटान को रोकने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। बाढ़ में बार-बार खर्च करना पड़ता है। तो जब बार-बार कहा जाता है कि बाढ़ की समस्या है तो यदि उसके लिये धन नहीं दिया जायेगा तो आप शिकायत करेंगे कि सिंचाई विभाग ने कोई काम बाढ़ को रोकने हेतु नहीं किया, इसलिये जब कोई समस्या पैदा हो जाती है तो मजबूरी में उसको देखना और खर्च करना पड़ता है।

मान्यवर, उन्होंने यह भी कहा था कि नदियों का तल ऊंचा हो रहा है । हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें लेकिन नदियों को गहरा करने का काम इतना बड़ा खर्चीला काम है जो इस गरीब प्रदेश के लिये संभव नहीं है । हम जो काम कर रहे हैं वह कर लें तो बहुत बड़ा काम होगा । इसलिये जो सुझाव ऐसे हैं जिनको धन के अभाव में पूरा नहीं कर सकते हैं उनको देने से कोई फायदा नहीं है ।' लेकिन हम जो बाढ़ को रोकने के

जिये काम करना चाहते हैं वह ज्यादा से ज्यादा करते हैं।

मान्यवर, उन्होंने यह भी शिकायत किया कि कर्मचारियों के ट्रान्सफर साल में बार-बार न किये जांय। तो आपको मालूम होना चाहिये कि ट्रान्सफर के सम्बन्ध में आदेश हो गये हैं कि साल में एक बार के अलावा बीच में न किये जायं। लेकिन उसके बाद ट्रान्सफर में यदि कोई डेथ हो गयी, या अपंग हो गया, या मानवीय कारणों से हो गया या कोई जगह खाली हो या प्रमोशन हुआ तो करते हैं या कभी कभी माननीय सदस्यों के रिश्तेदार होते हैं या कोई दबाव डालते हैं तो उनकी भी सुनना पड़ता है और ट्रासन्फर करना पड़ता है। इसलिये यह ऐसी बातें हैं जिनको सभी जानते हैं और उसमें शिकायत करना बेकार है या कह दें कि सिफारिश को नहीं सुना जायेगा।

श्री ऊदल –

हम तो सिफारिश कभी नहीं करते हैं यदि किया हो तो मंत्री जी बता दें।

श्री बलदीर सिंह (रामपुर)–

आपके साथी तो करते हैं।

तो यदि मा0 सदस्य के किसी घर का आदमी परेशान है तो उनकी सुनना पड़ता है।

श्री बलदीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, मंत्री जी से मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस बाढ़ और सूखे की लानत है कि जबसे देश आजाद हुआ रोज प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और साढ़े चार अरब रुपये का सिंचाई का बजट रखा है। मैंने प्रस्ताव रखा था कि 12 हजार नलकूपों की शक्ति को 24 गुना किया जाय, सभी नदियों को गहरा किया जाये और इस हेतु 50 करोड़ रुपये रखा जाय जिससे उचित सिंचाई की व्यवस्था हो सके। तो सारे प्रदेश में सूखा और बाढ़ व्याप्त है, लेकिन इनको कमीशन खाने से फुरसत कहां है, रिश्वत लेने से फुरसत कहां है? आप इसका जवाब दे दें?

श्री वीर बहादुर सिंह –

इनको कुछ बोलना था, इसलिए बोल गये। लेकिन इनको कोई जानकारी नहीं है कि सिंचाई क्या है और कैसे होती है? (व्यवधान) कल रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है, मैं बताना चाहता हूं कि गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, जो गंगा बेसिन के मास्टर प्लान बना रहा है और भी नदियों के प्लान बनाने का प्रयास हो रहा है और ड्रेनेज का मास्टर प्लान भी हमने बनवाया है। यह सब हम कराना चाहते हैं, लेकिन धन की बाधा हमारे कार्य में आड़े आ जाती है, जिससे वह कार्य पूरा नहीं हो पाता है। मैं यह भी प्रयास करूंगा कि कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा किया जाए . . . .

श्री अधिष्ठाता –

आप अभी कितना समय और लेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह –

मुझे तो लम्बा-चौड़ा जवाब देना है, कहें तो जवाब दे दूं, नहीं तो नहीं दूं।

श्री अधिष्ठाता –

आप संक्षेप में बता दें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

ठीक है जल्दी-जल्दी लिये लेता हूं। मैंने जो कहा शारदा सहायक की जो लिफ्ट कैनाल दोहरी घाट पम्प कैनाल आदि है, उसमें भी तेजी लाने का प्रयास हो रहा है। विभागीय लोगों को आदेश दे दिये गये हैं कि वह जाकर देखें कि कहां पर क्या कमी है और उसको दूर करें। माननीय चन्द्र प्रकाश शर्मा ने बुन्देलखण्ड के बारे में कहा था, यह सही

है कि वहां पर सिंचाई की कमी है, वहां पर जगह-जगह काम कराने की कोशिश की जा रही है। जो वहां पर तमाम बन्धे हैं जो बताये हैं और जो राजघाट बन्धा है, उसके बारे में भी प्रयास है कि कैसे जल्दी से जल्दी उसे बनाया जाए और पानी दिया जाए। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के साथ बात करके भी इस सब कार्य में तेजी लाने का हम प्रयास करेंगे। अभी निम साहब ने कहा कि मेरे विभाग में हरिजनों के आरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। तो हमारे विभाग को आदेश हैं कि जहां कहीं भी कोई एप्वाइन्टमेंट या पदोन्नति हो उसमें हरिजनों के आरक्षण का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए, उसमें कोई भी कमी न हो। यदि कहीं एक जगह है और उसमें हरिजन को उपयुक्त नहीं पाया गया तो वह जगह खाली रखी जाए और दुबारा विज्ञापित करके उसे हरिजन अभ्यर्थी से ही भरा जाए। जो गोबर्धन नाले के बारे में कहा गया है, उसके बारे में बात कुछ सही है। हम हलवान डायवर्जन लाईन बनवाने जा रहे थे, लेकिन शासन और विपक्ष दोनों पक्षों के जन प्रतिनिधियों की ओर से उसको मना किया गया। लेकिन उसकी क्षमता दो हजार क्यूसेक से बढ़ाकर 4 हजार क्यूसेक की जा रही है। देहरादून जनपद में चने का पानी आ जाने के कारण जो सिंचाई में कमी आ गयी है उसको देख लिया जाएगा। नेगी जी ने जिस स्थान का जिक्र किया है, वहां पर कार्य पूरा हो गया है, और धन की भी व्यवस्था कर ली गयी है, अधूरे कार्य पूरे कर लिये जायेंगे। पंचनद के बारे में माननीय गौरी शंकर को बड़ी चिन्ता है, तो यह योजना बन गयी है और हमारा यह प्रयास है कि इसको भारत सरकार को भेज दिया जाए स्वीकृति के लिए। इसमें हमें मध्य प्रदेश सरकार से भी बात करनी होगी, क्योंकि इसमें हमारा और मध्य प्रदेश दोनों का हिस्सा मिलता है।

(3 बजकर 2 मिनट)

और दोनों से बात होकर जब स्वीकृति हो जायेगी, वह काम किया जा सकेगा।

नलकूपों की खराबी आदि के बारे में कहा गया। यह प्रयास किया गया है कि साल भर की एक इन्वेन्ट्री ऐसी बनायी जाये कि किस-किस नलकूप में कितने स्पेयर पार्ट्स लगे, उसके अनुसार उनके रखने की व्यवस्था करने का विचार है। (व्यवधान) ओबरा संकट के कारण बिजली हमको उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी हमको आवश्यकता है। कम से कम 10 घंटे हमको बिजली मिले तब यह समस्या कुछ हल हो पायेगी। जब 16 घंटे बिजली एक नलकूप को मिलती है तब जाकर घाटा पूरा होता है कि पूरी क्षमता के साथ उससे सिंचाई हो पाती है। बिजली पूरी न मिलने के कारण यह घाटा भी होता है और सिंचाई भी पूरी नहीं हो पाती है। यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिक बिजली हमें मिल सके।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी आप कृपया 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह शिकायत की गयी कि आपरेटर्स नहीं रहते। हमने इसके लिये यह आदेश दिये हैं कि जो आपरेटर्स अनुपस्थित पाया जायेगा, काम में लापरवाही बरतेगा, उसे जिले के बाहर भेज दिया जायेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसे ही अपने जिले में रखा जायेगा। जो परेशान करेगा, काम ठीक नहीं करेगा, उसे 3-4 चेतावनी दी

जायेंगी, अगर उसके बाद भी वह काम ठीक नहीं करेगा तो उसे निकाल दिया जायेगा । इस बात पर भी जोर दिया जायेगा कि जो मैटीरियल लिया जाये वह खराब न हो।

सीपेज की समस्या को हल करने के लिये हम ड्रेन बना रहे हैं । शारदा सहायक से जो 7 हजार हेक्टेयर में सीपेज की समस्या थीं वह घट कर 2 हजार हेक्टेयर रह गयी है । तो इस ओर भी हमारा प्रयास जारी है।

बाढ़ के बारे में भी कहा गया । यह इतना बड़ा प्रदेश है और हमारे यहां कई नदियां हैं । फिर भी हमने इस दिशा में काफी काम किये हैं [1] 190.6 करोड़ रुपये की लागत से 1639 किलोमीटर तटबन्ध 12721 किलोमीटर ड्रेन्स, 65 शहरों की सुरक्षा तथा 4500 गांवों को ऊंचा किया गया है । जो बाढ़ संबंधी कार्य किये गये हैं उनके होने से 13.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़से बचाया जा सकेगा। बाढ़ से कटाव भी होता है। कटान को रोकने का काम बड़ा खर्चीला है। फिर भी जितने हमारे साधन हैं उनके अनुसार हम कोशिश करते है इस कार्य को भी पूरा करने की।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

विभाग ने जिस चुस्ती के साथ काम किया है उसके बारे में भी मैं कुछ बता देना चाहता हूं। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच के हमने 55 सहायक अभियंता, 38 अधिशासी अभियंता, 8 अधीक्षण अभियंता तथा 2 मुख्य अभियंता के लिए आदेश दिये हैं। इसके अलावा प्रशासनाधिकरण को जिनके विरुद्ध जांच करने के लिये मामले दिये हैं, वे हैं- सहायक अभियंता 30, अधिशासी अभियंता 12, अधीक्षण अभियंता 1। जिनके विरुद्ध मामला न्यायालय में चलायें जाने के आदेश दिये हैं वे हैं- 8 सहायक अभियंता और 1 अधिशासी अभियंता। इसी प्रकार मैंने जांच-पर्यन्त जिसको सस्पेंड किया गया है, उसमें 21 सहायक अभियंता, 15 अधिशासी अभियंता और एक अधीक्षण अभियंता है, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र देकर अनुशासनिक जांच प्रारम्भ की गयी है, उसमें 30 सहायक अभियंता, 12 अधिशासी अभियंता, 4 अधीक्षण अभियंता हैं। जिनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच पर निर्णय शासन के विचाराधीन है, उसमें 20 सहायक अभियंता, 9 अधिशासी अभियंता और एक अधीक्षण अभियंता हैं। जिनके विरुद्ध दण्ड के निर्णय पर आयोग की सहमति हेतु मामला लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया गया है, उस पर 9 सहायक अभियंता, 4 अधिशासी अभियंता, हैं। जिन्हें जांचोपरान्त शासन द्वारा भर्त्सयनात्मक प्रविष्टि दी गयी है, उसमें 76 सहायक अभियंता, 25 अधिशासी अभियंता और 4 अधीक्षण अभियंता हैं। जिन्हें जांचोपरान्त शासन द्वारा चेतावनी का दण्ड दिया गया है, उसमें 33 सहायक अभियंता, 11 अधिशासी अभियंता और 5 अधीक्षण अभियंता हैं। जिन्हें पदावनत करने का दण्ड दिया गया है, उसमें एक सहायक अभियंता, एक अधिशासी अभियंता और एक अधीक्षण अभियंता हैं । जिनकी पेंशन से कटौती की गयी है, उसमें एक सहायक अभियंता, दो अधिशासी अभियंता और एक अधीक्षण अभियंता तथा एक मुख्य अभियंता हैं। जिनकी वेतन-वृद्धि रोकी गयी या क्षति की वसूली के आदेश दिये गये, उसमें 22 सहायक अभियंता, 2 अधिशासी अभियंता हैं। जिनको सेवा से निकाला गया, 8 अवर अभियंता, सिविल हैं, 40 अवर

अभियंता, सिविल तथा 5 अवर अभियंता, यांत्रिक, विभाग छोड़कर चले गये, 302 अवर अभियंता, सिविल एवं 13 अवर अभियंता यांत्रिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही थी, और इसमें से 137 अवर अभियंताओं के मामलों में निर्णय लेकर उन्हें दंडित किया जा चुका है। 169 अवर अभियंता (सिविल) एवं 9 अवर अभियंता (यांत्रिक) के विरुद्ध इस समय जांच लंबित है। 9 अवर अभियंताओं को निलंबित किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी मैं चाहता हूं कि अगर कोई नीति संबंधी घोषणा हो, तो उसको आप कर दें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, विभाग में जो कुछ चस्ती लायी जा सकती है, उसको लाने का पूरा प्रयास किया गया है ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं विश्व बैंक से जो ट्यूब बैल लगाये जा रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी उसके बारे में भी बता दें?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैं तो सारा उत्तर देना चाहता था, लेकिन समय की कमी है। मैं विभाग के अधिकारियों को आदेश दूंगा कि वह प्रोसीडिंग मंगा कर जो भी माननीय सदस्य बोले हैं, उनको बताएं।

(व्यवधान)

तो मैं यह कह रहा था कि विभाग में चुस्ती लाने के लिये कठोर कदम उठाने के लिए, भविष्य में जो कोई गलत काम करेगा, किसी को छोड़ा नहीं जायगा । आप तो जानते हैं कि जांच किस प्रकार होती है। इसमें यह कोशिश की जायगी कि जो भी दोषी हो, उसे किसी प्रकार से जांच के समय छोड़ा न जा सके। और जो गिल्टी हैं, उसको सजा अवश्य मिले। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि जो एरिया वहां नलकूप की जरूरत है, ज्यादा नलकूप लगायें विश्व बैंक की योजना के तहत जो ट्यूब वैल लगाये जा रहे हैं, वह हर जिले में लगाये जांय और जो विषमता है, उसको दूर किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसी आपने घोषणा की कि जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उनका विभाग से परीक्षण कराकर अवगत करायेंगे, मेरी आपसे अपेक्षा है कि जो माननीय सदस्य सदन में नहीं बोले हैं, दो दिन के अन्दर वह आपको सुझाव देते हैं, तो उनको भी आप परीक्षण कराकर उनको अवगत करा देंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता–

अब बहुत देर हो गयी। आप कृपया करके हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें।

(व्यवधान)

(श्री गौरी शंकर भैय्या के खड़े होने पर)

माननीय गौरी शंकर भैय्या, मैं आपके हित की बात बता रहा हूं। यह मैंने जो निवेदन किया है जो भी आप सुझाव या स्पष्टीकरण लिखकर देंगे मंत्री जी उसी रूप में कार्यवाही करेंगे, जैसे सदन में बोला गया है।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

मान्यवर, एक नीति संबंधी मामला है। सिंचाई परियोजनाओं में जो हेड बड़ी नदियों पर बनाते हैं, नदिया अपना धारा मोड़कर हेड के किनारे कटान करने लगती हैं। मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि लिफ्ट परियोजनाओं का हेड जहां बने वहां पीचिंग का काम करवा दें। नम्बर 2 हर जनपद के लिए नलकूप का कोटा होता था 30-40-10 बलिया को मिलता था। लेकिन पिछले साल से देख रहे हैं बलिया को एक भी नलकूप नहीं दिया गया। विश्व बैंक योजना के तहत एक ब्लाक में यह दिया गया है। बलिया में

18 ब्लाक हैं। एक ब्लाक में लग रहा है।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री वीर बहादुर सिंह–

अभी माननीय सदस्य गौरी भैय्या बोल रहे थे। नलकूपों की कमी है। मैंने कहा कि इस साल हर जनपद को ज्यादा दिया जायेगा उसमें बलिया भी आ जाता है। जो हेड के बारे में कहा है उसको दिखवा लेंगे, क्या कार्यवाही हो सकती है। दूसरी बात गंगा बैराज के बारे में माननीय सुमनलता दीक्षित ने कहा है। इसकी रिपोर्ट बन गयी है तथा साइड तय हो गयी है। यह विचाराधीन है। कोशिश की जायेगी कि वहां के क्षेत्र की जो मांग है, समस्या को देखते हुए निर्णय जल्दी लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

(श्री राम गोविन्द से) क्या कटौती का प्रस्ताव आप वापस ले रहे हैं?

श्री राम गोविन्द–

नहीं, प्रदेश की भलाई के लिये।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो कटौती का प्रस्ताव राम गोविन्द जी ने रखा है, जो सुझाव इन्होंने दिये थे, उनमें से ज्यादातर को मान लिया गया है। अब कटौती के प्रस्ताव का ज्यादा महत्व नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि वह वापस ले लें।

श्री राम गोविन्द–

वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,03,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,94,03,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14–गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 39–मुस्लिम वक्फ विभाग

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री–
(श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को

समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,21,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आप भी जानते हैं कि कारागार विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके सुपुर्द दोहरा दायित्व है। एक तरफ तो अनुशासन बनाये रखना और दूसरी तरफ जो हमारे बन्दीगृह में बन्दी लोग हैं उनको पुनः समाज में एक अच्छी हैसियत के आदमी के रूप में वापस करना व उनका मनोबल बढ़ाना ।

(इस समय 3 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखालाल पीठासीन हुए ।)

उनको अच्छे कामों में लगा करके अच्छी शिक्षा दीक्षा देना उनको ट्रेनिंग देना और एक ऐसे माहौल को जेल के अन्दर बनाये रखना जिससे उनका मनोबल बढ़े और जब वह समाज के अन्दर दुबारा आयें तो उन विचारों को अपना सकें। उत्तर प्रदेश के कारागारों में 66 जेल उत्तर प्रदेश में हैं तो 36 जेलों में पेयजल की व्यवस्था थी। इसी तरह से स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था 35 जेलों में थी । बाकी जेलों में भी पेयजल और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था कर दी जाएगी। यह कार्य जल निगम द्वारा किया जा रहा है। विद्युतीकरण की बात आती है। दो कारागारों में फतेहगढ़, लखनऊ और 13 अन्य जगहों में विद्युतीकरण था लेकिन अब पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा सभी कारागारों में विद्युतीकरण की व्यवस्था कर दी गयी है।

मान्यवर, पहले एक प्रोवेशन बोर्ड था इसमें कैदियों पर विचार करने के लिए बहुत समय लग जाता था। जिसमें जल्दी विचार नहीं हो पाता था। अब 3 ऐसे बोर्ड बना दिये गये हैं जिसमें लोगों को जल्दी छोड़ने का विचार किया जा सके। आपको जानकर हर्ष होगा कि जेल उद्योग ने कीर्तिमान स्थापित किया है कीर्तिमान हम जेल उद्योग में लाये हैं। मान्यवर, इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन 2.58 करोड़ रुपये का जेल विभाग में हुआ है। जो शायद पहले के इण्डस्ट्री इतिहास में मान्यवर, एक कीर्तिमान होगा। मान्यवर, जेल के कृषि में भी तरक्की हुई है, इस साल 70.56 लाख रुपये का उत्पादन कृषि में हुआ है । मान्यवर, यह भी एक कीर्तिमान है।

इसी प्रकार मान्यवर, वर्ष 1980 में जहां बन्दियों के लिये 3.80 रुपये प्रति बन्दी व्यय आता था, वहीं अब 6.03 रुपये प्रति बन्दी आ रहा है, ताकि उनके मनोबल में सुधार हो सके। मान्यवर, इस वर्ष उत्तर प्रदेश की 66 जेलों में से 28 जेलों में, जिनमें केन्द्रीय कारागार, शिविर तथा बड़े जिला कारागार शामिल हैं, एक्सरे, रेफ्रीजरेटर, पैथालाजिकल लैब के उपकरणों के सेटों, आक्सीजन सिलिंडर, डायथर्मी मशीनें, बी0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट, स्टेथस्कोप, ई0 जी0 सी0 तथा ई0 एन0 टी0 मशीनों की व्यवस्था की जा रही है। ताकि इन जेलों में जो मरीज हैं

उनको तत्काल सहायता दी जा सके और एक अच्छे अस्पताल का निर्माण हो सके। 34 जेलों में 70 लाख रुपये का प्रबन्ध उनको सुधारने के लिये किया गया है।

मान्यवर, यह जो इतना बड़ा काम है, सैकड़ों वर्ष पुरानी जेलों को सुधारने का, उसके लिये अष्टम वित्त आयोग से 113 करोड़ रुपये की मांग की है । रुपया मिलते ही इन जेलों के सुधार का कार्य शुरू कर सकेंगे। मान्यवर, इसी प्रकार जेल रिफार्म कमेटी जस्टिस आनन्द नारायण मुल्ला की अध्यक्षता में बनायी गयी है उसकी जो रिपोर्ट आयी है उसमें उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी चीजें लागू कर सकेंगे उसके लिये भी कमेटी बनायी है । यही नहीं बन्दियों के साथ-साथ, जो जेल कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिये, उनकी समस्याओं को देखने के लिये भी एक कमेटी निर्मित की है, जिसको 6 माह का समय दिया गया है। छः माह के अन्दर जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उनको देख कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दें। मान्यवर, यही नहीं बन्दियों द्वारा निर्मित सामान है, लखनऊ महोत्सव में जेल विभाग के पेवेलियन को उत्तम साज सज्जा के लिये प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह भी जेल विभाग ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

मान्यवर, एक तरफ बन्दियों का मनोबल ऊंचा उठाने के लिये उनको नैतिक शिक्षा देने का भी प्राविधान किया गया है। वहां लोगों को बुलाकर धर्मपूर्ण पिक्चरें दिखायी जाती हैं। उनको चरित्र में सुधार करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। हम उनको ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वह बाहर निकल कर उन कामों में लगकर समाज के अच्छे अंग बन सकें। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मान्यवर, इन सुधारों को तवज्जह दी है। मान्यवर, जेलों के अन्दर 14 कारागारों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद को बनाए रखने के लिए उनकी स्मृति बनाए रखने के लिये कि यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, स्मृति पटल बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

मान्यवर, अगले वर्ष 20 कारागारों में इनके निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, इसी प्रकार मैं वक्फ के बारे में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। हमारा जो सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ है उसकी आमदनी साढ़े चार लाख रुपया और जो शिया बोर्ड उसकी 90 हजार रुपये हैं। इस प्रकार शिया और सुन्नी का टोटल मिलाकर 5 लाख 40 हजार रुपए होता है। उसी में वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह है। वहां की चीजों की देख-भाल करना और जितने मुकदमें चल रहे हैं, इन सबके लिए यह धनराशि बहुत कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस वक्फ बोर्ड का सर्वे कराया जा रहा है। इसमें बहुत सी प्रोग्रेस भी हुई है और उसके परिणाम भी अच्छे सामने आये हैं। 24 जिलों में सर्वे का काम हो चुका है और 12 जिलों में थोड़ा काम रह गया है। इस सर्वे में हमें एक लाख एक हजार 65 वक्फ सामने आये जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थे। अभी तक हमारे वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड हैं उसमें 16 हजार सुन्नी हैं और ढाई हजार शिया है। हमें आशा है कि हमारे वक्फ बोर्ड को जो इनके जरिये परसेन्टेज मिलता है, उसमें करीब 70 लाख से 90 लाख रुपए तक की वृद्धि होगी।

श्रीमन्, सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एक जी0 ओ0 भेजा है कि जिन लोगों का अवकाफ पर नाजायज तौर से कब्जा है, उसको वहां से हटाया जाय। इसके लिए हमने उन्हें एक प्रोफार्मा भी भेजा है ताकि उसे वह भर-कर दे सकें। हमने यह भी कहा है कि चकबन्दी के दौरान यदि कहीं रेवेन्यू के रिकार्ड में गलत इन्दराज हो गया है, उसे भी देखा जाय और उसे वक्फ बोर्ड में लाया जाय और उसे भी रजिस्टर किया जाय। हम यह सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वक्फ बोर्ड की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। हमें आशा है कि सर्वे की रिपोर्ट के आने के बाद ही हम इसे सुदृढ़ कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ 1960 का जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है, उसमें कुछ तरमीम करने की जरूरत है। उस पर भी सरकार विचार कर रही है ताकि वक्फ बोर्ड को और इफेक्टिव किया जा सके और वह और मजबूत हो सके। इस प्रकार बोर्ड का डी-सेन्ट्रलाइज हो जायेगा और जिले स्तर पर इसकी देख-भाल होनी शुरू हो जायेगी। हम आशा कर रहे हैं कि इसे जल्दी से जल्दी किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह एक छोटा सा विभाग है और इस विभाग में जो कुछ थोड़ा बहुत किया जा सकता है, वह मैंने आपके सामने पेश किया है। मुझे विश्वास है कि दोनों तरफ के माननीय सदस्य इसमें अच्छे-अच्छे सुझाव देंगे, जिसमें इस विभाग की भलाई की जा सके।

श्री अधिष्ठाता–

कटौती के प्रस्ताव पर केवल आप 20 मिनट बोलेंगे।

श्री ख्वाजा हलीम–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–गृह विभाग (कारागार) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को यहां पर स्वस्थ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। इन्हीं के जनपद के मंत्री तथा इन्हीं के पार्टी के मंत्री . . .

श्री अधिष्ठाता–

आपको दो अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव रखना है, इसलिए आप दोनों को पढ़ें। दूसरी मांग भी है।

श्री ख्वाजा हलीम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30–मुस्लिम वक्फ विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

दोनों अनुदानों में कमी करने का उद्देश्य–

विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वस्थ रूप से हमारे सामने मौजूद हैं और उन्होंने यह बजट पेश किया है। मान्यवर, उन्हीं की पार्टी के, उनके जनपद के ही एक केन्द्रीय राज्य मंत्री, जिन्होंने इनकी बाबत एक बुरी खबर कह दी थी। जिसकी बाबत य0 पी0 धवन से लेकर इंदिरा गांधी तक बात फैल गयी थी, और जिसकी बाबत एक कंडोलेंस रेजुलेशन भी तैयार हो रहा था, जो बाद में स्थिति का खंडन होने पर रुक गया। इसलिए मैं इनको पूरी-पूरी तरह से बधाई देता हूं कि आज यह हमारे सामने स्वस्थ रूप से मौजूद हैं और दुआ करता हूं कि उनकी उम्र जावेद हो।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर–

मान्यवर, जो यह स्वस्थ बने रहने की कामना की है, उसके लिये मैं इनका

शुक्रिया अदा करता हूं । लेकिन, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी भी सेन्ट्रल के स्टेट मिनिस्टर ने ऐसी कोई भावना नहीं रखी । मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं। सबकी दुआएं मेरे साथ हैं ।

श्री ख्वाजा हलीम–

वह आज जेल में थे ।

मान्यवर, इस कटौती के प्रस्ताव को रखते हुए जो सुझाव देने की बात कही है। उसकी बाबत पहले जुर्म और सजा के बारे में सुझाव रखूंगा । दो तरीके का सोचने का ढंग है। एक तो यह कि ऐसी सख्त सजा दी जाय, जिसमें मौत की सजा हो या हाथ पैर काट देने की सजा हो जिससे समाज को साफ-सुथरा रखा जाय । और, समाज में किसी प्रकार के घृणित कार्य की किसी की हिम्मत न हो सके और जुर्म न हों । दूसरा तरीका यह है कि मुल्जिमों को समाज से दूर कर दिया जाय, उसके लिये अलग से जेलखानों का निर्माण हो, वह समाज से दूर रहें, जेलों में रहें, 10-15 साल जेल में रहेंगे, समाज से दूर रहेंगे, तो समाज साफ-सुथरा रहेगा और वे लोग जेलों में बंद रहें । तीसरा सबसे नया तरीका है जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि तुम मुल्जिमों से घृणा मत करो, उनके जुर्मों से घृणा करो ।

मान्यवर, जो यह मुल्जिम जुर्म करते हैं, उनमें एक तरह की जहनी बीमारी होती है । यह एक प्रकार की बीमारी है। उस जहनी बीमारी का इलाज होना चाहिए। इसलिए सिर्फ जेल में बंद कर उसे सजा देने के अतिरिक्त यदि उसकी उस जहनी बीमारी का भी इलाज हो जाय, तो वह सुधर सकता है । उसका इलाज होना चाहिए । इसका इलाज हो सकता है। मगर उसका इलाज नश्तर बनकर नहीं रहमान बन कर हो सकता है । तारीखें गवाह है कि जब भी जेलों का गलत इस्तेमाल किया गया है, चाहे वह आजादी के दौरान आजादी के दीवानों के साथ हुआ अंग्रेजों के समय में या इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के समय में हुआ उससे हमेशा लोग ताकत में आये और उन्होंने अपनी आवाज बुलन्द की और वह लोग आगे बढ़े । जब-जब उनकी हक, मांगों को दबाने के लिए जेलों का इस्तेमाल किया गया तब-तब उनकी आवाज तेज होकर उठी है और उस कार्य को एक दिशा मिली उनको बढ़ावा मिला है । जेल के सुधार के लिये जो सबसे बड़ी अहम बात है, वह यह है कि जेल के अंदर जितने मुल्जिम रहते हैं, उनको समाज से दूर रखा जाता है, मगर स्थिति वहां मुखतलिफ होती है । आप भी माननीय मंत्री जी जेल में रहे होंगे । उसके अन्दर सही मायनों में आपराधिक स्थिति जन्म ले लेती है । एक सही व्यक्ति अगर किसी मामूली जुर्म में वहां चला जाता है, तो वहां की स्थिति जो होती है, उससे वह वहां से गुंडा और बदमाश होकर निकलता है, डकैत बनकर निकलता है । सबसे बड़ी हमको सही रूप से यह स्थिति करनी होगी कि जो जेल के अंदर गया है, वह जब निकले तो एक अच्छे आदमी के रूप में उभरे और समाज के अन्दर वह काम आ सके और अहमियत समाज के अन्दर बना सके, एक अच्छे आदमी के रूप में।

इसलिए मेरे कुछ सुझाव हैं, वह सुझाव जो हैं अगर आज मुल्जिम बाहर निकल कर आता है, एक अच्छा आदमी बनकर निकलकर आता है, तो वह समाज के लिये सही होता है, इसके लिये जेल के अमले को उसे अच्छा इंसान बनाने के लिये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी । इस सिलसिले में मेरे कुछ सुझाव है, दो तरीके के हैं-एक तो अमला कैसा हो, और दूसरे, क्या उसूल बनाकर अमल करें जिससे कैदियों को फायदा हो, समाज को फायदा हो ।

सबसे पहले जेल के अफसरों के लिये, जेल का अमला पढ़ा लिखा होना चाहिये, बार्डर हाईस्कूल पास होना चाहिये, कभी-कभी वह आठवां पास होता है, तो उसको हाई-स्कूल पास होना चाहिये और अच्छे नम्बरों से पास होना चाहिये । उनको इस बात को समझना चाहिये कि उन्हें क्यों रखा गया है । इसके अलावा कैडर को बदलने की जरूरत है, डिप्टी जेलर और जेलर दोनों एक ही काम करते हैं। नया कैडर ऐसा हो सकता है—जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट जेलर और डिप्टी जेलर ।

इसी प्रकार चीफ बार्डर, हेड बार्डर और वार्डर होना चाहिये। सबसे पहली बात यह है कि इनका पे-स्केल पुलिस के पे-स्केल के बराबर होना चाहिये । राजस्थान में और दूसरे सूबों में इनका स्केल और पुलिस का स्केल बराबर है । आजादी के पहले जेल के स्टाफ का पे-स्केल, पुलिस के पे-स्केल से ज्यादा था । जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट के स्केल एस0 पी0 के बराबर होना चाहिये, जेलर का डिप्टी एस0 पी0 के बराबर और डिप्टी जेलर का स्केल इन्सपेक्टर के बराबर होना चाहिये । जेलर गजेटेड है, पुलिस का इन्सपेक्टर नाम-गजेटेड है, लेकिन जेलर को इन्सपेक्टर से कम तनख्वाह मिलती है और कम सहूलियत मिलती है । जेलर को डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट आफ पुलिस के बराबर वेतन मिलना चाहिये। चीफ वार्डर को सब इंस्पेक्टर के बराबर और हेड वार्डर को हैड कांस्टेबिल के बराबर और वार्डर को कांस्टेबिल के बराबर होना चाहिये । पुलिस की तरह इनको भी भत्ता, जैसे वर्दी भत्ता वगैरह मिलना चाहिये ताकि यह सही तरीके से काम कर सकें । जेलर गजटेड है, इन्सपेक्टर नाम-गजेटेड है और तन-ख्वाह इन्सपेक्टर की ज्यादा है । जेल के अमले की सिक्यूरिटी का कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, उनकी सिक्यूरिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं है, यह एक इंपार्टेंट बात है । जो काम कर रहे हैं, उनकी सिक्यूरिटी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । वे 24 घण्टे क्रिमिनल्स के बीच रहते हैं । कई केसेज ऐसे आये हैं । ऐसे केसेज हुए हैं कि बाहर उनको मारा-पीटा गया है । कुछ दिन पहले अलीगढ़ में एक डाक्टर को मारा गया है ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है, इतना छोटा विभाग और इतनी बड़ी तैयारी ?

श्री अधिष्ठाता —

आप बैठें, यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री ख्वाजा हलीम —

वैसे जी0ओ0 है कि जेल के अमले को लाइसेंस आसानी से दिये जायेंगे, लेकिन इसके बावजूद अलीगढ़ के डिप्टी जेलर कौसर साहब ने एक साल से दर-खास्त दे रखी है, कोई लाइसेंस नहीं दिया गया, जबकि इस बीच में कई क्रिमिनल्स को लाइसेंस दिये जा चुके हैं । अलीगढ़ जेल के डा0 सी0बी0गुप्त, 13 मार्च, 1982 को रात्रि में किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, जब वे निकलकर बाहर आये तो उनको मारा-पीटा गया और चाकू से उन पर हमला किया गया । अलीगढ़ में 90 वार्डर हैं और लगभग 50 जेल विजिटर हैं । उनमें 10-20 ऐसे हैं जो जेल में रह चुके हैं, उन पर क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं । वे इसलिए वहां पर पहुंच जाते हैं ताकि मुलजिमों को सहूलियत पहुंचा सकें ।

इसलिये जेल विजिटर पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप दो मिनट में समाप्त कीजिये क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री ख्वाजा हलीम–

मैं बस दो-तीन सुझाव देकर समाप्त करता हूं। यहां तक कि जेल के अमले के पास जो मसकट हैं वह बहुत पुराने जमाने के हैं जो कि ठीक से मौके पर काम भी नहीं करते हैं इसलिये उनको नये आर्म्स मिलने चाहिये ताकि वे वक्त पर काम कर सकें। इसके अतिरिक्त सर्विस रिवाल्वर डिप्टी जेलर को, जेलर को तथा जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट को मिलना चाहिये।

(इस समय 4 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जेल के करीब पुलिस लाइन की ही तरह एक जेल लाइन भी होनी चाहिये जिसके अन्दर तमाम स्टाफ क्वार्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अब तक तो यह व्यवस्था थी कि जेल का अमला जेल के पास ही रहता था ताकि जरूरत पड़ने पर वह फौरन बुलाया जा सके। लेकिन अलीगढ़ में जेल का जेल सुपरिन्टेडेन्ट जेल से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। जेल कर्मचारियों के लिए 36 क्वार्टर्स बने हुए हैं लेकिन वह टूटी फूटी हालत में हैं जिसमें कोई रह नहीं सकता है।

इसके अलावा जेल के पास अपनी एक मिनी बस टाइप की कोई गाड़ी भी होनी चाहिए जो कि कैदियों को जरूरत पड़ने पर डाक्टर के पास अस्पताल में या कचेहरी ले जा सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी पहले इनका मोटापा कम करने की व्यवस्था कराइये।

(हंसी)

श्री ख्वाजा हलीम–

जेल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है जो कि आज तक जेल की विजिट करने तक नहीं गया। वह यहीं बैठा रहता है। अभी जेलों के लिए 70 हजार रु0 आपने ग्रान्ट किया, यहां से आदेश भेजा गया कि इसे जल्दी से जल्दी खर्च कर लो तो इतनी जल्दी कैसे इतना पैसा खर्च किया जा सकता है? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो पैसा जेल को खर्च करने के लिए देते हैं, उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए और इसके लिए कोई टेक्निकल आदमी रखा जाना चाहिए।

जेल की जो 12-2-80 के पहले हड़ताल हुई थी, उसमें जो आश्वासन दिये गये थे उनको पूरे तौर पर लागू किया जाना चाहिए। कैदियों को जिस्मानी सजा आप दे सकते हैं। नवम्बर, 1981 में जेल कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त होने के बाद जो वहां के कर्मचारियों को आश्वासन दिये गये, उनकी पूर्ति नहीं की गयी बल्कि उसमें से बहुत से लोगों को सजा दी गयी है, उसको आप देख लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा छुट्टी के दिनों में काम करने की एवज में एक वर्ष में एक महीने का वेतन देने की बात जो सरकार ने कही थी, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसको भी तुरन्त पूरा कराया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार की आनन्द नारायन मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है, मैंने उसे कहीं लाईब्रेरी में या कहीं और देखा है उसके पूरे तरीकों को आप लागू कराने की कोशिश करें।

इसके अलावा मुस्लिम वक्फ के बारे में कुछ कहूंगा क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक तो यह

कि बंगाल और राजस्थान दूसरे सूबों के तरह अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट से इसे मुक्त कराइये। नाजायज कब्जे की बात की जाती है परन्तु सबसे ज्यादा नाजायज कब्जे सरकार के ही हैं। छितवापुर कब्रिस्तान में आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कौन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जाकर उसे खाली करायेगा? मुर्दे कहां दफन किये जायेंगे? यह छितवापुर कब्रिस्तान पर जो बिल्डिंग है अगर उसकी सारी आमदनी वक्फ बोर्ड को मिल जाय तो जो मुसलमानों की [illegible]तें हैं उनके लिये खर्चा किया जा सकता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड एक्ट की धारा 84 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकार एक पैसा वक्फ बोर्ड को नहीं देगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि एसा नियम कहीं पर नहीं है, अगर एसा है तो आप किस चीज का बजट मांग रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल में जो वक्फ बोर्ड है उसका पूरा खर्चा वहां की सरकार उठाती है, यह मेरा निवेदन है कि उसी प्रकार से आप भी यहां भी वक्फ बोर्ड का सारा खर्च उठायें ।

श्री बलवीर सिंह–

क्या बजट पर और किसी को नहीं बोलने दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए ।

श्री ख्वाजा हलीम–

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो वक्फ कमिश्नर हैं उनको जल्दी-जल्दी हटा दिया जाय । मेरा निवेदन है कि आप कोई मुस्तकिल आदमी उस पर लायें । देवां शरीफ का और कामियर शरीफ का मेला होता है, सरकार उल्टे उस मेले से पैसा वसूल करती है, परन्तु जब कुम्भ का मेला होता है तो उसके लिए यहां पर बजट पास किया जाता है और उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, मेरा निवेदन है कि उसी प्रकार आप देवां शरीफ के मेले पर भी पैसा खर्च करें । एक बात मैं कहकर अपनी समाप्त करता हूं । आप तो प्रोटोकाल के मंत्री भी हैं आपको पता चल गया होगा कि आपके और वासुदेव सिंह के प्रोटोकाल में क्या अन्तर है । इस संबंध में जो आदेश हैं जिसको वारन्ट आफ प्रेसिडेन्स कहते हैं उसकी प्रतियां कराकर जिलाधिकारियों तथा विधायकों को भेज दी जायें, जिससे उनको प्रोटोकाल के बारे में मालूम हो जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जेलों का मामला बड़ा अहम मामला है । न जाने आपकी निरंकुश पुलिस कब जेल में डाल दे, इसलिए यह बड़ा ही अहम मसला है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे जेलें तकलीफ का घर हैं या रिफारमेटरी सेन्टर हैं या हनी-मून की जगह है । यह तीन बातें गौर करने की हैं । अगर जेल तकलीफ का घर है तो कृपा करके हम लोगों को जेल में भिजवा दीजिए, ताकि तकलीफ का एहसास हो जाये अगर रिफारमेटरी सेन्टर है तो अपनी ओर से लोगों को जेल भेज दें ताकि उनका सुधार हो जाये और जो फिल्म आज का एम0 एल0 ए0 राम औतार है उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज जेलें न तकलीफ का घर हैं और न रिफारमेटरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सेंटर हैं। वह ऐयाशी और आराम की जगह हैं। जेल में रहने वाले आदमियों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, जो चाहते हैं वह लाते हैं, मुर्गा उनको मिलता है, मछली उनको मिलती है और अण्डा उनको मिलता है, हर चीज की सुविधा है। शराब और औरत भी वहां पर मिलती है मैं यह चीज डंके के चोट पर कहता हूं, वहां पर हर चीज की सुविधा है। आप इसकी जांच करा लें। यदि बहुत बड़ा डाकू होगा, तो जेल का स्टाफ उसकी परवरिश में लगा रहता है, सारी सुविधायें उसको मिलती हैं और अगर पैसे वाला आदमी है तो भी उसको किसी चीज की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है। आप जेल के अन्दर मिलाई की आमदनी को कम नहीं कर सके हैं, उस पर काबू नहीं पाये हैं और न राशन की चोरी पर कन्ट्रोल पा सके हैं। 20 रुपए तक का मिलाई का रेट है। एक घण्टे में मिलना चाहते हो या एक दिन में मिलना चाहते हो। रेट बंधे हुए हैं कितनी देर के लिए मिलना चाहते हैं उसी के अनुसार पैसा पड़ेगा। किसी चीज का कन्ट्रोल आपका जेल के अन्दर नहीं है। कोई भला आदमी पहुंच जाय तो शायद उसको मच्छर और खटमल भी नहीं छोड़ेंगे और बिना बीमारी की हालत के वह बाहर आ जाय।

इस बात का सर्वे किया जाय कि आपकी जेल में कितने लोग जेल से निकलकर जो इंडस्ट्री आप सोचते हैं कि वह बाहर निकलकर वह लगायेगा या कुछ और काम करेगा, आज तक कितने लोगों ने ऐसा किया है। आज की स्थिति यह है कि जेल से निकल कर एक क्राइम से निकल कर दस-दस क्राइम वह किए हैं। क्राइम करना वहां सिखाया जाता है कि किस तरह से किया जाय। तो मेरी समझ में नहीं आया कि आपकी ये जेलें रिफारमेटरी सेन्टर हैं, सजा देने की जगह हैं, क्राइम को रोकने की जगह हैं या क्राइम को बढ़ाने की जगह हैं। इसमें कन्फ्यूजन है। इस विभाग में आपका जो शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन है वह 11 प्रतिशत है। ए0 आई0 जी0 की जगह खाली रह सकती है, शेड्यूल्ड कास्ट की जगह खाली रह सकती है। दूसरे आदमी की जगह यदि खाली रहती है और इसलिए वे खाली पड़ी रहती हैं कि तब तक उसकी एडवर्स इन्ट्रोज समाप्त हो जाती हैं और उसे मौका मिल जाता है, उसे रख लेते हैं किन्तु शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मौका नहीं मिलता। तो इन बातों के ऊपर ध्यान दें।

जहां तक ओकाफ का मामला है व उसी तरह से है कि दही की रखवाली आप बिल्ली से करवाना चाहते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके एक कम्प्रहैंसिव बिल ले आयें और उसके तहत जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं उन सब को आप तिलक हाल में बिठा लें। उनसे आप सलाह मशविरा ले लें कि उसमें क्या-क्या तबदीलियां हो सकती है वरना सरकार और गवर्नमेंट खुश रहेगी डेवलपमेंट अथारिटी से। उनका जो रोलर चलता है उससे कोई कब्रिस्तान बचने वाला नहीं है। कोई जगह बचने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेगी जी गले में हाथ न डालें।

श्री रियासत हुसैन—

तीन साल हो गये ओकाफ के कामों को, लेकिन सर्वे नहीं करा पाये। जो उसके मुलाजिम हैं उनको रेगुलर नहीं कर पाये। आपके यहां जी0 ओ0 था कि 3 साल एक जगह पर डिपार्टमेंट में सर्विस करने वाला जो मुलाजिम होगा उसको

रेगुलर कर दिया जायेगा किन्तु आज तक उनको रेगुलर नहीं किया गया। आप औकाफ के जरिये से सही आमदनी खर्च नहीं कर पाये इसलिए औकाफ के मुताल्लिक जो-जो आपके आदमी हैं उनके लिये वही मसल लगती है कि बिल्ली से दही की रखवाली करा रहे हैं। जब उनको यकीन नहीं है कि उसकी हिफाजत भी कुछ हो सके और उनका बस चले तो सारे कब्रिस्तान साफ कर दें। आप इसके लिये एक बिल लायें। चूंकि समय कम है। मैंने दो-चार बातें जेल के बारे में कहीं लेकिन मैं कन्फ्यूज्ड हूं कि जेल को क्या जगह मानी जाय-रिफार्म की जगह माना जाय, तकलीफ की जगह मानी जाय या ऐशो आराम या अय्याशी की जगह मानी जाय। आपकी जेलों की तश्वीर धूमिल हो गयी है। अगर आप इसको रिफारमेटरी सेंटर बना सकते हैं तो कितने लोग वहां से निकल कर रिफार्म हो गये और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका कोई रिकार्ड आपके पास नहीं है। अगर इसको आप सजा देने की जगह बनाना चाहते हैं तो देखें कि कितने लोगों ने क्राइम कम कर दिया। दोनों तरह के आदमी जेल से निकल कर आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो क्राइम में पकड़े जाते हैं लेकिन फिर वह नहीं करते हैं लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरी जगह खाली रहे मैं जल्दी ही आने वाला हूं। इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर जरा सोचें इसमें सुधार करें। न मालूम किस को किस समय जेल जाना पड़े अब जेल जाना कोई बेइज्जती की बात नहीं है। यही बातें कह कर मैं जो ख्वाजा हलीम साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी–

खाना जादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों,
हैं गिरफ्तारे वफा जिन्दां से घबरायेंगे क्यों ।

मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है माननीय मंत्री जी आप कुछ कर भी नहीं पायेंगे न जाने किस दिन किस समय इस कुर्सी से हट जांय जैसी कि सरकार की हालत है आप कृपा करके एक नया सा जेल मैनुवल बना दें जब लोग जेल में जाते हैं और वहां जेल मैनुवल मांगते हैं तो जो उसमें नत्थी लगी रहती है उससे वह एक महाभारत हो गया है उसे कोई जेलर या सुपरिन्टेंडेंट या दूसरा आदमी उसे पढ़ नहीं सकता है। रोज उसमें आपके संशोधन हुए हैं, अंग्रेजों के जमाने से वह बना हुआ है तो उसकी जगह एक छोटा सा जेल मैनुवल बना दें जिसे ठीक से पढ़ा जा सके । यह आपके ही काम आयेगा।

हमारे टेहरी जिले में एक जेल है यह जेल राजा के जमाने से बना हुआ है यह एक छोटी सी जेल है इस जेल को अगर कोई आदमी हाथ से पकड़ कर हिला दे तो उसके दरवाजे टूट जायेंगे चूंकि वहां शरीफ लोग रहते हैं इसलिए वे भागते नहीं है। उत्तर काशी के लिये एक जेल बना दीजिए वहां से सौ कि0 मी0 चमोली पड़ता है वहां से लोगों को टेहरी और पौड़ी भेजा जाता है जिससे बड़ी दिक्कत होती है। टेहरी जेल के लिए कुछ फण्ड बढ़ा दीजिये क्योंकि राजा के जमाने से वह जेल बनी हुई है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अंत में एक शेर कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर समाप्त करता हूं–

गर किया नासेह ने हमको कैद अच्छा यों ही सही,
मेरे जुनून इश्क के अंदाज टूट जायेंगे क्या।

*श्रीमती सुमन लता –

मान्यवर, आपने मुझे कारागार और मुस्लिम वक्फ के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष –

क्या माननीय भोला पाण्डेय जी से इजाजत ले ली है या नहीं?

श्री मोहन सिंह –

माननीय भोला पाण्डेय जी की जेल से मुक्त हो गयी हैं।

श्रीमती सुमन लता –

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय सदस्यों को बताया कि यह एक छोटा सा डिपार्टमेंट है तो उसी हिसाब से बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। जेलों के सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं। जेल में जो सप्लाई का काम है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। माननीय मंत्री जी अपने स्तर से उसकी जांच करवा लें तथा उन्होंने जो कमेटियां बनायी हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हर जिले में वह बनी हैं उनके सदस्यों की संख्या में थोड़ा कमी करें तभी सही रूप से काम हो सकता है और तभी सारे तथ्य सामने आयेंगे। मेरा अनुरोध है कि सदस्यों की संख्या में कमी हो और भ्रष्टाचार की सही जांच हो।

(4 बजकर 20 मिनट पर)

मान्यवर, दूसरा सुझाव यह है कि, जैसा सभी जानते हैं, बड़ी जेलों में जो शहरों में जेलें हैं उनकी ओर तो ध्यान दिया जाता है लेकिन जो छोटी जेलें, जो गांवों में इन्टीरियर में हैं उनके सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, जहां तक मुस्लिम वक्फ की जमीन की बात है उसमें खराब तत्वों द्वारा कब्जा है इसलिए उन अनाधिकृत कब्जे को मंत्री जी हटायें और अपने कब्जे में रखकर उसमें सुधार करें।

मान्यवर, मेरा एक यह भी अनुरोध है कि बंदियों से मिलाई में आम जनता को मिलने से असुविधा होती है उससे रिश्वत लेते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वह इस ओर ध्यान दें जिससे मिलाई में जनता को सुविधा हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री ख्वाजा हलीम –

मान्यवर, मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव पर जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया उनके प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूं।

मान्यवर, एक यह सुझाव है कि जेल के अन्दर प्रौढ़ शिक्षा की तरह शिक्षा का प्रबंध करायें ताकि जो जेल में बेपढ़े लोग हैं वह वहां से पढ़कर निकल सकें और पढ़ाई में जो अच्छे नम्बर लायें उनकी सजा में कुछ कमी करें तो इससे कुछ सुधार हो सकता है।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जेलों में माहिरे नफसियात (साइक्लोजिस्ट) रखे जायं जो डिप्टी जेलर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पद के बराबर हों जिससे मुल्जिमों के जहन की बिमारियों का इलाज हो सके ।

मान्यवर, मैं इस बात पर भी बल देता हूं कि जेल के अन्दर जो जहरीली सोसाइटी बन गयी है उसको समाप्त करके नई सोसाइटी बनायें ।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जेल में प्रोडक्शन बढ़ गया है तो इसका श्रेय मुख्य मंत्री जी को जाता है क्योंकि इनकी वजह से क्राइम बढ़ गये जेलों में क्रिमिनल ज्यादा गये तो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, इसमें आप को श्रेय नहीं जाता है ।

मान्यवर, अलीगढ़ जेल में जो जेल निगम का कांस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वह दो साल से पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पूरा करायें । आपसे अनुरोध है कि आप एक-दो जेलों का विजिट कर लें, लखनऊ जेल का भी विजिट कर लें तो वहां की पूरी हालत मालूम हो जायेगी ।

मान्यवर, जिस तरह 1967 तक आई0जी0 की एक रिपोर्ट आती थी जो कि अब आना बन्द हो गया है । तो मेरा कहना है कि उसी तरह आई0जी0 की तरफ से रिपोर्ट आनी चाहिए जिसमें सारी सूचनायें दी जांय ।

मान्यवर, चमोली, पिथौरागढ़, गाजियाबाद में जेल की व्यवस्था करायें और जिन जिलों में जेलें नहीं हैं वहां भी व्यवस्था करायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सुन्दर सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहराइच जनपद के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, वहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक बहुत ही मशहूर दरगाह शरीफ, सैय्यद सालार मसूद गाजी साहब का है। उसमें लगभग 8 लाख रुपये की प्रति वर्ष आमदनी होती है। वहां के बारे में जनपदीय विधायकों और दूसरे लोगों ने भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें की हैं। प्रशासक के खिलाफ बहुत से आरोप हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उस दिशा में मंत्री जी कोई सुधार लाने हेतु सदन में आश्वासन देंगे।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर–

मान्यवर, हमारे बहुत से साथियों ने और खास तौर पर हमारे हलीम साहब ने, रियासत भाई ने जो हमारे बुजुर्ग भी हैं और इस तरफ से हमारी सुमनलता जी ने . . .

श्री अध्यक्ष–

सुमनलता जी ने जो बात कही है और सुझाव दिया है, क्या आपने उसे स्वीकार किया है या नहीं किया है?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर–

आपका जो आदेश होगा, उसको तो हम लोग स्वीकार करेंगे ही। एक बात यह कही गयी है कि . . .

श्री अध्यक्ष–

आज भाई होली मिलन है न?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर–

यह बात कही गई कि यहां पर कोई जेल मैनुवल नहीं बन सका है। यह बात सही है। 1941 में जेल मैनुवल बना था, तब से उसमें समय-समय पर अमेण्डमेंट्स होते रहे, वह घटता रहा और बढ़ता रहा, लेकिन पूरी तरह से एक नया मैनुवल आजादी के बाद आजतक नहीं बन सका। लेकिन अब मैं इस आदरणीय सदन में बताना चाहूंगा कि जेल मैनुवल हमारा बन गया है और सरकार में विधिक राय के लिए वह भेज दिया गया है वहां से वेट होने के बाद जैसे ही वह प्राप्त होगा, उसका अनुवाद करके उसका प्रकाशन कर दिया जायगा। इसकी मांग

बहुत दिनों से चल रही थी और वह कार्य पूरा कर दिया गया है। जैसा अभी हलीम भाई ने कहा, गाजियाबाद, चमोली, पिथौरागढ़ व उत्तर काशी में जेल नहीं है। तो ठीक है वहां पर जिला जेल नहीं हैं। साथ ही 48 जो हमारी बड़ी नई तहसीले हैं, वहां पर भी कारागार नहीं है। तो इन जिलों में जिला जेल और 48 तहसीलों में जेल बनाने के लिये आठवें फाइनेंस कमीशन से रुपया मांगा गया है। यह मिल जाएगा तो यह निर्माण कार्य हो जायगा। यह प्रस्ताव उनको जा चुका है।

दूसरी बात यह है कि आपने यह कहा, वक्फ बोर्ड के बारे में यह बताया कि उसके सर्वे के बारे में और हालात के बारे में ध्यान किया जाए। तो सर्वे का काम तो निश्चय ही बहुत अच्छा काम हो गया है, हो रहा है, यदि यह काम न हुआ होता तो इतनी बड़ी संख्या में इस तरह की चीजें आज सामने न आई होती। लेकिन वक्फ बोर्ड के हालात और उसके एक्ट में जो अफैक्टिव पन होना चाहिए, वह अभी नहीं हुआ है। उसके लिए आपको याद होगा, इसी सदन के सभी पक्ष और विपक्ष के मुस्लिम विधायकों शिया व सुन्नी की, इस सिलसिले में हमने बुलाया था और मीटिंग भी की थी और उसके बारे में अपनी सर्व सम्मत राय उन्होंने हमको दी थी। उसकी दृष्टि में रखकर उसके अमेंडमेंट पर भी सरकार विचार कर रही है और वह बहुत विचाराधीन है और वह जल्दी ही आपके सामने लाया जा सकेगा। 10 सालों से शिया सुन्नी वक्फ बोर्डों का समय समाप्त हो गया है और दूसरे वक्फ बोर्ड बनाये जाने के लिए कार्यवाही भी सरकार द्वारा करीब करीब पूरी की जा चुकी है।

एक मामला इस संबंध में जो हाई कोर्ट में है, उसके बारे में दरख्वास्तें हैं, डेट लगने की बात है। शायद कुछ समय में नई वक्फ बोर्डों का चुनाव करा लिया जाएगा, काम हो जाएगा। सेक्रेटरी का एप्वाइन्टमेंट भी जो नया वक्फ बोर्ड बनेगा वह करेगा। जो अमेन्डमेंट आप लोगों ने यूनानीमसली तय किये थे उन पर भी कार्यवाही की जायेगी। हमें इस बात की खुशी है कि कटौती के प्रस्ताव को रख कर माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जायेगा और कार्यवाही की जायेगी।

कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में भी आपने जिक्र किया। उनके एसोसिएशन की तरफ से भी उसी तरह की मांगें आयी थी। उन सब पर विचार करने के लिये हमने एक हाई पावर कमेटी बना दी है जो 6 माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी। उसकी रिपोर्ट आने पर मानवता के आधार पर और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी लेकर उनके बारे में बेहतर से बेहतर कार्यवाही की जायेगी।

उनके रहने की बाबत भी आपने सुझाव दिये। इसके लिये कुछ काम तो हमने किये भी हैं। उनके रहने की व्यवस्था कुछ जगह की है। मगर इस बारे में विस्तृत एस्टीमेट बना कर हमने फाइनेन्स कमीशन के पास भेज रखा है। उनकी मन्जूरी के बाद उत्तर प्रदेश की जेलों और उसी के साथ-साथ वहां के कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर्स आदि बनाने का काम शुरू किया जायेगा।

अंत में मैं फिर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपने सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा और उन पर अमल करने की कोशिश की जायेगी। मैं समझता हूं कटौती के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, इसे माननीय सदस्य कृपया वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–गृह विभाग (कारागार) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14-गृह विभाय (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,21,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–मुस्लिम वक्फ विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें मुझे आज प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने श्री किरनपालसिंह की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया है, शेष को अस्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय में तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

आज माननीय जसवन्तसिंह विष्ट जी की सूचना पर जो वक्तव्य होने वाला है, मैंने उनसे आग्रह कर लिया है माननीय शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य को, जो आज होने वाला था उसे स्थगित करता हूं।

(व्यवधान)

मद संख्या 11 के बारे में मैंने श्री जसवंत सिंह विष्ट से बात कर लिया है ।

श्री मोहन सिंह–

श्री विष्ट जी वाला वक्तव्य वितरित हो गया है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना गया ।

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

[उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियम 4 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो सेवा में दिनांक 1-1-77 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और उक्त नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक (14-5-79) को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो तथा जो ऐसी नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्ह-

[पढ़ा हुआ माना गया।]

ताएं रखता हो एवं जिसने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करली हो उसे बिना लोक सेवा आयोग के परामर्श के नियुक्ति किए गये पद पर विनियमित किया जा सकता है इस नियम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 1 जनवरी, 1977 के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण किया गया है।

राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं अतः दिनांक 1-1-1977 के उपरान्त सभी रिक्त प्रवक्ता के पदों को यू0 जी0 सी0 द्वारा निर्धारित अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने के लिए आयोग को अधियाचन दिनांक 16-6-1980, 26-5-1981, 23-11-1981 तथा 2-8-1982 को क्रमशः 307, 65, 40 तथा 50 पदों के लिए भेजे गए। आयोग ने इन पदों के भरने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर दिया इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 1-1-1977 के बाद नियुक्त तदर्थ प्रवक्ताओं के सम्बन्ध में शिक्षक संघ के प्रत्यावेदन शासन को प्राप्त हुए जिसमें यह मांग की गयी थी कि दिनांक 1-1-1977 के पूर्व नियुक्त प्रवक्ताओं की भांति उन्हें भी विनियमित किया जाय।]

इस बीच राजकीय महाविद्यालयों में तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षकों ने डा0 डी0 के0 सिंघल तथा अन्य बनाम शासन (रिट सं0 849/82) से संबंधित रिट इस आशय की दायर कर दी कि दिनांक 1-1-1977 से पूर्व नियुक्त तदर्थ प्रवक्ताओं की भांति उन्हें भी सेवा में विनियमित किया जाय और आयोग द्वारा जारी अधियाचन निरस्त किया जाय इस याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 29-1-1982 को स्थगन आदेश पारित किया तत्पश्चात दिनांक 6-4-1982 को उक्त स्थगन आदेश की पुष्टि करते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रवक्ता पदों पर आयोग के विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन तो प्रारम्भ की जा सकती है लेकिन परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि निर्धारित न की जाय। माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश अभी भी प्रभावी है और आयोग प्रवक्ता पदों पर नियमित चयन नहीं कर पा रहे हैं।

चूंकि दिनांक 1 जनवरी, 1977 के बाद तदर्थ रूप से नियुक्त बहुत से प्रवक्ताओं की सेवाएं आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर समाप्त होने की सम्भावना थी, अतः दिनांक 1-1-1977 के बाद तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण की संघ की मांग पर सम्यक रूप से विचारोपरांत यह आदेश जारी किए गए थे कि ऐसे समस्त प्रवक्ताओं को जिनकी नियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही है उन्हें उसके तुरन्त दूसरे दिन से वर्तमान शर्तों पर एक वर्ष के लिए या नियमित नियुक्ति के लिए जो भी पहले हो पुनः नियुक्ति दे दी जाय और यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनकी सेवा में व्यवधान न हो। किन्तु राजकीय महाविद्यालयों में 52 प्रवक्ता ऐसे थे जिन्हें 1-5-1983 तक सेवा में एक वर्ष पूरा नहीं हुआ था। ऐसे शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियां दिनांक 31-5-1983, 15-6-1983 तथा 30-6-1983 तक की अवधि के लिए की गई थीं और इनकी सेवाएं शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर समाप्त कर दी गई। सर्वोच्च स्तर पर हुई वार्ता के अनुसार

जिन तदर्थ नियुक्त प्रवक्ताओं की सेवा एक वर्ष से कम थी और जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी उन्हें जुलाई, 1983 में की जाने वाली तदर्थ नियुक्तियों में वरीयता प्रदान की गई । अत: इन शिक्षकों की शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा दिनांक 1-8-1983 से दिनांक 31-3-84 तक की अवधि हेतु पुन: तदर्थ नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

कार्मिक विभाग में यह तय हुआ था कि दिनांक 1 मई, 1983 से पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों को राजकीय सेवा में विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में नियमावली बनाई जाय। नियमावली कार्मिक अनुभाग–1 द्वारा बनाई जा रही है जो अभी प्रख्यापित नहीं हुई है। विनियमितीकरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग का अन्तिम निर्णय अभी प्रतीक्षित है।

श्री अध्यक्ष–

कल इस पर माननीय सदस्य प्रश्न कर लेंगे।

प्रदेश में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल खोलने के लिए स्थानों का चयन करने हेतु पंचायत शिक्षा सर्वे कराने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मा0 जयदीप सिंह बरार की सूचना का सम्बन्ध है वह नहीं है।

रबी अभियान के अन्तर्गत प्रमाणित एवं शोधित बीजों के 40 प्रतिशत अंकुरित होने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 मोहन सिंह से प्रार्थना कर लिया है मद संख्या 13 रबी अभियान के अन्तर्गत प्रमाणित बीज के अंकुरित होने के बारे में, वह अपना किसी दूसरे दिन रख लेंगे, उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,
27 मार्च, 1984 सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–74 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 60 पर।)

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात् से वर्ष 1982-83 में निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर जनपद कानपुर में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये मुख्य-मुख्य कार्यों का विवरण।

1–39 निजी लघु नलकूप तथा 230 पम्पसेट लगाये गये। 1343 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

2–ग्राम हलपुरा, दरियापुर, रहमतपुर, अनी निवादा, खुर्द खोजनपुर, मऊ, बकौठिया, कुरुह तथा देवहा में हरिजन बस्तियों में पेयजल सुविधा हेतु कुंए बनवाये गये।

3–निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम भैंइया, हलपुरा, दादारपुर कटहा, सोमियापुर, दिलालपुर, धौरहारा, लोधनपुरवा तथा उठ्ठा में 53 आवास गृहों का निर्माण कराया गया।

4–23 गांवों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित किये गये।

5–एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 1125 ऋण प्रार्थना पत्र बैंकों को भेजे गये। 547 प्रार्थना पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये। 209 लाभार्थियों को 5.84 लाख रुपया ऋण वितरित किया गया।

6–स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत 346 ऋण प्रार्थना पत्रों पर 10.84 लाख रुपया विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत कराया गया। ग्राम रौगांव, मठिया, खाड़ामऊ, मकनपुर तथा गागूपुर में 50 दुकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया।

7–विकास खण्ड कक्वन में 122 व्यक्तियों को सीलिंग की भूमि आवंटित की गई तथा आवंटियों को 12,874 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। विकास खण्ड बिल्हौर में 308 व्यक्तियों को सीलिंग की भूमि आवंटित की गई तथा आवंटियों को रु0 29892.50 की आर्थिक सहायता दी गई।

8–ग्राम सेक्सू तथा हरिजन बस्ती सेक्सू का विद्युतीकरण किया गया। 18 निजी नलकूप, पम्पसेट का ऊर्जीकरण किया गया।

9–विकास खण्ड कक्वन के बिरहुल गांव में 25 हेक्टेयर ऊसर में वृक्षारोपण किया गया। बिल्हौर विकास खण्ड में ईसान नदी के पुल से नानामऊ तक सड़क के दोनों ओर 10 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया।

10–ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, कक्वन का निर्माण कार्य प्रगति पर रहा। ठंडला जमोली मार्ग पर मिट्टी व पुलिया का कार्य पूर्ण किया गया।

11–ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा विभिन्न मार्गों पर 14 पुलियों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा कुछ मार्गों पर मिट्टी का कार्य पूर्ण किया गया।

12–विकास खण्ड बिल्हौर में तीन तथा विकास खण्ड कक्वन में एक हथकरघा उद्योग स्थापित है। विकास खण्ड बिल्हौर व कक्वन में 58 उद्यमियों को चर्म गोधन, चर्मकला, लौहकला, कुम्हारी, बेकरी, मसाला, काष्ठकला आदि के लिए ऋण तथा अनुदान उद्योग विभाग द्वारा दिलाया गया।

13–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 सम्पर्क मार्ग, 6 पुलियों, 1 नाले का निर्माण, ब्लाक प्रांगण कक्वन में मिट्टी भराई का कार्य किया गया। ग्राम पुलिया बाटूखेड़ा तथा कक्वन मुख्यालय पर ग्राम समाज की भूमि पर खाई बांधने, थाले बनाने एवं वृक्षारोपण का कार्य किया गया।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 156 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

क्रम सं0	नाम ग्राम	नाम विकास खण्ड	20–सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 82–83 में किया गया कार्य	20—सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 83–84 में प्रस्तावित कार्य
1	2	3	4	5
1	रसूलपुर	बाजार शुकुल	1––प्राइमरी पाठशाला रसूलपुर के भवन का निर्माण् जो वर्ष 82–83 में निर्माणाधीन था, जुलाई, 83 में पूर्ण हुआ।	1––शारदा सहायक प्रखंड, नहर द्वारा सिन्दुरवां में पुलिया का निर्माण ।
			2––जल निगम द्वारा सार्वजनिक जलकल की स्थापना पूरे भरथा व गुमानीगंज में की गयी।	2––पूरे स्वयंबर में बायोगैस गैस संयन्त्र का निर्माण कराया जाना।
			3––पूरे भरथा में जनता बायोगैस का निर्माण हुआ ।	3––एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाना।
			4––एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत तीन व्यक्ति लाभान्वित कराए गये।	4––मिनी किट वितरण ।
2	नगरौरा	जगदीशपुर	1––एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत दो व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया।	1––एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाना।
			2––1000 वृक्ष ग्राम वासियों द्वारा ईदगाह में लगाए गये।	2––मिनी किट वितरण ।
			3––नियमित रूप से चीनी एवं मिट्टी के तेल का वितरण कराया गया।	